दशम माला, खंड 34, अंक 18

गुरुवार, 18 अगस्त 1994
27, श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दीं संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

No. 53
Date 15.12.95

(खंड 34 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

18 अगस्त, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	21	स्वीकृति हेतु प्रसाताव	स्वीकृति हेतु प्रस्ताव
(iii)	9	श्री सैयद शहाबुद्दीन	श्री सैयद शहाबुद्दीन
20	5	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन
98	23	श्री प्रभोयेस मुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
112	पंक्ति 13 के भाग (ग) इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त हैं ; और अंतस्थापित किया जाए ।		
156	23	(क) से (ग)	(क) और (ख)
173	अंतिम	श्री मानकूराम सोलो	श्री मानकूराम सोडी
196	5	श्री घोटा सुब्बाराव	श्री थोटा सुब्बाराव
234	18	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवा प्रतिवेदन	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति पांचवां प्रतिवेदन
234	22	हिरासत में हुई मौतों के बारे में दिनांक 11 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में शुद्धि को गई	हिरासत में हुई मौतों के बारे में दिनांक 11 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में को गई शुद्धि
236	2	ववालोसवें प्रतिवेदन	ववालोसवां प्रतिवेदन

विषय–सूची

दशम माला, खंड 34, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 18, गुरुवार, 18 अगस्त, 1994/27 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1–22
* तारांकित प्रश्न संख्या	341, 342, 344 और 345	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		23–233
* तारांकित प्रश्न संख्या	343 और 346 से 360	23–54
अतारांकित प्रश्न संख्या	3327 से 3462, 3464 से 3508	55–233
राज्य सभा से सन्देश		234
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति		234
पांचवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत		
मंत्री द्वारा वक्तव्य		234–235
हिरासत में हुई मौतों के बारे में दिनांक 11 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में की गई शुद्धि श्री पी० एम० सईद		
समिति के लिए निर्वाचन		235
कर्मचारी राज्य बीमा निगम		
कार्य मंत्रणा समिति		236–237
चवालीसवां प्रतिवेदन		
स्वीकृति हेतु प्रसताव		
श्री विद्याचरण शुक्ल		236
श्री जार्ज फर्नान्डीज		236

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले		237-241
(एक)	गुजरात के कतिपय क्षेत्रों में, जहां सहकारी क्षेत्र की डेरियां चल रही हैं, निजी क्षेत्र की डेरियों को चलाने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को छोड़ देने की आवश्यकता श्री एन० जे० राठवा	237
(दो)	सहरसा, बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान को ध्यान में रखते हुए कोसी नदी पर बांध का निर्माण करने की आवश्यकता श्री सूर्य नारायण यादव	238
(तीन)	उड़ीसा में सुवर्ण रेखा परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता कुमारी सुशीला तिरिया	238
(चार)	चीनी उद्योग में संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कारखानों द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान की पूर्व योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता श्री अन्ना जोशी	239
(पांच)	बर्तनों के निर्माण में अच्छी किस्म के स्टेनलैस स्टील का प्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता श्री चन्द्रेश पटेल	239
(छः)	उत्तर प्रदेश के हरदोई कस्बे और उसके निकटवर्ती जिलों के लोगों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता श्री सुरेन्द्र पाल पाठक	239—240
(सात)	राजस्थान सरकार को सूरतगढ़ तहसील के उन किसानों को, जिनकी फसलें पानी के जमाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मुआवजा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता श्री मनफूल सिंह	240
राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के संबंध में संकल्प		241-284
	डा परशुराम गंगवार	241
	श्री शरद दिघे	243
	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	249
	श्री अंकुश राव टोपे	253

श्रीमती गीता मुखर्जी	255
श्री गिरधारी लाल भार्गव	258
प्रो के० वी० थॉमस	260
श्री ए० अशोकराज	264
श्रीमती गिरिजा देवी	266
श्री अनादि चरण दास	268
श्री जगत बीर सिंह द्रोण	270
श्री भेरू लाल मीणा	275
श्री शैयद शहाबुद्दीन	275
श्री लोकनाथ चौधरी	279
श्री लक्ष्मण सिंह	281-284

लोक सभा

गुरुवार, 18 अगस्त, 1994/27 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मौखिक प्रश्नों के उत्तर

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

*341 **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने भारत में तस्करी द्वारा जाली मुद्रा लाने के एक षड़यंत्र का पता लगाया है जैसाकि 24 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में विदेशी नागरिकों सहित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उनसे पकड़ी गयी जाली मदा तथा अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) इस प्रकार की तस्करी करने वाले गिरोह की कार्य-प्रणाली क्या है;

(च) दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है; और

(छ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कामरान गौहर, (निवासी अकबरी मंडी बाजार नोहरियां, लाहौर, पाकिस्तान) को उसकी सहयोगिनी सलमा उर्फ बिल्लो (निवासी जगदंम्बा कालोनी, जौहरीपुर विस्तार, दिल्ली) सहित थाना-गोकलपुरी दिल्ली में भा०दं०सं० की धारा-468/471/489-ग और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के अधीन दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से दो नकली पासपोर्टों

सहित 100/रु० मूल्यांकित भारतीय मुद्रा के सात जाली नोट बरामद किए गए। यह भी सूचित किया गया है कि अटारी से भारत में प्रवेश करते समय कामरान ने पाकिस्तानी सीमा पर ये नोट प्राप्त किए थे। अब तक किसी किस्म की कार्य प्रणाली की पुष्टि नहीं हो पाई है। चालू वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा, जाली नोटों से संबंधित कुल मिलाकर 60 मामलों का पता लगाया गया। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :——

(एक) जाली नोटों के मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा आसूचना का विकास किया जा रहा है।

(दो) जाली नोटों की तस्करी के प्रत्येक मामले की गहराई से छानबीन की जाती है ताकि इस प्रकार के अपराधों में लिप्त गिरोह के स्रोतों एवं कार्य प्रणालियों का पता लगाया जा सके।

(तीन) आसूचना एजेंसियों एवं विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के साथ समन्वय।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जाली मुद्रा की तस्करी में पाकिस्तान के अलावा अन्य किसी देश के शामिल होने की भी संभावना है? यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं? क्या पाकिस्तान सहित अन्य जो देश जाली मुद्रा की तस्करी में शामिल हैं, उनको हमारी सरकार ने कोई विरोध-पत्र दिया है?

[अनुवाद]

श्री पी०एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना मिलने पर कि कुछ पाकिस्तानी जाली पासपोर्ट से दिल्ली आए हैं और पाकिस्तान से लाये गए 100/-रु० के जाली नोटों का भी प्रयोग कर रहे हैं, 22 जुलाई, 1994 को दिल्ली पुलिस के विशेष कक्ष द्वारा एक छापा मारा गया और श्री कामरान गौहर, पुत्र श्री मोहम्मद शफी को जगदम्बा कालोनी, गोकुलपुरी, दिल्ली से पकडा गया। पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि उसने पाकिस्तान के अटारी से सीमा पार की। पाकिस्तानी पासपोर्ट के अतिरिक्त, उसके पास दो जाली पासपोर्ट थे। वह पाकिस्तानी नागरिक है। एक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। वर्ष 1993 में जाली नोटों सहित 11 लोग पकड़े गये थे। इनमें से आठ भारतीय थे, एक पाकिस्तानी था और दो जोर्डनवासी थे। 1994 में, दो व्यक्ति पकड़े गये और वे बंगलादेशी थे।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जाली नोट पकड़ने वाला यंत्र, जिसको फेग मनी डिटेक्टर कहते हैं, क्या यह यंत्र भारत में उपलब्ध है। यदि नहीं तो इस यंत्र को उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जाली नोटों का पता लगाया जा सके।

श्री पी०एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, फेग करेंसी पकडने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : सात मामलों में से कितने मामलों में कार्रवाई की गई है और जो शेष बचे हैं उन पर कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण है? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि इन मामलों में कुल कितनी जाली मुद्रा पकड़ी गई तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

[अनुवाद]

श्री पी०एम० सईद : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है 1993 में, 100 मामले दर्ज किए गए थे,

जिसमें से दो रद्द कर दिए थे और 98 मामलों पर कार्यवाही आरम्भ की गई थी। इन 98 मामलों में से, नौ मामलों पर मुकदमा चलाया जाना है, 12 मामले जांच के लिए लम्बित पड़े हैं और 77 मामलों का कोई पता नहीं चल पाया है। 1994 में 60 मामले दर्ज किए गए और कार्यवाही के लिए 60 मामलों में 40 मामले जांच के लिए लम्बित पड़े हैं और शेष 20 मामलों का कोई पता नहीं चला है। अभी तक 17 लोगो को गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्रीजी ने पिछले तीन वर्षों में जाली मुद्रा रखने वाले दोषी पाये गये व्यक्तियों को गिरफ्तार करने सम्बन्धी कुछ आंकड़े दिये हैं। आजकल देखा जा रहा है कि देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां दो-चार मामले जाली मुद्रा सम्बन्धी न होते हों। उन्होंने यह भी बताया है कि अफगानिस्तान, बंगलादेश, जोर्डन और पाकिस्तान आदि देशों के लोग भी इसमें शामिल हैं। इतनी तेज़ी से हमारे देश में जाली मुद्रा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए आप कौन-कौन से उपाय कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम जाली मुद्रा के प्रचलन से बच सकें?

श्री पी०एम० सईद : माननीय सदस्य का अलार्मिंग देना ठीक नहीं है। यह प्राब्लम सारे देश में नहीं है। आपने कहा कि तीन साल के आंकड़े दिये हैं, मेरे से एक-डेढ़ साल के आंकड़े पूछे थे, वह मैंने दिये हैं। इस प्राब्लम को डील करने के लिए जाली नोटों की तस्करी करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा आसूचना विकसित किया जा रहा है। जाली नोटों की तस्करी के प्रत्येक मामले की गहराई से छानबीन की जाती है ताकि उनके स्त्रोतों तथा इस प्रकार के अपराधों में लिप्त गिरोह की कार्य प्रणालियों का पता लगाया जा सके। इस मामले में आसूचना एजेंसियों एवं विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के बीच समन्वय भी रखा जाता है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने 25 मामलों से जुडे लोगों के देशो से बातचीत की है। यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : महोदय, मेरे सहयोगी ने कहा है कि कुछ विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं हैं कि जाली नोट वहीं से आए है; वह केवल उस देश के है। उसके अपराध में शामिल था लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं हैं कि जाली नोट उसी क्षेत्र में छापे जा रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, इस प्रकार भी नोट छापना आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत ही आधुनिक छपाई मशीने और मुद्रणालय की आवश्यकता होती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भारत अथवा विदेश में किसी मुद्रणालय का पता लगाने में सफल हुई है।

श्री पी०एम० सईद : जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री बृपिण पटेल : हमने देखा है कि कुछ समय से जो पचास रुपये का नोट चल रहा है उसमें दो तरह की प्रिंटिंग है। कुछ नोटों में संसद पर झंडा फहराने का चित्र है और कुछ नोटों में सत्यमेव जयते नहीं लिखा है..

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जिसमें सत्यमेव जयते नहीं है, वह जाली है।

श्री वृषिण पटेल : इन नोटों का काफी प्रचलन है और लोगों में दुविधा है कि कौन-सा जाली है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नोट जाली हैं या सही हैं?

[अनुवाद]

श्री एस०वी० चव्हाण : महोदय, हम इस मामले में वित्त मंत्रालय से बातचीत करेंगें और यदि आवश्यक हुआ तो, लोगों को बताएगें कि वे जाली नोटों का आसानी से पहचाना कैसे कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिसके पास काउंटरफिट करेंसी नोट्स मिलते हैं उसे सज़ा होती है और उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। क्या आपके पास इस प्रकार की सूचना उपलब्ध है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर आघात पहुंचाने के लिये कोई योजना विदेशों में बनती है और जिसके द्वारा हमारे देश में इस प्रकार के नोट आ रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी०एम० सईद : जाली नोटों के संबंध में अधिकांश मामले जो हमारे सामने आए हैं, बैंको के जरिए हुए हैं। सही-सही पता लगाना आसान काम नहीं है कि ये देश अथवा देश के बाहर कहां से आते हैं और हमारे यहां ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जैसी माननीय मंत्री महोदय सोच रहे हैं।

श्री एस०वी० चव्हाण : मैं अनुपूवक उत्तर के रूप में यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, हम यह जानने में इच्छुक नहीं हैं कि अपराधी कौन है। लेकिन हम स्रोत का पता लगाएगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था, पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई साजिश की जा रही है। यदि ऐसा है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के लिए विकास योजनाएं

*342. **श्री सुधीर सावन्त :**
श्री बलराज पासी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर हेतु हाल ही में ऋण राहत और ग्रामीण योजनाओं के संबंध में विकास संबंधी किसी पैकेज की घोषणा की गई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में की गई नवीनतम समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से इस उद्देश्य हेतु की जा रही है कि जम्मू एवं कश्मीर में विकासात्मक गतिविधियों एवं परियोजनाओं की गति को बढ़ाया जा सके और उन कटिनाइयों एवं क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विभिन्न योजनाओं के अधीन और अधिक संसाधन-वृद्धि की जरूरत हो। आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री द्वारा पिछली समीक्षा बैठक 20-7-1994 को की गई थी। इसके अलावा, फील्ड स्तर पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सचिवों एवं केन्द्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दल भी राज्य का बार-बार दौरा करते रहे हैं।

इन समीक्षाओं और विचार-विमर्शों के प्रकाश में निम्नलिखित अतिरिक्त फंड/परियोजनाएं विभिन्न सैक्टरों में स्वीकृत/आबंटित की गई हैं :—

(i) ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनाओं के अधीन परिव्यय को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है: आई०आर०डी०पी०-5 करोड़ रु० (3.13 करोड़) : जवाहर रोजगार योजना-25 करोड़ रु० (17.5 करोड़) स्वच्छता-2 करोड़ रु० (1 करोड़) ट्राइसेम-70 लाख रु० (21 लाख), डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०-29 लाख रु० (16 लाख), पेय जल -26 करोड़ रु० (19 करोड़)। इसके अलावा, "इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट्स स्कीम" के अधीन 6 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले परिव्यय से संबंधित हैं)

(ii) नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर०पी०डी०एस०) का विस्तार राज्य के 23 नए विकास खण्डों में (लगभग 13 लाख की अतिरिक्त आबादी को कवर करते हुए) विस्तार और इन 23 विकास खण्डों में रोजगार आश्वासन योजना (ई०ए०एस०) का विस्तार जिससे चालू वित्तीय वर्ष में ई०ए०एस० के लिए लगभग 57 करोड़ रु० कुल उपलब्ध हुए।

(iii) महिला एवं बाल विकास के लिए चार आई०सी०डी०एस० परियोजनाएं एवं कामकाजी महिलाओं के लिए चार होस्टलों की स्वीकृति दी गई है, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया था।

(iv) दो अतिरिक्त मूलभूत औद्योगिक ढांचा परियोजनाएं, एक फल प्रसंस्करण इकाई, एक उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना दो कसाईखानों की स्थापना के लिए अनुदान, ऊन बुनकरों के लिए के०वी०आई० सैक्टर में अतिरिक्त अनुदान, और शुरूआत के तौर पर, एक जिले के लिए सघन नियोजन योजना जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय से फंड का लिंकेज हो।

(v) जवाहर रोजगार के अधीन 3 करोड़ रु० का फंड उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है जिससे क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण किया जा सके और चिकित्सा एवं एम्बुलेटरी सेवाओं में वृद्धि के साथ ही अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव भी किया जा सके।

(vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के आबंटन में क्रमशः 10,000 टन और 8,000 टन की वृद्धि कर दी गई।

कई अन्य सैक्टरों के बारे में प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। लिए गए निर्णयों की समय-समय पर समीक्षा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए राज्य में केन्द्र सरकार के अधिकारियों के दौरे और राज्य सरकार को आगे सहायता उपलब्ध कराने के उपाय भी जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावंत : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार और सुरक्षा दलों ने पिछले 2 साल में आतंकवाद के खिलाफ सफलतापूर्वक काम किया है लेकिन आज की परिस्थिति में जो प्रश्न हमारे सामने है, उसको देखते हुए पिछले 5 साल से कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिये भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध करायी है लेकिन वह निधि गांव के स्तर तक नहीं पहुंची। ग्रामीण स्तर पर जिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं है जो उस निधि का इस्तेमाल कर सके। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंचायती राज्य विधेयक जो पास हुआ है, वह वहां पर लागू हो रहा है या नहीं ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब तक पालिसीज़ का फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचे, तब तक उन पालिसीज़ का मकसद पूरा नहीं हो पाता है। आज कश्मीर में प्रीकेरियस सिचुएशन है जिसकी इस सदन को जानकारी है कि हम लोग कश्मीर में गये हैं और वहां के प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिये कार्यवाही की है। सच्चाई तो यह है कि आम जनता को तो बन्दूक का डर है लेकिन प्रशासन पर भी उसकी झलक है। प्रशासन भी उतने खुले मन से काम नहीं कर पा रहा है जितना कि देश के और हिस्सों में करता है। हमारा प्रयत्न है कि प्रशासन को और मजबूत करके उनकी हिम्मत बढ़ाकर इस काम में लगायें। इसमें भी कहीं सफलता मिली है और कहीं नहीं मिली है। कुछ जिलों में रूरल डेवलेपमेंट के केसेज़ में बहुत कम बढ़ पाये हैं लेकिन किसी और सैक्टर में सफलता नहीं मिली हैं हमारे बैंक उतनी सफलता से काम नहीं कर पा रहे हैं और न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक से हो पा रहा हैं इसके बावजूद हमारे प्रयत्न जारी हैं। माननीय सदस्य का कहना सही है कि वहां पर प्रशासन द्वारा फुर्ती और मजबूती से काम नहीं हो पा रहा है। हमें उम्मीद है कि पिछले 5-6 महीनों से जो बदलाव आया है, उसमें और बढ़ोत्तरी होगी। इसमें हमें और सफलता मिलेगी।

जहां पर पंचायती राज्य का संबंध है, हम पूरी तौर पर मजबूत नहीं हैं और न ही हम इसे लागू कर पा रहे हैं। इसमें एक बार सुधार आया था कि वहां पर पंचायत कमेटी बनाने के लिये पंचायतों के चुनाव करवायें लेकिन सच्चाई यह है कि इस बारे में प्रोपोज़ल रूरल डेवलेपमेंट स्कीम से आनी चाहिये वह हुआ नहीं। लोग इसके लिये तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि उनका नाम कागज पर नहीं आना चाहिये हालांकि वे काम करने के लिये तैयार हैं। उन लोगों में दहशत अभी भी है। इस दहशत को दूर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जब यह दूर हो जायेगी तो हम और आगे बढ़ सकेंगे।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीण विकास के लिये जो पैसा बढ़ाया गया है, उसके काम के लिये दिक्कते आयेंगी। हमारी फौज ने ऐसे इलाके में जाकर काम किया है और विशेषकर वहां, जहां पर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स लिये गये हैं। यहां तक कि ग्रामीण विकास के काम भी फौज द्वारा किये जाते हैं। और वह नौर्थ ईस्ट में काफी सफल भी रहा है। जे०, एण्ड के०, में फौज मांग कर रही है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम हमें करना है लेकिन निधि उनके पास उपलब्ध नहीं है और यह निधि वहां तक पहुंचने वाली नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने वहां ग्रामीण विकास के लिये जो पैसा ईयरमार्क किया है, क्या उसे फौज के माध्यम से सिविक एक्शन प्रोग्राम में इस्तेमाल कराया जायेगा ताकि उसका लाभ गांवों तक पहुंच सके?

श्री राजेश पायलट : यदि माननीय सदस्य ने मेरे जवाब को पढ़ा हो तो उसमें कहा है कि 1993-94 तथा 1994-95 में किये गये एलोकेशन से स्पष्ट है कि उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत पिछले साल जहां 3 करोड़ रुपये थे वहां इस बार 5 करोड़ रुपए रखे गये हैं। उसी तहर सैनिटेशन में जहां पिछले साल 17 करोड़ रुपये थे वहां इस साल 25 करोड़ रुपये एलोकेट किये गये हैं। ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स में 19 करोड़ रुपये की राशि को इस साल बढ़ाकर 26 करोड़ रुपये किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। **(व्यवधान)**

मैं सवाल के पार्ट डी पर ही आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कुछ बढ़ोत्तरी हुई है, जहां पिछले साल 19 करोड़ रुपये की राशि एलोकेट की गयी, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स के अंतर्गत इस साल 26 करोड़ रुपये तक हम पहुंचे हैं ताकि लोगों को कुछ लाभ पहुंचाया जा सके। रूरल डैवलपमेंट का काम खुद सैंट्रल गवर्नमेंट मौनिटर करती है।

माननीय सदस्य ने पार्ट डी में आर्मी और फौज के बारे में पूछा है। नौर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में फौज ने बहुत मदद की है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। यहां पर भी फौज अपने आप कई तरह से मदद कर रही हैं, जैसे दवाईयों के मामले में, छोटे मोटे स्कूलों की रिपेयर के काम में, फौज अपने फंड से पूरी मदद कर रही है। सरकार ने प्रशासन को यह सुझाव दिया था और मैंने खुद जाकर वहां आर्मी हैडक्वार्टर और जनरल साहब से पूरी बात की थी। उन्होंने कहा कि हम कुछ हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें ब्लैक-बोर्ड, बच्चों की दवाईयां, कुछ मिलिटरी यूनिट्स में स्कूल खोलना शामिल है लेकिन पूरी तरह से अभी सिविक अमेनिटीज का काम हमने उनको नहीं दिया है। अभी इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन और फौज के बीच बात हो रही है। अगर दोनों सहमत हो गये तो सरकार इसमें इच्छा रखेगी कि यह काम आगे बढ़ सके।

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में जितना आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि वहां जितना पैसा गया है, वह अधिकतर बिचौलियों के हाथ में चला गया। काफी मात्रा में उस पैसे को राजनेताओं ने भी खाया। विगत 20 मई, 1994 को गृह मंत्री जी का एक बयान अखबारों में छपा था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस के कुछ पुराने राजनेता भी इसमें शामिल थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां जो पूर्व राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने कहा था कि अब तक 80 हजार करोड़ रुपया वहां खर्च किया जा चुका है लेकिन अधिकांश पैसा बिचौलियों के हाथ में चला गया या उसे नौकरशाह खा गये। इस बात को आज भी सरकार मान रही है तो मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस संबंध में कोई निगरानी कमेटी बनायेगी जो वहां जाकर यह देख सके, सलाह दे सके कि कहां किस तरह से पैसा खर्च किया जाना चाहिये और निगाह रखे कि क्या उस पैसे का सही रूप से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

अभी मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि कोई योजना बनाकर हम पैसा दे रहे हैं, कुछ कसाईखाने खोलने के लिये पैसा दे रहे हैं मगर वहां आतंकवाद के कारण आज लाखो लोग विस्थापित हो गये हैं। कुछ लोग यहां दिल्ली में पड़े है और कुछ लोग जम्मू में आ गए है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो लोग विस्थापित हो गये हैं, उनके विकास की क्या योजना उसके पास है और उस योजना के अंतर्गत क्या उन विस्थापितों के पुनर्वास की कोई स्कीम शामिल की गयी हैं ताकि विकास योजना में उनकी भी भागीदारी हो सके। जैसे आप बुनकरों को पैसा दे रहे हैं, वैसे ही उनके लिये भी क्या कोई विस्तृत योजना है। यदि है तो कृपया उसकी जानकारी सदन को दी जाये।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, सरकार की नीति रही है कि प्रशासन में एकाउंटेबिलिटी लाई जाये। कश्मीर में ही नहीं, सारे देश में हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब तक एकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम देश में उन मूल्यों को वाजिब नहीं रख सकेंगे जो देश की इच्छा है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, वहां सिस्टम

में जितनी खामियां थीं, उन्हें हमने दूर करने की कोशिश की है। जबसे वहां प्रेजीडैंट रूल हुआ है, तब से हम लोग खुद मौनिटर कर रहे हैं कि स्कीमें गांवों तक पहुंचे। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल परफैक्ट है, उसमें कोई खामी नहीं है, खामियां हो सकती हैं और जहां खामियां हैं, वहां हमने कदम उठाये हैं। एक मामले में डी०सी० ने 8-10 करोड़ रुपये की गड़बड़ की थी, हमने उसके खिलाफ कार्यवाही की, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और जो भी उनमें इंवौल्व था, उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी। जो भी कदम हम उठा सकते थे, हम उठा रहे हैं जिससे कि एकाउंटेबिलिटी जमी रहे।

दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि माईग्रेंट्स की हमने क्या मदद की है? विस्थापितों के लिए जो भी स्पेशल स्कीम्स हो सकती हैं जैसे सैल्फ एम्पलायमेंट और लोन वगैरह की वे उनके लिए भी लागू हैं, लेकिन सरकार का मन है कि वहां पर हालात सुधारें और ये भाई-बहिन जहां से आए हैं, वहां अपने-अपने स्थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। ऐसे हालात बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां इनके कैम्प्स हैं, वहां जो स्कीम हैं सैल्फ एम्प्लायमेंट और लोन वगैरह की, वे वहां पर भी लागू हैं और कुछ लोगों ने उनका फायदा भी उठाया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले महीने की 19 और 20 तारीख को लद्दाख गया था और लद्दाख जम्मू-कश्मीर का सबसे ज्यादा शांत इलाका है। वहां बुद्धिस्ट लोग हैं और वहां कोई नहीं गड़बड़ नहीं है, लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण वहां पर भी गड़बड़ होने की संभावना बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर 1089 तक एक नियम था और उसके अन्तर्गत वहां के लोगों को आयकर से छूट मिली हुई थी, लेकिन अब वह छूट वापस ले ली गई है। इसी प्रकार से पर्यटन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पहले वहां 26 फ्लाइट जाती थी, लेकिन अब मात्र 4-5 फ्लाइट ही जा रही हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर 9 अक्तूबर 1990 को उन्होंने घोषणा की थी कि वहां के लिए एक औटोनौमस हिल कोंसिल दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह है कि जो भी यहां से सांसद लोग जाते हैं उनसे वहां के लोग इन तीनों बातों के लिए आग्रह करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) सरकार ने जिस औटोनौमस कौंसिल की घोषणा की थी वह कब बनाने जा रहे हैं? (ख) जो आयकर से छूट की सुविधा वहां पहले लागू थी उसको एक साल से बन्द किया हुआ है, क्या उसको आप पुनः देने जा रहे हैं? और मेरा (ग) प्रश्न यह है कि वहां पहले जो पर्यटन की ज्यादा सुविधाऐ थीं उस सम्बन्ध में क्या पर्यटन मंत्री से बातचीत करके वायुयान की अधिक फ्लाइटों की सुविधा देने का काम करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सरकार लद्दाख के लिए कौंसिल के बारे में विचार कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमेंट्स आ गए हैं और यह बात भी सही है कि वहां के एक डैलीगेशन ने जब गृह मंत्री जी से बात की थी, तो उस कौंसिल के बारे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ फारमेलिटीज हैं, जिनके पूरा होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : कितना समय और लगेगा तीन साल तो हो गए हैं ?

श्री राजेश पायलट : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, कश्मीर के हालात को देखकर, सोच-विचार कर के ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : आपकी सरकार करेगी या आपके बाद आने वाली सरकार ?

श्री राजेश पायलट : पासवान जी, ऐसे बहुत से काम हैं जो आपकी सरकार में नहीं हो सके। हमारी सरकार ने किए।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात जो कही है, यह बात भी सही है कि वहां जो हमारे भाई-बहिन हैं उनकी इकनामिक कंडीशंस को सुधारने के लिए हम पर्यटन को बढ़ावा दें। इस बारे में भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक फ्लाइट का सम्बन्ध है, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर वहां खुद जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वह प्रोग्राम स्थागित करना पड़ा था। वे शीघ्र वहां जाने वाले हैं और वे वहां स्वयं जाकर देखेंगे कि पर्यटन को बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है और यदि फ्लाइट बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो वे अवश्य उस बारे में सोचेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में एक नयी बात चल रही है हर जगह यह कहा जाने लगा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसकी भी कश्मीर जैसी स्थिति हो जाएगी। जहां जाओ आजकल यही भावना बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है। हमको इस भावना को रोकना है। यह नारा देश में बिलकुल नहीं चलना चाहिए। यहां पर यह नहीं किया तो यह भी कश्मीर बन जाएगा। इस भावना पर हमको रोक लगानी चाहिए। मै पिछले दिनों झारखंड में था, वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया था, वह भाषण देश के हित में नहीं था। जो भी बेरोजगारी दूर करने की बात है, इलाके का तरक्की करने की बात है, सरकार इसके लिए पूरा प्रयत्न करेगी। लेकिन सरकार की जितनी भी सीमायें हैं, उसमें वह उतनी ही मदद कर सकती है।

श्री राम विलास पासवान : आपने इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : महोदय मैं इसमें कुछ और बाते जोड़ना चाहूगां। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है रजामत्र पर्वत परिषद् विधेयक संबंधी मुद्दा अंतिम चरण में है। हम अंतिम चरण पर पहुंच गए है और हो सकता है शीघ्र ही हम इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखें ।

जहां तक आयकर का प्रश्न है मैं इस विषय में विशेषतौर पर वित्त मंत्रालय से बातचीत करूंगा। वास्तव में मैं भी यह मानता हूं कि ऐसी व्यवस्था पहले भी जिसे बंद कर दिया गया है, तथा इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए। मैं इसे उठाऊंगा।

श्री राम विलास पासवान : धन्यवाद।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि वह मानते हैं कि कश्मीर के लोगों तथा कश्मीर के गावों तक एकमुश्त विकास पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदार प्रशासन का होना आवश्यक है। परंतु साथ ही मैं यह समझता हूं कि वह मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि हम तब तक एक जिम्मेदार प्रशासन नहीं बना सकते जब तक कि प्रतिनिधि प्रशासन न हो और एक प्रतिनिध प्रशासन के लिए उस क्षेत्र में निर्वाचित पंचायतों का होना जरूरी हैं। अतः क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित और पुनः स्थापित करने के लिए ग्राम पचायतो के चुनाव कराना जरूरी है जिससे न सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया बहाल होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किस एक मुश्त विकास की सरकार ने परिकल्पना की है वह वास्तव में निम्नतम स्तर के लोगों तक भी पहुंचे?

श्री राजेश पायलट : महोदय यह वास्तविकता हैं और हम इस ओर कार्यवाही कर रहे हैं। प्रयास जारी है और हमें उम्मीद है। वहां एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए जैसा कि हम कहते आ रहे हैं और जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा हैं कि प्रशासन और जनता के बीच राजनीतिकों का होना जरूरी है ताकि जनभावना और जनता की मागों को उचित तरीके से रखा जा सके। हम यह कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास उसी दिशा में हैं,

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : जनाब अध्यक्ष महोदय, जो लोग जम्मू और कश्मीर के हालात में दिलचस्पी रखते हैं उनको इस बात की बहुत तकलीफ है कि राष्ट्रपति शासन आने के बाद भी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम इत्मिनान बक्श तरीके से नहीं हुआ है और हमारे पास उसकी शिकायतें बराबर आती रहती हैं। मेरे इल्म यह आया है कि मुखल्लिफ जरियों से कि डेवलपमेंट के जो काम लोगों को दिये जाते हैं, मिलिटैंट्स उनको वह काम नहीं करने देते। अगर उन लोगों में आपस में साज-बाज हो जाता है तो वह काम पेपर पर हो जाता है लेकिन हकीकत में नहीं होता है। वहां पर बीसियों स्कूल हैं, बीसियों अस्पताल हैं, बीसियों सड़कें व ब्रिज हैं, जो इस बदअमनी के जमाने में तबाह और बरबाद हो गये हैं और उसी तरह से पड़े हुए हैं।

मिनिस्टर साहब ने अभी अपने जवाब में कहा कि सैंटर सब काम को मॉनिटर कर रहा है। मैं मिनिस्टर साहब से मालूम करना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई एजेंसी है जिससे वह मालूम करें कि जो आंकड़े उन्होंने अपने बयान में इस हाउस में दिये हैं कि इतने करोड़ों रुपये डेवलपमेंट के कामों में सैट हुए है। वह डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है या केवल कागजों पर ही हुआ है? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप उस काम को देखें और उसे मालूम करें।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में जो इण्डस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोरटेंट इण्डस्ट्री शाल बनाने की है। वहां के लोग पश्मीना और शाहतूस की शाल बनाते हैं जो कि टूरिस्ट आकर्षण के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। इंटरनेशनल मार्किट में उसकी बहुत खपत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : महोदय मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं

[हिन्दी]

मुझ से चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर के कुछ लोग मिलने आये थे। उन्होंने मेरे सामने यह शिकायत रखी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह मालूम नहीं है कि जो लोग शाहतूस की शाल बनाते हैं वह शाहतूस उनको कैसे प्राप्त होता है। शाहतूस एक जानवर के बाल होते हैं जो झाड़ियों में उलझ जाने के कारण झाड़ियो से प्राप्त करते है। शाहतूस किसी जानवर को मारने के बाद लिया जाता है, यह गलत है। उन्होंने वाईल्ड लाइफ के कहने पर रेड करनी शुरू कर दी। जिसके घर में शाहतूस का माल निकला, वहां रेड डालकर उसे खत्म कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है कि शाहतूस जानवरों को मारकर नहीं बल्कि झाड़ियों से चुनकर लिया जाता है? उन लोगों को डेवलपमेंट के लिए मदद मिलनी चाहिए ताकि जो इंडस्ट्रीज खराब हो गई हैं, उन्हें रैस्टोर किया जाए।

श्री राजेश पायलट : जहां तक स्कीमों की मौनीटरिंग की बात है, मैंने खुद सदन में कहा है कि अभी बंदूक का डर है और उसकी वजह से उतनी मौनीटरिंग, उतनी इम्प्लीमैन्टेशन नहीं है। अभी भी बंदूक की डर की वजह से उतनी प्रोग्रैस नहीं हो पा रही है लेकिन प्रोग्रैस है। जहां तक मौनीटरिंग की बात है, जो सैन्टर के विभाग हैं, उनके सैक्रेटरी, स्टेट गवर्नमैंट के सैक्रेटरी, हमने सबको आमने-सामने बिठाकर मीटिंग करवाई है जिससे हम सवाल पूछ सकें और वे बता सकें। उसके बावजूद श्रीनगर में या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स या डी० सीज के साथ मीटिंग करने से, डी०सी० के पास बैठकर एस०डी०ओ०, तहसीलदार जो भी कहते हैं, हम यह मानते हैं कि उसमें सौ फीसदी सच नहीं होगा लेकिन इस समय हमारे पास यही इनफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उनसे पूछकर सही अन्दाज लगा सके, उसमें मूवमैंट जरूर है लेकिन सैटिसफैक्ट्री नहीं है। प्रयत्न जारी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, बहुत जल्दी और आगे बढ़ेंगे जहां बंदूक का डर खत्म होता जाएगा और हमारी इम्प्लीमैन्टेशन की प्रोग्रैस बढ़ती जाएगी।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : आप यह बताइए कि काम पेपर में हो रहा है या एक्चुअल में हो रहा है?

श्री राजेश पायलट : आपने शाहतूस वाली जो बात की है, यह सही है कि ऐसे आदेश हो गए थे लेकिन जैसे ही हमें पता लगा, हमने आदेश रूकवा दिए। अब इंडस्ट्रीदज को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप दुबारा पता लगवा लीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में पिछले 45-47 सालों में 80 हजार करोड़ रुपए नहीं, एक लाख करोड़ रुपये का इंतजाम विकास के लिए किया गया था। मुझे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की वह बात याद आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 1989 की शुरूआत में कहा था कि विकास के लिए जितना पैसा जाता है, उसमें से मात्र 15 प्रतिशत काम में जाता है, बाकी पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। कश्मीर में 15 प्रतिशत भी नहीं गया। आप माने या न माने, कश्मीर में आतंकवाद की जड़ भ्रष्टाचार है और यही विकास न होने का कारण हैं आपको पीड़ा है कि देशभर के लोग इस बात को कहते हैं, जो कश्मीर में हो रहा है वह हमारे यहां होगा। उसके पीछे यह कारण है कि लोग जानते हैं कि कश्मीर क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच गया।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप बार-बार विकास का जो ऐलान करते रहते हैं, इसमें भी आप कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने 28 मार्च को जे० एंड के० लिए 1200 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया और अखबारों में भी खूब छपा। आपने 28 अप्रैल को स्वयं कहा कि अभी 230 करोड़ रुपये जा रहे है। आपकी सरकार के द्वारा फिर 2 अप्रैल को ऐलान हुआ कि मिड अप्रैल में जे एंड के पैकेज का भारी इंतजाम हो रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के ऑफिस के सचिव श्री के०आर० वेणुगोपाल के नेतृत्व में वहां एक कमेटी भेजी कि अब कश्मीर के लिए हम पूरे 200 करोड़ रुपये का इंतजाम कर रहे हैं। आपके कहने के अनुसार इंतजाम हो गया। आज आपने यहां जो बताया, वह कुल मिलाकर 25-30 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हो रहा हैं। अप्रैल में जो ऐलान हुआ उसके बिल्कुल विपरीत है।

अभी तीन दिन पहले आपने फिर कहा कि हम पैसा दे रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कब तक ऐसा खिलवाड़ करेंगे क्योंकि सवाल कश्मीर का नहीं है, राष्ट्र का सवाल है।

एक तरफ आप चुनाव करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि पंचायतों के लिये लोग नाम देने के लिये तैयार नहीं हैं जबकि यह बात सही नहीं है। पंचायतों में नाम लिखे गये हैं। दो दल विशेष के नाम लिखे गये हैं। उनका और अफसरों का आपस में रिश्ता बन गया है। पैसा पंचायत में जा रहा है। आप इसकी जांच करिये। मैं 74 पंचायतों के नाम देने के लिये तैयार हूं। पैसा जा रहा है और बांटा जा रहा है। ऐसा कब तक कश्मीर में चलेगा? इसको रोकने के लिये आप क्या कदम उठायेंगे?

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य ने जोड़ गलत किया है। यह जार्ज साहब की आदत है कि जब अपना जोड़ रहता है तो उसे कम कर देते हैं और जब किसी दूसरे का जोड़ रहता है तो ज्यादा लगा देते हैं। अगर इसी को जोड़ो तो यह सौ-सवा सौ करोड़ हो जाता है। यह 5 करोड़ नहीं है। आप इसे पहले पढ़ लें। मैं इसे आपकी जानकारी के लिये पढ़ देता हूं। 5 करोड़ रुपये आई०आर०डी०पी०, 25 करोड़ जे०आर०वाई०, 2 करोड़ रुपये सैनिटेशन के लिये ...**(व्यवधान)**...

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : जो पैकेज में है, वह आप नहीं पढ़ रहे हैं। मैने पैकेज का लगा कर हिसाब लगाया है और वह 18 करोड़ होता है।

श्री राजेश पायलट : 19 करोड़ रुपये तो पीने के पानी के लिये ही हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : जो 19 करोड़ था, उसे आप 26 करोड़ कर रहे हैं। अभी का पैकेज 19 करोड़ रुपये का नहीं हैं। अभी के पैकेज में 7 करोड़ रुपये हैं। आपने उत्तर ही नहीं पढ़ा है।

श्री राजेश पायलट : जार्ज साहब, मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। 1993-94 का 26 करोड़ 1994-95 का है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, यह बढ़ाई हुई राशि है। वह अभी भी अपना उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं। यह राशि पहले की राशि से बढ़ाई गई राशि है। महोदय, मेरे पास वर्ष 1994-95 के लिए आबंटित राशि के आंकड़े हैं। अब उस आबंठित राशि को बढ़ाया जा रहा हैं नहीं तो पैकेज का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता पैकेट बजट के बाहर कदापि नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में बजट बनाया गया है जो कि पहली अप्रैल को स्वीकृत किया गया है।

श्री राजेश पायलट : आज जम्मू-कश्मीर में एक मात्र समस्या आर्थिक समस्या है, जो भी राशि हम उन्हें दे रहे हैं वहां पर घाटा बना हुआ है तथा वे अभी भी उस घाटे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दो-तीन वर्षों से बढ़ता हुआ घाटा एक समस्या बनता जा रहा है। अब माननीय सदस्य 1200 करोड़ रुपये की राशि की बात कर रहे हैं जो कि वार्षिक योजना है। मेरी भारत सरकार के सचिव के बातचीत हुई थी

अध्यक्ष महोदय : यहां दो वक्तव्य हैं —एक तो समाचार पत्रों में दिया गया वक्तव्य और दूसरा जो आपने दिया है। अब आप बता सकते हैं कि कितनी धन राशि दी जा रही है। बस इतना बताना है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, जिस 1200 करोड़ रु० की राशि का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे थे वह वार्षिक योजना है। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमने भी वही प्रश्न उठाया है जिसे अब अनुपूरक प्रश्न के रूप में यहां उठाया गया है।

[हिन्दी]

अखबारों में 1200 करोड़ का कैसे दे दिया जबकि 10-12 करोड़ का दे रहे थे।

[अनुवाद]

परन्तु उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि दो परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। एक तो वह है जो कि हमं 1994-95 में लागू कर रहे हैं। केन्द्र सरकार का प्रत्येक मंत्रालय काफी सीमा तक अपने आबंटन

को बढ़ाने के लिये तैयार है। उदाहरणतः ग्रामीण विकास मंत्रालय 200 करोड़ रु० तक राशि बढ़ाने को तैयार है बशर्ते सम्बद्ध स्थानों पर उक्त राशि का पूरा इस्तेमाल हो। इसी प्रकार 230 करोड़ रु० तक की राशि निर्धारित की गई थी ताकि इस योजना का उस सीमा तक विस्तार किया जा सके। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित 1200 करोड़ रु० की राशि तो 1994-95 की वार्षिक योजना के लिए है। परन्तु आर्थिक समस्या की यही स्थिति है। इसमें 550 करोड़ रु० का घाटा है।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित दूसरा मुद्दा पंचायतों के बारे में है। जम्मू क्षेत्र में हमें कोई समस्या नहीं है और व लोग हमें आसानी से उपलबध हो जाते हैं तथा वे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में इससे मेरा इशारा घाटी के छः जिलों की ओर था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : राजपुरा और पुंछ में?

श्री राजेश पायलट : राजपुरा तथा पुंछ तो जम्मू क्षेत्र में हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं जिलों की बात कर रहा हूं।

श्री राजेश पायलट : मैं जम्मू तथा घाटी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। राजपुरा तथा पुंछ जम्मू क्षेत्र में हैं और जम्मू में हमें कोई समस्या नहीं है। राजपुरा तथा पुंछ में तो आप चाहे कल चुनाव करवा लें हमें तो राज्य के दूसरे भाग में समस्या है। वहां भी बटगांव जैसे ज़िलों में लोग तैयार हैं परन्तु उनमें अधिक उल्लास नहीं है और वे हमें अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल चुनाव न करवाकर कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। अनन्तनाग में कुछ लोग बड़ी दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि चुनाव अवश्य करवाए जाने चाहिएं और वे यह देखने के लिए तत्पर हैं कि धन-राशि गांवों तक पहुंचे। परन्तु ये सभी समस्याएं सामने आ रही हैं और हम इनका इस ढंग से हल कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इनसे नुकसान न हो। आप बहुत अच्छी तरह जातने हैं कि उन लोगों का हल क्या होता है जो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। काज़ी निसार तथा अन्य अनेक लोगों के साथ क्या हुआ? हम स्थिति को उस सीमा तक बिगड़ने नहीं देना चाहते कि लोग पूरी तरह हतोत्साहित तथा निराश हो जाएं। हम स्थिति का इस ढंग से सामना कर रहें हैं जिससे कि हम जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। उसे प्राप्त कर लें तथा लोकतांत्रिक समाधान को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। अन्त में मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सभा से कुछ भी नही छिपाऊंगा। काम मुश्किल हैं। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम यह देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं करेंगे कि यह राशि लोगों तक पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में वास्तव में प्रासंगिक प्रश्न केवल यह है कि पैकेज में कितनी राशि शामिल है।

श्री राजेश पायलट : इस समय जो ब्यौरा मैंने दिया हैं वह वर्ष 1993-94 का हैं तथा यह कुछ राशि 105 करोड़ रु० से 106 करोड़ रु० तक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय राशि को बढ़ाया गया है। इसमें राशि का अबंटन इस प्रकार से किया गया है —समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 5 करोड़ रु०, जवाहर रोज़गार योजना 25 करोंड़ रु०, सफाई आदि 2 करोड़ रु० पेय जल 26 करोड़ रु० आदि। यह आबंटन वर्ष 1993-94 के लिए इन सीमा के अन्तर्गत किया गया है। जहां तक कुल पैकेज का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को उसकी सूचना केवल तभी दे सकता हूं जब उसकी सरकारी तौर पर घोषणा कर दी जाएगी।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महेदय, मुझे लद्दाख का दौरा करने का मौका मिला और उस सन्दर्भ में मुझे

वहां के सभी वर्गों के नेताओं से मिलने का भी अवसर मिलां मैं गृह मंत्री श्री चव्हाण का आभीर हूं कि उन्होंने लद्दाख के लिए स्वायत परिषद बनाने की योजना के बारे में हमें आश्वासन दिया है, जो कि अन्तिम अवस्था **में है। इससे लद्दाख के लोगों को निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी** जो कि यह समझते हैं कि उनके साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। परन्तु इसके साथ-साथ श्री राजेश पायलट ने जो अभी कुछ समय पहले भी कहा उससे लद्दाख के लोगों का उत्साह थोड़ा ठंडा हो जाने की संभावना है। क्योंकि श्री राजेश पायलट ने कहा कि *कश्मीर की जटिल परिस्थिति को देखते हुए हमें विभिन्न मुद्दों पर विचार करना होगा और केवल तभी ....*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं अन्तिम उत्तर तो गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है जो कि श्री राजेश पायलट के बाद बोले हैं।

श्री इन्द्र जीत : इसलिए मैं गृह मंत्री से निश्चित आश्वासन चाहूंगा कि यद्यपि यह मामला मंत्रीमण्डल में विचाराधीन है, अन्तिम तथा निश्चित निर्णय ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष के अन्त तक ले लिया जाएगा।

मैं यह नहीं कह रहा कि महीने के अन्त तक होगा। यही मेरा पहला प्रश्न हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि लद्दाख के लोग यह महसूस करते हैं कि उनके साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। चूंकि जम्मू और क.. ीर में राष्ट्रपति शासन है वहां के लोग जिस तरह का भेदभाव महसूस कर रहे है क्या गृह मंत्रालय उस मामले को नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष रखेगा? श्री राम विलास पासवान ने अभी उल्लेख किया है कि पिछले वर्ष इंडियन एयर लाइन्स लेह के लिए 15 उड़ानें लीं जिन्हें कम करके चार कर दिया गया हैं जिसके फलस्वरूप लगभग 5000 विदेशी पर्यटकों ने एक अत्यधिक खूबसूरत दर्शनीय स्थान की यात्रा रद्द कर दी है।

क्या करने का विचार है? क्या वह सभा को आश्वासन देगें कि वह इस मामले को नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय के साथ उठाएगें ताकि लेह के लिए पर्याप्त उठाने हों तथा इस सारणी में कोई रद्दोबदल न कि..या जाए जिससे कि विदेशी पर्यटक काफी आकर्षक स्थान पर निरन्तर आते रहें।

श्री राजेश पायलट : माहदेय, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने नागर विमानन और पर्यटन मंत्री से बात कर ली हें और वे सहमत हुए है। वह स्वयं सभी बातों को ठीक करना चाह रहे थे परंतु किसी कारण वश उन्होंने इसे स्थगित कर दिया है। जब तक काम न हो जाए मैं प्रयास करता रहूंगा। ताकि लोगों को लद्दाख जाने में कोई समस्या न हो उस क्षेत्र में पर्यटन का विकास किया जा सके।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय हम सभी यह मानते हैं कि कश्मीर के लिए विकासात्मक पैकेज की आवश्यकता है तथा उसके लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मैं, श्री मणी शकर अय्यर तथा अन्य व्यक्तियों के विचार से सहमत हूं कि जब तक कोई जिम्मेदार और उत्तरदायी प्रशासन नहीं होगा इन बातों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। परंतु हमें यह शिकायत मिली है कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों का दरवाजा जनता के लिए बन्द रहता हैं न तो वे लोगों को अपने पास आने और बात करने देते हैं नहीं वे जनता के पास जाते हैं और उनसे कोई सम्पर्क नहीं रखते है। इस पैसे से क्या होगा? पैसा जरूरी है। परंतु क्या आप कुछ करने जा रहे है? जब तक निर्णयित पंचायत न बनाई जाए या फिर कोई आश्चर्यजनक बात न हो क्या उसके बराबर की कोई चीज है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैंने कहा है कि हम प्रशासन को जनता की मागों के प्रति पर्याप्त जिम्मेदार बनाने का अधिकतम प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में स्वयं प्रधान मंत्री महोदय ने राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारियों

के साथ बैठक की तथा उन्हें स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि जिला आयुक्त स्तर के अधिकारी राज्य सरकार के सलाहकार तथा सचिव जनता के लिए उपलब्ध रहेगें। उन्हें कौने-कौने में जाकर लोगों से मिलना चाहिए। व जिलों का दौरा करेगें। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। यदि इस बारे में पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो हम इसे ओर और तेज कार्यवाही करेंगे तथा उनपर और दबाव डालेंगे।

डा०कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि कुछ आतंकवादी प्रवण क्षेत्रों अर्थात कुछ जिलों में या कुछ खंडों में विभिन्न एजेसियों के माध्यम से किसी भी विकास कार्य का क्रियान्वयन करना संभव नहीं हैं। वे कौन-कौन से क्षेत्र है। हम जम्मू और कश्मीर में कुछ पैकेज कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं कौन सी एजेंसियां हैं। जिनके माध्यम से उन ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है और आप उन्हें लिखित में भेज सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सारे देश में आबंटित की गई राशि तथा उत्पन्न की गई परिसम्पत्तियों के मूल्य और ग्रामीण कार्य के वास्तविक में मूल्य में अन्तर है। यह एक सर्वव्यापी बात है और श्री राजीव गांधी ने भी उसका उललेख किया था। अब दो बाते है, एक है राजनीतिक ढांचों तथा दूसरा है नौकरशाही परन्तु उपद्रव से प्रभावित क्षेत्रों में एक तत्व और भी है और मुझें बताया गया है कि आबंटन के एक बड़े हिस्से से उपद्रवकारियों को सहायता मिल रही है। यह उपद्रवी तत्वों के हाथ में जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह कहां तक सच है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि यदि विकासात्मक निधियों वे प्रत्यक्ष परिणाम न प्राप्त हो, तो कम से कम वह उपद्रव कार्यों के हाथ में तो न जाए।

श्री राजेश पायलट : हमें विभिन्न लोगों से ऐसी शिकायतें मिली हैं, विशेषकर जिला मुख्यालय के मेरे दौरे के दौरान ऐसी अनेक शिकायतें मेरे ध्यान में आई। इसलिए हम एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं — इसमें किसी हद तक सत्यता हो तो भी — जिनके द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अनन्तनाग में जब ऐसा एक मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो हमने उस मामले में उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया तथा इस मामले में शामिल लगभग 27 लोगों कि विरुद्ध कार्यवाही की गई हम उनके बारे में और पता लगा रहे हैं।

यह सत्य है कि आतंकवाद बढ़ा है। आतंकवादियों ने तो प्रशासन को भी हरा दिया है कि इस प्रकार का कुछ न करें तथा यही कारण है कुछ समय तक भर्ती बंद रही क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था। हम इस बारे में सचेत हैं ताकि प्रणाली में ऐसे तत्वों को बढ़ावा न मिले। मैं वास्तव में पूरा ब्यौरा नहीं देना चाहता हूं परन्तु माननीय सदस्य की आशंका में कुछ सचाई है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम उस पर पूरी तरह रोक लगाना चाहते हैं।

स्वापक औषधों का प्रयोग

*344. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्वापक औषधों के प्रयोग के कारण चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक पकड़ी गई स्वापक औषधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वापक औषधों के पकड़े जाने में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा स्वापक औषधों के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु क्या कद उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार नशीली दवाओं के सेवन की वर्तमान स्थिति से चिंतित है तथा इस संकट से निपटने के लिए वचन-बद्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1994 (31-7-1994 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त की गई नशीली दवाओं के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

2. जब्त की गई नशीली दवाओं की मात्रा में कमी आने के ये कारण रहे हैं— कड़े दंडात्मक उपबंध होना, दोष-सिद्ध होने की दर में हाल ही में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देना तथा सीमा पर बढ़ी हुई निगरानी बढ़ाया जाना।

3. दिल्ली में नशली दवाओं के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित उपाए किए हैं :—

(क) दिल्ली पुलिस में एक पुलिस उपायुक्त के अधीन एक नारकोटिक्स सेल की स्थापना की गई है जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण दिल्ली है।

(ख) दिल्ली में नशीली औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ग) अधिकारियों और कार्मिकों को नशीली औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 और इससे संबद्ध कानूनों को लागू करने में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा झुग्गी-झोंपड़ी और स्लम क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है जहां यह समझा जाता है कि नशीली दवाओं तथा इसके अवैध व्यापार का अधिक प्रभाव है।

(घ) दिल्ली के लोगों में इस बुराई के प्रति जागृति का स्तर बढ़ाने के लिए तथा एन०डी०पी०एस० अधिनियम को लागू करने में लोगों में अपेक्षित सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जनजागृति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ङ) नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों की रोकथाम करने के लिए नशा करने वालों और आम जनता से सम्पर्क स्थापित करके कई स्वयंसेवी संगठनों/एजेंसियों ने सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों के प्रयासों को मजबूत करने में पहल की है। इसके निमित नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए, पुलिस द्वारा गैर-सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण कार्यक्रमों और समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार, के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(च) नशे की लत छुड़ाने और नशेड़ियों का पुनर्वास करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, दिल्ली पुलिस ने थाना सराय-रोहिला में नशे की लत छुड़ाने वाले "नव-ज्योति" नामक एक केन्द्र की स्थापना करके नशे की लत छोड़ने वालों के पुनर्वास में अपना सकारात्मक योगदान किया है।

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों अर्थात 1991, 1992 और 1993 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त की गई नशीली दवाएं

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले	चरस कि० ग्रा० में	अफीम कि०ग्रा० में	गांजा कि०ग्रा० में	हैरोईन कि०ग्रा० में	पोस्त के डोडे कि०ग्रा० में	मेथाक्योलोन कि० ग्रा० में	भांग कि० ग्रा० में	कोकीन कि० ग्रा० में
1991	1212	1187	675.062	94.494	222.600	28.115	309.200	—	57.400	—
1992	925	902	262.256	90.655	398.550	23.571	4944.350	—	5.825	—
1993	800	761	1005.184	32.320	178.820	25.269	155.500	—	3.230	0.460
चालू वर्ष (31-7-1994) दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त की गई नशीली पदार्थ										
1994	510	475	133.786	11.024	56.180	15.652	115.200	—	—	—
31-7-1994 तक										

श्री श्रवण कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि दिल्ली के इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की ज़ब्ती के पांच बड़े मामलों, जिनमें 11.5 कि० हिरोइन तथा 34.5 कि० हशीश पकड़ी गई और जो कि अब तक एक महीने में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा मामला रहा है, उससे इस धारणा को बल मिला है कि दिल्ली नशीले पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग के एक प्रमुख प्रागमन स्थल के रूप में तेजी से उभर कर आ रहा है, यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आतंकवादियों और विघटनकारी तत्वों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के बीच मिलीभगत का पता लगाया है जिसके परिणाम स्वरूप नशीले पदार्थों का व्यापार बढ़ा है।

श्री पी०एम० सईद : महोदय, यह उस मामले का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे पर 11 कि० हिरोइन तथा 34 कि० हशीश पकड़ी गई थी। ये नशीले पदार्थ सीमाशुल्क विभाग तथा स्वापक कक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से पकड़े गए। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा जांच जारी है।

जहां तक उक्त मिलीभगत का संबंध है, जहां-जहां भी ऐसा पाया गया है हमने उसको रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल : नशीले पदार्थों के बाजार में सिनथेटिक ड्रग्स नये रूप में आई है। वार्निश, पेंट, सरेस जैसे सिनथेटिक तथा बुपरेनोरपाइन तथा पेटोजासोइन जैसे दर्द निवारकों का इस्तेमाल कालेज के विद्यार्थियों तथा बेरोज़गार नवयुवकों द्वारा नशे के रूप में किया जा रहा है। चूंकि ये सिनथेटिक एन०डी०पी०एस० अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत नहीं आते मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को इन सिनथेटिक के व्यसन से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री पी०एम० सईद : सिनथेटिक ड्रग्स स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आते हैं। मीथाकोलोन जैसे नशीले पदार्थों जिसे मेंड्रिक्स के नाम से जाना जाता है तथा एल०एस०डी० आदि एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अन्तर्गत ही आते हैं। चूंकि यह नशीले पदार्थ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, हमने दिल्ली में इस संबंध में विशेष अदालतें स्थापित की हैं। युवा पीढ़ी जिसमें विशेषकर नशीले पदार्थों के व्यसन की अधिक संभावना रहती है, का ध्यान रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मादक द्रव्यों का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में सरकार अपराधियों को पकड़ने में कोताही बरत रही है। मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि दिल्ली में 1992 में 9252 व्यक्तियों से 23.271 किलो हीरोईन पकड़ी गई, जबकि 1993 में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की संख्या घट कर 802 रह गई और हीरोइन 25.269 किलो पकड़ी गई। इसी प्रकार 1990 में 1212 व्यक्तियों से 675.62 किलो चरस पकड़ी गई और 1993 में 800 व्यक्तियों से 1015.184 किलो चरस पकड़ी गई। इस तरह से स्पष्ट है कि आपका विभाग वस्तु को पकड़ने में इंटरेस्टेड है, व्यक्ति को पकड़ने में नहीं है। व्यक्ति इस विभाग को करप्ट करते हैं, इसलिए राजस्थान में यह बात आम चलन में है कि हीरोइन तो पकड़ी जाती है, हीरो नहीं पकड़ा जाता। ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप क्या चाहते हैं कि हीरो के साथ हीरोइन पकड़ी जाए। **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी : जो अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। इसके अलावा हमारे कानूनों में इतनी ढील हैं, जिसकी वजह से पकड़े जाने के बाद भी अपराधी छूट जाते हैं। कई देशों में ऐसे अपराधियों में मृत्यु दंड की व्यवस्था है। क्या भारत सरकार भी ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने का विचार कर रही है?

श्री पी०एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी की यह बात सही नहीं है कि हीरोइन को पकड़ते हैं और हीरो को नहीं पकड़ते हैं। हमारी एजेंसीज ने जितने व्यक्तियों को पकड़ा है, वे आंकड़े मेरे सामने हैं। 1985 से लेकर अभी तक 11272 केसेस हैं, जिनमें से 1211 केसेस में कनविक्शन हुआ है।

तो यह सही नहीं है कि सब को छोड़ दिया जाता है, 1211 कनविक्शन में आए हैं और

[अनुवाद]

कुल 11, 272 मामलों में से 2,585 मामलों में यानि 22.9 प्रतिशत व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। महोदय, एन०डी०पी०एस० अधिनियम में कम से कम दस वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है जिसे 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो लाख रु० के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। अपराध दोबारा किये जाने की स्थिति में कम से कम पन्द्रह वर्ष का कठोर कारावास तथा 1.5 लाख रु० का जुर्माना है जिसे 30 वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन लाख रु० के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। महोदय, इसके अलावा भी, न्यायालयों को सजा की इन सीमाओं को बढ़ाने के अधिकार दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक सीधा सा प्राश्न यह है कि "क्या आप मृत्यु दण्ड का प्रावधान कर रहे हैं?"

श्री पी०एम० सईद : जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : जोशी साहब ने कहा है कि हीरोइन पकड़ी जाती है, हीरो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन यहां तो हीरो भी पकड़ा हुआ है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, ड्रग की समस्या कोई आज की नहीं है, इस सदन में न जाने कितने सालों से मैं इस समस्या के बारे में कह रहा हूं। यह बात सही है कि ड्रग पकड़ी जाती है, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनके इलाज और रीहेब्लीटेट करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। हमारे यहां ही सदन से बाहर काम करने वाले व्यक्ति का लड़का ड्रग एडिक्ट था, जिसका हमने इलाज करवाया, वह ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वह फिर ड्रग में चला गया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसी न जाने हजारों जिन्दगियां खत्म हो जाती हैं। मेरा प्रश्न यह है कि नशीले पदार्थों के आदी लोगों के लिए रिहेब्लिटेशन प्रोग्राम लागू करने के बारे क्या सरकार ने अभी तक सोचा है या नहीं सोचा है?

श्री पी०एम० सईद : इसके बारे में सरकार ने सोचा है।

[अनुवाद]

इस संबंध में निरोधक तथा दण्डात्मक कार्यवाही करने के अतिरिक्त समाज कल्याण मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक कार्यक्रम बनाया है।

सिंचाई क्षमता

*345. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक राज्यवार कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गई ; और

(ग) इस योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य-वार क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान वृहद व मझौली और लघु सिंचाई योजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लिए राज्य-वार आबंटन, आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 1992-94 के दौरान सृजित की गई सिंचाई क्षमता तथा शेष अवधि के दौरान प्राप्त की जाने वाली संभावित उपलब्धियां इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान सिंचाई के लिए परिव्यय* (करोड़ रुपये)	1992-94 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	शेष अवधि 1994-97 के दौरान संभावित प्रत्याशित उपलब्धि (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2356.46	105.90	813.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.10	6.70	13.30
3.	असम	286.35	37.98	262.02
4.	बिहार	3019.12	444.00	1703.00
5.	गोवा	134.20	1.64	38.56
6.	गुजरात	3746.00	102.15	525.85
7.	हरियाणा	626.89	50.30	345.70
8.	हिमाचल प्रदेश	113.70	4.26	23.38
9.	जम्मू व कश्मीर	164.77	20.20	40.30
10.	कर्नाटक	2373.00	174.43	446.57
11.	केरल	627.00	123.11	124.89

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	2647.71	228.07	721.93
13.	महाराष्ट्र	3327.64	169.89	630.11
14.	मणिपुर	157.00	9.66	59.50
15.	मेघालय	40.13	5.49	10.39
16.	मिजोरम	12.75	1.02	4.98
17.	नागालैंड	23.50	1.12	11.88
18.	उड़ीसा	3037.13	104.57	379.43
19.	पंजाब	510.93	98.85	153.57
20.	राजस्थान	1849.69	162.15	426.46
21.	सिक्किम	13.00	1.29	3.71
22.	तमिलनाडु	555.00	23.45	96.85
23.	त्रिपुरा	67.00	6.60	33.60
24.	उत्तर प्रदेश	3089.94	1879.00	4536.00
25.	पश्चिम बंगाल	768.00	197.08	423.15
	कुल राज्य	29652.01	3958.91	11828.53
	कुल संघ राज्य	31.91	1.79	9.42
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	29683.92	3960.70	11837.95

* इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए परिव्यय 1218 करोड़ रुपए है।

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 1992-94 के दौरान धन के आंबटन और सिंचाई क्षमता के सृजन तथा 1994-95 में संभावित सिंचाई क्षमता के सृजन के विषय में विस्तृत तथा लम्बा विवरण दिया है।

इसके आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आठवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षेत्र के लिए 29,683.92 करोड़ रु० के भारी निवेश तथा कुछ राज्यों में 24 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के राज्य योजना परिक्रम के बावजूद उक्त महत्वपूर्ण वृद्धि तथा मझौले क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन तथा तल-जल सिंचाई की क्षमता में वृद्धि के प्रतिशत की उचित रूप से निगरानी नहीं की गई थी। सातवीं पंच वर्षीय योजना तक उनकी सिंचाई क्षमता का प्रतिशत 30 था।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनका अब तक का कुल प्रतिशत कितना है तथा क्या इस 30 प्रतिशत से ऊपर इसमें और वृद्धि हुई है या नहीं स्थिर है।

श्री पी०के० थुंगन : महोदय, वास्तव में कुछ विशेष परियोजनाओं की निगरानी ही सरकार द्वारा सी०डब्ल्यू०सी० के माध्यम से की जाती है। हम लगभग 44 चुनीदा परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। शेष परियोजनाओं की निगरानी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

जहां तक प्रतिशत में वृद्धि या कमी का संबंध है, मैं इसका हिसाब लगाकर माननीय सदस्य को बाद में दे दूंगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, सतही जल तथा भूमिगत जल की क्षमता 8700 करोड़ क्यूविक मीटर है। महोदय, डा० अजोध्य नाथ कोसला द्वारा प्रायोजित कुछ बहु-उद्देश्यी नदी घाटी योजनाओं को सावती पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। अतः दस वर्ष तो पहले ही निकल चुके हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि सतही सिंचाई की वास्तविक क्षमता कितनी हैं तथा क्या विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में इसकी निगरानी की गई है।

दूसरा, मैं उन परियोजनाओं की संख्या जानना चाहता हूं जिन्हें उड़ीसा की इन्द्रावती तथा रंगली ओंग घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत आती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में सिंचाई क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ रु० से अधिक राशि आबंटित की गई। विवरण में यह राशि हजार हेक्टेयर में दर्शाई गई है। सिंचाई क्षमता 104,57 सृजित की गई दिखाई गई है। परन्तु मेरे विचार में उड़ीसा से आए सांसद भी यह बता सकते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को कुछ भी नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन्द्रावती तथा रंगली आगे नदी घाटी बांध परियोजनाओं के लिए धन राशि का आबंटन तो किया गया है परन्तु उसकी सिंचाई क्षमता कितनी क्युबिक मीटर होगी उसके बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। अन्य सिंचाई परियोजनाओं की क्या स्थिति है?

श्री पी०के० थुंगन : महोदय, सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति सृजित कमान क्षेत्र के हिसाब से निकाली जाती है न, कि जल के क्युबिक मीटर के हिसाब से निकाली जाती है। इसलिए मैं गत सात योजनाओं के दौरान योजनावार प्रगति तथा आठवीं योजना की आधी अवधि की प्रगति के आंकड़े दे सकता हूं।

पहली योजना में वृहद तथा मझौती सिंचाई परियोजनओं में 12.20 मिलियन हेटक्टेयर क्षेत्र का सृजन किया गया था। लघु सिंचाई परियोजनाओं में 14.00 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का सृजन किया गया। छटी योजना के अन्त तक वृहद मझौली सिंचाई परियोजनाओं में 27.70 मिलियन हेक्टेयर और लघु सिंचाई परियोजनाओं में 37.52 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का सृजन किया गया। इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वृहद तथा मझौती सिंचाई योजनाओं के लिए 29.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का और लघु सिंचाई परियोजनाओं में 46. 60 मिलियन टेक्टेयर क्षेत्र का सृजन किया गया। जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है, हमारा लक्ष्य वृहद तथा मझौती सिंचाई परियोजनाओं में 5.09 मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं में 10.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का सृजन करने का लक्ष्य है।

जहां तक उड़ीसा की परियोजनाओं का संबंध है। मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिंचाई परियोजनाएं

*343 **श्री गुमान मल लोढा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में अनेक सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं हैं और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(च) कितनी परियोजनाओं का निर्माण विदेशी सहायता से किया जा रहा है; और

(छ) प्रत्येक परियोजना के निर्माण में अब तक कुल कितने प्रतिशत विदेशी सहायता ली गई है?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (छ) 158 वृहद, 226 मझौली और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं आठवीं योजना से आगे जायेंगी। इनको अनमानित लागत क्रमशः 54, 470 करोड़, 4,797 करोड़ रुपए और 6,309 करोड़ रुपए है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

उक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 103 वृहद, 165 मझौली और 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई है। इनमें से 92 वृहद, 159 मझौली और 17 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं विनिर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं। इनकी लागत क्रमश : लगभग 600% 400% और 200% बढ़ गई।

बाह्य सहायता प्राप्त कर रहीं वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:

क्रम सं०	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	सहायता राशि (मिलियन)	31-5-1994 तक उपयोग (मिलियन)
1	2	3	4	5
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना (फेज-II)	विश्व बैंक	203 मिलियन अमेरिकी डालर	98.747 मिलियन अमेरिकी डालर
2.	महाराष्ट्र कंपोसिट सिंचाई परियोजना-III (अपर पेनगंगा, कुकाड़ी भीमा, कृष्णा, जयकवाड़ी चरण-II, मजलगांव)	विश्व बैंक	128.819 मिलियन अमेरिकी डालर	87.629 मिलियन अमेरिकी डालर

1	2	3	4	5
3.	पंजाब सिंचाई एवं जल विकास परियोजना	विश्व बैंक	145.285 मिलियन अमेरिकी डालर	47.165 मिलियन अमेरिकी डालर
4.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	विश्व बैंक	135.330 मिलियन अमेरिकी डालर	122.624 मिलियन अमेरिकी डालर
5.	सिघमुख एवं नोहर परियोजना	ई०ई०सी ०	43.0 ई०सी०यू०	शून्य
6.	अपर कोलार सिंचाई परियोजना	जापान	3679.00 येन	1681.203 येन
7.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	जापान	3744.00 येन	1158.803 येन

सिंचाई क्षेत्र में दी जा रही अन्य बाह्य सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	सहायता राशि	31-5-1994 तक उपयोग
1.	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना (बहु-राज्यीय)	विश्व बैंक	114.000 मिलियन अमेरिकी डालर	101.805 मिलियन अमेरिकी डालर
2.	बांध सुरक्षा आश्वासन पुर्नस्थापन परियोजना	-वही-	153.000 मिलियन अमेरिकी डालर	14.850 मिलियन अमेरिकी डालर
3.	जल संसाधन समेकन परियोजना (हरियाणा)	-वही-	262.979 मिलियन अमेरिकी डालर	-शून्य-
4.	लघु सिंचाई परियोजना (राजस्थान) (ऋण)	जर्मनी	12.3 डच मार्क	6.133 डच मार्क
5.	लघु सिंचाई परियोजना (राजस्थान) (अनुदान)	-वही-	2.7 डच मार्क	0.814 डच मार्क
6.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	-वही-	55.00 डच मार्क	5.900 डच मार्क
7.	महाराष्ट्र में फसलों के विविधीकरण के लिए बाजल नियंत्रण प्रणाली	ई०ई०सी०	15.00 ई०सी०यू०	3.80 ई०सी०यू०
8.	तालाव सिंचाई प्रणाली फेज-II (तमिलनाडु)	-वही-	24.5 ई०सी०यू०	10.982 ई०सी०यू
9.	लघु सिंचाई परियोजना (केरल)	-वही-	11.8 ई०सी०यू०	-शून्य-

ई०ई०सी० = यूरोपीय आर्थिक समुदाय
ई०सी०यू० = यूरोपीय मुद्रण यूनिट।

बकाया राशि की वसूली

*346. **श्री प्रेम चंद राम :**
श्री रवि राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कोल इंडिया लि० द्वारा की गई कोयले की आपूर्ति की भारी राशि राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार, उपभोक्ताओं की ओर आपूर्ति किए कोयले के संबंध में कुल देय बकाया राशि 3966.74 करोड़ रुपए की थी।

(ख) दिनांक 30-6-1994 को कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में विद्युत क्षेत्र तथा अन्य बड़े उपभोक्ता-क्षेत्रों की ओर कोल इंडिया लि० की देय बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

	क्षेत्र	दिनांक 30-6-1994 को कुल देय बकाया राशि	इसमें से 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार अविवादित देय बकाया राशि
(1)	विद्युत	3215.39	1842.44
(2)	इस्पात	417.96	72.74
(3)	लेको	65.86	12.95
(4)	अन्य	267.53	118.79
	जोड़	3966.74	2046.92

(ग) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०)/सरकार द्वारा विद्युत उपयोगिताओं की ओर देय बकाया राशि की वसूली किए जाने तथा उस पर रोक लगाए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को यह सलाह दी है कि वे विद्युत-गृहों को कोयले की आपूर्ति केवल लेटर-आफ-क्रेडिट अथवा अग्रिम अदायगी के एवज् में ही करें।

(2) विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय, कोयला कंपनियों को देय बकाया राशि का निपटारा करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के साथ आवधिक रूप में विचार-विमर्श कर रही हैं।

(3) कोयला कंपनियां, राज्य विद्युत बोर्डों के साथ देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने तथा उन्हें अदायगी किए जाने के लिए राजी करने के लिए भी विचार-विमर्श कर रही हैं।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

*347. **डा० के०वी०आर० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक परिवार कल्याण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे संगठनों को कितनी सहायता दी गई;

(ग) ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देने संबंधी नियम और प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) विवरण I से III संलग्न हैं।

(ग) 4 मंजिल स्कीमों के अन्तर्गत 1860 के सोसाइटीज अधिनियम/न्यास अधिनियम अथवा किसी अन्य समतुल्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को सहायता रिलीज की जाती है। संगठनों की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए और 10 प्रतिशत परियोजना लागत वहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा छान-बीन और सिफारिश की जानी होती है। पी०वी०ओ०एच० II योजना और अर्ध-संगठित क्षेत्र के लिए योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना करारों/परियोजनाओं के अनुसार सहायता रिलीज की जाती है। अन्य योजनाओं में विवरण-चार पर दिए ब्यौरों के अनुसार सहायता रिलीज की जाती है।

(घ) और (ङ) मौजूदा नियमों और क्रियाविधि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वैच्छिक संगठनों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा

1. **प्रायोगिक/नई योजना**

उद्देश्य :

नई विधियों का प्रयोग करके छोटे परिवार के मानदंड और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना।

कवर किए जाने वाले क्षेत्र

ग्रामीण और शहरी गन्दी बस्तियां। आरोधित जन्म दर 35% वाले जिलों को वरीयता दी जाएगी।

जिन कार्यकलापों के लिए धन दियाा जाएगा :

(I) परिवार नियोजन सेवाओं का प्रावधान-गर्भ निरोधक, आई०यू०डी०, खाई जाने वाली गोलियां, कॉपर-टी इत्यादि।

(II) भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाओं का प्रावधान।

(III) कोई अन्य कार्यकलाप जिससे छोटे परिवार को बढ़ावा मिलता हो।

(IV) सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी प्रयास।

देखें : इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के क्लीनिकों की स्थापना नहीं करने दी जाएगी।

परियोजना अवधि :

एक वर्ष लेकिन यदि गैर सरकारी संगठन का कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तो इसे बढ़ाया जा सकता है।

लागत :

गैर सरकारी संगठन द्वारा 10 प्रतिशत के अंशदान सहित 15 लाख रुपये की उच्चतम सीमा।

2. बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियों और वंध्याकरण को प्रोत्साहित करके छोटे परिवार के मानदंड और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना।

उद्देश्य :

(I) पात्र दम्पतियों द्वारा विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों को अपनाकर छोटे परिवार को बढ़ावा देना।

(II) जनसंख्या नियंत्रण।

कवर किए जाने वाले क्षेत्र :

60 प्रतिशत से कम आशोधित दम्पती सुरक्षा दर वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। 35 प्रतिशत से कम दम्पती सुरक्षा दर वाले क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी।

जिन कार्यकलापों के लिए धन दिया जाएगा :

(I) मूलभूत स्तर पर परिवार कल्याण के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए महिलाओं के समूहों को प्रेरित करना, सुग्राही बनाना और समर्थन उत्पन्न करना।

(II) सभी विवाहों और किशोर गर्भावस्था को पंजीकृत करना।

(III) प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना।

(VI) महिला मंडलों और युवक मंडलों के नेटवर्क का विकास करना।

(V) गर्भ निरोधकों का वितरण।

निधिकरण का स्वरूप :

	ग्रामीण रु०	शहरी रु०
500 पात्र दम्पतियों के लिए	1,01,300	1,40,300
1000 पात्र दम्पतियों के लिए	1,75,000	2,38,300
1500 पात्र दम्पतियों के लिए	2,49,400	3,36,400
2000 पात्र दम्पतियों के लिए	3,01,400	4,34,400
2500 पात्र दम्पतियों के लिए	3,97,500	5,32,500
3000 पात्र दम्पतियों के लिए	4,71,500	6,30,500

नोट :

1. जिन परियोजनाओं का उद्देश्य 3,000 से अधिक पात्र दम्पतियों को कवर करने का है, उन परियोजनाओं को 3,000 पात्र दम्पतियों के लिए परियोजनाओं के गुणजों के रूप में स्वीकृत की जाएंगी।

2. गैर सरकारी संगठनों के लिए 10 प्रतिशत अशंदान करना अपेक्षित होगा।

3. **आपरेशन थियेटर सहित छह पलंगों वाले बन्धयकरण वार्ड की स्थापना करना।**

उद्देश्य :

छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देना और जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करना।

योजना का प्रयोज्यता :

ग्रामीण और शहरी गन्दी बस्तियों जहां आपरेशन थियेटर की सुविधाएं सुगम्य नहीं हैं। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 पात्र दम्पतियों और शहरी गन्दी बस्तियों में 20,000 पात्र दम्पतियों तक कवर कर सकती है। 35 प्रतिशत से कम दम्पती सुरक्षा दर वाले क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी।

निधिकरण का स्वरूप :

अनावर्ती	**रुपये**
(उपकरण, लिनन एवं अन्य उपभोज्यों फर्नीचर और वाहन)	4,50,000

आवर्ती		शहरी	ग्रामीण
(I) किराया प्रतिवर्ष		1,20,000	60,000
(II) वेतन प्रतिवर्ष		2,16,000	2,16,000
(III) औषध और आकस्मिकता		10,000	10,000
योग	शहरी क्षेत्र	7,96,000	
	ग्रामीण क्षेत्र	7,36,000	

नोट :

1. गैर सरकारी संगठन 10 प्रतिशत लागत का अंशदान करते हैं।

2. जहां किराये पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध न हो तो उपयुक्त आवास की अनुपलब्धता के बारे में स्थानीय राजस्व प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीन लाख रुपये तक का अधिकतम निर्माण अनुदान दिया जा सकता है।

3. मिनी परिवार कल्याण केन्द्र योजना

उद्देश्य :

(I) परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करना।

(II) जनसंख्या नियंत्रण, छोटे परिवार के मानदंड, महिलाओं को शक्ति देने, कन्या के लिए समान दर्जा, महिला साक्षरता, देरी से विवाह के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(II) पात्र दम्पतियों की शिक्षा और प्रेरित करना तथा स्थाई और बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियों द्वारा शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना।

(IV) विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ उपयुक्त संपर्क बनाना।

(V) गर्भ निरोधकों का वितरण।

शामिल किए जाने वाले क्षेत्र

ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जहां आबादी एक लाख से अधिक नहीं है असेवित कम सेवित अथवा परिवार नियोजन को स्वीकार्यता के विरुद्ध तथा 35 प्रतिशत से कम दम्पती सुरक्षा दर वाले क्षेत्रों पर बल दिया जाना है। 25 प्रतिशत से कम दम्पती सुरक्षा दर वाले क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी है।

कम से कम 25,000 आबादी को कवर किया जाएगा जिसे फिर से 5000-5000 की 5 फील्ड यूनिटों में वितरित किया जाएगा।

शत-प्रतिशत पात्र दम्पतियों को कवर किया जाएगा और अधिकतम पात्र महिलाओं को प्रसवपूर्वक और प्रसवोत्तर परिचर्या के लिए कवर किया जाएगा।

परियोजना अवधि :

एक वर्ष, संतोषजनक कार्य होने पर आगे जारी रखा जा सकता है।

निधिकरण का स्वरूप	ग्रामीण	शहरी
अनावर्ती	**12,000**	**12,000**
(फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर)		

आवर्ती		
परियोजना समन्वयक को मानदेय 2500/3000 रु० प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय	30,000	36,000
महिलाओं को मानदेय		
1500/2000 रु० प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय	1,50,000	6,00,000
किराया 250/1000 प्रतिमाह के हिसाब से	3,000	12,000
	4,95,000	6,60,000

अनुदान 50-50 प्रतिशत की दो किश्तों में रिलीज किया जाना है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान।

मातृ यूनिट (नोडल अभिकरण) योजना

परिवार कल्याण कार्यक्रम में छोटे स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में आवश्यक सुविज्ञता तथा क्षमताएं रखने वाली निम्नलिखित छः स्थापित संस्थाओं का मातृ यूनिटों के रूप में कार्य करने के लिए पता लगाया गया है।

(I) भारतीय परिवार नियोजन संघ, बम्बई।

(II) श्रमिक शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

(III) बाल आवश्यकता संस्थान, कलकत्ता।

(IV) गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान, तमिलनाडु।

(v) अनुसंधान नियोजन और कार्रवाई केन्द्र, नई दिल्ली।

(VI) भारतीय शिशु एवं महिला राहत परिषद, लखनऊ।

इस योजना के अन्तर्गत, नोडल संगठन, के विवेकाधीन 10 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है जो इस जमा से छोटे गैर सरकारी संगठनों को अनुदान मंजूर करता है और तिमाही आधार पर भारत सरकार से इस धनराशि की प्राप्ति करता है। किसी छोटे गैर सरकारी संगठन को मातृ यूनिट द्वारा दिया जाने वाला अनुदान वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। मातृ यूनिट अधिकाधिक 50 छोटे संगठनों की सहायता कर सकती है।

नए गैर सरकारी संगठनों का पता लगाने के लिए ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकारी प्रयासों के समर्थन के लिए गैर सरकारी संगठन की मध्यस्थता की आवश्यकता है, मातृ यूनिटों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उपायुक्त/जिला कलेक्टर/जिलाधीश आदि जैसे स्थानीय जिला प्राधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता है।

यू०एस० एड के अन्तर्गत पी०वी०ओ०एच०-II योजना।

यू०एस० एड की धनराशि के अन्तर्गत इस योजना के मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण तथा शहरी गरीब लोगों में रूग्णता दर/मृत्युदर तथा प्रजननता दर विशेष रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बच्चे उत्पन्न करने की आयु वाली महिलाओं से रूग्णतादर तथा मृत्युदर को कम करना है और सहयोग सेवाओं के साथ-साथ विशेष रूप से अल्प सेवित तथा दुर्गम, क्षेत्रों में परिवार कल्याण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करना है।

10 मिलियन डालर सहायता के लिए 31-8-1987 को हस्ताक्षरित करार के आधार पर यू०एस० एड़ से इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की जा रही है। परियोजना सहायता पूर्ण होने की तारीख 13-9-1997 है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली कुल परियोजनाएं 40 हैं अर्थात 30 दूरदराज के इलाकों की सेवोन्मुखी तथा 10 सहायतोन्मुखी हैं। इस समय इस योजना के अन्तर्गत 39 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं (आर्थत 30 दूरदराज की सेवोन्मुखी तथा 9 सहायतोन्मुखी)।

समाशोधन मूल्यांकन तथा प्रबीधन प्रक्रिया

इस योजना का प्रबंधन प्राथमिक रूप से यू०एस० एड़ के प्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक प्रमाण के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली विशेष अनुदान समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, मंत्रालय के वित्त प्रभाग, आर्थिक मामले विभाग, महिला एवं शिशु विभाग और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के माध्यम से परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। समिति को सचिवीय सहायता परिवार कल्याण विभाग में वी०ओ०पी० अनुभाग द्वारा दी जाती है। प्रबोधन तथा मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किया जाता है जहां इस उद्देश्य के लिए एक पी०वी०ओ०एच० कक्ष भी बनाया गया है। यू०एस० एड़ भी परियोजनाओं के संयुक्त मूल्यनिरूपणों तथा उनके प्रबोधन तथा मूल्याकंन में शिरकत करता है।

विशेष योजनाएं :

जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र, उप जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्रों, नसबंदी पलंग-योजना जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा शहरी परिवार कल्याण केन्द्र परिवार कल्याण के क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करती हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को योजना के मानदंडों के अनुसार सहायता उपलब्ध की जा रही है। प्रत्येक योजना के मामले में बजट राशि सीधे राज्य सरकारों को रिलीज की जाती है तथा राज्य सरकारें आगे संस्थाओं को सहायता राशि जारी करती हैं। उपर्युक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के पैटर्न की एक प्रति विवरण दो के रूप में संलग्न है।

लचीले दृष्टिकोण वाली योजना

5.00 लाख रुपये तक के खर्च के प्रस्ताव वित्त प्रभाग को सलाह लिए बिना सचिव (परिवार कल्याण) द्वारा अपने विवेकानुसार निपटाए जा सकते हैं तथा अन्य प्रस्ताव योजना आयोग तथा वित्त प्रभाग के परामर्श से निपटाए जाने होते हैं।

गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अम्बाथुरई, तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में चलाए जा रहे कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार की सिफारिशों पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान जारी किया जाता है। वास्तव में यह अनुदान अधिकारिक एजेंसी द्वारा नियमित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बाद खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।

संगाठित क्षेत्र में यू०एन०एफ०पी०ए० सहायता प्राप्त परिवार कल्याण परियोजनाएं

परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि	यू एन एफ पी ए परियोजना लागत	इस समय तक रिलीज किया गया कुल अनुदान	उद्देश्य
1	2	3	4	5
आई एन डी/89/पी ओ 5 तमिलनाडु में काम करने वाली महिलाओं के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा सृजन परियोजना	5 वर्ष अप्रैल, 90 मार्च, 1995	102.00 (मूल) 147.39 संशोधित)	126.66	इस परियोजना का उद्देश्य परिवार नियोजन की स्वीकारिता की गुणवत्ता में सुधार लाना, परियोजना क्षेत्र में दम्पत्ति सुरक्षा दर में 25 प्रतिशत दृद्धि को प्राप्त करने के अतिरिक्त जमा में वृद्धि करके आय सृजन की योजनाओं के माध्यम से काम करने वाली महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। आय सृजक कार्य कलापों में सब्जियों, फलों, फूलों, मिठाई आदि का बेचना; मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, सिलाई हस्तकला, टोकरी बनाना, लाण्डरी सेवाएं आदि शामिल है।
आई एन डी/89/पी. ओ-1 पश्चिम बंगाल में वृक्षारोपण कार्यकर्ताओं के लिए परजीवी नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रम	5 वर्ष फरवरी, 1991 जनवरी, 1996	168.17 (मूल) 174.91 (संशोधित)	71.50	इस परियोजना का उद्देश्य जन्म में अन्तर रखने के आधुनिक तरीकों के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना और 25 प्रतिशत तक दम्पत्ति सुरक्षा दर में सुधार लाना और वृक्षारोपण कार्यकर्ताओं को पौषणिक तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और इसके अतिरिक्त पीने के साफ पानी की व्यवस्था करके परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण में बड़े पैमाने व्याप्त परजीवी उत्पीड़न को कम करना, पर्यावरणिक सफाई में सुधार लाना, घरेलू तथा निजी स्वास्थ्य क्रम को बढ़ावा देना और परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ शौचालय सुविधाओं का उपयोग शामिल है।

1	2	3	4	5
आई एन डी/91/ पी०ओ०-2 गुजरात में आदिवासी जनसंख्या के लिए कल्याण तथा आय सृजन परियोजनाए	5 वर्ष अप्रैल, 1991 मार्च, 1996	172.35	73.76	25 प्रतिशत तक दम्पात्ति सुरक्षा दर में सुधार लाना और कम आयु तथा सन्तति दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन को अपनाना आय सृजक तथा कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना; सामाजिक वानिक; धुआं रहित चूल्हों तथा सुलभ शौचालयों आदि को बढ़ावा देकर पर्यावरणिक दशाओं को बढ़ाना।
वाई एन डी/91/ डी.ओ-1 उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में बीड़ी कार्यकर्ताओ के लिए परिवार कल्याण शिक्षा	4 वर्ष जुलाई, 1991- जून, 1995	188.00	77.00	इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना को शुरू में मौजूदा स्तर से अधिक 25 प्रतिशत तक बीड़ी कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों में दम्पत्ती सुरक्षादर में सुधार लाना, बीड़ी कार्यकर्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत स्थापित अस्पतालों तथा औषधालयों में परिवार कल्याण शिक्षा, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, छोटे परिवार के आदर्श के लाभों पर संदेश का प्रसार करने के लिए परियोजना क्षेत्रों में महिला मंडलों की स्थापना करना शामिल है।
आई एन डी/92/पी/ओ-1 गुजरात के 30 गांवों के दुग्ध उत्पादकोंके लिए परिवार कल्याण शिक्षा सेवाएं	3.5 वर्ष (जनवरी 1992-जून, 1995)	39.00	30.00	परियोजना के शुरू में व्याप्त दर पर 25 प्रतिशत तक दम्पती सुरक्षा दर को ऊपर उठाना, शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करना और उनकी क्षमता तथा इच्छा को बढ़ाना और मेडिकल कालेज-करमसाड के मेडिकल छात्रों तथा स्टाफ सदस्यों और परियोजना क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों को सुग्राही बनाना।

विवरण-II

प्रसवोत्तर केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या का पैटर्न

क्र० सं०	पदनाम	प्रसवोत्तर केन्द्र का प्रकार			
		ए-टी	ए-एनटी	की एण्ड सी	उप-जिला
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक प्रोफेसर/रीडर (स्त्री और प्रसूति)	1	—	—	—
2.	स्वास्थ्य शिक्षा में प्राध्यापक	1	—	—	—
3.	सांख्यिकी तथा जन सांख्यिकी/ एस०पी०एम० में प्राध्यापक	1	—	—	—
4.	लाल रोग विज्ञान में प्राध्यापक	1	—	—	—
5.	संवेदनाहरण विज्ञान (सहायक सर्जन-ग्रेड-1)	1	1		—
6.	प्रोजेक्शिनिस्ट-सह-मकैनिक	1	1	—	—
7.	चिकित्सा अधिकारी (पुरूष I, महिला-I)	2	2	2	2x
8.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	—	1	—	—
9.	पी०एच०एन०/एल०एच०वी०	1	1	1	1
10.	ए०एन०एम०	2	2	2	1
11.	परिवार कल्याण कार्यकर्ता (पुरूष)	1	1	1	1
12.	स्टोर कीपर-सह-लिपिक	1	1	1	1
13.	स्टेनो टाइपिस्ट	1	1	—	—
14.	अवर श्रेणी लिपिक	1	1	—	—
15.	ड्राईवर	1	1	1	1
16.	परिचर	1	1	—	—
17.	आपरेशन थियेटर नर्स	—	—	—	1
18.	आपरेशन थियेटर परिचर	—	—	—	1
19.	साइटो-तकनीशियन	1	—	—	—
20.	प्रयोगशाला तकनीशियन	—	—	—	1
	कुल	18	14	8	10

संवेदनाहरण विज्ञानी/नर्सिंग कर्मचारियों को मानदेय आदि के लिए 75,000 रुपये ग्राह्य हैं।

x एक बाल रोग विज्ञानी तथा एक स्त्री रोग विज्ञानी

नोट : ए०-टी०-ए० टाईप शिक्षण प्रसवोत्तर केन्द्र
ए०एन०टी०- ए० टाईप गैर-शिक्षण प्रसवोत्तर केन्द्र
बी०सी० उप जिला-बी०सी० और उपजिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र,

शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए कर्मचारियों की संख्या का पैटर्न

शहरी केन्द्र की श्रेणी (टाईप)	कवर की जाने वाली आबादी	कर्मचारियों की संख्या	
I	10000 से 25000	सहायक नर्स मिडवाइफ	–1
		परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्ता (पुरूष)	–1
II	25000 से 50000	परिवार नियोजन विस्तार शिक्षक/एल०एच०वी०	–1
		परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्ता (पुरूष) ए०एन०एम०	–1
III	50000 से अधिक	चिकित्सा अधिकारी (अधिमानतया महिला)	–1
		एल०एच०वी०	–1
		ए०एन०एम०	–2
		परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्ता (पुरूष)	–1
		स्टोर कीपर-सह-लिपिक	–1

स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या का पैटर्न

कर्मचारियों की श्रेणी	स्वास्थ्य केन्द्र के प्रकार के अनुसार ग्राह्य कर्मचारी			
	क	ख	ग	घ
1	2	3	4	5
महिला डाक्टर	–	–	–	1
पी०एच०एन०	–	–	–	1

1	2	3	4	5
नर्स मिडवाइफ	1	1	2	3-4
एम०पी०डब्ल्यू (पुरूष)	—	1	2	3-4
चतुर्थ श्रेणी (महिला)	—	—	—	1
कम्प्यूटर-सह-लिपिक	—	—	—	1
स्वयंसेवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	x	x	x	x

x प्रत्येक 2000 की आवादी पर एक
इस समय इन श्रेणियों के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध है।

नोटः रेफरल तथा पर्यवेक्षी सेवाएं प्रदान करने के लिए टाइप "क" से "ग" के स्वास्थ्य केन्द्रों को किसी अस्पताल के साथ सम्बद्ध किया जाए। टाइप "घ" स्वास्थ्य केन्द्रों को नसबन्दी, एम०टी०पी० तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी अस्पताल साथ सम्बद्ध किया जाए।

विशेष योजनाएं 1993-94 के लिए आवर्ती खर्च संबंधी दिशानिर्देश

	मद	जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र	मेडिकल कालेजों में पी ए पी स्मीयर कार्यक्रम	उप-जिला स्तर के प्रस्वोत्तर केन्द्र
	1	2	3	4
1.	वेतन	ए-टाईप शिक्षण, ए-टाईप गैर शिक्षण, बी और सी टाइप (राज्य में देय वेतनमान के अनुसार)	राज्य में देय वेतनमान के अनुसार	राज्य में देय वेतनमान के अनुसार
2.	आकस्मिक	सभी प्रकार के केन्द्रों के लिए 4000/-रु० प्रति वर्ष	2000/-रु० प्रति वर्ष	6000/-रु० प्रतिवर्ष
3.	सर्जिकल उपस्कस्णोंका बदलना	ए-टाईप शिक्षण-500/-रु० ए-टाईप गैर-शिक्षण-500/-रु० की और सी टाईप-शून्य	ग्लासवेयर तथा रसायन खरीदने के लिए 300/-रु०	2500/-रु० प्रतिवर्ष
4.	प्रस्वोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत पलंगों का रख-रखाव	सरकारी केन्द्रों में 75 महिला नसबंदी तथा स्वैच्छिक स्थानीय निकाय केन्द्रों में 60 महिला नसबंदी की उपलब्धि के लिए सभी प्रकार के केन्द्रों को प्रतिवर्ष प्रति पलंग 3000/-रु० (कम से कम 10 पलंगों के लिए)	—	6 पलंगों के लिए प्रतिवर्ष प्रति पलंग 300/-रु०
5.	आपरेशन थियेटर का रख-रखाव	सभी शिक्षण तथा गैर शिक्षण प्रसवोत्तर केन्द्रों के लिए प्रति वर्ष 2500/-रु०	—	—

1	2	3	4
6. वाहनों के लिए पी०ओ०एल०	सभी प्रकार के केन्द्रों के मामले में डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 9500/-रु० तथा पैट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 1500/-रु०	—	—

सूची—और सी टाईप के केन्द्रों के लिए निम्नलिखित के भुगतान के लिए 15000/-रुपये का प्रावधान है :—

1. (i) संवेदनाहर विज्ञानी को मानदेय (ii) थियेटर के रख-रखाव पर होने वाले खर्च के लिए (iii) आपरेशन थियेटर में आवश्यकता अनुसार नर्सिंग सुपरवाइजर अथवा परिचर नियुक्त करने के लिए

2. नोट— राज्य स्तर के प्रसवोत्तर सेमिनार प्रति बैच (30 सहभागी) के लिए 5000/-रु० तक की राशि खर्च की जाए जो उप-जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्रों की राशि में से वहन की जाए।

3. मेडिकल कालेजों में पी ए पी स्वीकर कार्यक्रम पर होने वाला खर्च जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्रों के 1993-94 के खर्च में दिखाया जाए।

मद	क्रैश प्राशिक्षण कार्यक्रम	नसबंदी पलंग योजना	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र
1	2	3	4	5
वेतन	—	—	राज्य में देय वेतनमान के अनुसार	राज्य में देय वेतन-मान के अनुसार
आकस्मिक		—	टाईप-ए - शून्य टाईप-बी - शून्य टाईप-सी - 2500/-रु० टाईप-डी - 5000/-रु०	टाईप-I - 500/-रु० टाईप-II - 1000/-रु० टाईप-III - 1000/-रु०
	प्रति सहभागीदार प्रति दिन केवल 40/-रु० का स्टापेन्ड जो 600/-रु० से अधिक न हो।		टाईप-ए - 3600/-रु० टाईप-बी - 4800/-रु० टाईप-सी - 6000/-रु० टाईप-डी - 12000/-रु० *	टाईप-I - शून्य टाईप-II - शून्य टाईप-III - 3000/-रु०
		नसबंदी पलंग योजना के अतर्गत सरकारी संस्थाओं के मामले में 75 तथा स्वैच्छिक संगठनों/स्थानीय निकायों के मामले में 60 महिला नसबंदी आपरेशन करने के लिए प्रतिवर्ष प्रति पलंग 3000/-रु० यदि कार्य निष्पादन प्रति पलंग 45 महिला नसबंदी आपरेशन रहता है तो प्रतिवर्ष प्रति पलंग 2400/-रु० की दर से रख-रखाव प्रभार के रूप में मिलेंगे। यदि 45		

1	2	3	4	5
		महिला नसबंदी आपरेशन के लक्ष्य से प्रति पलंग कम आपरेशन किए जाते हैं तो 45 महिला नसबंदी पर 2400/-रु० प्रति पंलग प्रति वर्ष की दर से अनुपातिक राशि मिलेगी। यदि किसी सरकारी/स्वैच्छिक/स्थानीय निकाय ने निर्माण कार्य के लिए अनुदान प्राप्त किया है। तथा 45 महिला नसबंदी आपरेशन करने में असफल रहता है तो उसे कोई रख-रखाव प्रभार नहीं मिलेगा।		

* दिसम्बर, 19986 के बाद स्थापित किए गए स्वास्थ्य केन्द्र

विवरण-III

स्वयं सेवी संगठनों को 1991-92 से 1994-95 तक प्रदान की गई सहायता

क्र०सं०	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (31 जुलाई)
1.	आंध्र प्रदेश	27,38,650	20,86,480	63,11,940	6,39,655
2.	असम	6,11,850	3,00,000	12,72,300	5,60,200
3.	बिहार	6,74,850	7,36,000	53,13,847	26,12,150
4.	चण्डीगढ़	—	16,55,000	18,06,750	9,61,825
5.	दिल्ली	1,08,58,108	30,08,603	53,76,418	14,12,230
6.	गुजरात	35,18,000	58,50,200	17,00,000	11,00,000
7.	हरियाणा	18,47,000	5,43,816	6,40,000	2,98,542
8.	हिमाचल प्रदेश	36,830	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	42,000	—	—	—
10.	कर्नाटक	5,36,850	4,50,000	13,04,845	—
11.	केरल	4,54,773	5,00,000	9,20,650	—
12.	महाराष्ट्र	84,34,000	1,19,47,825	68,86,765	7,95,785
13.	मध्य प्रदेश	43,08,380	47,08,080	54,25,909	10,27,000
14.	मणिपुर	1,92,400	7,08,700	24,15,560	2,28,850
15.	उड़ीसा	38,42,528	10,05,816	55,22,874	4,65,634
16.	पंजाब	1,68,000	—	63,300	—
17.	राजस्थान	62,61,655	23,72,050	33,82,911	21,00,105
18.	तमिलनाडु	94,49,304	58,21,573	1,08,57,557	27,68,553
19.	त्रिपुरा	2,14,000	3,00,000	2,00,000	—
20.	उत्तर प्रदेश	28,05,469	18,42,699	1,07,47,619	24,32,070
21.	पश्चिम बंगाल	52,74,224	43,49,497	63,74,762	3,43,049

विवरण-IV

राज्य स्कोवा समिति को धनराशि जारी करना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (आबंटन)
आंध्र प्रदेश	3.00	2.40	28.00	20.00
असम	1.56	1.35	—	30.00
बिहार	1.00	2.81	15.00	—
गोवा	1.00	1.35	—	—
गुजरात	—	1.74	12.50	20.00
हरियाणा	—	1.60	—	10.00
हिमाचल प्रदेश	—	1.60	2.50	05.00
कर्नाटक	1.00	2.59	5.00	30.00
केरल	—	2.56	15.00	20.00
मध्य प्रदेश	—	2.68	10.00	20.00
महराष्ट्र	4.25	2.90	25.00	30.00
मणिपुर	—	0.83	1.50	20.00
मेघालय	—	—	1.50	20.00
मिजोरम	—	1.33	2.00	20.00
नई दिल्ली	—	—	5.00	05.00
उड़ीसा	—	2.78	63.00	30.00
पंजाब	0.30	2.40	5.00	10.00
राजस्थान	—	2.68	23.00	30.00
तमिलनाडु	—	3.40	45.00	15.00
त्रिपुरा	—	1.33	—	20.00
उत्तर प्रदेश	—	2.95	55.00	30.00
पश्चिम बंगाल	—	3.13	50.00	10.00
चण्डीगढ़	—	—	12.30	05.00
योग	12.11	44.41	376.30	400.00

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाएं

*348. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जिनमें गहन निगरानी और राज्य सरकारों के साथ समुचित समन्वय के अभाव के कारण विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्य निष्पादन और परिणाम में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

*349. **श्री अंकुशराव टोपे :**
डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षयरोग के मामलों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) इस रोग के मामलों में भारी वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय क्षयरोक नियंत्रण कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में क्रमशः 12.79 लाख, 15.39 लाख और 13.30 लाख मामलों की सूचना प्राप्त-प्राप्त हुई।

(ग) कुपोषण, गरीबी, असाक्षरता तथा अधिक भीड़भाड़ के कारण तेजी से फैलता है जिससे उपचार पूर्ण होने में कठिनाई होती है, इस प्रकार इसके मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) रोगियों, विशेषकर पॉजीटिव थूक वाले रोगियों को अधिक संख्या में अच्छा करने पर बल देकर रोग के संचरण में निम्नलिखित के द्वारा कमी लाने का प्रस्ताव है—(I) थूक परीक्षण द्वारा नवीनतम विधि से निदान; (II) औषधियों की अबाधित आपूर्ति के साथ देखरेख में चरणबद्ध ढंग से अल्पावधि रयायचिकित्सा आरम्भ करना और (III) स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक बल।

पोलियों से ग्रस्त रोगी

*350. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो से ग्रस्त रोगियों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने पोलियो के उन्मूलन के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकार ने पोलियो पर आधारिक आंकड़े एकत्र करने के लिए 1981 और 1982 में लेमनेस सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम में ओरल पोलियों वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 5 वर्ष की कम आयु के प्रति एक हजार बच्चों पर पेरालेटिक पोलियोमाइलिटिस की घटनाएं क्रमशः 1.7 और 1.6 थीं। पोलियों के 1981 में 38090 रोगी थे जिनमें 80 प्रतिशत की कमी होकर 1993 में यह संख्या 7576 हो गई।

(ग) और (घ) टीकाकरण कवरेज के उच्च स्तरों को बनाए रखकर तथा अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में ओरल पोलियो वैक्सीन के अतिरिक्त दौर के पूरक कार्यकलापों द्वारा सन् 2000 ईसवी तक देश से पोलियों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली

*351. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण भारत में शिशु तथा मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने में असफल रहने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली गहन जांच करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में कमियों का पता लगाने के लिए कुछ अध्ययन किये हैं। ये अध्ययन 1985-89 के मध्य में किए गए।

अध्ययनों से इन तथ्यों का पता लगा है कि मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के लिए देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी और उन बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता थी। अध्ययनों से इस तथ्य का भी पता चला है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या

में सुधार किए जाने की आवश्यकता थी। महिलाओं में गर्भ की शुरू में ही पता लगाने के संबंध में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता थी ताकि अति जोखिम वाले गर्भ की पहले ही जांच करके उपयुक्त उपाय किए जा सकें।

ये अध्ययन 1985-89 की अवधि के दौरान किए गए थे। सरकार ने देश के महिला तथा शिशुओं के प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा में वृद्धि करने तथा उसमें और सुधार करने की दृष्टि से 1985 के उत्तरार्ध में एक व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। टीकाकरण का यह कार्यक्रम विशिष्ट रूप से इसलिए चलाया गया ताकि बच्चों को टीका लगाकर वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों से शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर जो 1984 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों के पीछे 104 थी वह 1992 में घटकर 79 तक रह गई।

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अगस्त, 1992 में चलाया गया ताकि पहले से चलाए गए रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम को आगे जारी और सुदृढ़ी किया जा सके तथा अन्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार किया जा सके। इस कार्यक्रम में एक सुरक्षित मातृत्व का संघटक जोड़ा गया जिसका लक्ष्य विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखते हुए मातृ-मृत्यु दर को कम करना है। इसमें उन छह राज्यों के जहां जनांकिकीय संकेतक बहुत अधिक हैं, आपातकालीन प्रसूति रक्षा उपलब्ध कराने की सुविधाओं में वृद्धि करना भी शामिल है। ग्रामों में मातृ-मृत्यु को कम करने के लिए दाइयों (परम्परागत जन्म परिचर) को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर अनौपचारिक ढांचे को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसके साथ ही अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रसूति प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 1981 में जनसंख्या के अनुसार अभिज्ञात 90 जिलों में ज़िनमें जनांकिकी बहुत अधिक है, को सामाजिक सुरक्षा नेट के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए चुना गया है।

फिल्मों का निर्माण

*352. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 के दौरान फिल्मों के निर्माण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1993 के दौरान भाषा-वार कितनी वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक फिल्मों का निर्माण किया गया;

(घ) वर्ष 1993 के दौरान भाषा-वार कितनी फिल्में रिलीज की गई; और

(ङ) फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) भारतीय फिल्मों का निर्माण अधिकांशतः निजी क्षेत्र में होने के कारण निर्मित व रिलीज की गई फिल्मों को वास्तविक संख्या संबंधी जानकारी सरकार के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त सिनेमैटोग्राफिक अधिनियम, 1952 में फिल्मों का वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक जैसा कोई वर्गीकरण भी नहीं है। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा गत दस वर्षों के दौरान जन प्रदर्शनार्थ प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

1993 में प्रमाणीकृत 812 भारतीय फीचर फिल्मों का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। यद्यपि, वर्षों से प्रमाणीकृत होती आ रही फिल्मों की संख्या में उतार चढ़ाव रहा है, तथापि यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। प्रमाणीकृत फिल्मों की संख्या में निश्चित रूप से गिरावट आई है। भारतीय फिल्म फेडरेशन के अनुसार भारत, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है।

विवरण-I

1983 से 1993 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों (सैल्यूलाइड) की संख्या निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	प्रमाणीकृत फिल्मों की संख्या
1983	741
1984	833
1985	912
1986	840
1987	806
1989	773
1989	781
1990	948
1991	910
1992	836
1993	812

विवरण-II

1993 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों (सैल्यूलाइड) का भाषावार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :—

क्र०सं०	भाषा	प्रमाणीकृत फिल्मों की संख्या
1		2
1.	हिन्दी	182
2.	तमिल	168
3.	तेलुगु	148

1	2	3
4.	कन्नड़	78
5.	मलयालम	71
6.	बंगला	57
7.	मराठी	35
8.	उड़िसा	20
9.	पंजाबी	14
10.	असमिया	9
11.	नेपाली	7
12.	राजस्थानी	5
13.	गुजराती	3
14.	मणिपुरी	3
15.	भोजपुरी	2
16.	अंग्रेजी	2
17.	हरियाणवी	1
18.	गुज्जर	1
19.	तुलगु	1
20.	कोडावा	1
21.	गढ़वाली	1
22.	कोक बोरोक	1
23.	उर्दू	2
	कुल	812

मधुमेह

*353. **श्री मोहन रावले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "प्रीवेशन आफ डयबेटीज मेलोटस" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकासशील और नए औद्योगिकृत देशों को मधुमेह रोग का सामना करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में मधुमेह के मुख्य प्रकारों को जानपटिक रोग विज्ञानी स्थिति दी गई है। यह इनका बर्तमान वर्गीकरण और नैदानिक मानदंड प्रस्तुत करती है तथा इसमें इसके निवारण की संभावनाओं और इसकी जटिलताओं की समीक्षा की गई है। इसमें निवारण और नियंत्रण कार्यक्रमों और उनकी लागत सार्थकता की चर्चा भी की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इसका लक्ष्य वर्तमान वर्ष के दौरान मधुमेह नियंत्रण पर एक प्रायोगिक परियोजना विकसित करने का है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह

*354. **डा० सुधीर राय :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या विद्रोह की घटनाओं में वृद्धि होने से इस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए कोई विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस क्षेत्र में विद्रोह को रोकने में हाल ही के महीनों में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्री (श्री शंकर राव चव्हाण) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विद्रोह की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और एक सुस्थापित प्रणाली के द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। विद्रोह के मूल कारणों में, एक-दूसरे से संबधित अनेकों जटिल, कारक हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कारण सम्मिलित हैं। विद्रोह का भड़कना, जारी रहना और बने रहना, भारत की स्थिरता के प्रति शत्रु भाव वाली बाहरी शक्तियों से विद्रोही ग्रुपों को मिल रहे समर्थन और सहायता के कारण है।

(ग) यह माना गया है कि विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि से, आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति का गहन प्रबोधन किया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा भी इसकी विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षा की जाती हैं। गृह मंत्री द्वारा 19 जुलाई, 1994 को मणिपुर के राज्यपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नई दिल्ली में हुई एक बैठक में विस्तृत पुनरीक्षा की गयी थी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय सम्मेलन भी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के विशेष सचिव करते हैं, और जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और केन्द्रीय एजेन्सियां भी हिस्सा लेती हैं, विद्रोह की स्थिति और सुरक्षा संबंधी मामलों की समय-समय पर समीक्षा करता है। सूचना एकत्र करने और इसका आदान-प्रदान करने और विद्रोह-विरोधी अभियानों का समन्वय करने के लिए भी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्रवाई की गई है।

(च) यूनाईटड लिबरेशन फ्रंट आफ असम से निपटने में पर्याप्त सफलता मिली है। दो कट्टर नेताओं के अलावा, बड़ी संख्या में उल्फा उग्रवादियों ने या तो आत्म-समर्पण कर दिया है या फिर राज्य पुलिस/सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मणिपुर में, 1993 की तुलना में, हिंसक घटनाओं में आयी उल्लेखनीय कमी के आलावा, सुरक्षा बलों को 28-7-1994 को सेनापति जिले में एक नागा भूमिगत शिविर को नष्ट करने में कामयाबी मिली और धौबाल जिले में, नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड तथा यूनाईटड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के विद्रोहियों के एक संयुक्त ग्रुप द्वारा 14-8-1994 को लगायी गयी घात से भी प्रभावकारी ढंग से निपटा गया। हाल ही में हुई इन दो प्रमुख घटनाओं में 17 विद्रोहियों के मारे जाने के अलावा 18 हथियार भी बरामद किए गए।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

*355. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 30 जून, 1994 तक इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय को गई; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने गये हैं?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वियाचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नदी तल विद्युत घर, को छोड़कर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। नदी तल विद्युत घर कार्यक्रम जापान से टरबो जेनेरेटिंग सैटों की अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण पिछड़ रहा है।

(ग) 30 जून, 1994 तक इस परियोजना पर 3365.78 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार, परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ये अनेक उप-दल/समितियों के जरिए परियोजना के विभिन्न पहलुओं का प्रबोधन निकटता से कर रहे हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य रक्षा

*356. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी लोगों को स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या "2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम" में आदिवासी लोगों का ध्यान रखा गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन लोगों को स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (च) देश के आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक, संवर्धक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने हेतु 31-3-1993 तक जनसंख्या मानदंड में ढील देकर 20032 उपकेन्द्रों, 3191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 364 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नेटवर्क की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1122 एलोपैथिक औषधालय; 120 अस्पताल; और 78 मोबाइल क्लीनिक; 1106 आयुर्वेदिक औषधालय और 24 अस्पताल, 251 होमियोपैथिक औषधालय और 28 अस्पताल तथा 42 यूनानी और 7 सिद्ध औषधालय भी चल रहे हैं।

प्रमुख संचारी/गैर संचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए रोग प्रतिरक्षण आदि सहित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम; राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं और आदिवासी इलाकों सहित देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे है। आदिवासी क्षेत्रों में अधिक फैलने वाले रोगों संबंधी अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सभी कार्यकलाप आदिवासी इलाको सहित देश में "2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है।

मुख स्वास्थ्य

*357. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1994 के लिए "स्वस्थ जीवन के लिए मुख स्वास्थ्य" विषय निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंग के रूप में मुख स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मुख स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के खर्च को वहन करने योग्य बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) देश में मुख के कैंसर की प्रतिशतता क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस रोग के मामलों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ ० सी० सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वयं की परिचर्या को बढ़ावा दैने के दृष्टिकोण से सामुदायिक सहभागिताओं के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनिंदा जिलों में एक "मुखीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रायोगिक परियोजना" आरम्भ करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) मुखीय स्वास्थ्य परिचर्या, अग्रपंकित के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों का एक अभिन्न अंग है और अनुवर्ती चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के जरिए इसे सुदृढ़ किया जा रहा है।

(च) और (छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) लगभग 30-35 प्रतिश्त मामले मुखीय कैंसर के है।

(झ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुखीय कैंसर सहित कैसरों के निवारण, इनका शीघ्र पता लगाने तथा उपचार सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तम्बाकू के सेवन को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप शुरू किये गये है।

[हिन्दी]

कार्यक्रमों का चयन

*358. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों के चयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1991 से जून, 1994 तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) क्या इस बारे में कुछ शिकायतें जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या कार्यक्रमों के चयन हेतु कोई निर्देश दिए गये हैं;

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) इस प्रकार की शिकायतें समय-समय पर विभिन्न केन्द्रों तथा दूरदर्शन महानिदेशालय में प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतों की जांच, जो गंभीर प्रकृति की होती हैं और जिनमें घोर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का संकेत मिलता है, विभागीय तौर पर की जाती हैं और जब कभी आवश्यक होता है, मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाता है। इस अवधि के दौरान इस प्रकार की 10 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 7 मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिए गए। उनकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :—

2 मामले	—	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
1 मामला	—	कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
1 मामला	—	न्यायाधीन है।
3 मामले	—	अनुशासनात्मक कार्यवाही/अभियोजन प्रस्तावित है।
3 मामले	—	प्रारंभिक विभागीय जांच जारी है।

(च) से (ज) विभिन्न श्रेणियों में कार्यक्रमों के चयन के लिए दिशानिर्देश कई वर्षों से विद्यमान है।

नर्स प्रशिक्षण केन्द्र

*359. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कितने नर्स प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे और केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में नर्स प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु वर्तमान नियमों में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) देश के कुछ हिस्सों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नर्सों की कमी है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के उप-केन्द्रों को चलाने के लिए सहायक नर्सधात्रियां आमतौर पर उपलब्ध है।

(ग) 1992 में देश में नर्सों के प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार थीं:

प्रशिक्षण का नाम	केन्द्रों की संख्या
सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी	477
सहायक नर्स मिडवाइफरी	479
स्वास्थ्यचर	21
	977

(घ) नर्सिंग कार्मिक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि केन्द्रीय सरकार-तकनीकी मार्गदर्शन, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके और अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति को बालिकाओं को पर्याप्त संख्या में दाखिला देने वाले नये स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती रही है। राज्यों में नर्सों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है।

(ङ) से (छ) निजी क्षेत्र में नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए नर्सिंग परिषदों द्वारा निर्धारित मानदण्डों को बनाये रखने के अलावा अन्य कोई प्रतिबंध नहीं है।

कोयला खानें

*360. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कोयला-खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र को पट्टे पर दी जाने वाली कोयला खानों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें अनुमानतः कोयले का कितना भंडार है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में निजी क्षेत्र की कुछ संस्थाओं से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को विद्युत का उत्पादन ग्रहीत रूप में किए जाने के लिए वाशरियों की स्थापना करने तथा अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए जिनके संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, के बारे में कोयला खनन क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने के लिए दिनांक 9-6-1993 को संशोधन किया गया, जोकि लौह तथा इस्पात बनाने के लिए पूर्ववर्ती प्रावधानों के अतिरिक्त किया गया था। कोयला कंपनी की किसी भी विद्यमान खान को पट्टेदारी पर दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) : कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) ने ग्रहीत खनन के लिए कोयले का उत्खनन किए जाने के संबंध में निजी क्षेत्र को आबंटित किए जाने के लिए 40 कोयला खनन ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया है। इस संबंध में कंपनी-वार ब्यौरा तथा अनुमानित भंडारों की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :

—

कोयला कंपनी	ग्रहीत खनन के लिए विनिर्दिष्ट ब्लाकों की संख्या	अनुमानित भंडार (मि०ट० में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०को०लि०)	7	4081
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (से०को०लि०)	9	3759
वेस्टर्न कोलफील्ड्ल लि० (वे०को०लि०)	10	957
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (ना०को०लि०)	1	242
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (साईकोलि)	4	1201
महानदी कोलफील्ड्स लि० (म०को०लि०)	9	2807
जोड़	40	13047

ग्रहीत खनन के लिए निजी क्षेत्र के ब्लॉकों का आबंटन किए जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत अंगीकृत किए गए हैं :—

(1) ग्रीन (हरित) कोयला क्षेत्रों के ब्लॉकों को, जहां कि मूलभूत ढांचा संबंधी सुविधाएं, जैसे-सड़क, रेल संबंधी संयोजन, आदि की सुविधाओं को अभी विकसित किया जाना है, को निजी क्षेत्र को दिए जाने में तरजीह दी जाए। ऐसे क्षेत्र जहां कि कोल इंडिया लि० द्वारा नई खानों को खाले जाने के लिए ऐसी आधारभूत सुविधाओं को पैदा किए जाने के लिए पहले ही निवेश कर दिया गया है, को लागत की प्रतिपूर्ति किए जाने की स्थिति को छोड़कर, निजी क्षेत्र को न सौंपा जाए।

(2) निजी क्षेत्र को पेशकश किए गए ब्लॉक विद्यमान खानों तथा को० इं ०लि० की परियोजनाओं से औचित्यपूर्ण दूरी पर होने चाहिए ताकि प्रचालनात्मक समस्यओं से बचा जा सके।

(3) को०इं०लि० द्वारा विकसित किए जाने के लिए पहले से ही विनिर्दिष्ट किए गए ब्लॉकों की, जहां कि पर्याप्त मात्रा में निधियों के उपलब्ध हो जाने अथवा निधियां प्राप्त होने की संभावना है, निजी क्षेत्र को पेशकश न की जाय।

(4) इन ब्लॉकों में अन्वेषण की पूर्ण लागत निजी क्षेत्र द्वारा वहन किए जाने के लिए कहा जाय, जिनकी कि पेशकश की जानी है।

(5) ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए कोयले की लगभग 30 वर्ष की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, हां। विद्युत का उत्पादन और लौह तथा इस्पात का उत्पादन किए जाने के लिए ग्रहीत खनन के संबंध में प्राप्त हुए कुल 25 प्रस्तावों में से 21 प्रस्ताव निजी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र

3327. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कितने कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या कुष्ठ रोगियों को इन केन्द्रों में मुफ्त दवाइयां प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 433 कुष्ठ रोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार को नकद और वस्तुओं के रूप में प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	सहायता
1992-93	288.38
1993-94	211.34

कुष्ठ रोग केन्द्रों को और आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान जिला कुष्ठ रोग समितियों को भी 357.50 लाख रुपए दिए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन०एल०ई०पी०) के तहत सभी कुष्ठ रोगियों को निशुल्क कुष्ठ रोधी उपचार, पुनर्रचना शल्य चिकित्सा और विकृति

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल फिल्म महोत्सव

3328. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में बाल फिल्म महोत्सव, 1994 का आयोजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन स्वायत्वशासी निकाय है का गुजरात राज्य के विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र द्वारा निर्मित बाल फिल्मों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए गुजरात फिल्म विकास निमग के साथ एक संविदात्मक समझौता है 1 जुलाई, 1994 में गुजरात फिल्म विकास निगम ने पहले ही राजकोट और सुरेन्द्रनगर फिल्मों में इन समारोहों का आयोजन कर चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1994 के दौरान निम्नलिखित जिलों में और समारोह आयोजित करने का उनका प्रस्ताव है :—

1.	अहमदाबाद	अगस्त, 1994
2.	खड़ा	अगस्त, 1994
3.	मेहसाना	सितम्बर, 1994
4.	बनासकांठा	अक्तूबर, 1994
5.	जूनागढ़	अक्तूबर, 1994
6.	भावनगर	नवम्बर, 1994
7.	सूरत	नवम्बर, 1994
8.	कच्छ	दिसम्बर, 1994
9.	बलसाढ़	दिसम्बर, 1994
10.	बलसार	अगस्त/ सितम्बर, 1994

चलचित्र संबंधी नियम

3329. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चलचित्र संबंधी नियमों में "उत्पादन स्थल" की परिभाषा में संशोधन करने के लिये कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में यथा उल्लिखित फिल्म के "निर्माण स्थल" की परिभाषा में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह मलयालम फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में था जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के स्थान पर मद्रास में प्रमाणित की जा रही हैं। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि वर्तमान में नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई मामला नहीं बनता।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

3330. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति के धीमे विकास के लिए धनराशि की कमी मुख्य रूप से जिम्मेवार है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने और इसके विकास हेतु धनराशि के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के लिए सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 43.25 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान

3331. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थिति भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान को स्वतंत्र स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा देने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पहले डी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है।

संघ राज्य क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाएं

3332. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992, 1993 और 1994 में अब तक विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों मे घटित आतंकवादी घटनाओ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी घटनायें दुबारा न हों इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 (30-6-1994 तक) के दौरान संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ में सूचित हुई आतंकवादी घटनाओं की संख्य निम्न प्रकार है :—

		दिल्ली			चण्डीगढ़		
		1992	1993	1994 (30-6-1994 तक)	1992	1993	1994 (11-8-1994 तक)
(I)	बम विस्फोट	11	5	3	—	—	—
(II)	आतंकवादी गतिविधियां (बम विस्फोटों के अलावा)	10	4	—	7	—	—

किसी अन्य संघ शासित क्षेत्र में ऐसी कोई आतंकवादी घटना होने की सूचना नहीं है।

(ख) राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं, प्रत्येक पुलिस जिले में एक आतंकवाद विरोधी कक्ष की स्थापना, सामरिक महत्व के/संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती करना, गहन बल गश्त की व्यवस्था करना, लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए उनमें शिक्षाप्रद साहित्य का वितरण करना, पहचानकर्त्ताओं को तैनात करना, पहचान शुदा आतंकवादियों के फोटों सार्वजनिक स्थानों पर लगाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पी०सी०आर० वाहन खड़े करना, तथा पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना।

पेयजल

3333. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विशेषतः भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी होने के कारण पेयजल की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार को इस समस्या से निपटने हेतु विश्व बैंक की सहायता लेने संबंधी कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल की कमी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। राज्य में पता लगाए गए सभी गांवों जहां पेयजल की समस्याएं हैं, को सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के अंतर्गत पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शामिल किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई एकीकृत परियोजना के उद्देश्य ये हैं : उत्तर प्रदेश के 25 जिलों (उत्तरकाशी, टिहरी, चमीली, पौड़ी, अलमोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, बिजनौर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, जलौन झांसी, ललितपुर, सोभद्रा, हमीरपुर, बांदा, रायबरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़) को शामिल करने के लिए 2500 गांवों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी आदि। ये जिले और गांव सूखा प्रवण हैं, पहाड़ी और चट्टानी भू-भागों में स्थित हैं अथवा उनमें जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं। इस परियोजना की लागत लगभग 4500 मिलियन रुपये अथवा 150 मिलियन अमरीकी डालर होगी।

(ङ) इस परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने के वास्ते वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) विश्व बैंक के साथ बातचीत कर रहा है।

हथियारों की जब्ती

3334. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही जम्मू और कश्मीर के बारामूला में आधुनिक हथियारों और गोला बारूद की भारी मात्रा जब्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की है कि ये हथियार किस देश से लाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 15 जुलाई, 1994 को बारामूला जिले में एक अभियान के दौरान ए०के०श्रेणी की 8 राईफलों सहित, यू०एम०जी० राकेट लांचर, हथगोलों इत्यादि समेत बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

(ग) से (ङ) राज्य में इस प्रकार के शस्त्रों और उपकरणों की तस्करी पाकिस्तान से की जा रही है, जो उग्रवादियों को शस्त्र, प्रशिक्षण, धन, शरणगाह और संभार-तंत्र उपलब्ध कराकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को शह और समर्थन देना जारी रखे हुए हैं। उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने, घुसपैठ को रोकने और हिंसा पर काबू पाने के उद्देश्य से निरन्तर सतर्कता और अभियान चलाने के अलावा, सरकार ने अनेक अवसरों पर और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान से पुरजोर आग्रह किया है कि वह राज्य में विघटनकारी और आतंकवादी गतिविधियों को अपना समर्थन बंद कर दें। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन के कारण उत्पन्न होन वाले खतरे के बारे में सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को निरन्तर अवगत कराती रही है।

सिंचाई परियोजनाएं

3335. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार ने गुजरात को चालू सिंचाई परियोजनाओं के लिए तथा परियोजनाओं/नहरों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० घुंगन): (क) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1994-95 के लिए गुजरात की वृहद और मझौली सिंचाई क्षेत्र के वास्ते 485.98 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है जिसमें विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माणधीन वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विश्व बैंक ग्रुप सहायता से अलग हो जाने के कारण सरदार सरोवर परियोजना का पूर्ण करने के लिए 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए सहमति हुई है।

(घ) गुजरता में निर्माणाधीन वृहद, मझौली और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात की निर्माणाधीन वृहद, मझौली और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र०सं०	विवरण		वृहद	मझौली	विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण
1.	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित	9	24	8
		अनुमोदित नहीं	—	1	4 (तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 2 अनुमोदित)
		कुल	9	25	12
2.	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मूल	6600.21	139.04	320.31
		नवीनतम	9365.25	628.25	445.77
3.	3/93 तक व्यय (करोड़ रुपए)		3177.02	528.32	330.02
4.	8वीं योजना परिव्यय (करोड़ रुपए)		3090.20	95.12	99.83
5.	1993-94 के दौरान प्रत्याशित व्यय (करोड़ रुपए)		1252.70	24.26	29.75
6.	राज्य सरकार द्वारा यथा-प्रस्तावित व्यय (करोड़ रुपए)		1375.05	41.93	38.90
7.	8वीं योजना में पूर्ण करने के लिए परियोजनाओं की संख्या		7	25	11

दूरदर्शन कार्यक्रम

3336. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री तारा सिंह :
श्री वी० श्रिनिवास प्रसाद :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी०डी० अनफेज्ड वाई इन्वेशन फ्रोम स्काईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन विदेशी प्रसारण कंपनियों के सतत हमले का तथा कुछ भारतीय और एशियाई प्रचार नेटवर्क द्वारा प्रदत्त उपग्रह संचार की सुविधा के इस युग में कड़ी प्रतिस्पर्धा की किस प्रकार प्रभावी ढंग से मुकाबला करेगा तथा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विधि कार्यक्रम प्रस्तुत करके यह किस तरह अपने दशकों की भारी संख्या बनाए रखेगा;

(ग) इस वर्ष के दौरान दूरदर्शन को अपने मैट्रो चैनल से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(घ) दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों तथा प्रसारण को बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार हेतु इस धनराशि का किस तरह उपयोग किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन द्वारा यह बेहतर गुणवत्ता के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करके अपने स्थलीय नेटवर्क के विस्तार तथा अतिरिक्त उपग्रह क्षेत्रीय भाषा चैनलों को आरम्भ करके किया जा रहा है।

(ग) अप्रैल, 1994 से जून, 1994 के दौरान 14.47 करोड़ रुपये (सकल)।

(घ) दूरदर्शन की सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आवश्यकताओं को संसद द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित बजट में से पूरा किया जाता रहेगा।

अमरनाथ यात्रा हेतु व्यवस्था

3337. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1994 के "द हिन्दू" (दिल्ली संस्करण) में "आप्रेशन अमरनाथ ट्रैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा हेतु देश भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की

यात्रा में व्यवधान डालने और उन पर हमला करने संबंधी आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकी को देखते हुए अनंतनाग में जिला और पुलिस कर्मचारियों ने तीर्थ-यात्रियों हेतु व्यवस्था करने संबंधी कार्य से अपने को अलग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या तीर्थयात्रियों को राशन, टट्टू, तम्बू और अन्य सम्बद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने वाले पहलगांव तथा आसपास के स्थानीय लोगों के विस्थापन से भी यात्रा व्यवस्था के लिए संकट पैदा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस विषय पर चर्चा करने हेतु हाल ही में बैठकें की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) सरकार को प्रश्नगत प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है। यह सत्य है कि हरकत-उल-अंसार नामक एक आतंकवादी गुट ने अमरनाथ यात्रा और उन कर्मचारियों और प्राईवेट व्यक्तियों/समूहों, जो परम्परागत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा यात्रा का प्रबंध करते है, को यात्रा के खिलाफ एक धमकी दी थी, जिसका अन्य कुछ आतंकवादी/अलगाववादी गुटों ने समर्थन किया था। तथापि, यह सही नहीं है कि उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनंतनाग, तथा अन्य पुलिस कार्मिकों ने स्वयं को यात्रा के प्रबंधों से अलग कर लिया है।

राज्य और केन्द्रीय सरकार के स्तरों पर व्यापक पुनरीक्षा और विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने और अन्य सेवाओं के लिए संभारतंत्र, जैसे कि कुली, खच्चर, शिविर, लंगर, इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यापक व्यवस्था की है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई और परेशानी न हो तथा यात्रा 10-8-1994 को पहले ही आरम्भ हो चुकी है। प्रबंधों के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा, जोकि राज्य में ही पहले से तैनात सेना और अर्ध-सैनिक बलों की सहायता से संसाधनों और मानवशक्ति को एकत्र करके किए गए हैं।

दूरदर्शन द्वारा राजस्व अर्जन

3338. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने अगले दो वर्षों में अपने राजस्व अर्जन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए राजस्व अर्जन संबंधी अनुमान क्या है; और

(ग) कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राजस्व अर्जन के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन का वाणिज्यिक राजस्व अर्जन जो पिछले वर्षों से बढ़ रहा है, 1993-94 के दौरान 372.98 करोड़ रुपये था। इन राशि के अगले दो वित्तीय वर्षों के दौरान (400 करोड़ रुपये/450 करोड़ रुपये पार करने) बढ़ने की आशा है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ साफ्टवेयर संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदित बजट का इष्ठतम रूप से उपयोग करने का दूरदर्शन का सब्रत् प्रयास रहता है।

जम्मू और कश्मीर में विकास योजनाएं

3339. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के विचार से राज्य के सभी क्षेत्रों में बंद पड़ी परियोजनाओं पर कार्य पुनः आरम्भ करने और इसके साथ-साथ नई विकास परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पुरानी और अभिकल्पित नई विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय में इस बात की निगरानी करने हेतु कोई प्रशासनिक तंत्र मौजूद है कि हाल ही में जो केन्द्रीय विकास संबंधी धन जारी किया गया वह राज्य प्रशासन द्वारा खर्च किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) राज्य में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को तेज करने, और विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने सहित कठिनाईयों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए तरीके निकालने के उद्देश्य से, दिल्ली में और जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पर, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ केन्द्र सरकार नियमित रूप से समीक्षा और विचार विमर्श करती रही है। की गई विभिन्न समीक्षाओं के कारण, जे०आर०वाई०, आई०आर० डी०पी०, ट्राईसेम, ग्रामीण जल आपूर्ति इत्यादि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि/परियोजनाएं आबंटित की गयी हैं, आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत अतिरिक्त परियोजनाएं, औद्योगिक आधारभूत ढांचे के लिए परियोजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण और खादी और ग्रामीण उद्योग सैक्टर क्षतिग्रस्त स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिए सहायता, चिकित्सा और ऐम्बयूलेटरी सेवाओं में बढ़ौत्तरी, राज्य में 21 अतिरिक्त ब्लाकों तक नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ौत्तरी इत्यादि, इन योजनाओं में शामिल हैं।

आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री द्वारा सावधिक रूप से विस्तृत पुनरीक्षाएं की गयी हैं। विस्तृत अनुवर्ती विचार-विमर्श और विभिन्न कार्यक्रमों की मानिटरिंग और पुनरीक्षा के लिए केन्द्र सरकार के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों का दल राज्य का दौरा करता रहा है। नियमित आधार पर स्थिति की मानिटरिंग करने और पुनरीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है।

कैंसर रोगी

3340. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुंह और गले के कैंसर रोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में 30 जून, 1994 तक कैंसर के कितने रोगियों का पता चला है और कितने कैंसर रोगियों का इलाज चल रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुहं और गले के कैंसर के रोगियों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोग की रोकथाम, रोग का आरंभावस्था में पता लगाने तथा उपचार सुविधाएं बढ़ाने पर बल दिया जाता है। तद्नुसार 1990-91 से कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। सरकार ने भी अनेक उपाय शुरू किए हैं जैसे तम्बाकू के दृष्प्रभावों के बारे में शिक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध।

[हिन्दी]

पोलियो टीके की प्रभावकारिता

3341. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दूर-दराज के गांवों में पोलियो के टीके की प्रभावकारिता को बनाए रखने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत कोल्ड चेन तंत्र कार्य कर रहा है जिसमें देश के दूर-दराज के गांवों में पोलियो के टीके की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए भंडारण और परिवहन सुविधाएं मौजूद हैं।

(ख) कोल्ड चेन प्रणाली की प्रभावी व्यवस्था के लिए राज्यों को अब तक निम्नलिखित उपस्कर प्रदान किए गए है —

वाक इन कोल्ड रूम	113
रेफ्रीजरेटर	19,969
फ्रीजर	20,233
कोल्ड वाक्स	43,164
वैक्सीन कैरियर	1,94,670
डेकैरियर	1,86,031

कोल्ड चेन की सफलता के परीक्षण के लिए राज्यों से पोलियो वैक्सीन के नमूने लेने का अनुरोध किया गया है जिनका परीक्षण विभिन्न स्थानों में स्थित प्रयोगशालाओं में किया जाता है। वर्ष 1993 के परीक्षण परिणामों से पता चलता है कि जांचे गए 89.51 प्रतिशत नमूने सन्तोषजनक थे।

मौसम की भविष्यवाणी

[अनुवाद]

3342. **डा० सुधीर राय :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को विनाशकारी बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) प्राकृतिक आपदाओं अर्थात चक्रवातों और बाढ़ के सम्बन्ध में समय पर निवारक/एहितियाती उपाय प्रारंभ करने के लिए क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों को पूर्व सूचना/पूर्वानुमान दिए जाते हैं।

(ख) केन्द्र सरकार ने देश की ज्यादातर वृहद अन्तर्राज्यीय नदियों पर क्रातिक स्थलों पर 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना की है। मानसून के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान नियमित अन्तराल पर जारी किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रंवातों के प्रेक्षण और पूर्वानुमान हेतु संरचनात्मक ढ़ाचे की व्यवस्था भी की है। कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद में स्थित 6 चक्रवात चेतावनी केन्द्रों के जरिए चक्रवात चेतावनी दी जाती है।

[हिन्दी]

कांग्रेस रैली का प्रसारण

3343. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री अन्ना जोशी :
श्री चित्त बसु :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में "जी०टी०वी० गैनिंग माइलेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में 14 जुलाई, 1994 को हुई कांग्रेस रैली के जी०टी०वी० पर सीधे प्रसारण के लिए विभिन्न व्यवस्था करने में दूरदर्शन अपना सहयोग दिया था;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली दूरदर्शन द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने इस सहायता के लिए जी०टी०वी० से पैसे लिए थे;

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि ली गई; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) घरेलू तथा विदेशी उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित दूरदर्शन की पद्धति के अनुसार दूरदर्शन द्वारा जी०टी०वी० को भुगतान पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन ने मैसर्स जी०टी०वी० को 5.17 लाख रुपये की राशि का बिल प्रस्तुत किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास

3344. **श्री तेजसिंहराव भौंसले** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच महीनों के दौरान पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में घुसपैठ करने के कितने प्रयास किए गए;

(ख) ऐसे कितने प्रयासों को असफल कर दिया गया;

(ग) इन घटनाओं में कितने आतंकवादी और सुरक्षा कर्मी हताहत हुए;

(घ) कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और उनसे कितने हथियार और कितनी मात्रा में गोलाबारूद जब्त किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :(क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले पांच महीनों (16 मार्च, से 15 अगस्त, 1994) के दौरान कश्मीर में घुसपैठ करने के 19 प्रयासों को सुरक्षा बलों द्वारा रोका गया। इन सभी प्रयासों को पूणतः नाकाम किया गया। उपर्युक्त अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रण रेखा के साथ-साथ चलाए गए अभियानों के फलस्वरूप, 86 उग्रवादी मारे गए तथा 32 पकड़े गए, 191 हथियार बरामद किए गए, जिनमें ए०के० श्रेणी की राईफलें, यू०एम०जी० पिस्तौलें, राकेट, राकेट लांचर और 184695 राउण्ड गोलियां शामिल हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बलों के चार कार्मिक मारे गए तथा 11 घायल हुए।

इलाके का विशाल क्षेत्र और कठिन भू-भाग होने के कारण नियंत्रण रेखा को पूरी तरह से सील करना संभव नहीं है। तथापि, बलों की तैनाती और पुनःतैनाती करके, चौकसी और गश्त बढ़ाकर तथा घुसपैठ के ज्ञात और संभावित मार्गो पर दबाव बढ़ा कर, दोनों ओर की घुसपैठ को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिंचाई परियोजनाएं

3345. **श्री ललित उरांव** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई बिहार की बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा 1992-93, 1993-94 तथा 19994-95 के दौरान बिहार की निर्माणाधीन बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है;

क्र० सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हेक्टेयर)
1.	1991-92	(I) पंचखोर जलाशय	954.90	3238
		(II) केंसजोर जलाशय	2090.80	7639
		(III) भैरवा जलाशय	2018.85	4524
2.	1992-93	केसो जलाशय	1614.00	3845
3.	1993-94	शून्य		

(ख) वृहद, मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	वृहद और मझौली सिंचाई		लघु सिंचाई	
	अनुमोदित	संशोधित	अनुमोदित	संशोधित
			(लाख रुपए)	
1992-93	30353	12510	17248	7000
1993-94	31900	13950	18127	3563
1994-95	31900	—	18127	—

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण सचिवों की बैठक

3346. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिवों की हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के

राज्य सूचना सचिवों और जन सूचना निदेशकों की एक बैठक 23 जून, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें मोटे तौर पर फिल्में, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा मुद्रण और अन्तर्वैयक्तिक मीडिया शामिल थे।

फिल्मों पर हुए विचार-विमर्श में मनोरंजन कर को युक्तिसंगत बनाने, केवल टी०वी० तथा वीडियो पार्लर्स से कड़ी प्रतियोगिता को देखते हुए सिनेमा थिएटरों को प्रोत्साहन प्रदान करने, मनोरंजन कर में पूर्णतः छूट प्रदान करके बाल फिल्म समारोहों को प्रोत्साहन देनें, चलचित्रकी अधिनियम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के बारे में सही जागरूकता पैदा करने तथा सैक्स और हिंसा को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया।

राज्यों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन हेतु सलाहकार समितियों का गठन, अति संवेदनशीलता को देखते हुए इलैक्ट्रॉनिक मीडियों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाना, सरकार के विकास कार्यक्रमों का संदेश, सुविधाएं और लाभ लोगों तक पहुंचाना, कुछ देशों द्वारा चलाए जा रहे भारत-विरोधी प्रचार का, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुकाबला करना, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विदेशी ट्रांमीटरों के नजदीक होने के कारण उनको कवरेज के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के उपकरणों की समय से सर्विस और अनुरक्षण करना आदि पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु बल दिया गया।

प्रिंट एवं अन्तः वैयक्तिक मीडिया के जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें अखबारी कागज के आवंटन तथा विज्ञापनों हेतु सूचीबद्ध करने हेतु समाचारपत्रों के वास्तविक प्रसार आंकड़ों का पता लगाना, विकास कार्यक्रमों की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रेस यात्राओं का आयोजन, अधिक गहन निम्न स्तर गतिविधियों हेतु क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय जैसे क्षेत्रीय एककों को सुदृढ़ करना तथा अन्तर मीडिया प्रचार समन्वय समितियों को पुनर्जीवित करके केंद्रीय सरकार के मीडिया एककों और राज्य विभागों के बीच श्रेष्ठ समन्वय सुनिश्चित करना शामिल थे।

बैठक में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(I) फिल्मो में अश्लीलता एवं हिंसा को रोकने के लिए लघु फिल्म के मामले में दो सदस्यीय जांच समिति में एक महिला और फीचर फिल्मों के मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति में दो महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति संबंधी व्यवस्था करने हेतु नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

(II) सेंसर प्रमाणपत्र फॉर्म में संबंधित फिल्म को स्वीकृत करने वाली जांच समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपीली अधिकरण के सदस्यों के नाम शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

(III) केन्द्रयी फिल्म प्रमाणन बोर्ड तथा इसके सलाहकार पैनलों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने के लिए सांविधिक प्रावधान करने हेतु नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

(IV) पुनरीक्षण समिति, जिसमें सामान्यतया 10 सदस्य होते हैं, की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 50% तक महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति निर्धारित की जा रही है।

(V) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में फिल्म निर्माताओं से जानकारी प्राप्त करने हेतु फिल्म उद्योग संस्थाओं को लिखने का अनुरोध किया गया है :—

(क) विस्तृत पटकथा, विशेष रूप से गीत एवं लड़ाई के दृश्यों संबंधी पटकथा और फिल्म निर्माण से पहले बोर्ड की पूर्व-प्रमाणन सलाह प्राप्त करना। यह पूर्णतः अनौपचारिक आधार पर होगा तथा इस संबंध में निर्माताओं या बोर्ड पर कोई बाध्यता नहीं होगी। इस प्रकार की पूर्व-प्रमाणन सलाह निर्माताओं के हित में होगी।

(ख) गीतों को रिकार्ड करने से पहले उन्हें बोर्ड से स्वीकृत कराना ताकि बाद में प्रमाणन सम्बन्धी कोई समस्या न हो।

(VI) राज्य सरकारों के सूचना सचिवों ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए सुरक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इन सुविधाओं में नेटवर्कों का विस्तार करने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया परियोजनाओं का तीव्र गति से निष्पादन भी शामिल

(VII) कुछ देशों द्वारा किए गए विरोधी प्रचार का सामना करने संबंधी विषयों पर, विशेषकर सीमा क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कवरेज को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय, धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, पहले से ही सजग है।

(VIII) अन्तर मीडिया प्रचार समन्वय समितियों के अध्यक्षों, मंत्रालय राज्य सरकार के विभागों और मीडिया तथा लोगों के बीच दो तरफा संपर्क स्थापित करने के लिए केंद्रबिंदु बनाए गए हैं। लक्ष्यित लाभार्थियों तक संदेशों और सूचना प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समितियों के अध्यक्षों को प्रमुख विषयों और विकास प्रक्रियाओं पर संबोधन द्वारा एक नियमित परामर्शदात्री प्रणाली विकसित की गई है। निम्न स्तर पर मीडिया कवरेज का पता लगाने और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक प्रभावी फीड बैक प्रणाली भी तैयार की गई है।

(IX) प्रधान सूचना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा कर रही है।

नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों का बोनस

3347. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब फाइनांस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह बोनस दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1993 में कारपोरेशन के कर्मचारियों को बोनस दिया गया है; और

(ग) यदि **नहीं**, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी के रूप में 8 फरवरी, 1989 को की थी जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 की उप धारा V (ग) के अनुसार "लाभ अर्जित न करने के लिए" संस्थापित संस्थानों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत बोनस अदायगी की छूट प्राप्त है।

दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी

3348. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी ने हाल ही में कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपनी कार्यक्रम सूची में परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कौन-कौन से नए लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(घ) क्या किसानों के लिए मौसम पर आधारित कार्यक्रम बनाने हेतु कोई पहल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी ने अपने कार्यक्रम में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:—

(i) कृषि तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की अवधि की सप्ताह में 5 दिन के लिए 25 मिनट तक की वृद्धि;

(ii) प्रायोजित धारावाहिकों की आवृत्ति को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन करना;

(iii) माह में एक बार विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आंरभ किया जाना;

(iv) "टर्निंग पाइंट" के असमिया रूपान्तर का हर पखवाड़े में आरंभ;

(v) सप्ताह की मुख्य घटनाओं पर आधारित "संबाद प्रभा" नामक साप्ताहिक कार्यक्रम का आरंभ ; और

(vi) चितामंजरी असमिया फिल्मी गीतों पर आधारित प्रत्येक सप्ताह "चित्रमंजरी"।

(घ) कृषि कार्यक्रमों में मौसम सम्बन्धी जानकारी शामिल होती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला का फालतू उत्पादन

3349. **श्री योगीनाथ यजपति** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन कोयला कंपनियों ने कोयले का फालतू उत्पादन किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों का कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर कैसा रहा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) :(क) और (ख) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) की सहायक कंपनियों और नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (जोकि सीधे कोल इंडिया लि० के अधीन हैं) का उत्पादन पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके लक्ष्यों के तुलना में नीचे दर्शाया गया है :—

(आकड़े अनंतिम)
(मिलियन टन में)

कंपनी	1993-94		1992-93		1991-92	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०को०लि०)	25.50	22.60	26.50	24.05	24.50	24.51
भारत कोकिंग कोल लि०(भा०को०को०लि०)	28.10	29.03	28.00	28.06	28.00	27.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०(से०को०लि०)	33.50	33.52	32.00	32.38	31.00	31.22
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०(वे०को०लि०)	26.00	26.51	25.00	25.75	24.60	24.74
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०(ना०को०लि०)	31.40	31.41	30.70	30.70	31.60	30.89
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (साईकोलि)	46.60	47.63	44.88	46.04	62.00	64.85
महानदी कोलफील्ड्स लि०(मकोलि)	23.80	24.30	21.92	23.14		
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (नाईको)	1.10	1.20	1.00	1.10	0.70	0.85
कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०)	216.00	216.00	210.00	211.22	203.00	204.16

वर्ष 1991-92 में ई०को०लि०, से०को०लि०, वे०को०लि०, सा०ई०को०लि० और ना०ई०को० ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। वर्ष 1992-93 में ई०को०लि० और ना०को०लि० को छोड़कर शेष सभी कंपनियों ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया। वर्ष 1993-94 में ई०को०लि० को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया।

कोयला क्षेत्रों में कोयला-माफिया की गतिविधियां

3350. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कोयला क्षेत्रों में कोयला माफिया की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला-माफिया की गतिविधियां रोकने और इन क्षेत्रों में कोयले की चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। कोयला कम्पनियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कोयला माफिया के क्रियाकलापों में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) उपर्युक्त क्षेत्रों में कोयला माफिया के क्रियाकलापों तथा कोयले की चोरी को रोकने के ध्येय से निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(1) औद्योगिक सुरक्षा बल तथा कोयला कम्पनियों के सुरक्षा कर्मियों द्वारा गहन चौकसी करना।

(2) राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क करना।

(3) औद्योगिक सुरक्षा बलों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा गैर-कानूनी डिपो पर छापे मारना।

(4) सुरक्षा कर्मियों द्वारा अचानक जांच/छापे मारना।

(5) आरोपित व्यक्तियों को पुलिस को सौंपना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।

[हिन्दी]

कोयले की आवश्यकता

3351. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न औद्योगिक समूहों की आवश्कताओं को पूरा करने और घरेलू खपत के लिए 1994-95 के दौरान तथा अगले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र/सरकारी उपक्रमों ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) योजना आयोग द्वारा देश में कच्चे कोयले का नवीनतम मांग संबंधी प्रक्षेपण वर्ष 1994-95 के लिए 268.50 मि०टन किया गया है। आठवीं योजना के निष्पादन के समय योजना आयोग द्वारा प्रक्षेपित मांग वर्ष 1996-97 (आठवीं योजना का अंतिम वर्ष) के लिए 311.00 मि० टन की गई है।

(ख) और (ग) कोयला कंपनियां वर्ष 1994-95 और आगामी वर्षों में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं। किन्तु, देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए, जो कदम उठाए गए हैं, उनमें अन्य बातों के अतिरिक्त, नई खानों को खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आगतों तथा आधारभूत सुविधाओं की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना, बेहतर खान उपयोगिता और अच्छा औद्योगिक संबंध बनाए रखना शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयला खान श्रमिक

3352. **श्री येल्लैया नंदी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी संख्या में कोयला-खान श्रमिक खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सुरक्षात्मक और अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृत्यु/घातक चोट के मामले में घटना के शिकार व्यक्ति/निकटतम संबंधी को क्या मुआवजा दिया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) : कोयला खनन प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध एक सतत संघर्ष होने के रूप में विश्वव्यापी स्तर पर इसे सभी कार्यों में जोखिम भरा कार्य माना गया है। कोयला खानों में स्तर-संचालन, आग, गैस, पानी आदि जैसे खतरे हमेशा विद्यमान रहते हैं।

इन खतरों का मुकाबला करने के लिए, खनन क्रियाकलाप खान अधिनिमय 1952 कोयला खान विनियम, 1957 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों और उपनियमों जैसे सुरक्षा कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं।

(ग) गंभीर रूप से घायल होने के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है और यह कामगार की आयु और मासिक आय पर आधारित होती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त मृत कामगार के आश्रितों को निम्नलिखित रूप में राशि दी जाती है :—

(I)	अन्त्येष्टि व्यय	500 रुपए
(II)	अनुग्रह राशि	10,000 रुपए
(III)	जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशि	15,000 रुपए

इसके अतिरिक्त, मृतक के एक आश्रित को रोजगार भी दिया जाता है अथवा वैकल्पिक रूप में विधवा को पेंशन दी जाती है।

अम्बेडकर शताब्दी के अंतर्गत योजनाएं

3353. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर शताब्दी से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं का संक्षप्ति ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं/योजनाओं को अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार उन योजनाओं/परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(घ) उन अपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं को किस तारीख तक पूरा करने का अनुमान है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3353 के भाग (क) से (घ) में सर्दर्भित विवरण।

परियोजना/योजना कालम	(क) परियोजना/योजना का संक्षिप्त विवरण	(ख) अनुमानित लागत	(ग) स्थिति रिपोर्ट	(घ) पूरा होने की अनुमानित तिथि
1	2	3	4	5
1. डा० बी०आर० अम्बेडकर पर फिल्म	डा० बी०आर० अम्बेडकर का जीवन तथा उपलब्धियों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी लम्बाई की एक रंगीन फीचर फिल्म	6.6 करोड़ रुपए	निर्दशक तथा सलाहकार की नियुक्ति हो चुकी है, 4 करोड़ रुपए पहले ही निर्मुक्त किया जा चुका है पटकथा पूरा हो चुका है निर्माण शीघ्र आरम्भ होने की सम्भावना है।	जनवरी, 1996
2. डा० बी०आर० अम्बेडकर की कृतियों का प्रकाशन	हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बाबा साहेब डा० बी०आर० अम्बेडकर के भाषणों तथा लेखों का अनुवाद और प्रकाशन	4.05 करोड़ रुपए	डा० अम्बेडकर प्रतिष्ठान के तत्वावधान में डा० अम्बेडकर के लेखों तथा भाषणों का अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। हिन्दी तथा तमिल प्रत्येक में 5 खंड, गुजराती में दो खंड तथा पंजाबी में एक खंड का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है। अन्य भाषाओं में और अधिक खंडों का प्रकाशन का कार्य भी चल रहा है। इस परियोजना के सम्मुख प्रतिष्ठान को 3. 48 करोड़ रुपये निर्मुक्त किया जा चुका है।	1996 तक पूरा होने की सम्भावना है।

1	2	3	4	5
3. प्रतिमाएं लगाना	बोध, गया, बम्बई, यर्पदा, कलकत्ता चंडीगढ़, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, शिमला, तिरुवनंतपुरम में बाबा सहिब की दस प्रतिमाए लगाने की योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जानी हैं।	40 लाख रुपए	चार लाख रुपए प्रति प्रतिमा की दर से संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को धनराशि पहले ही प्रदान की गई है। शिमला, चंडीगढ़, मैसूर तथा मद्रास में प्रतिमाए पहले ही स्थापित कर दी गई हैं। अन्य प्रतिमाओं के स्थापित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।	1994-95
4. पुस्तकालय की स्थापना	डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए	5.5 करोड़ रुपए	डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए भूमि रायसीना रोड तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड के बीच संस्थान क्षेत्र होटल मेरीडियन के पास जनपथ पर आवंटित की गई है। पुस्तकालय की योजना तथा डिजाइन संबंधी आवश्यक कार्य प्रगति पर है। मार्च, 1992 में डा० अम्बेडकर फाउडेशेन के लिए 5.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।	1996-67
5. अम्बेडकर पीठों की स्थापना	विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालयों में डा० अम्बेडकर पीठ की स्थापना हेतु	1 करोड़ रुपए	8 पीठों को स्वीकृत किया गया है। अर्थात 1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) 2. बाला सहिब डा० अम्बेडकर नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ सोशल साइन्सेज एंड रिसर्च मऊ, इन्दौर विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश) धर्म एवं सामाजिक विभाग) 3. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली समाज शास्त्र	

1	2	3	4	5
			4. नागर्जुन विश्वविद्यालय, गंटूर (आ०प्र०) सोसल पोलिसी एंड सोसल एक्शन) 5. नागपुर विश्वविद्यालय-दलित आन्दोलनों का इतिहास 6. राष्ट्रीय समाज कार्य तथा समाज विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा), समाजकार्य 7. कलकत्ता विश्वविद्यालय-नृविज्ञान 8. मद्रास विश्वविद्यालय-अर्थशास्त्र। इनमें से चार पीठें अलीगढ़ विश्वविद्यालय नागार्जुन, मध्य प्रदेश में इन्दौर के नितवार बाबा साहेब डा० अम्बेडकर नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ सोसल साइन्सेज एंड रिसर्च, मऊ, एन, आई एस डब्ल्यू, ए०एस०एस०, उत्कल विश्वविद्यलाय (उड़ीसा) में कार्य कर रही हैं। अन्य पीठों के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।	
6. डा० अम्बेडकर समुद्रपारीय फैलोशिप	यह जाति और धर्म का लिहाल किए बिना मेधावी छात्रों हेतु विदेश में उच्च अध्ययन के लिए यह प्रत्येक वर्ष 4 फैलोशिप प्रदान करने के लिए है।	1 करोड़ रुपए	1991-92 में 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1992-93 से प्रत्येक वर्ष 4 फैलोशिपें प्रदान की जा रही हैं। अब तक डा० अम्बेडकर समुद्रपारीय आठ फैलोशिपें प्रदान की गई हैं।	प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित की जाने वाली चल रही योजनाएं।
7. डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार	10 लाख रूपए का डॉ० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक सौहार्द तथा कमजोर	1 करोड़ रुपए	वर्ष 1993 के लिए पुरस्कार पहले ही निश्चित कर दिया गया है। उसे शीघ्र ही प्रदान किया जाना है।	प्रत्येक वर्ष चल रही योजना का क्रियान्वयन

1	2	3	4	5
	की प्रगति के लिए स्थापित किया गया है।		वर्ष 1994 के लिए पुरस्कार दिस० 1994 तक निश्चित किया जाना है। मार्च, 1992 में फाउडेशन के लिए 1 करोड़ रु० दिए गए हैं।	किया जाना है।
8. डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	15 लाख रुपए की लागत की डॉ० अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	2.50 करोड़ रुपए	सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यविधि संहिता सरकार द्वारा अनुमोदित है।	प्रत्येक वर्ष चल रही है।
9. स्मारक की स्थापना	26, अलीपुर रोड, दिल्ली में जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी, स्मारक की स्थापना।	निश्चित किया जाना है।	26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहेब ने 6 दिसम्बर, 1956 को अंतिम सांस ली थी, के अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही दिल्ली प्रशासन में प्रगति पर है। वहां स्थापित किए जाने वाले स्मारक की आवश्यक योजना तथा डिजाइन तैयार की जा रही हैं। डॉ० अम्बेडकर स्मारक को दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थल के अधिग्रहण के बाद वहां स्थापित किया जाएगा।	1996
10. संग्रहालय	सिम्बोसिस सोसाइटी पूना द्वारा स्थापित किए गए बाबा साहेब के चिह्नों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय	10 लाख	स्मृति चिह्न सुरक्षित रखे गए हैं तथा पूणे में संग्रहालय स्थापित किया गया है।	
11. सांस्कृतिक कार्यक्रम	ऑल इंडिया दलित आदिवासी लोक कला महोत्सव	7 लाख रुपए	इसका आयोजन नागपुर में किया गया जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 16 अक्तूबर, 1991 को 36 दल शामिल हुए है।	

आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार/आधुनिकीकरण

3354. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट स्थित आकाशवाणी केन्द्र और केरल में केन्नूर स्थित एफ०एम० स्टेशन के विस्तार/आधुनिकीकरण का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। 256.30 लाख रुपये की पूंजीगत लागत पर आकाशवाणी, कालीकट में मौजूदा 10 कि०वा० मी० वेव ट्रांसमीटर का 100 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर में उन्नयन करने संबंधी एक स्कीम है। 2x3 कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो आदि सहित कन्नौर स्थित आकाशवाणी केन्द्र एक सर्वांगपूर्ण सुसज्जित रेड़ियो केन्द्र है, जो 4-5-1991 को चालू किया गया था। वर्तमान में इस केन्द्र के विस्तार/आधुनिकीकरण से सम्बंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों की घुसपैठ

3355. **श्री सत्य नारायण जटिया :**
श्री वीरेन्द्र सिंह :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आतंकवादी सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों से प्रशिक्षण लेकर हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में क्षेत्र-वार सीमा पर ऐसे कितने आतंकवादी/घुसपैठिए मारे गए, गिरफ्तार किए गए और कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया तथा उनसे कितना हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया;

(ग) उनमें महिलाओं की संख्या क्या है;

(घ) गिरफ्तार व्यक्ति किन देशों के हैं; और

(ङ) ऐसे मामलों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) पूरी सीमा पर सीमा सुरक्षा तथा पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है। भारत के विरुद्ध लक्षित गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्रों का प्रयोग न करने देने पर बल देते हुए मामले को राजनयिक माध्यमों के द्वारा पड़ौसी देशों के साथ भी उठाया गया है।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियां

3356. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बढ़ते विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों से निपटाने हेतु पुलिस महानिदेशकों के एक उच्चाधिकार प्राप्त कोर ग्रुप का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंधी में कोई सफलता हासिल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और राज्य सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को लेकर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप सावधिक रूप से अपनी बैठकें करता आ रहा है। राजधानी में कुछ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है तथा परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

कश्मीर के संबंध में भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार

3357. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1994 के इकोनामिक टाइम्स में "ओपनिंग अप कश्मीर टू स्कूटनी टर्न्स गवर्नमेंट स्माइल्स इनटू फ्राउन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा पारदर्शक और खुलेपन की नीति के सन्दर्भ में, जो सार्थक सिद्ध नहीं हुई है, कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध किए जा रहे दुर्भाग्यपूर्ण दृष्प्रचार से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सरकार को प्रश्नगत रिपोर्ट की जानकरी है। रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों में सरकार की नीति प्रतिबिम्बित नहीं होती है। सरकार, जम्मू एवं कश्मीर में पारदर्शिता की नीति पर लगातार चल रही है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के भारत विरोधी दुष्प्रचार का मुकाबला करना एक चलते रहने वाली प्रक्रिया है। पाकिस्तान के झूठे और अभिप्रेरित दृष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए त्वरित, व्यपाक एवं प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है। मत विनिर्माताओं, संचार माध्यमों एवं अन्य देशों की सरकारों को विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से तथा देश में एवं देश से बाहर स्थित अन्य चैनलों से भी तथ्यगत सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

[हिन्दी]

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा

3358. **डा० मुमताज अंसारी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की विस्तृत भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

भारत-बंग्लादेश सुरक्षा बलों के बीच झड़पें

3359. **श्री अरविंद त्रिवेदी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय और बंग्लादेशी सुरक्षा बलों के बीच कोई झड़पें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी झड़पें कितनी बार हुई हैं;

(ग) इन झड़पों से जाने और माल की कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में बंग्लादेश सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर बंग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं;

वर्ष	मामलों की संख्या	जान की हानि	सम्पत्ति की हानि
1992	1	सी०सु०बल के एक कार्मिक को चोटें लगीं।	—
1993	5	(I) दो भारतीय नागरिक मारे गए।	भारतीय किसानों द्वारा प्रयुक्त एक पावर टिलर को क्षति पहुंची।
		(II) एक भारतीय किसान और एक स्कूली बच्चा मामूली रूप से घायल हो गया।	
1994 (28 जुलाई तक)	5	—	—

(घ) और (ङ) प्रत्येक अवसर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा बंगलादेश रायफल्स के पास कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराया गया। जनवरी, 1994 में सीमा सुरक्षा बल एवं बंगलादेश रायफल्स के महानिदेशकों के बीच हुई वार्ता में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मसले पर भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक में भी चर्चा हुई और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि व्यापक हितों के क्षेत्रों में मतभेदों का पता लगाने और उन्हें सहयोगात्मक ढंग से सुलझाने के लिए बातचीत करना जारी रखा जाए।

जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन की गतिविधियां

3360. **श्री मनोरंजन भवत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस पाकिस्तान-समर्थक आतंकवादी संगठन ने पर्यटकों से तीन दिन के अंदर कश्मीर घाटी छोड़ने को कहा है जैसाकि 3 जून, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार को अल्लाह टाईगर्स नामक उग्रवादी गुट द्वारा पर्यटकों को जारी की गई चेतावनी की जानकरी है, जैसा कि प्रश्नगत न्यूज रिपोर्ट में सूचित किया गया है।

(ग) सरकार तथा सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा को नियंत्रित करने और सुरक्षा का माहोल सुधारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य में पर्यटकों की गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सके।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल

3361. **श्री चेतन पी०एस० चौहान :**
श्री बलराज पासी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों, अधिकार-पत्र और कार्यशैली का "गंभीर परिसीमन" करने के लिए केन्द्रीय सरकार की निंदा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा क्या टिप्पणी की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट, 1994 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का स्वागत भी किया है लेकिन इसकी शक्तियों, अधिदेश एवं कार्यपद्धति पर लगाई गई कड़ी सीमाओं की आलोचना की है।

(ख) और (ग) आयोग का गठन करने का प्रस्ताव तैयार करते समय सरकार द्वारा व्यापक परामर्श किया गया था। मानवाधिकारों के संरक्षण का विधेयक प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद इस पर गृह मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह चर्चा की गई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 नामक जिस संगत संविधि के अधीन इस आयोग का गठन किया गया था उसे संसद के दोनों सदनों में समुचित चर्चा के बाद पारित

किया गया था जिसके दौरान उस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर भी विचार किया गया था। इन परिस्थितियों में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1994 की वार्षिक रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं समझा गया है।

एशिया वाच रिपोर्ट

3362. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एशिया वाच" द्वारा अप्रैल, 1994 में जारी "नो एण्ड इन साइट : ह्यूमेन राइट्स वायलेशन इन असम" शीर्षक की रिपार्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एशिया वाच द्वारा अप्रैल, 1994 में जारी की गयी इस प्रकार की किसी रिपोर्ट को सरकार ने नहीं देखा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

आतंकवादी-कैदियों की चिकित्सा

3363. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी-कैदियों की चिकित्सा हेतु निर्धारित सरकारी धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष मे अब तक जानकारी मिली है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर के कैदियों के उपचार के लिए निर्धारित सरकारी धन राशि के दुरूपयोग का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनियमितताएं

3364. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्री छेदी पासवान :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं/धन के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई:

(ख) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल कालेज

3365. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अमान्यता प्राप्त मेडिकल तथा तंतचिकित्सा कालेजों की संख्या क्या है;

(ख) इन कालेजों के इतनी बड़ी संख्या में होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन कालेजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार अमान्यता प्राप्त मेडिकल और दन्त चिकित्सा कालेजों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

(ख) और (ग) मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज अब भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा दन्त चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति से ही खोले जा सकते हैं।

विवरण-I

अमान्यता प्राप्त मैडिकल कालेजों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या
1.	बिहार	2
2.	गुजरात	1
3.	जम्मू व कश्मीर	1
4.	कर्नाटक	1
5.	महाराष्ट्र	15
6.	राजस्थान	1
7.	तमिलनाडु	2
8.	चण्डीगढ़	1
	कुल :	24

विवरण-II

अमान्यता प्राप्त डेंटल कालेजों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5

1	2	3
2.	बिहार	11
3.	नई दिल्ली	2
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	कर्नाटक	23
8.	महाराष्ट्र	2
9.	पांडिचेरी	1
10.	तमिलनाडु	3
		50

[हिन्दी]

औषधीय पौधे

3366. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय पर्वत के ऊपरी भागों में पैदा होने वाले भोजपत्र वृक्षों का आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वृक्षों की बढ़ती हुई मांग के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। भोजपत्र वृक्ष की छाल एरोमेटिक है और उसमें कुछ चिकित्सा विशेषताएं हैं।

(ग) और (घ) औषधीय प्रयोजनों के लिए इनके किसी प्रकार का अधिक दोहन करने की सूचना नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

लघु सिंचाई प्रणाली

3367. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत योजनाओं को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने 1993-94 के दौरान लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पूरी सहायता अनुदान राशि दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना (1992-97) में लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए क्रमश : 5977.26 करोड़ रुपए तथा 1623.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

(ग) और (घ) चूंकि सिंचाई राज्यों का विषय है, अतः सिंचाई परियोजनाओं एवं योजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके बजट संसाधनों से किया जाता है। तथापि, कुछेक योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए अनुदान सहायता दी जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान अनुदान सहायता की पूर्ण राशि निर्मुक्त न किए जाने के कारण ये हैं: राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होना एवं योजनाओं/प्रस्तावों की स्वीकृति न मिलना।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

3368. **श्री गुरूदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली सरकार को संघ राज्य क्षेत्र में विकास परियोजनाओं संबंधी निर्णय लेने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (घ) दिल्ली के प्रशासक को, कुछ एक शर्तों के अनुपालन के आधार पर कार्य-योजनाओं को छोड़कर, 5 करोड़ रु० तक की लागत वाली प्लान स्कीमों/परियोजनाओं के लिए खर्च की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गयी है। ये शक्यिां 1986 में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से प्रदान की गयी थी।

आकाशवाणी केन्द्र तथा दूरदर्शन ट्रांसमीटर

3369. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय आकाशवाणी केन्द्र तथा दूरदर्शन ट्रांसमीटर कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या राज्य में और अधिक संख्या में आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) विवरण-I सलंग्न है

(ख) और (ग) जी, हां। विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

1.	आकाशवाणी		2.	दूरदर्शन	
		उ०श०ट्रां०		अ०श०ट्रां०	अ०अ०श०ट्रां०
1	2	3	4	5	6
	अहमदाबाद	अहमदाबाद		आहवा	काकरापार
	राजकोट	भुज (अंतरिम)		अम्बाजी	
	भुज	द्वारका		अमरेली	
	वडोदरा	राजकोट		भाब्बर	
	गोधरा			भरूच	
	सूरत			भावनगर	
	आहवा			छोटा उदयपुर	
				कोसम्बा	
				मेहसाना	
				दिदियापारा	
				घोराजी	
				दोहाद	
				गोधरा	
				जामनगर	
				जूनागढ़	
				केवड़िया कालोनी	

1	2	3	4	5	6
				खम्बात	
				नवसारी	
				पालनपुर	
				पटन	
				सोनगढ़	
				पोरबन्दर	
				सूरत	
				सुरेन्द्रनगर	
				थराड	
				वडोदरा	
				वलसाद	
				वरावल	
				अहमदाबाद (डी०डी०-2)	

संकेत : उ०श०ट्रां० = उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ०श०ट्रां० = अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अ०अ०श०ट्रां० = अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

विवरण-II

दिनांक 18-8-1994 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3369 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए प्रस्तावित स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण।

1. आकाशवाणी

स्थान	स्कीम
जूनागढ़	2X3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर सहित राष्ट्रीय चैनल कार्यक्रमों के लिए रिले केन्द्र।
वडोदरा	2X3 कि०वा०एफ०एम० ट्रासंमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
अहमदाबाद	विविध भारती सेवा के लिए मौजूदा 1 कि०वा० ट्रांसमीटर के स्थान पर 2X5 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर की स्थापना।

2. दूरदर्शन

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति ट्रासंमीटर	अति अल्प शाक्ति ट्रासंमीटर
1	2	3
भुज	धरंगधरा	नेतरंग
पालिताना	ईदर	देवगढ़-बारिया
सूरत	महुवा	सपवारा
वडोदरा	मंगरोल	
रोधनपुर	मोरवी	
जूनागढ़	नखतरना	
	रापड़	
	दीसा	
	पालिताना	
	राजूला	
	संजेली/संतरामपुर	
	खम्बालिया	
	अमोद	
	मंगरोल	
	बंतवा	
	झागड़िया	
	लुनावाड़ा	
	जामजोधपुर	
	राधनपुर	
	दोहाद	
	राजपिपला	
	वजारा	
	धरमपुर	

1	2	3
	उमरगांव	
	मोदासा	
	लिम्बादी	
	धुन्धोका	
	धारी	
	उना	
	डांडी	

एजिंग सीनेरिओ

3370. **डा० रामकृष्ण कुसमारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "एजिंग सीनेरिओ इन इंडिया बाई 2001" विषय पर एक विचारगोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विचारगोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) सरकार द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) एज केअर इंडिया के तत्वावधान में "एजिंग सीनेरिओं इन इंडिया बाई 2001" पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी हुई थी।

(ख) और (ग) सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा आवास की व्यवस्था शामिल थी।

वृद्ध लोग सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। सरकारों की वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पैंशन योजनाएं भी हैं।

नेयवेली लिग्नाइट निगम

3371. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेयवेली लिग्नाइट निगम के लिए एक "फ्लोर बकेट व्हील एक्सकैवेटर" को खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप लगाया गया है और यह उसके अनुसार कार्य कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लगा दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) : नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने०लि०का०) की खान I विस्तार तथा खान- II विस्तार परियोजनाओं के प्रयोगार्थ भारत सरकार ने ने०लि०का० फ्लौट मशीन परियोजना (1400 लीटर क्षमता के एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर-ब्रिज टाइप) की स्वीकृति दे दी है। उपकरण की खरीद के लिए आशय पत्र जून, 1993 में जारी कर दिया गया था। उपकरण के विभिन्न घटकों की आपूर्ति जून, 1994 में आरम्भ हो गई है। उपकरण को मई, 1996 में चालू हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

नशामुक्ति केन्द्र

3372. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में नशे की लत छुड़ाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कितने नशामुक्ति केन्द्र और परामर्श केन्द्र कार्यरत है;

(ख) 1993-94 के दौरान इन केन्द्रों से कितने नशाखोर लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ये केन्द्र कहां-कहां खाले जायेंगे?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1993-94 के दौरान इन केंद्रों द्वारा लगभग 3 लाख नशीली दवाओं के व्यसनी लाभान्वित हुए थे।

(ग) तथा (घ) 1994-95 के दौरान ऐसे और केंद्रों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में इसकी आवश्यकता तथा समस्या की गंभीरता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

नशली दवा दुरूपयोग निवारण केंद्रों की संख्या
(30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्र का प्रकार		
		निर्व्यसन केंद्र	परामर्श केंद्र	उत्तरवर्ती देखभाल केंद्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	3	—
2.	असम	—	1	—
3.	बिहार	8	17	1

1	2	3	4	5
4.	गोवा	—	4	—
5.	गुजरात	5	5	—
6.	हरियाणा	7	9	—
7.	जम्मू और कश्मीर	1	—	—
8.	कर्नाटक	3	3	—
9.	केरल	6	12	—
10.	मध्य प्रदेश	3	3	—
11.	महाराष्ट्र	4	9	2
12.	मणिपुर	11	9	1
13.	मिजोरम	4	5	2
14.	नागालैंड	3	5	3
15.	उड़ीसा	5	5	—
16.	पंजाब	5	6	1
17.	राजस्थान	5	9	1
18.	सिक्किम	—	2	—
19.	तमिलनाडु	4	9	1
20.	त्रिपुरा	—	2	—
21.	उत्तर प्रदेश	13	19	—
22.	प० बंगाल	8	9	—
	संघ राज्य क्षेत्र	96	146	12
1.	चंडीगढ़	1	1	—
2.	दिल्ली	7	8	2
3.	पांडिचेरी	—	1	—
		104	156	14

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

3373. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड किसी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ महीनों से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में 1989-90 से भारी नुकसान उठाया है और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा इसके देयों का भुगतान नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप, कम्पनी, वित्तीय संकट और रोकड़ की कमी का समाना कर रही है।

(ग) और (घ) रोकड़ की कमी के कारण, कम्पनी कुछ यूनिटों में कर्मचारियों को वेतन/मजदूर का भुगतान नियमित रूप से करने में समर्थ नहीं है; तथापि, कम्पनी ने हाल ही में अपने नियमित कार्यालय से निधियां ऐसे यूनिटों को भेजी हैं जिससे वे मई, 1994 तक वेतन/मजदूरी के बकायों को निपटा सकें।

(ङ) अगस्त, 1992 में आयोजित अन्तमंत्रालयी बैठक में यथाअनुमोदित राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को पुनर्रूद्धार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा व्यवहार्य नहीं पाई गई। कृषि संबंधी स्थाई समिति ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के पुनर्रूद्धार एवं पुनस्थापना की सिफारिश की है। मामला विचारा-धीन है।

दूरदर्शन धारावाहिक

3374. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन तथा प्रसारण के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय तथा मैट्रो चैनल पर किन-किन धारावाहिकों को प्रसारण करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धारावाहिकों का चयन और उनका प्रसारण करना दूरदर्शन का एक सतत् कार्यकलाप है। राष्ट्रीय और मैट्रो नेटवर्क पर इस वर्ष के दौरान प्रसारित किए जाने वाले नए धारवाहिकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1994 के दौरान प्रसारण हेतु सूचीबद्ध नए धारावाहिक

राष्ट्रीय नेटवर्क

क्र०सं०	धारावाहिक का नाम
1	2
1.	रंगा रंग

1	2
2.	नाम गुम जाएगा
3.	सबका मालिक एक है
4.	क्षितिज यह नहीं
5.	भावना
6.	अमेरिका डाल्ली गोरूरू
7.	पी०ए० साहेब
8.	आरोप
9.	कड़ियां
	मैट्रो नेटवर्क
1.	फिरदौस
2.	जमाना बदल गया

बाढ़ नियंत्रण

3375. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय सरकार की मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर केंद्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि-आवंटित की गई है?

शहरी विकास मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 16 योजनाएं प्रस्तुत की हैं। जांच के पश्चात् 15 योजनाओं के संबंध में टिप्पणियां राज्य सरकार को आवश्यक संशोधन करने के वास्ते भेज दी गई हैं और एक योजना को दिसंबर, 1991 में स्वीकृत कर दिया गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए उड़ीसा को 42.05 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

लद्दाख के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

3376. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लद्दाख के सभी निवासियों को 1989 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

3377. **श्री थोटा सुब्बाराव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में कुछ दूरदर्शन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य के नांदयाल, करनूल, राजामुन्दरी, वारंगल तथा आंगोले में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की शक्ति को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बढ़ाने से सम्बन्धित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना

3378. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) भारत सरकार को इस संबंध में दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी तथा रिले केन्द्र

3379. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1993-94 के दौरान राज्य-वार कितने आकाशवाणी तथा रिले केन्द्र की स्थापना की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कानपुर के आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कानपुर, आकाशवाणी का एक विविध भारती/विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र है। तथापि, कानपुर क्षेत्र, आकाशवाणी, लखनऊ के कार्यक्रम अंचल में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ को वहां स्थित किए गए रेडियो केन्द्र के प्रमुख सेट अप का लाभ प्राप्त है। कानपुर क्षेत्र की प्रतिभा का आकाशवाणी, लखनऊ द्वारा प्रयोग किया जाता है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	1
5.	हिमाचल प्रदेश	2
6.	कर्नाटक	3
7.	केरल	1
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	1
10.	उड़ीसा	3
11.	राजस्थान	1
12.	उत्तर प्रदेश	4
13.	लक्षद्वीप और मिनीकाय द्वीप समूह	1
	कुल	22

इस अवधि के दौरान देश में आकाशवाणी का कोई भी रिले केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय पुलिस संगठनों के डाक्टर

3380. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा :** क्या **गृह मंत्री** 17 दिसम्बर, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पुलिस संगठनों के डाक्टरों के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) चौथे वेतन आयोग की इस बारे में की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित की गई अन्तर्विभागीय समिति की सिफारिशों और सी०एच०एस० डाक्टरों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के डाक्टरों को लाभों का एक मुश्त पैकेज स्वीकृत करने संबंधी आदेश 6-7-1994 को जारी कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ

3381. **श्री राम कापसे :**
श्री प्रबीन डेका :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं से घुसपैठ विशेषतः बंगलादेशियों द्वारा घुसपैठ, की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत चार माह के दौरान प्रति माह ऐसी कितनी घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ग) इस संबंध में इन सीमाओं पर कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या हाल के महीनों में अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित कुछ प्रशिक्षित आतंकवादी इन राज्यों में घुसने में सफल हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : (क) वर्ष 1991 से आगे पकड़े गए बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या को दर्शाने वाली निम्न तालिका से घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि होने का सकेत नहीं मिलता है :—

वर्ष	अवरूद्ध किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या
1991	82585
1992	58032
1993	31222
1994	9403

(15 जुलाई तक)

(ख) से (च) सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए बंगलादेशी राष्ट्रिकों के माह-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

अप्रैल, 1994	—	772
मई, 1994	—	838
जून, 1994	—	1590
जुलाई, 1994	—	1985

7 घुसपैठियों को छोड़कर जो कि उग्रवादी थे, उन सभी को वापिस बंगलादेश खदेड दिया गया था। समुचित कार्रवाई करने के लिए, उग्रवादियों को स्थानीय प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया था। पूरी सीमा पर सीमा सुरक्षा तथा पुलिस-व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर में विदेशी पर्यटक

3382. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत चार महीनों के दौरान् कुल कितने विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया तथा कितने पर्यटकों को मार दिया गया;

(ख) इस संबंध में कितने मामलों को हल कर लिया गया है तथा कितने मामले लंबित हैं;

(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) 19 जुलाई, 1994 को श्रीनगर में एक अमरीकी राष्ट्रिक मारा गया था। इसके पूर्व जून में, हरकत-उल-अंसार आतंकवादी गिरोह द्वारा दो ब्रिटिश राष्ट्रिकों का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया था। मामलों की जांच का कार्य प्रगति पर है, और असली अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। गश्त और अन्य सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

प्रसारण की व्यवस्था

3383. **श्री रामपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में अब तक दूरदर्शन के प्रसारण की व्यवस्था की जा चुकी है; और

(ख) राज्य के शेष जिलों में यह व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) हालांकि वर्तमान में समस्त राज्य को दूरदर्शन की उपग्रह सेवा द्वारा कवर किया जाता है तथापि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से टेलीविजन सेवा से स्थलीय तौर पर कवर किए जाते हैं। संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए उत्तर प्रदेश सहित देश के अब तक कवर न किए गए भागों में टेलीविजन सेवा का विस्तार चरणवद्ध रूप से किया जाएगा।

[अनुवाद]

कोयले का खनन

3384. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोल इंडिया लिमिटेड" कोयले का खनन का कार्य कुछ विदेशी कम्पनियों को सौंप रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौते किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विकलांगों के साथ दुर्व्यवहार

3385. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्रभोयेस मुखर्जी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियुक्त विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों के संबंध में सीधे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। तथापि जब कभी भी कोई शिकायत कल्याण मंत्रालय को प्राप्त होती है तो उसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।

दिल्ली में पुलिसकर्मी

3385. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के प्रत्येक पुलिस जोन में प्रति एक लाख आबादी पर कितने-कितने पुरूष और महिला पुलिसकर्मी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : दिल्ली में प्रयेक जोन (जिला) में पुलिस कार्मिकों और महिला पुलिस कार्मिकों की प्रति एक लाख अलग-अलग संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	जनसंख्या (लगभग लाख में)	स्वीकृत पदों की संख्या		प्रति लाख जनसंख्या का अनुपात	
			पुरूष (कार्यकारी)	महिला (कार्यकारी)	पुरूष	महिला
1.	दक्षिण जिला	17.28	2880	117	166.66	6.77
2.	दक्षिण-पश्चिमी जिला	7.56	1877	143	248.28	18.91
3.	पश्चिम जिला	16.20	2000	95	123.45	5.86
4.	उत्तर जिला	9.72	2404	92	247.32	9.46
5.	उत्तर पश्चिम जिला	12.96	2247	98	173.37	7.56
6.	मध्य जिला	10.80	2331	78	215.83	7.22
7.	नई दिल्ली जिला	2.80	1585	41	566.07	14.64
8.	पूर्वी जिला	11.34	1745	92	153.88	8.11
9.	उत्तर-पूर्वी जिला	11.34	1591	51	140.29	4.49

उपर्युक्त पुरूष और महिला पुलिस के आंकड़ों में केवल जिलो (जोन) के पुलिस थानों में तैनात पुरूष और महिला कार्मिकों की संख्या शामिल हैं। इसमें ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा ड्यूटी इत्यादि के लिए पुलिस थाना क्षेत्रों में तैनात पुरूष और महिला पुलिस, शामिल नहीं हैं।

मूसी तथा डिंडी सिंचाई परियोजनाएं

3387. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आंध्र प्रदेश में मूसी तथा डिंडी सिंचाई परियोजनाओं पर विश्व बैंक की सहायता से शुरू किए गए तथा पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) मूसी और डिन्डी सिंचाई परियोजनाएं, क्रमशः 334 लाख रुपए और 164 लाख रुपए को अनुमानित लागत पर मई और मार्च 1990 में विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना में शामिल की गई थीं, राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत इन परियोजनाओं में प्रारंभ किए गए मुख्य कार्यों में नहरों का पुनः विभाजन, विद्यमान नहर संरचनाओं को पुनः मॉडलिंग और मरम्मत करना, मापन उपस्करों का, प्रावधान, खतरनाक नहर पहुंचों को पक्का करना और सेवा सड़कों का सुधार करना आदि शामिल है। मूसी और डिन्डी सिंचाई परियोजनाओं में मार्च, 1994 तक लगभग 308 एवं 146 लाख रुपए के कुल व्यय से लगभग 50% कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

लघु सिंचाई योजनाएं

3388. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है?

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित निधियां आवंटित की गयी हैं:

लघु सिंचाई योजनाएं

(करोड़ रुपए)

वर्ष	योजना अयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय
1991-92	868.62
1992-93	1088.23
1993-94	1222.63
1994-95	1413.21

मिलियन कुएं योजना

(करोड़ रुपए)

वर्ष	किया गया आवंटन*
1991-92	524.62
1992-93	604.65
1993-94	954.37
1994-95	1030.59

* मिलियन कुएं योजना के अंतर्गत दिखाई गयी राशि में 80% का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है।

[हिन्दी]

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

3389. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने गुजरात में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) गुजरात में 37 सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं (एक विवण संलगन है) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के समीक्षा के आधार पर वर्ष 1993-94 के लिए 209.65 लाख रुपए तथा माह अप्रैल, मई और जून, 1994 के लिए 52 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता राज्य सरकार को निर्मुक्त की गयी।

विवरण

केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई गुजरात राज्य की वृहद व मझौली सिचाई योजनाओं की सूची

क्र० सं०	केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई योजनाओं का नाम	केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल करने का वर्ष
1	2	3
1.	माही-कदाना	1974-75
2.	पनाम	1983-84
3.	कराब दायां तट नहर	1985-86
4.	पटाडूंगरी	1985-86
5.	जोजवा-बधवाना	1985-86
6.	हीरेन	1985-86
7.	वंकलेश्वर	1985-86
8.	उमरीया	1985-86
9.	दियू	1985-86
10.	उकईककरापर	1974-75
11.	दमन गंगा	1983-84

1	2	3
12.	करजान	1985-86
13.	शेथरूंजी	1974-75
14.	भादर	1983-84
15.	मच्छू-I	1983-84
16.	मधुवंती	1990-91
17.	सोर्थी	1990-91
18.	फलजार	1990-91
19.	वरथू	1990-91
20.	खेदियार	1990-91
21.	धतारवाड़ी	1990-91
22.	रोजकी	1990-91
23.	फोफाल	1990-91
24.	लिंडी भोगवा	1983-84
25.	धरोई	1983-84
26.	धंतीवाडा	1983-84
27.	हथमाती	1983-84
28.	मेशवो	1983-84
29.	मेथल	1985-86
30.	मीट्टी	1985-86
31.	नारा	1990-91
32.	सूवी	1990-91
33.	निरूना	1990-91
34.	केईला	1990-91
35.	हिरने	1990-91
36.	पीगूत	1993-94
37.	बलदेवा	1993-94

[अनुवाद]

सूरत का एफ०एम० रेडियो स्टेशन

3390. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत स्थित एफ०एम० रेडियो स्टेशन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन का वर्तमान प्रसारण क्षेत्र और क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूरत में एक पूर्ण विकसित उच्च शक्ति का वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान सूरत शहर से वाणिज्यिक विज्ञापनों से आकाशवाणी के बम्बई और अहमदाबाद केन्द्रों को कितने राजस्व की आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सूरत स्थित 2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर द्वारा इसके चारों और 60 कि०मी० क्षेत्र को संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान आकाशवाणी, अहमदाबाद ने सूरत शहर से वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से 33,440/-रुपये अर्जित किए।

[हिन्दी]

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु मानदंड

3391. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(ख) निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ ट्रांसमीटर पद्धति तथा तकनीकी उपयुक्तता, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के परिणामी कवरेज की सीमा, पहाड़ी पिछड़े, आदिवासी, दूरस्थ, संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान, मूल आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसे कारक शामिल

हैं, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को भी ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर टी०वी० कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना निम्नलिखित पैरामीटर द्वारा विनियंत्रित होती हैं :—

1. प्रत्येक राज्य की राजधानी।

2. सांस्कृतिक महत्व के चुने हुए स्थान।

3. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चुने हुए रिले केन्द्र।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आठवीं योजना हेतु क्रमशः 1134.95 करोड़ रुपये तथा 2300.00 करोड़ रुपये के आवंटन सहित बनाई गई स्कीमें इन्हीं मानदण्डों पर आधारित हैं। आठवीं योजना के दौरान चालू स्कीमों के पूरा होने पर, देश में आकाशवाणी की कवरेज जनसंख्यावार 97.5% तथा क्षेत्रवार 91% तक बढ़ने की आशा है। दूरदर्शन की कवरेज जनसंख्यावार 91.8% तथा क्षेत्रवार 81.4% तक बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

टी०वी०टावर

3392. **डा० परशुराम गंगवार :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने टी०वी० टावर स्थापित किए गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक टावर की क्षमता कितनी हैं;

(ग) क्या निम्न शक्ति के टी०वी० टावरों को उच्चशक्ति के टी०वी० टावरों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन टावरों को उच्च शक्ति के टावरों में कब तक बदल दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) देश में अब भिन्न-भिन्न शक्तियों के कुल 594 टी०वी० टांसमीटर चालू किए गए हैं। इन टी०वी० ट्रांसमीटरों का क्षमता-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

उच्च शक्ति (10 कि०वा०) ट्रांसमीटर	—	64
उच्च शक्ति (1 कि०वा०) ट्रांसमीटर	—	12
अल्प शक्ति (300/वा०/100 वा०) ट्रांसमीटर	—	412
अति अल्प शक्ति (10 वा०) ट्रांसमीटर	—	83
10 वा० शक्ति के ट्रांसपोजर	—	23

(ग) और (घ) देश में 51 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलना परिकल्पित/कार्यान्वयनाधीन है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुमोदन की तारीख से तीन या चार वर्ष का समय लग जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग

3393. **प्रो० रीता वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत कोयला खानों में लगी आग बुझाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) इस कार्य पर 31 मार्च, 1994 तक कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) इस मद पर 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) क्या आग पर नियंत्रण करने के लिये विदेशी सहायता भी ली गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा): (क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को०को०लि०) के झरिया कोयला क्षेत्र में लगी आगों पर काबू पाने के लिए विभिन्न परंपरागत अग्निशमन तकनीकों के माध्यम से सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। इन तकनीकों में निम्न शामिल है खुदाई, कटाई, आवृत्त करना, हाइड्रालिक रेत भराई, जल द्वारा आग को बुझाना, आग-क्षेत्र को सील करना, आग क्षेत्र आदि में नाइट्रोजन के प्रयोग की शुरूआत किया जाना।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1994 तक अधिकांश आग प्रभावित स्थलों को नियंत्रित करने के लिए लगभग 73 करोड़ रु० (अनंतिम) की राशि का व्यय किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में व्यय की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	किया गया व्यय
1991-92	40.00
1992-93	60.00
1993-94	150.00

(घ) और (ङ) झरिया कोयला क्षेत्र की आग की समस्या का दीर्घावधि निदान पाए जाने के लिए झरिया खान आग नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अधीन एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन किया गया है, जिसके लिए 12.00 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व-बैंक की सहायता अनुमोदित की गई है।

आंख की बीमारियों पर सम्मेलन

3394. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंख की विभिन्न बीमारियों के संबंध में दिल्ली में हाल में ही नेत्र चिकित्सकों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या सिफारिश की गई है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां

(ख) इस बारे में अभी तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

शरणार्थियों पर व्यय

3395. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**
डा० वसंत पवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में शरणार्थियों विशेषतः बांगलादेशी शरणार्थियों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान शरणार्थियों की देखभाल के लिए राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद):(क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान, शरणार्थियों पर किये गये व्यय/दिये गये धन के राज्य-वार ब्यौरे।

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	तमिलनाडु	2000.00	2100.00	2274.00	280.00
2.	उड़ीसा	—	3.00	2.00	—
3.	उत्तर प्रदेश	0.66	0.72	—	—
4.	कर्नाटक	40.07	20.00	—	30.00
5.	जम्मू और कश्मीर	31.67	—	—	—
6.	सिक्किम	7.00	—	—	—
7.	पश्चिम बंगाल	0.55	—	—	—
8.	त्रिपुरा (बंगलादेशी शरणार्थी)	846.00	752.00	1025.00	375.00
		2925.95	2875.72	3301.00	685.00

[अनुवाद]

इनर-लाईन प्रतिबंध

3396. **डा० जी० एल० कनोजिया :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन-किन राज्यों में इनर लाईन प्रतिबंध जारी हैं; और

(ख) इन प्रतिबंधों को जारी रखने अथवा समाप्त करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैण्ड में (दीमापुर को छोड़कर) "इनर लाइन" प्रतिबंध जारी है।

(ख) सरकार की नीति है कि आर्थिक विकास एंव रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्षेत्र पर्यटन एवं निवेश को बढ़ावा देने के वास्ते पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को खोल देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

[हिन्दी]

राजभाषा

3397. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी कम्पनियों को भी भाषा अधिनिमय के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : (क) से (घ) सरकार की राजभाषा नीति, जैसा कि वह संविधान, राजभाषा अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमों एवं आदेशों में निहित है, के अनुसार इसे निजी कम्पनियों पर लागू करने की कोई संकल्पना नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

3398. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री फूलचन्द्र वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान उच्च शक्ति वाले और कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में 1994-95 के दौरान और अधिक आकाशवाणी केन्द्र और टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) विवरण-I संलग्न है (ख) और (ग) जी, हां। संलग्न विवरण-II हैं।

विवरण-I

	स्थान	उच्च शक्ति	ट्रांसमीटर का प्रकार
1	**दूरदर्शन**		
	जबलपुर		उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	जगदलपुर		-तथैव-
	जावरा		अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अलीराजपुर		-तथैव-
	भोपाल (डी०डी०-2)		-तथैव-
2.	**आकाशवाणी**		
	बैतुल		2X3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर
	बिलासपुर		तथैव
	शिवपुरी		-तथैव-
	छिंदवाड़ा		-तथैव-
	रायगढ़		-तथैव-
	शहडोल		-तथैव-
	बालाघाट		-तथैव-
	गुना		-तथैव-
	सागर		-तथैव-

विवरण-II

1. **आकाशवाणी : कोई प्रस्तावित स्कीम नहीं है**

2. **दूरदर्शनः**

स्थान	ट्रांसमीटर का प्रकार
1	2
दतिया	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1	2
गदरवाड़ा	-अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
कुकडेश्वर	-तथैव-
सिरोंज	-तथैव-
अशोकनगर	-तथैव-
खुराई	-तथैव-
मेहर	-तथैव-
बीजईपुर	-तथैव-
लाहर	-तथैव-
भंडेर	-तथैव-
केलारस	-तथैव-
सक्ति	-तथैव-
परासिया	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
सिंगरौली	-तथैव-
कोंडागांव	-तथैव-
बुधनी	-तथैव-
जशपुरनगर	-तथैव-
पार्वनजोर	-तथैव-
अम्बिकापुर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
गुना	-तथैव-
शहडोल	-तथैव-
सागर	-तथैव-
गरोट	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
राघवगढ़	-तथैव-
भानपुरा	-तथैव-
नारायणगढ़	-तथैव-

1	2
सितामु	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
पिपारिया	-तथैव-
बादा मालाहेरा	-तथैव-
कोगाली बादा	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
पेनड्रा रोड	-तथैव-
डाइमण्ड मिनींग प्रोजेक्ट	-तथैव-
(पन्ना)	
मोदकपाल	-तथैव-
बीजापुर	-तथैव-

'सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल'

3399. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 21 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब सरकार ने ग्वालियर में सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) ग्वालियर में 600 पलंगों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को सहायता के लिए सऊदी अरब सरकार को प्रस्तुत किया गया है। सऊदी अरब सरकार से अन्तिम उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज

3400. **डा० विश्वनाथम कैनियी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी अन्य स्थान पर एक मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव भी मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनिमय, 1995 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3401. **श्री राम शरण यादव :**
श्री राजेश कुमार :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुकुंद लाल भंडारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को आवेदन की तिथि से ही स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फैसले के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) श्री मुकुन्द लाल भण्डारी और अन्यों द्वारा दायर रिट याचिक (सिविल), 1992 की संख्या 153 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 14-5-1993 को दिए गए अपने निर्णय में यह निदेश दिया कि :—

(I) सरकार द्वारा याचिका कर्त्ताओं के आवेदन-पत्रों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी तारीख को दिए गए हो।

(II) आवेदकों को उस तारीख से पेंशन दी जानी चाहिए जिस तारीख को मूल आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हो, बशर्ते कि आवेदक भुगती गयी यातना के रामर्थन में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करे।

माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि आवेदकों द्वारा अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करना और उनकी वास्तविकता पर अपना मत प्रकट करना सरकार का काम हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भावी प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है और न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में इस प्रकार के मामलों में जिन पर अब निर्णय लिया जा रहा है, पेंशन उस तारीख से दी जा रही है जिस तारीख को आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किए जा रहे दावों पर भी विचार किया जा रहा है, बशर्ते कि आवेदक सरकारी रिकार्ड से स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

उर्दू कार्यक्रम

3402. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या देश के अनेक भागों में आकाशवाणी से प्रसारित उर्दू कार्यक्रमों का प्रसारण स्पष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार देश में इन कार्यक्रमों का स्पष्ट रूप से सुना जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। आकाशवाणी की उर्दू सेवा उप-महाद्वीप के लक्षित दर्शकों को संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान करती है।

(ग) आकाशवाणी द्वारा विशेष रूप से उर्दू सेवा के लिए 250 कि०वा० शार्टवेव के दो ट्रांसमीटरों की प्रतिष्ठापना संबंधी कार्यवाही की जा रही है जिसके पश्चात इस सेवा में और सुधार होगा। इस बीच उर्दू सेवा को 1-4-1994 से स्काई रेडियो सर्विस के चैनलों में से एक चैनल के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है तब से यह सेवा समस्त देश मे उपलब्ध है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

3403. **श्री राजेश कुमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूतिच जनजातियों से संबंधित है;

(घ) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण संलग्न हैं।

(घ) रिक्त पदों को भरते समय भी अनु० जातियां/अनु० जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे को भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, यदि अनु०जाति/अनु०जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आरक्षण को आमतौर पर आगमी भर्ती वर्षों में आगे ले लाया जाता है।

विवरण

क्र०स०	पद की श्रेणी	प्रत्येक श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचति जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या	इस समय रिक्त पड़े अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या		टिप्पणी
					अनु० जाति	अनु० जनजाति	
1.	ग्रुप-"क"	116	16	2	—	—	श्रेणी "क" पदों के संबंध में जो अधिकतर सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से भरे जाते हैं, आरक्षण नीति, जहां-कही लागू हों; अखिल सचिवालय आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2.	ग्रुप-"ख"	595	74	10	18	23	ग्रुप "ख" और ग्रुप "ग" के संबंध में कालम (6) और (7) में दिए गए आंकड़े इन दो ग्रुपों में आरक्षित पदों के द्योतक हैं जो पूरे गृह मंत्रालय संवर्ग में रिक्त पड़े हैं, इसमें अन्य मंत्रालय/विभाग भी सम्मिलित हैं जो संयुक्त संवर्ग की इकाईयां हैं।
3.	ग्रुप-"ग"	695	130	35	4	34	
4.	ग्रुप "घ"	1371	330	64	18	10	

डाक्टरों को रियायतें

3404. **श्री मानकूराम सोडी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के आदिवासी-उप-योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में विशेष रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रियायतों को हाल ही में वापिस ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रियायतों का पुनः प्रावधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड्रा० सी० सिल्वेरा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए देश की आदिवासी उप-योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों को विशेष रियायत देने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठाते।

भोजपुरी कार्यक्रम

3405. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 की प्रथम छमाही में भोजपुरी में कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए और उन प्रसारणों की समयावधि कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय लोक कलाओं और अन्य ग्रामीण लोक कार्यक्रमों को प्रसारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

	कार्यक्रमों की संख्या	**अवधि**
1993	439	64 घंटे
1994 (प्रथम छह महीने)	168	24 घंटे 57 मिनट
	फीचर फिल्में	**अवधि**
1993	3	6 घंटे 45 मिनट
1994 प्रथम छह महीने)	1	1 घंटा 45 मिनट

(ख) और (ग) सभी दूरदर्शन केन्द्र अपने संबंधित क्षेत्रों को लोक कलाओं, संगीत पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। कृषि, ग्रामीण विकास और महिलाओं के कार्यक्रमों की तरह विशिष्ट दर्शक कार्यक्रमों

के भाग के रूप में भोजपुरी में ऐसे कार्यक्रम गोरखपुर, पटना, लखनऊ और दिल्ली स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाईयों की आपूर्ति

3406. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मांग की गई तथा उन्हें आपूर्ति की गई दवाईयों की मात्रा और मूल्य क्या थे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय प्रौढ़ कल्याण नीति

3407. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध मे विलंब के क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालय समिति द्वारा तैयार की गई वृद्धों के कल्याण पर एक राष्ट्रीय नीति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विशेषज्ञ निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई है। सभी संबंधितों से टिप्पणियों/विचारों की अभी भी प्रतिक्षा है।

[हिन्दी]

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

3408. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखबारी कागज के मूल्यों में हुई वृद्धि ने समाचार-पत्र उद्योग की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह० देव) : (क) और (ख) यद्यपि अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि से समाचार पत्र उद्योग की वित्तीय स्थिति प्रभावित तो होती है तथापि, सरकार का अखबारी कागज के मूल्यों पर कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र

3409. **श्री हरिन पाठक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात में आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बल

3410. श्री भेरू लाल मीणा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक बल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने व्यक्ति महा-निरीक्षक, उप-महा-निरीक्षक, कमांडेंट और अन्य उच्च पदों पर काम कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अर्ध-सैनिक बल का नाम		रैंक	पदों पर कार्य कर रहे अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों की संख्या	
			अ०जा०	अ०ज०जा०
1		2	3	4
(1)	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	उप महानिरीक्षक	—	1
		अतिरिक्त उप महा-निरीक्षक	—	1
		कमांडेन्ट	3	3
(2)	सीमा सुरक्षा बल	महानिदेशक	1	—
		महानिरीक्षक	2	—
		उप महानिरीक्षक	1	—
		अतिरिक्त उप-महानिरीक्षक	—	1
		कमांडेन्ट	2	3
(3)	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	उप महानिरीक्षक	2	—
		कमांडेंट	3	2
(4)	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	—	—	—

1		2	3	4
	(शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति वाला बल)			
(5)	असम राईफल्स	—	—	—
(6)	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	महानिरीक्षक	—	1
		कमांडेंट	4	—
(7)	रेलवे सुरक्षा बल	महानिरीक्षक	2	—

दिल्ली में नाबालिगों के साथ बलात्कार

3411. **श्री मंगलराम प्रेमी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1993 तथा 1994 के दौरान अब तक नाबलिगों के साथ बलात्कार के, जोन-वार, कितने मामले हुए हैं;

(ख) कितने मामले सुलझाये गये तथा लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) वर्ष 1993 तथा 1994 (31-7-1994 तक) के दौरान, अल्पवयस्कों के साथ बलात्कार के सूचित किए गए तथा निपटान कर दिए गए मामलों की क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण I और II

(घ) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, सरकार द्वारा उठाए कदम निम्न प्रकार हैं:—

(II) लोगों को, अपने घरेलू नौकरों के पूर्ववत्तों का सत्यापन कराने के लिए उत्साहित करना।

(III) बीट/गश्त टुकडियों द्वारा आवश्यक निगरानी रखना तथा मुसीबत में फसे बच्चों को सभी संभव सहायता प्रदान करना।

(III) सभी जांच अधिकारियों को दिशा निर्देश देना विशेष रूप से अल्वस्यकों के बलात्कार के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए।

(IV) पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए, कांस्टेबलों तथा उप-निरीक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, ऐसे अपराधों के बारे में विशेष ब्रीफिंग सत्रों को शामिल करना।

(V) बलात्कार के मामलों तथा शिकार हुए अल्पव्यस्कों को ठीक से संभालने और मामलों की समुचित जांच पड़ताल करने तथा मुकदमें चलाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु फील्ड कर्मचारियों को अनुदेश देना।

विवरण I

व्यक्तियों की संख्या

जिला	वर्ष	गिरफ्तार किए गए	चालान किए गए	दोषी सिद्ध किए गए	दोष सिद्ध किए गए	जिनके विरुद्ध मामले लंबित हैं विचारण के लिए	जांच के लिए	छोड़ दिए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी	1993	27	27	—	2	25	—	—
	1994	19	9	—	—	9	10	—
केन्द्रीय	1993	35	33	—	2	31	1	—
	1994	15	8	—	—	8	7	—
उत्तर-पश्चिमी	1993	25	24	1	—	23	—	1
	1994	23	13	—	—	13	8	2
दक्षिणी	1993	57	43	—	1	42	12	2
	1994	42	22	—	—	22	20	—
दक्षिणी पश्चिमी	1993	24	15	—	1	14	8	1
	1994	33	18	—	—	18	15	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी	1993	40	35	—	1	34	—	5
	1994	13	7	—	—	7	6	—
पूर्वी	1993	14	13	1	2	10	—	1
	1994	12	6	—	—	6	6	—
उत्तर पूर्वी	1993	42	42	—	1	41	—	—
	1994	8	6	—	—	6	2	—
नई दिल्ली	1993	8	8	—	—	8	—	—
	1994	4	1	—	—	1	3	—
सी० एण्ड आर०	1993	—	—	—	—	—	—	—
	1994	—	—	—	—	—	—	—
आई०जी०आई०	1993	—	—	—	—	—	—	—
	1994	—	—	—	—	—	—	—
योग	1993	272	240	2	10	228	21	11
	1994	169	90	—	—	90	77	2

विवरण II

मामलों की संख्या

जिला	वर्ष	सूचित किए गए	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	सुलझा लिए गए हुए	न्यायालय में दायर किए समाप्त हुए	दोष सिद्धि में समाप्त लंबित	दोष मुक्ति में लंबित	विचारण के लिए	जांच के लिए	पता न लगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरी	1993	28	—	28	23	23	—	2	21	1	4
	1994	15	—	15	14	6	—	—	6	9	—
केन्द्रीय	1993	24	1	23	22	21	—	1	20	1	1
	1994	11	—	11	9	6	—	—	6	5	—
उत्तर पश्चिमी	1993	28	4	24	22	22	1	—	21	—	2
	1994	23	3	20	16	11	—	—	11	8	1
दक्षिणी	1993	48	2	46	41	32	—	1	31	13	1
	1994	29		29	26	10	—	—	10	19	—
दक्षिणी पश्चिमी	1993	17	1	16	15	11	—	1	10	5	—
	1994	20	—	20	18	11	—	1	11	9	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पश्चिमी	1993	32	5	27	27	27	—	1	26	—	—
	1994	13	—	13	13	7	—	—	7	6	—
पूर्वी	1993	15	1	14	13	13	1	2	10	—	1
	1994	10	—	10	27	5	—	—	5	5	—
उत्तर पूर्वी	1993	19	—	19	19	19	—	1	18	—	—
	1994	8	—	8	7	5	—	—	5	3	—
नयी दिल्ली	1993	4	4	4	4	—	—	4	—	—	—
	1994	4	4	4	1	—	—	1	3	—	—
सी० एण्ड आर०	1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आई०जी०आई०	1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	1993	215	14	201	186	172	2	9	161	20	9
	1994	133	3	130	114	62	—	—	62	67	1

[अनुवाद]

भारत-बंगला देश सीमा

3412 **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री चित्त बसु :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाने के मामले में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) कुछ समय पहले मेघालय में लोगों ने, अपने राज्य में एक छोटे हिस्से में बाड़ लगाने के बारे में अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी। तथापि मेघालय के मुख्यमंत्रीने, जिनसे इस मुद्दे का हल निकालने का अनुरोध किया गया था, यह सूचित किया कि राज्य सरकार बाड़ लगाए जाने के महत्व को स्वीकाराती है। राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में क्षेत्र के लोगों को समझने के लिए गम्भीर प्रयास करेगी।

पश्चिम बंगला में लोगों ने बाड़ के कुछ हिससों मे अतिरिक्त गेट बनाने की मांग की है जिससे कि वे अपने खेतों तक आसानी से पहुंचे सकें। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि गेटों के बीच के अन्तर संबंधी योजना के प्रावधानों को, गेटों की संख्या में वृद्धि किए बिना एक सीमा तक लचीला बपाया जा सकता है, लेकिन ऐसा, सीमा पर गांवों की स्थिति पर निर्भर करते हुए किया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3413. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन भोगियों को केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मांग करने के बारे में स्वतंत्रता सेनानी संगठनों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं जिनमें यह मांग की गई है कि उन सभी पेंशनरों की केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक पेंशन दी जाए जिन्हें राज्य सरकार से स्वतंत्रता सैनिक पेंशन मिलती है। तथापि, इस प्राकर की मांगों को मान लेना संभव नहीं हुआ क्योंकि राज्य पेंशन योजनाओं के अधीन पात्रता के मानदण्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के मानदण्डों से अधिक उदार हैं। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही पेंशन की स्वीकृति दी जाती है जिन्होंने तत्कालीन सरकार के कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत कम से कम 6 महीने की कैद/फरारी/नजरबंदी/एक्सटर्नमेंट आदि की यातना भोगी हो।

[हिन्दी]

पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि

3414. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एस० सईद) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः हर हालत में महाराष्ट्र सरकार ऐसे मामलों पर स्वयं निर्णय ले सकती है।

औषध-प्रभावमुक्त क्षयरोग

3415. **श्री केशरी लाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषध प्रभावमुक्त क्षयरोग फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) पूरा उपचार न लेने पर औषध-प्रभावमुक्त हो सकता है। अल्पावधि कैमोथिरेपी उपचार के पर्यवेक्षण के माध्यम से पूरा उपचार लेने पर बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

बेघर बच्चे

3416. **श्री जिवय कृष्ण हान्डिक :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेघर बच्चों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि भारत सरकार तथा यूनिसेफ ने बेसहारा बच्चों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, इन्दौर तथा कानपुर में एक नमूना सर्वेक्षण किया था। इस नमूना सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 1.10 लाख बेसहारा बच्चे तथा मद्रास में 0.40 लाख बेसहारा बच्चे हैं। इस नमूना सर्वेक्षण से अन्य शहरों में बच्चों की संख्या का संकेत नहीं मिलता है।

(ग) केंद्रीय सरकार ने बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। क्रियान्वयन के

प्रथम चरण में देश के 11 अत्यन्त घनी आबादी वाले शहरो अर्थात बम्बई, कलकत्ता, मद्रास दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, कानपुर, पुणे, नागापुर तथा लखनऊ शामिल किए गए थे। चालू वित्त वर्ष के दोरान 26 और शहरों में इस योजना के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

1. बेसहारा बच्चों और उनके परिवारों की पहचान।
2. निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचालन सीमान्तक बच्चों तक पहुंच प्रदान करना तथा सड़कों पर भी उपचार सुविधाएं प्रदान करना।
3. पोषाहार समर्थन प्रदान करना।
4. साक्षरता के लिए सुविधाएं, अंकों तथा जीवन शिक्षा प्रदान करना और औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लगने के प्रयास आरम्भ करना।
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण।
6. आश्रम तथा स्वास्थ्यवर्धक रहन-सहन इत्यादि के लिए सुविधाओं का उपयोग करना।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस कर्मी

3417. **श्री छेदी पासवान :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक मामलों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिप्त होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक पता लगे ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों के लिप्त होने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) 1991, 1992, 1993 और 1994 (31-7-1994 तक) के दौरान दर्ज किए गए ममालों के ब्यौरे इन मामलों में अन्तर्गस्त पुलिस कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त पुलिस अधिकारियों की संख्या
1991	118	134
1992	99	113
1993	105	125
1994 (31-7-1994 तक)	76	106

(ग) अपराधों में पुलिस कार्मिकों की अन्तर्ग्रस्तता को रोकने के लिए ताकि पुलिस में जनता के विश्वास को बहाल किया जा सके, पुलिस विभाग, उन सभी मामलों में, जिनमें पुलिस कार्मिक अपराधों में अन्तर्ग्रस्त पाए जाते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित ऐसी सख्त कार्रवाई कर रहा है जिससे दूसरों को नसीहत मिल सके। विभाग प्रारंभिक प्रशिक्षण और पुनचर्या पाठ्यक्रमों दोनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी संशोधित कर रहा है, ताकि पुलिस कार्मिकों में व्यवहार संबंधी अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सम्पर्क सभाओं के माध्यम से बल के सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिए जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की जनता तक पहुंच में बढ़ोत्तरी की जा रही है और सतर्कता शाखा तथा सरकार की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा द्वारा पुलिस कार्मिकों के आचरण पर, विशेष रूप से संदिग्ध निष्ठा वाले पुलिस कार्मिकों पर, कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

निजी विज्ञापन एजेंन्सियां

3118. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने निजी विज्ञापन एजेंन्सियों का पैनल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या पेशेवरों की कमी के कारण दूरदर्शन की सुविज्ञता अत्यधिक क्षीण हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

3119. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) सरकार कोयले के आयात का कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोंयले (कोककर कोयला, कोक, ब्रिक्रेट्स आदि) की कुल मात्रा एवं मूल्य, जो कि वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न देशों से आयातित किया गया था, को नीचे दर्शाया गया है: —

(आंकड़ा पूर्णतः अनन्तिम)

वर्ष	देश जहां से आयात किया गया	मात्रा (हजार टन में)	करोड़ रु० में
1991-92	नार्वे, यू०के०, आस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, न्यूजीलैंड, भूटान, अमेरिका, सोवियत	5927.3	1036.42

	संघ आदि		
1992-93	जर्मन जनवादी गणराज्य, जापान, नार्वे, यू०के०, अमेरिका, आस्ट्रेलिया पौलेण्ड न्यूजीलैण्ड, इन्डोनेशिया, भूटान चीन जनवादी गणराज्य, मयन्मार, सिंगापुर आदि	6740.2	1382.98
1993-94	चीन जनवादी गणराज्य, जर्मन संधीय गणराज्य नार्वे, पोलेण्ड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, इन्डोनेनिया, जापान, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, यू०के० आदि	7394.67	1458.48

(ग) कोक्कर कोयला की देशीय उपलब्धता में वृद्धि किये जाने तथा इसके आयातों में कमी किए जाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में, अन्य बातें के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) विद्यमान खानों का पुनर्गठन तथा नई खानों को विकसति करके कच्चे कोक्कर कोयला की उपलब्धता में सुधार किया जाना।

(2) उपयुक्त गुणवत्ता वाले निम्न ज्वलनता मध्यम कोक्कर कोयले की आपूर्ति करके वाशरियों के कच्चे कोयले की फीड में वृद्धि किया जाना।

(3) विद्यमान धुलाई क्षमता में वृद्धि किये जाने के लिए मधुबंद तथा केडला के स्थान पर निर्माणाधीन दो नई वाशरियों को शीघ्र चालू किया जाना।

(4) क्षमता उपयोगिता में तथा धुले हुए कोक्कर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के विद्यमान कोक्कर कोयला वाशरियों में संशोधन किया जाना।

(5) निम्न राख वाले कोक्कर कोयले की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिए मेघालय तथा असमे में कोक्कर कोयला खानों का विनिर्दिष्टिकरण किया जाना।

उपभोक्तओं को निरन्तर अच्छी गुणवत्ता वाले अकोक्कर कोयले की आपूर्ति किए जाने की समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए जाने का सुनिश्चित किए जाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तम्बाकू निरोधक कानून

3420. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख मंत्रालयों ने प्रस्तावित तम्बाकू निरोधक कानून के संबंध में अपनी टिप्पणियां उनके मंत्रालय को भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में और एक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) तम्बाकू-रोधी उपायों के बारे में वित्त, कृषि, सूचना एवं प्रसारण, वाणिज्यि, मानव संसाधन विकास, विधि, उद्योग, कल्याण तथा

श्रम मंत्रालयों से परामर्श किया गया है। उन्होंने सामान्य रूप से इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित उपायों का समर्थन किया हैं आवश्यक अनुवर्ती की जा रही है।

[हिन्दी]

डी०डी० चैनल-3

3421. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा चैनल-3 कब से शुरू किया जाना था;

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) इस उद्देश्य के लिए कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चैनल द्वारा इस वर्ष कुछ समय बाद कार्यकलाप आरंभ किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आश्रितों को नौकरी

3422. **श्री रामप्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1994 के "जनसत्ता" मे "अमलाबाद नाव दुर्घटना" : मरने वालों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों को नौकरी देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) : जी, हां। भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को०को०लि०) ने नौका त्रासदी जो कि 12-6-1994 को घटित हुई थी, की जांच के लिए एक तथ्य परक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 9-7-1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिससे यह पता चलता है कि नौका दुर्घटना अधिक व्यक्तियों के नौका पर चढ़ जाने के कारण हुई है।

(घ) से (च) भा०को०को०लि० ने नौका दुर्घटना में मृतक प्रत्येक कर्मचारी के एक आश्रित को रोजगार देने की पेशकश की है।

कोयले की चोरी

3423. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले की चोरी के कुछ प्रमुख मामले गत कई वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों से कोयले की चोरी होने के संबंध में किसी बड़े मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बांधों का निर्माण

3424. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात से होकर बहने वाली नदियों पर बांधों के निर्माण संबंधी राज्य सरकार के कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा कितनी सिंचाई परियोजनाएं वापस भेजी गई/अस्वीकृति की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (ग) केंद्र में प्राप्त हुई गुजरात की नई वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान निवेश स्वीकृति दी गई गुजरात की नई वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान 4 मझौली सिंचाई परियोजनाएं नामशः जलोगा, वर्था, चौकिया और उगता केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण राज्य सरकार को लौटा दी गई है।

विवरण-I

केंद्र में प्राप्त हुई गुजरात की नई वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ (हेक्टेयर)	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5
वृहद परियोजनाएं				
1.	मच्छु-I सिंचाई का आधुनिकीकरण	8.12	2140 (अतिरिक्त)	सलाहकार समिति द्वारा 8/93 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी एवं अपने वित्त विभाग की सहमति भेजनी है।
मध्यम परियोजनाएं		27.09	4250	
1.	उंद-II			परियोजना के जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना और लागत प्राक्कलन आदि जैसे विभिन्न मुद्दे राज्य सरकार को हल करने हैं।
2.	गोमा	31.69	6210	राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को अंतिम रूप देना है तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	वलान	22.34	7390	राज्य सरकार को वन स्वीकृति, पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी है, फसल पैटर्न की समीक्षा करनी है तथा आयोजना अध्ययनों को अंतिम रूप देना है।

1	2	3	4	5
4.	ओजाट-II	59.79	7969	लागत लाभ पहलुओं की समीक्षा करने के पश्चात् संशोधित रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
5.	लिम्बदी-भोग्या-II	21.96	3610	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
6.	मिट्टी का पुरर्ूद्धार	14.51	2030	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
7.	महापाड़ा	25.74	2340	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
8.	वरथू-II	24.18	6150	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।

टिप्पणी : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न केंद्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा वन/पर्यावरण/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृतियां, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1991 से स्वीकृत की गयी गुजरात राज्य की वृहत एवं मझौली सिंचाई योजनाओं

क्र०सं	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	लाभ (हेक्टेयर)	योजना आयोग के अनुमोदन की तारीख
क.	**वृहत्त परियोजनाए**			
1.	दांतिवाड़ा जलाशय परियोजना का नवीकरण	34.88	10,845 (अतिरिक्त)	20-2-1992
2.	फतेवाडी नहर प्रणाली का नवीकरण	24.77	3,172 (अतिरिक्त)	20-2-1992
3.	शेत्रुनजी सिंचाई परियोजना का नवीकरण	26.68	8,950 (अतिरिक्त)	20-2-1992
4	खारिकट नहर प्रणाली का नवीकरण	8.10	2,365 (अतिरिक्त)	20-2-1992
5.	भादर सिंचाई परियोजना का नवीकरण	18.60	3,786 (अतिरिक्त)	20-2-1992
6.	उकई-ककरापार सिंचाई परियोजना का नवीकरण	60.12	8,190 (अतिरिक्त)	9-3-1994
7.	वटराक जलाशय	43.71	16,874 (अतिरिक्त)	26-3-1992
8.	वानकबोरी वियर पर हाइड्रोप्लस फ्यूस गेट बनाना	8.58	40,000	7-2-1994
ख.	**मझौली परियोजनाएं**			
1.	माछू-II का पुनर्रुद्धार	37.76	9,522	1-11-1993
2.	उबेन सिंचाई परियोजना	12.49	2,198	20-1-1993
3.	मुक्तेश्वर मझौली परियोजना	19.37	6,86	21-4-1993

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति रिपोर्ट

3425. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री श्रीकान्त जैना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पैनल के कुछ सदस्यों ने पैनल की रिपोर्ट से अपने को अलग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रकाशित समाचार पत्र की रिपोर्टों आशय यह था कि विशेषज्ञ दल के एक सदस्य ने रिपोर्ट से अपने को अलग कर लिया था।

आप्रवासन प्रणाली

3426. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आप्रवासन प्रणाली में सुधार लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके लिए क्या समय-अवधि निर्धारित की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस समय आप्रवासन संबंधी कार्य राज्य पुलिस द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर निष्पादित किए जा रहे हैं। आप्रवासन सेवाओं को नया रूप देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता हवाई अड्डों पर आप्रवासन संबंधी कार्य राज्य पुलिस से, चरणबद्ध रूप में, वापस ले लिया जाए। मद्रास हवाई अड्डे पर आप्रवासन संबंधी कार्य पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे है। आप्रवासन सेवाओं को नया रूप देने के लिए सरकार ने इन चार हवाई अड्डों पर मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया है। इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली और सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बम्बई में आप्रवासन नियंत्रण/सुविधाओं के आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया गया हैं अन्य दो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो पर आप्रवासन सुविधाओं के ऐसे ही आधुनिकीकरण का काम चल रहा है।

स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण

3427. **श्री तारा सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वयसेवी संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्ग पंजीकरण की अनुमति देने संबंधी प्रक्रिया को सरल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993 के दौरान तथा 1994 में जून माह तक स्वंयसेवी संगठनों से पंजीकरण हेतु प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों की क्या संख्या है;

(घ) इनमें कितने स्वयंसेवी संगठन पंजीकृत किए गए; और

(ङ) लंबित आवेदन पत्रों को तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) एक निश्चित धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक,

सांस्कृतिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले संगठनों को बिदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीकरण की स्वीकृति दी जाती है। चूंकि पंजीकरण के बाद कोई संगठन बिना किसी और पूर्व-अनुमति के विदेशों से धन प्राप्त कर सकता है इसलिए पंजीकरण संख्या प्रदान करने से पहले उसकी पात्रता की सावधानीपूर्वक छानबीन की जाती है। सरकार के निर्णय से संगठनों को यथाशीघ्र सूचित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन का कोई विचार नहीं है।

1993 के दौरान, कुल 2,620 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 1-1-1994 से 30 जून, 1994 तक 1220 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 698 एसोसिएशनों को पंजीकृत किया गया है।

आवास निर्माण

3428. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) –"कोल इण्डिया लिमिटेड" द्वारा लातूर तथा ओसमानाबाद जिलों के भूकंप पीड़ित लोगों के लिए अब तक कितने आवासों का निर्माण किया है; और

(ख) शेष मकानों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भूकम्प पीड़ितों के लिए महाराष्ट्र के लातुर जिले के "यालवत" गांव में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारियों के योगदान से 250 से 750 वर्ग फुट के फर्शी क्षेत्र सहित 138 मकानों का लगभग 1.88 करोड़ रु० की लागत पर निर्माण कर लिया गया है। मकानों का निर्माण केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की/आई०आई०टी० पोवई के परामर्श से महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूकम्प क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से तैयार नक्शों तथा विशिष्टियों के अनुसार किया गया है। गांव को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राइमरी स्कूल, समाज मंदिर, ग्राम पंचायल कार्यालय, तलाथी कार्यालय मुहैया कराये गए हैं। इसके अतिरिक्त, बाह्य मल निर्यास पद्धति, स्टेन्ड पोस्ट पर जलापूर्ति, पार्क, गांव के चारों और बाड़ उचित दर दुकान तथा लोक निर्माण विभाग के रोड पर आन्तरिक एवं बाह्य पहुंच मार्ग भी उपलब्ध करा गए हैं। वृक्षारोपण तथा बंजर भूमि के विकास का कार्य भी आस-पास पर्यावरण रखने के लिए आरंभ किया गया है।

ओसमानाबाद जिले में मकानों का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) सभी मकानों/भूकम्प पीड़ितों को आवंटन के लिए 14-6-1994 को समाहर्ता लातुर को सौंप दिया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार 134 परिवारों ने, जिन्हें मकान आवंटित किए गए हैं, उन्होंने कब्जा ले लिया है। 4 परिवारों को अभी नए मकानों में स्थानान्तरित किया जाना है।

एच०आई०वी० परीक्षण किट

3429. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन वापिस किए गए खराब एच०आई०वी० परीक्षण किटों को बदलने के लिए तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी किटों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) एक खास परीक्षण किट का एक बैच दोषपूर्ण नकारात्मक नियंत्रण के कारण अधिक मात्रा में गलत सकारात्मक परिणाम सूचित कर रहा था। इसलिए उस खास बैच को परिचालन से वापस लेने का निर्णय लिया गया।

(ग) और (घ) किटों को देश तैयार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय स्थितियों में परखे जा चुके एच०आई०वी० 1+2 परीक्षण किटों की महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, परिषद, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक उप समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

मानवाधिकार आयोग

3430. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :
श्री चेतन पी०एस० चौहान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अब तक विचार किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोग के पास अब तक कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) ये मामले इस समय किन चरणों में हैं; और

(घ) उन पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 31-7-1994 तक 819 शिकायतों पर विचार किया था। आयोग द्वारा जिन शिकायतों पर विचार किया गया उन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, हिरासत में हुई मौतें, हिरासत में हर बलात्कार, महिलाओं के प्रति अनादर, पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियां और संशस्त्र बलों द्वारा की गई ज्यादतियां। प्राप्त शिकायतों में सेवा संबंधी मामले, सम्पत्ति के विवाद, पारिवारिक विवाद इत्यादि के बारे में शिकायतें भी शामिल हैं जो आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

(ख) 31-7-1994 के अनुसार, आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए 807 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही थी।

(ग) आयोग द्वारा जिन 810 शिकायतों पर विचार किया गया उनमें से 323 शिकायतों को पूछताछ/जांच-पड़ताल/रिपोर्ट के लिए स्वीकार किया गया है, जबकि 396 शिकायतों को खारिज कर दिया गया है। 66 मामलों को संबंधित विभाग द्वारा अपनी ओर से निपटाए जाने के लिए उन्हें भेज दिया गया है। 29 मामलों पर विचार करके उन पर टिप्पणियां/सिफारिशें करते हुए अन्तिम काग्रवाई कर दी गई है शिकायतों को खारिज करने के प्रमुख आधार हैं शिकायतों का "साविधिक उपबन्धों के अनुसार आयोग के क्षेत्राधिकार में न आना या "मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला न बनाया जाना।"

(घ) शिकायतों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण

3431. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सभी जिलों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उन जिलों के क्या नाम हैं जहां अभी तक इनका प्रसारण नहीं हो रहा है;

(ग) क्या इन जिलों को माइक्रो वेव प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक पूरे कर्नाटक में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण पहुंचने लगेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) यद्यपि सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य को उपग्रह सेवा द्वारा कवर किया गया है तथापि राज्य के सभी जिलों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्थलीय ट्रांसमीशन उपलब्ध है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों को रिले करने के लिए कर्नाटक राज्य के सभी मौजूदा टी०वी० ट्रांसमीटरों को उपग्रह के जरिए दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से जोड़ दिया गया है। पर्याप्त संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए कर्नाटक राज्य सहित देश के अब तक कवर न किए गए भागों में स्थलीय ट्रांसमिशन का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की गिरफ्तारी

3432. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री वृजभूषण शरण सिंह :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ आतंकवादियों को जम्मू में कुछ प्रख्यात राजनैतिक नेताओं की हत्या करने और अपहरण करने का षडयंत्र रचने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू-कश्मीर में कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार कुछ आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक नेताओं की हत्या करने, लोगों में आतंक फैलाने तथा राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू न होने देने के एक षडयंत्र की जानकारी दी है।

(ग) संरक्षित व्यक्तियों और राजनैतिक नेताओं के सुरक्षा प्रबंधों की सावधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है ताकि इस संबंध में आतंकवादियों के इरादे को नाकाम किया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है।

नर्सिंग स्कूल

3433. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में इंडियन नर्सिंग काउसिल से मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितने स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) गुजरात में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग के लिए 23 मान्यताप्राप्त स्कूल और ऑग्जिल्यरि नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए 5 स्कूल कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधीय पौधे

3434. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियां तथा औषधि गुण युक्त मसाले प्रचुरता से पाए जाते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों तथा मसालों की औषधीय क्षमता का आंकलन और उपयोग करने हेतु एक विशेष अध्ययन-सह-परियोजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय पादप प्रचुरता से पाये जाते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि इन क्षेत्रों में औषधीय पादपों की 200-300 प्रजातियां पायी जाती है। हालांकि इनमें से अधिकांश की सूचना लोक गाथाओं पर आधारित है।

(ग) और (घ) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद के विभिन्न सर्वेक्षण एकक और केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद इन क्षेत्रों में नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण आयोजित करने में निरन्तर जुटे हुए हैं।

कोयले की आपूर्ति

[हिन्दी]

3435. **श्री ललित उरांव :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने अप्रैल, 1994 से हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और जमशेदपुर में स्थित छोटे उद्योगों की कोयले का आबंटित कोटा सप्लाई किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी उद्योगों को उचित समय पर कोयले की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 15 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ तथा जमशेदपुर जिलों में स्थित लघु उद्योगों को आपूर्ति के लिए सेंट्रल कोल्फील्ड्स लि० के पास लगभग 14,500 टन तक कोयले के आर्डर लम्बित थे। ये लम्बित आर्डर से०को०लि० के अरगदा क्षेत्र से संबंधित है। को०इ०लि० के अनुसार वर्ष के कारण धीमी गति से प्रेषण तथा स्टीम कोयले की कम उपलब्धता के कारण आर्डर लम्बित पड़े थे।

(ग) से०को०लि० प्रबंधन ने 6,000 टन के आर्डर से० को०लि० के बरकाकना क्षेत्र को शीघ्र आपूर्ति के लिए हस्तान्तरिक कर दिए हैं। इसके साथ-साथ अरगदा क्षेत्र से प्रेषण में सुधार किए जाने की व्यवथा की गई है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी रिले सेवाओं का विस्तार

3436. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण सुसज्जित आकाशवाणी केन्द्रों, रिले केन्द्रों और सहायक केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसमें से कुछ केन्द्रों का चरणबद्ध तरीके से दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आठवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए आकाशवाणी रिले सेवाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड व त्रिपुरा के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में 18 आकाशवाणी केंद्र कार्यरत हैं। सभी पूर्णतः सुसज्जित आकाशवाणी केंद्र हैं। राज्यवार स्थल विवरण-I में दिए गए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछेक मौजूदा आकाशवाणी केंद्रों के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाई जा रही है तथा कुछ केंद्रों की स्टूडियो सुविधाओं का कोटि-उन्नयन किया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में चल रही विस्तार स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं। अधिकांश स्कीमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं।

विवरण-I

उत्तर पूर्वी राज्य का नाम	आकाशवाणी केंद्र
1	2
1. अरुणाचल प्रदेश	(1) इटानगर
	(2) पासीघाट
	(3) तवांग
	(4) तेजू
2. असम	(1) गुवाहाटी
	(2) सिल्चर
	(3) डिब्रूगढ़
	(4) जोरहाट
	(5) हाफलोंग
	(6) नौगांव
3. मणिपुर	(1) इम्फाल
4. मेघालय	(1) शिलांग
	(2) तुरा
5. मिजोरम	(1) आइजोल
6. नागालैण्ड	(1) कोहिमा
7. त्रिपुरा	(1) अगरतला
	(2) कैलाशहर
	(3) बेलोनिया
	(4) लोंगतराई (प्रस्तावित)

विवरण-II

1. अरुणाचल प्रदेश :

1. जीरो	1 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
2. पासीघाट	स्थायी स्टूडियो चल ट्रासंमीटर के स्थान पर 10 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर

1	2
3. तेजू	स्थायी स्टूडियो
4. तवांग	चल टांसमीटर के स्थान पर 10 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर
5. ईटानगर	50 कि०वा०शा०वे० ट्रांसमीटर (नया प्रावधान)
2. असम :	
1. तेजपुर	एम०पी० स्टूडियो सहित 2x10 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर सहित नया रेडियो केन्द्र
2. कोकराझार	तथैव
3. धुबरी	2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर, सहित रिल केन्द्र
4. दीफू	1 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर, एम० पी० स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
5. गुवाहाटी	50 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 100 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर
	राष्ट्रीय चैनल के लिए 2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर (नया प्रावधान)
	वी०बी०/सी०बी०एस० के लिए 2x5 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर (नया प्रावधान)
3. मणिपुर :	
1. चूराचांदपुर	2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर एम०पी० स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
2. इम्फाल	सहायक सेवा के लिए 50 कि०वा०शा० वे० ट्रांसमीटर (नया प्रावधान)
4. मेघालय :	
1. जोवई	2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर एम०पी० स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
5. मिजोरम :	
1. लुंगलेई	2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर और एम०पी० स्टूडियो सहित स्थानीया रेडियो केन्द्र
2. सेह	1 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर ,एम०पी० स्टूडियो आदि सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
3. ऐजवाल	पुराने 10 कि०वा०शा०वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि०वा०शा०वे० ट्रांसमीटर

1	2
6. नागालैण्ड :	
1. मोकोकचुंग	2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर एम०पी० स्टूडियो आदि सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
2. कोहिमा	2 कि०वा०शा०वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 50 कि०वा०शा०वे० ट्रांसमीटर
7. त्रिपुरा :	
1. लोंगयेराई	2x3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर, एम०पी० स्टूडियो सहित नया रेडियो केन्द
2. अगरतला	पुराने 20 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर
3. धर्मनगर x	1 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर, एम०पी० स्टूडियो आदि सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र

x स्कीम अभी अनुमोदित की जानी है।

राजस्थान पुलिस बल की तैनाती

3437. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राजस्थान पुलिस बल 1985 से तैनात हैं;

(ख) यदि हां, तो असम में तैनात पुलिस बल पर हुए खर्च के लिए राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि दी जानी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने पुलिस बल को वापस भेजने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राजस्थान सशस्त्र कांसटेबुलरी की किसी बटालियन को 1985 से लगातार असम में तैनात नहीं किया गया है। तथापि, कानून और व्यवस्था ड्यूटियों के लिए बीच-बीच में असम सरकार को आर०ए०सी० उपलब्ध करायी गयी थी।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, राज्य सरकार को देयराशि 1.46 करोड़ रु० थी, जिसमें से 35.50 लाख रु० का भुगतान 1992-93 में किया गया था, और 108.50 लाख रु० का भुगतान 1993-94 के दौरान किया गया है।

(ग) और (घ) असम में इस समय आर०ए०सी० की कोई बटालियन तैनात नहीं है। तथापि, आर०ए०सी० की एक बटालियन को इस समय त्रिपुरा में तैनात किया गया है और इसे वापस लेने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत विरोधी कार्यक्रम

3438. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अगस्त, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "पाक रेडियो नेटवर्क एलांग एल०ए०सी० टू० व्हिप अप॰ प्रोपेगेन्डा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ कार्यरत गुप्त रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क की जानकारी है जहां से "जेहाद" और आजादी" के नाम पर कश्मीरी जनता की भावनाओं को भारत के विरुद्ध भड़काने के लिए भारत-विरोधी दुष्टाचार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं;

(ग) क्या पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क भी ऐसे ही भारत विरोधी नए कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है;

(घ) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के प्रयासों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। आकाशवाणी की केन्द्रीय मानीटरिंग सेवा द्वारा की जाती है।

(च) आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने समाचार बुलेटिनों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए तथ्यों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का सतत प्रयास करते हैं।

विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना।

3439. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर के रास्ते से पंजाब जा रहे जिलेटिनों/हथगोलों/बमों और विस्फोटक पदार्थों से लदे एक ट्रक को पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 20.12.1990 को चित्तौड़गढ़ की ओर से जा रहे केलों से लई एक ट्रक नं०पी०ए०टी०-1993 को झीलवाड़ा मे रोका था। तलाशी लेने पर, ट्रक से जिलेटिन के 13 कार्टन, डिटोनेटरो के 8 बण्डल और अमोनिया नाईट्रेट के दो थैले बरामद हुए। यह ट्रक नांदेड (महाराष्ट्र) से पंजाब जा रहा था। बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच का कार्य अपने हाथ में ले लिया। मामले में आरोप-पत्र दायर कर दिया है तथा मामला अजमेर के नामोदिष्ट न्यायालय में विचारणाधीन है। संबंधित विस्फोटक डीलरों पर भी न्यायालय

में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। इसके अलावा, नागपुर के विस्फोटक पदार्थ नियंत्रक, से भी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

हिरासत में बलात्कार

3410. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में हिरासत में बलात्कार की घटनाओं के बारे में पीपुल्स यूनियन आफ डेमोक्रेटिक राइट्स (पी०यू०डी०आर०) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) द पीपुल्स यूनियन आफ डेमोक्रेटिक राइटस (पी०यू०डी०आर०) ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां की है :—

(I) पीड़ित महिलाएं आंतकित महसूस करती हैं और अक्सर अपनी शिकायत से मुकर जाती हैं तथा समाज में बदनामी होने और समाज से बहिष्कार को ध्यान में रखते हुए गुमनाम रहने की कोशिश में रहती हैं।

(II) राजकीय प्रणाली तथा समुदाय की प्रतिक्रिया पीड़ितों की संवेदनशीलता को ध्यान मे रखकर नहीं होती है।

(II) अभियोजन चलाने की प्रक्रिया पीड़ितों पर अतिरिक्त दबाव डालती है तथा उन्हें और अधिक अपमानित करती है।

(IV) बहुत से मामलों में, न्यायालय की उदघोषणाएं प्रकृति से, पीड़ितों के चरित्र और लिंग के प्रति पक्षपाती होती है, और उसके गिरफ्तार व्यक्ति होने में, ये बाते भी जुड जाती है जो अपराधी को दोष मुक्त करने या सजा को कमतर करने का कारण बन जाती है।

(V) अधिकतर मामलों में, पीड़ित महिलाएं गंदी बस्तियों में रहने वाली होती हैं। पुलिस कार्मिकों तथा स्थानीय नेताओं की सांठ-गांठ से पुलिस कार्मिको को अतिरिक्त शह तथा शिकारों तक पहुंचने में सहायता मिलती है।

(ग) सरकार ने मामले को गंभीरता से किया है। दोषियों को दंड देने और हिरासत में बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(I) गिरफ्तार की गई महिलाओं को अलग से केवल महिलाओं के लिए बनाई गई हवालातों में रखा जाता है।

(II) महिला को गिरफ्तार करने उसे हिरासत में रखने के मामले में, हवालात-ड्यूटी पर महिला कांस्टेबल को तैनात किया जाना होता है।

(iii) जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पी०पी०आर० में निर्दिष्ट किया गया है, आई०ओज को निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए ब्रीफ किया गया है, यदि किसी महिला को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और उस अपराध में जमानत हो सकती है तो उसे जमानत पर, यहां तक कि निजी मुचलके पर भी रिहा किया जाना चाहिए।

(iv) अब कभी हिरासत में बलात्कार की रिपोर्ट मितली है तो दोषी पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(v) पुलिस हिरासत में ली गई महिला के अधिकारों के प्रति, पुलिस कार्मिकों को जानकारी और प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त समन्वित बल

3441. **डा० मुमताज अंसारी :**
श्री तेजसिंह राव भोंसले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत आंतकवादी संगठनों से निपटाने के लिए संयुक्त समन्वित बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालयम में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलाट) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं, उठता।

(ग) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रैस को दिए गए एक साक्षात्कार मे ऐसे किसी प्रस्ताव के खिलाफ अपना विचार व्यक्त किए जाने की सूचना मिली है।

(घ) "लोक-व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अतः इस बारे में विभिन्न प्रकार के तरीके खोजना तथा ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

3442. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1994 में काहिरा में जनसंख्या नियंत्रण और विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर चक आयोजित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त शिखर बैठक के लिए जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए दीर्घकालीन नीति के संबंध में भारत के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कोई दस्तावेज तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) जनसंख्या और विकास संबंधी तीसरा दशवार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और इसका प्रस्तावित विषय" जनसंख्या, सतत् आर्थिक वृद्धि और सतत् विकास" होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत देश के वक्तव्य में जनांकिकीय प्रकरण; जनसंख्या नीति; नियोजन और कार्यक्रम कार्य ढांचे; परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन के कार्यात्मक पहलुओं और राष्ट्रीय भावी कार्य योजना को शामिल किया गया है।

कश्मीर का मुद्दा

3413. **श्री महेश कनौडिया :**
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर के मुद्दे पर हाल ही मे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (घ) सरकार में विभिन्न स्तरों पर जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति की समीक्षा, समय-समय पर, की जा रही है जिसके आधार पर समुचित निर्णय लिए जाते हैं इस प्रकार की समीक्षा बैठकों में होने वाली बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करना न तो व्यवहारिक और न ही जनहित में होगा।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

3414. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्रीमती शीला गौतम :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को राज्य पुलिस में भर्ती करने हेतु आदेश जानी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया है;

(ग) यह भर्ती किन-किन क्षेत्रों से की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा उपलबध करायी गयी सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर पुलिस में अब तक 636 भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया है— डोडा में 179 रजौरी और पुंछ में 100, जम्मू में 126, उधमपुर में 118 और अनन्तनाग, बारामुल्ला और श्रीनगर में 98।

राज्य सरकार के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक प्राधिकारियों की पूरी सन्तुष्टि के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अपराध संग्रहालय

3415. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपराध संबंधी एक संग्रहालय स्थापित करने पर विचार कर रही है जिसमें पुलिस व्यवस्था के विकास तथा आपराधिक कार्यकलापों सहित अनेक तथ्यों को प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि 35 जून, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संग्रहालय की स्थापना कब तक की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपराध करने में इस्तेमाल हुए विभिन्न प्रकार के उपकरणों, फौजदारी अपराधों में इस्तेमाल किए गए हथियारों, अपराधियों के चित्रों, विभिन्न प्रकार के हथियारों और विस्फोटक सामाग्री आदि को इस संग्राहालय में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) संग्रहालय, जल्दी स्थापित करने के लिए 29-3-1994 को सरकार ने 33,91,850 रु० की राशि पहले ही स्वीकृत कर दी हैं।

समुद्र द्वारा भूमि के कटाव से प्रभावित क्षेत्र

3416. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के सुझाव के अनुसार केंद्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में समुद्रकटाव अंचलों का पता लगाने के लिए विश्व बैंक से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, समुद्रवर्ती राज्यों ने खतरनाक स्थलों वाली कटाव प्रवण तटवर्ती पहुंचों का पता लगाया है। सूचना मिली है कि केरल की 560 किमी० लम्बी तटरेखा और कर्नाटक में 300 किमी० लम्बी तटरेखा में समुद्री कटाव हो रहा है। अन्य समुद्रवर्ती राज्यों में पृथक पृथक स्थानों पर समुद्री कटाव हो रहा है।

(ग) तटीय कटाव की सुरक्षा करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। समुद्रवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समुद्र-कटाव रोधी कार्यों और प्रभावित पहुंचों को कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। तटवर्ती राज्यों ने समुद्री कटाव रोधी कार्यो जैसे समुद्री दीवार का निर्माण, पलस्तर आदि के निर्माण के द्वारा अनेक उपाय किए हैं।

फरक्का बराज

3447. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विधायकों के 29 तदस्यीय सर्वदलीय शिष्टमंडल ने 22 जुलाई, 1994 को प्रधानमंत्री से भेंट की तथा कलकत्ता बंदरगाह के लिए फरक्का बराज से 4000 क्यूसेक पानी देने की मांग की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के विधायकों के एक सर्वदलीय शिष्टमंडल ने 22 जुलाई, 1994 को प्रधानमंत्री से भेंट की थी और कलकत्ता बंदरगाह के अनुरक्षण के वास्ते जल की कमी वाले मौसम के दौरान फरक्का बराज से कम से कम 40,000 क्यूसेक जल हुगली नदी में छोड़ने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) कलकत्ता बन्दरगाह के अनुरक्षण हेतु जल की व्यवस्था बंगलादेश की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पोषक नहर में निकासियों द्वारा की जा रही है। कमी के मौसम के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह को जल की नियोजित मात्रा निर्मुक्त न किए जाने में रही कमी का कारण फरक्का में गंगा नदी में जल का कम आना है। फरक्का में गंगा नदी में प्रवाह बढ़ाने के प्रस्ताव पर बंगलादेश के साथ विचार विमर्श किया गया है। हमारे प्रस्ताव पर बंगलादेश के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

विदेशी मिशनरी

3448. **डा० के०वी०आर० चौधरी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

इस समय आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत विदेशी मिशनरियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : 1-1-1994 के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में 16 देशों की 113 विदेशी मिशनरियां मौजूद थीं।

बलात्कार के मामले।

3449. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार के राज्य-वार कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या ऐसे मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) 1991-93 के दौरान, देश के विभिन्न न्यायालयों में विचारण के लिए लम्बित पड़े बलात्कार के मामलों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (1) के उपबंध के अधीन राज्य सरकारें, उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करने के बाद, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों के विचारण के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सक्षम है।

विवरण

1991 से 1993 के दौरान, देश के विभिन्न न्यायालयों में विचारण के लिए लम्बित बलात्कार के मामलों की संख्या (राज्य/और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र०स०	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	1991	1992	1993
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	807	1028	1306
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	72	91
3.	असम	1160	1312	उ०न०
4.	बिहार	2748	3223	उ०न०
5.	गोवा	49	57	66
6.	गुजरात	614	775	उ०न०
7.	हरियाणा	240	306	404
8.	हिमाचल प्रदेश	107	112	156

1	2	3	4	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	421	454	461
10.	कर्नाटक	492	551	उ०न०
11.	केरल	329	381	443
12.	मध्य प्रदेश	6010	6826	7591
13.	महाराष्ट्र	3675	4169	4899
14.	मणिपुर	43	47	उ०न०
15.	मेघालय	103	120	उ०न०
16.	मिजोरम	59	62	90
17.	नागालैंड	22	27	32
18.	उड़ीसा	508	546	उ०न०
19.	पंजाब	34	38	51
20.	राजस्थान	1279	1445	1583
21.	सिक्किम	12	18	उ०न०
22.	तमिलनाडु	512	501	456
23.	त्रिपुरा	52	60	84
24.	उत्तर प्रदेश	3296	3680	उ०न०
25.	पश्चिम बंगाल	1224	1361	उ०न०
	योग (राज्य)	23856	27171	
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अ०एवं०नि० द्वीपसमूह	13	16	11
27.	चंडीगढ़	7	14	12
28.	दादरा एवं नगर हवेली	7	7	उ०न०
29.	दमन एवं द्वीव	3	1	2
30.	दिल्ली	512	617	793
31.	लक्षद्वीप	0	0	0

1	2	3	4	5
32.	पांडिचेरी	18	18	22
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	560	673	
	योग (अखिल भारत)	24416	27844	

स्रोत : "क्राईम इन इंडिया" आंकडे

1. 1993 के आंकडे अस्थायी है।

2. उ०न० का अर्थ उपलब्ध नहीं है।

विशेषज्ञों की समिति

3450. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वी०श्रीनिवास प्रसाद :
श्री प्रमोयेस मुखर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कर्मचारियों की संख्या को कम करने हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के नियम और शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार की समिति गठित करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जन-शक्ति तैनाती संबंधी अतर्राष्ट्रीय आंकड़ों का अध्ययन करने तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन की हार्डवेयर सुविधाओं के परिचालन और अनुरक्षण हेतु अपेक्षित न्यूनतम तकनीकी जन-शक्ति के संबंध में सुझाव देने के लिए श्री एम०पी० भाटीकर, सेवानिवृत्त इंजीनियर-इन-चीफ, आकाशवाणी तथा श्री वी०वी० राव, सेवानिवृत्त प्रमुख इंजीनियर,दूरदर्शन को शामिल करके दो सदस्यीय समिति गठित की गई है।

एड्स पर नियंत्रण

3451. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या स्क्वायर्ड इम्यूनो डेफीसियसि सिन्ड्रोम् (एड्स) के नियंत्रण संबंधी 223 करोड़ रुपये की लागत का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या इस रोग पर नियंत्रण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अब तक राज्यों की क्या भूमिका रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) :(क) जी, हां।

(ख) से (घ) एड्स का मुकाबला करने की रणनीति में रोग की प्रबल संभावना वाले व्यक्तियों और आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, एस०टी०डी० का निवारण और नियंत्रण, एस०टी०डी० एच०आई०वी० के निवारण हेतु निरोध के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, रक्त का युक्तिसंगत इस्तेमाल तथा रोग का पता लगाने के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊपर बताए गए उपायों के माध्यम से फैल रहीं एम०आई०वी० की महामारी की गति को कम करना है।

(ङ) इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्यों द्वारा किया जाता है जिसके लिए केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती है और मार्गदर्शन देती है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु विदेशी सहायता

3452. **श्री थोटा सुब्बाराव :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अभी तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनमें कितनी उपलब्धि मिली है; और

(ग) इस संबंध में सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में आवधिक समीक्षाओं, जिसमें परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाने वाली समीक्षाएं शामिल हैं, और परियोजना के अंत में किए जाने वाले मूल्याकंन के लिए प्रावधान किया गया है। इनसे यह पता चलता है कि कुल मिलाकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है।

विवरण

विदेशी सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम का ब्यौरा

1. **विश्व स्वास्थ्य संगठन :** विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थाओं और कार्मिक शक्ति को सुदृढ़ करने, कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करने आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1994-95 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 3.48 मिलियन डालर की सहायता प्रदान करनी है।

2. **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि :** यू०एन०एफ०पी०ए० सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

क्रम.	परियोजना का नाम	लागत	कवर किए गए राज्य	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्रीय परियोजनाएं	83.60 करोड़	हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान,	
2.	नो स्केलपेल नसबंदी सहित नसबंदी और सूक्ष्म शल्य चिकित्सीय पुनर्नलिकाकरण में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	1797648 डालर	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली।	
3.	बंध्यीकरण के लिए निगरानी पद्धति	256962 डालर	राजस्थान	
4.	आई०यू०डी० का विनिर्माण	5101568 डालर		यह सहायता हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में आई०यू०डी० के देशी निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए है।
5.	जनसंख्या शिक्षा (स्कूली शिक्षा)	2.86 मिलि० डालर	मेघालय, गोवा दमण व दीव, लक्षद्वीप दादरा व नगर हवेली को छोड़कर सभी रांज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या शिक्षा को स्कूली और अनौपचारिक पाठ्यसामग्री में शामिल किया जा रहा है।
6.	जनसंख्या शिक्षा (वयस्क शिक्षा)	1.4 मिलि० डालर	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, उड़ीसा,पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उ०प्र० पश्चिम बंगाल, और	संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए प्राथमिक शिक्षा में संदेशो को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
7.	जनसंख्या शिक्षा उच्चतर शिक्षा	1.05 मिलि० डालर	इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए 12 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों अर्थात् एन०ई०एच० विश्वविद्यालय, मद्रास, विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, जामनगर विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, गांधी ग्राम रूरल संस्थान (तमिलनाडु), पुणे विश्वविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय, (मध्य प्रदेश), रांची विश्वविद्यालय और एस०एन०डी०टी० महाराष्ट्र	लगभग 12000 जन संख्या शिक्षा क्लबों को जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करने के लिए कालेजों में विविध कार्यकलाप को चलाने हेतु सहयोग दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा टी०पी०आर० और राष्ट्रीय समीक्षा की जाती है।
8.	मद्रास की शहरी गंदी बस्तियों और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए व्यापक परिवार कल्याण कार्यक्रम और आय के साधन जुटाना।	147.39 लाख रु०	तमिलनाडु	इन परियोजनाओं के उद्देश्य दम्पती सुर में वृद्धि करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था करना है। इन परियोजनाओं की हर वर्ष एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करके नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।
9.	पश्चिम बंगाल में जलपायगुडी में बागानों के कामगारों के लिए एकीकृत परजीवी नियंत्रण और परिवार कल्याण	168.00 लाख रुपये	पश्चिम बंगाल	

1	2	3	4	5
10.	गुजरात में जनजातीय जनसंख्या में व्यापक परिवार कल्याण और कौशल विकास परियोजना	174.00	गुजरात	
11.	बीड़ी कामगारों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा	188.00 लाख रु०	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल	
12.	गुजरात के 30 गांवों के दृग्ध उत्पादकों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा और सेवाएं।	39.00 लाख रु०	गुजरात	
13.	मुख सेव्य गोलियों के लिए कच्चे माल की सप्लाई	2.7 मिलियन डालर		ये सप्लाइयां मुख्य सेव्य गोलियों के विनिर्माण के लिए हैंजो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई की जाती है।
14.	भारत के महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय का आधुनिकीकरण	461000 डालर		यह परियोजना भारत के महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए हैं।
15.	महिलाओं, जनसंख्या एवं विकास के लिए हरियाणा एकीकृत परियोजना	37.64 करोड़ रुपये	हरियाणा	

3. युनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड (यूनिसेफ)

युनिसेफ शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के समान दे रहा है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में चरण वार ढंग से चलाया जा रहा है। 1991-95 की अवधि के लिए 107 मिलियन यू०एस० डालर दिए गए हैं।

4. विश्व बैंक

राज्यों में भारतीय जनसंख्या परियोजना के रूप में जानी जाने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत	शामिल राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आई०पी०पी०V	117.40 करोड़ रुपये	बम्बई एवं मद्रास शहर	
2.	आई०पी०मी०VI	204.41 करोड़ रुपये	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश	
3.	आई०पी०पी०VII	336.12 करोड़ रुपये	पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तथा जम्मू व कश्मीर	
4.	आई०पी०पी०VIII	223.37 करोड़ रुपये	कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली तथा वेंगलूर	
5.	आई०पी०पी०IX	335.00 करोड़ रुपये	कर्नाटक, असम, राजस्थान	

विश्व बैंक सहायता का समुपयोजन शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रमों के लिए भी किया जा रहा है। शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व परियोजना के लिए 1991-92 से 1994-95 की अवधि के लिए 214.5 मिलियन यू०एस०डालर खर्च की वचनबद्धता दी गई।

5. नार्वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

प्रसवोत्तर कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार लाने, उन्नत संभार तंत्रीय सहायता व्यापक सूचना, शिक्षा तथा संचार एवं उपलब्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली में सुधार के लिए कर्नाटक एवं उड़ीसा में 6 मिलियन एन०ओ०के० — लगभग 2.5 करोड़ रुपये की नोराड सहायता से एक नवीकरण परियोजना चलाई जा रही है।

6. यूनाइटेड स्टेटस अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

इस समय निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए यू०एस०एड० सहायता प्राप्त की जा रही है:—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	लागत	शामिल राज्य	अभ्युक्तियों
1.	जन संख्या अनुसंधान केन्द्रों के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान सामर्थ्य को सुदृढ़ करना	3.3 मिलियिन डालर		यह सहायता 18 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के लिए है। इस सहायता का देश के विभिन्न भागों में स्थित जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के सृदृढ़ करने एवं सभी 25 राज्यों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने के लिए समुपयोग किया जा रहा है।
2.	जनसंख्या अनुरूपण परियोजना	400.000 डालर		यह सहायता किसी खास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए नहीं है।
3.	(पी०वी०ओ०एच०-II) योजना स्वैच्छिक निजी स्वास्थ्य संगठन II योजना	10 मिलियन डालर		यह सहायता देश भर के स्वैच्छिक संगठनों के लिए है।
4.	परिवार नियोजन सेवा परियोजना एजेंसी में नवपरिवर्तन	325 मिलियन डालर	उत्तर प्रदेश	

7. समुद्रपार विकास प्रशासन (ओ०एस०डी०)

समुद्रपार विकास प्रशासन वित्तपोषित क्षेत्र विकास परियोजना 65.66 करोड़ रु० की कुल लागत से उड़ीसा के 5 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

8. डेनिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (डानिडा)

डेनिश अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं मध्य प्रदेश के 8 जिलों व तमिलनाडु के 2 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना पर कुल लागत 44.81 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

लाटरी के व्यवसाय पर प्रतिबंध।

3453. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाटरी के व्यवसाय पर विशेष रूप से दैनिक और एक अंक वाली लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने का है जिससे समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने समय-समय पर लाटरियों के संचालन के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं, क्योंकि इस मामले में समुचित कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

उपरि-कृष्णा परियोजना

3454. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने उपरि-कृष्णा द्वितीय चरण सिंचाई परियोजना के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई आपत्तियां भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुगंन) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अलमवती में इसके पूर्ण जलाशय स्तर को बढ़ाकर आकार से बड़े जलाशय के निर्माण पर आपत्ति की है।

(ग) अपर कृष्णा चरण II परियोजना की रिपोर्ट कर्नाटक सरकार से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में हाल ही में प्राप्त हुई है। केन्द्रीय जल आयोग को निदेश दिया गया है कि वह परियोजना की जांच के समय आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखे। केन्द्रीय जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री ने अन्तर्राज्यीय पहलुओं के समाधान हेतु दिनांक 22-8-1994 को कृष्णा बेसिन राज राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक भी बुलाई है।

"उर्जा विकास हेतु वित्तीय सहायता" संबंधी सम्मेलन

3455. श्री राम कापसे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने जून-जुलाई, 1994 में "उर्जा विकास हेतु वित्तीय सहायता" विषय पर चर्चा करने के लिए प्रशान्त महासागरीय देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया; और गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) नौवीं पेसिफिक रिम कोयला कांफ्रेंस, कोल इंडिया लि० की संगठनात्मक सहायता को 28 से 30 जून, 1994 की अवधि के दौरान नई दिल्ली में संपन्न हुई थी।

इस काफ्रेंस में भारत तथा विदेशों के अनेक प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। पंजीकर्ताओं की एक सूची, जिसमें संगठन/नाम आदि दिए गए हैं एक विवरण में की गई है। बड़ी संख्या में भारतीय तथा विदेशियों/व्यक्तियों/संगठनों ने, जोकि पंजीकर्त्ताओं की सूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, ने कांफ्रेंस में भाग लिया।

इस कांफ्रेंस में, अन्य बातों में साथ-साथ, विद्युत उत्पादन, पूंजी निवेश संबंधी अवसर, आधारभूत सहायता आदि जैसी मदों के अलावा, भारत में कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा प्रक्षेपों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

काफ्रेंस में विशिष्ट में कोई सिफारिश नहीं की गई थी। किन्तु, भारत में पहली बार सम्पन्न हुई इस काफ्रेंस में कोयला खनन उद्योग के संबंध में अनेक पहलुओं से संबंधित जानकारी तथा विचारों के आदान-प्रदान करने का एक अच्छा अवसर मिला प्रतिनिधियों के पास यह अवसर था कि वह भारत में कोयले का निम्न लागत पर उत्खनन करने, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, जोकि किए जा रहे हैं, कोयला विपणन की संभावनाओं तथा कोयले के परिष्करण के कार्यक्षेत्र के संबंध में प्रथमतः सूचना प्राप्त कर सके।

विवरण
नौवीं पैसफिक रिम कोल कार्फ्रेंस
पंजीकृतों की सूची

आर०के० अधिकानी
डिप्टी सी० ई०
नासिक थर्म० पावर,
बम्बई (इंडिया)

एस०एस० अधिकारी
अध्यक्ष,
अफ्रीका इंडिया ट्रेडिंग कं०
हैदराबाद (इंडिया)

ऋषि अग्रवाल
निदेशक,
मगडाला शिपयार्ड प्रा०
बम्बई (इंडिया)

श्री रिचर्ड ऐलन
मार्के० डेव० मैने०
सैल को० आस्ट्रेलिया
एन सिडनी, आस्ट्रेलिया

श्री एच० अली
ट्रेडिंग मैनेजर,
सेल० साउथ अफ्रीका
रोसबैंक अफ्रीका

श्री टाकियो रायी
मैने० कोल टीम
टोकयो इलैक्ट्रिक,
सियोदा, टोक्यो, जापान

श्री अब्बेदुलाब बयाली,
बोर्ड सदस्य,
[illegible]कोचारबो,
क[illegible]लैंको, मोराको

श्री आर०डब्लू० डैल,
मैन० इन्टल० मार्किटिंग,
लुस्कार,
ऐडमोन्टन, एब कनाडा

श्री डेविड टी० बेनेट,
एम०जी०आर० मार्के० रैस
आरको कोल कं०
डेनवेर को यू०एस०ए०

श्री जेनिफर येनेट
यू०एस० ऐडिटर
मैकलोसकी कोल इनफो-
सर्विसज, ग्लोसटर,
मा०यू०एस०ए०

ए०जे०वैनडैज बर्ग
मैनेजर कोल प्रोसिसिंग,
ट्रांस नेशनल कोल कारपो०
मार्शल टाउन 2107,
साउथ अफ्रीका

संदीप भार्गव
रोहरकोयली हैंडल इन्टर
कलकत्ता, इंडिया

एल०के० बोस,
ई०डी० (सी०पी०)
कोल इंडिया,
नई दिल्ली (इंडिया)

डियो डरडमोरेस,
कोल मार्के डायरेटर,
टोटल
92069 पेरिस, ला० डिफे०

अहमद बुहारी
एम०जी०आर०, सीमेंट/क्लिंकर/
कोल डी०
अमीरात ट्रेडिंग एजेंसी
यूनाइटेड अरब अमीरात

ऐडगराडो कारडोज़ो
मार्के० मैनेजर,
पी०टी० ऐडरो,
जकारता 12920
इंडोनेशिया

रोड कारगिल
निदेशक,
कोलट्रांस,
किंग्सटन, इंग्लैंड

आर० चक्रवर्ती
सेंट्रल माइन प्लानिंग
एंड डिजाइन, रांची
834008, इंडिया

श्री वी०के० अरोड़ा
निदेशक,
करम चंद थापर,
कलकत्ता (इंडिया)

वी०पी० अरोड़ा

नार्दर्न कोलफील्ड्स,
जिला-सीधी (इंडिया)

श्री कारीआर० आर्थर
ब्रोकर,
लारेंजन चारतरंग
ओसलो 0216, नार्वे

पैरी औरी
मैनेजर बिज़नेस डिपार्ट०
केटरगप्पा,
पेरिस 75782 फ्रांस

टी०पी० बालाकृष्णन
डायरेक्टर, मार्के०
एच०ई०सी०
रांची (इंडिया)

श्री निर्मल बैनर्जी
प्रोटेस इंजी०कं०

निदेशक
ग्रीनडलेज बैंक,
कलकत्ता, इंडिया

अर्टविग एफ० क्लिफ
सेल्स मैनेजर
हैनबरन थाईसिन
एनेर्जी, 40235,
डूसेलडोर्फ, जर्मनी

आर० भास्करन
चीफ जन० मैनेजर,
कोल इंडिया,
कलकत्ता (इंडिया)

टी० भट्टाचार्य
सीनियर मैनेजर
मैकमैट, इंडिया,
कलकत्ता (इंडिया)

एम० भट्टाचार्य
—
कोल इंडिया
कलकत्ता 700016
(इंडिया)

डागलस विन्स
रिज० डायरेक्टर
हरनीचफिगर
एचपी इंग्लैंड

बी० बीदीह
मैनेजर मैट्री०
नेशनल फर्टीलाइजर्स
नई दिल्ली (इंडिया)

बी०के० बोस
—
डी० एसपी फाइनेशियल
कार०

स्टूअर्ट बी ऐहररींच
डायरेक्टर, मार्के० डेवलेप०,
एस०एस०एम०, कोल,
मैरिन डेलरी,
सी०ए० यू०एस०ए०

एल० आई० फिंग
इंजीनियर
जगंशी बायलर वर्कर्स
नानवंग, जंगशी, चीन

श्री एस०के० चक्रवर्ती
सेक्रे० जनरल,
सीमेंट मैन्युफ० एसोसिएशन
नई दिल्ली (इंडिया)

ए० चक्रवर्ती
मार्के० ग्रूप इंडस्ट्रीज इंडिया
पूना (इंडिया)

कृष्णचन्द्र
एक्ज्यू० डायरेक्टर
भारत अर्थ मूवर्स,
बंगलौर (इंडिया)

आई० चन्द्रा
नार्दर्न कोलफील्ड्स
जिला-सीधी
(इंडिया)

पांल चैपल
डायरेक्टर
स्ट्रिन इंटरकोल, पीटीवाई
सिडनी, आस्ट्रेलिया

अकीरा चिमुरा
सीनियर को-आडिनेंटर

एस०ए० हसन
मैनेजिंग डायरेक्टर
टाटा रोबिन्स फ्रेज़र
जमशेदपुर, इंडिया

रामचन्द्र हेगड़े
मैने० डायरेक्टर
बाकरी नूसंट्रा इन्टर०
0104, सिंगापुर

एम०कोल मैन
मैनेजिंग डायरेक्टर
ओलमैन एंड एसोसिएशन
(इंडिया), सिडनी,
आस्ट्रेलिया

जी० दलाल
डिप्टी० चीफ मैनेजर
ऐनवैन्स एमएसईबी
बम्बई (इंडिया)

के० दास
—
वेस्टर्न कोलफील्ड्स
बर्दवान, इंडिया

देब
निदेशक (तकनीकी)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स
बर्दवान, इंडिया

एम० दिओस्थली
चीफ एग्ज्यू०
कर्नाटक एक्सप्लोसिव
बंगलौर (इंडिया)

सिद्दीक्वीन
सहायक निदेशक
सी०एच०ई०सी०
बिजिंग, चीन

बी० धर
निदेशक(सीएमआरएस)
सेंट्रल माइन रैस०एस०टी०
धनबाद (इंडिया)

जी०एस० गरचा
एग्ज्यू० डायरेक्टर
स्टील अथारिटी आफ
इंडिया नई दिल्ली
(इंडिया)

बैन जार्ज
रिपोर्टर
र्ल्ड कोल
डारकिंग आर० 1141
ए०आर० इंग्लैंड,

ए०के० घोष
निदेशक,
इंडियन स्कूल आफ
माइन्स, धनबाद
डया)

आर०पी० गोयल
चीफ जनरल मैनेजर
भारत कोकिंग कोल
बिहार (इंडिया)

राजीव ग्रोवर
अपर प्रबंधक
राम फूड एंड फर्टि०
नई दिल्ली (इंडिया)

डी०आर० गुप्ता
ओ०एस०डी०
भारत कोकिंग कोल
बिहार (इंडिया)

कैथ जी हिल्दरथ
मैनेजर पब० रेल
ट्रांस ऐसिएशन इंडस्ट्रीज़
नई दिल्ली (इंडिया)

फोरेस्ट, ई हिल
अध्यक्ष,
हिल एंड एसोसिएशन
आईएनसी, अन्नापुलिस,
एमडी, यू०एस०ए०

इग्नू टी० हॉलमस
अटार्नी, ईटी होल्मस
एंड एसोसिएटस,
अटलान्टा जी० ए०
यू०एस०ए०

टोरू किबी
मैनेजर फ्यूल डिपो
ई०पी०डी०सी०
टोकियो-104, जापान

जिरोजोरी ओ इयू
मैनेजिंग डायरेक्टर
नाईजियीरन कोल कार०
इनूगू नाइजेरिया

डी०के० जैन
—
सेंट्रल माइन्स एंड प्लानिंग
एंड डिजाइन, रांची-
834008 (इंडिया)

एम०पी० जैन
—
वेस्टर्न कोलफील्ड्स
नागपुर (इंडिया)

के० दीवान
संयुक्त निदेशक
स्टील अथारिटी
आफ इंडिया
नई दिल्ली (इंडिया)

ईटरा ई० डोरेल
पब्लीशर/ऐडिटर
एन०टी०एल० कोल लेटर
1060 ब्रसेल्स, बेल्यिजम

एस० डोंगरे,
चीफ इजिनियर,
सी० एमएसईबी,
नागपुर (इंडिया)

डोगलेस एल० डन
न्यू बिजनेस डेव०
सीएचपी मिनरल्स इंट०
यू०एस०ए०

के० दत्ता
सेल्स एग्ज्यू०
आई एस०ए० मैट्रो कैमिक०
बम्बई, इंडिया

एल० यू० जियन
—
ट्रांसओशन ग्राबूलिक पूल
0718, सिंगापुर

पी०सी० जैन,
अध्यक्ष, गुजरात अम्बूजा सीमेंट,
गुजरात (इंडिया)

किरन शंकर गुप्ता
—
मैसर्स गुडरोक,
कलकत्ता (इंडिया)

एस०के० गुप्ता
—
भारत कोकिंग कोल
बिहार (इंडिया)

वी०के० गुप्ता
—
महानदी कोलफील्ड्स
उड़ीसा (इंडिया)

एस०सी० हंस
—
इंडियन मैटलस एंड फैरो एलाइस,
नई दिल्ली (इंडिया)

आर० कृष्णन
टी०एस० टू चेरयमैन
सेंट्रल कोलफील्ड्स
रांची 834001 (इंडिया)

जय श्री कृष्णास्वामी
निदेशक,
श्रीवास्तव एंड एसो०
नई दिल्ली-110017
(इंडिया)

रवि जैसविंग
कार्यकारी निदेशक
फ्रंटलाइन नेवीगेशन्स कं०
बम्बई (इंडिया)

ए०वी० मकीजानी
—
इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, कारपोरेशन,
लखनऊ (इंडिया)

करल जी० जैकहोटेक
डिवी० चीफ पावर डेप०
वर्ड बैंक,
वाशिंग्टन, डीसी, यूएसए

गिन गन-जेन
सीनियर स्पे०
मिनि० इकानोमिक एफेयर्स०
तापाई 100-15 ताइवान

अलबर्ट टी०पी० जेन
फ्यूल डिपो
ताईवान पावर कार०
ताईपाई, ताईवान

बी०एन० मखीजा
अपर सचिव
कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली (इंडिया)

वी०एम० मालिच
विभागीय अध्यक्ष,
वोस्टोकिनरगो,
खार्बोवसक 680030 रूस

माओजिनसोंग
प्रोफेसर
डिपार्ट० आफ थर्मल इंजी०
बिजिंग, चीन

डीडायर जौंनलेनी
मैने० बिजनेस डेवलेप;
केटरगटा,
पेरिस 75782, फ्रांस

जी०एम० जोहर
—
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बिलासपुर, इंडिया

पी०एन० जोन,
सी०एम०ओ०
मेटोर प्राइवेट,
नई दिल्ली, इंडिया

सैद कांडिरी
महानिदेशक
सोकरचरबू
कैसबैलन्का, मोरोकू

आर०एस० कैनिथ
प्रमुख महाप्रबंधक
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
असम (इंडिया)

के०के० खाडिया
प्रमुख महा प्रबंधक
कोल इंडिया,
नई दिल्ली (इंडिया)

आर० कुमार
—
नार्दर्न कोलफील्ड्स
सीधी (इंडिया)

यू० कुमार
चीफ मैने० डायरेक्टर
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बिलासपुर, म०प्र० इंडिया,

एन० कुमार
—
टापिक इम्पेक्ट्स
कलकत्ता, इंडिया

जेनेन्द्र कुमार
सहायक सचिव,
सीमेंट मैनयुफै० एसो०
नई दिल्ली-11 002,
इंडिया

डब्लू०सी० क्यूस
बिजनेस प्रबंधक,
सपूरनेट
जॉननेसबर्ग 2000
दक्षिण अफ्रीका

वैस ओ किवी
क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक
आंकेर फार ईस्ट
काज़वे बाय हांगकाग

एस०के० लाल
सचिव,
कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली (इंडिया)

साइमन मालटवी
निदेशक,
सीदरमैरीटाइम
1025, सिंगापुर

आर०जी० मंडन,
प्रबंधक,
अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी,
अहमदाबाद, इंडिया

वी०डी० मंजरेकर
चीफ आफ जियोलॉजी,
सेंट्रल कोलफील्ड्स,
रांची-834 001, इंडिया

आरने मानसकर
सीनियर उपाध्यक्ष,
गेयरबल्क (यू०के०)
सूरी, इंग्लैंड

जीयोवानी मार्चिली
—
कारबोट्रेड
जेनेवा 16121, इटली

डेविड मैथ्यू
मैनेजर वर्ड कोल एक्प्लो
बी०एच०पी० मिनरल्स,
इंट हेरनडोन, वाया
यू०एस०ए०

आर०बी० माथुर,
प्रमुख प्रबंध निदेशक,
वेस्टर्न कोल्फील्ड्स
नागपुर (इंडिया)

आर०के० खुल्लार
—
राम फूडस एंड फर्टि०
नई दिल्ली, इंडिया

एन०खुराना
—
केन्द्रीय खान आयोजन
एवं डिजाइन संस्थान,
रांची-834008, इंडिया

केयोसीकुकयिया
सलाहकार फ्यूल डिपो,
ई०पी०डी०सी०
टोकियो, जापान

मैन बोक किम
सहायक प्रबंधक
सैमसुंग कारपोरेशन
सियोल, कोरिया

एस०डी० कृपलानी
महाप्रबंधक
वीसा पेट्रोकैमिकल्स,
बम्बई, इंडिया

एम०के० मिश्रा
सलाहकार
रेलवे बोर्ड
नई दिल्ली-III, इंडिया

बी०सी० मिश्रा
चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर
सेंट्रल माईन प्लानिंग एण्ड
डिजाइन, रांची, इण्डिया

गियर ओ लार्सन
निदेशक, वेस्टर्न वल्क
कैरियर्स, आसेलो,
0216, नार्वे

किलबोंगली
मैनेजर, रा० मैट्रि
फोनंग आयरन एंड स्टील,
सियोल, सा० कोरिया

रैक्स लिटिल वूड
—
फिबरो एर्नेर्जी
लन्दन, इंग्लैंड

मार्क लोसीटेनबर्ग
कोल ट्रेडर
मार्क रिच आस्ट्रेलिया
पीटीवाई, सिडनी 2000
आस्ट्रेलिया

जैंग रेयोलमा
सहायक मैनेजर
सैमसुंग कारपोरेशन,
सियोल, कोरिया

सिप्पनकोसी
मैनेजर
ट्रांस-नेटल कोल कार्पोरेशन
मार्शल टाउन, 2107,
सा० अफ्रीका

डिजोकोन नोटाडिसारो
कोल मकेटिंग एमजीआर
पीटी बिरऊ कोल
जकार्ता, इयण्डोनेशिया

रोनाल्ड एल मैकमहन
अध्यक्ष,
रिसोर्स डाटा इन्ट
कोल्डर को० यू०एस०ए०

एम०एम०के० मेनन
डिवी० मैनेजर,
वोलटास,
बम्बई (इंडिया)

रोबर्ट सी० मिलीसी
चीफ कोल जियोलॉजी
यू०एस०जी०एस०
डेनवेर को० यू०एस०ए०

स्टीव मिल्लर
उपाध्यक्ष
अस्ट्रा कोल कारपोरेशन
एनवाई एनवाई, यू०एस०ए०

टेड मिलीगन
चीफ योलोजिक
बी०एच०पी० मिनरल्स
हैरोनडोन वाया,
यू०एस०ए०

एरिक पिलोफिस्की
सहायक
ए०ई०आर० एन्टरप्राइजेज
ई ब्रुनसविक एनजे यू०एस०ए०

लोरिटा पिलोफिस्की
परियोजना समन्वय
एईआर एन्टरप्राइजेज
ई बुन्सविक एजने यू०एस०ए०

आर०एन० मिश्रा
सी०एम०ई०
ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बर्द्धवान, इण्डिया

यू०के० मित्तल
निदेशक
भारतीय इस्पात प्राधिकरण
नई दिल्ली, इंडिया

ई०जी० मोसेस
सेन वाइस प्रेस
वरसेटस सर्विनटिल
ओक्सेन, एल एमडी यू०एस०ए०

जी०सी० मृग
चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर
भारत कोकिंग कोल
बिहार, इंडिया

डेविड मुरे
प्रबन्धनिदेशक
ट्रांस-नेटल-कोल कोर्पोरेशन
मार्शल टाउन 2107,द० अफ्रीका

बी०एस० नागा
—
सेंट्रल कोलफील्ड्स
रांची, 834001, इंडिया

ए०एम० नाईक
—
एल०एंड०टी० लि०
नई दिल्ली, इण्डिया

आर०एम० नायर
निदेशक
आर० क्लयार्कमस कंपनी
लंदन, ईसी 3 ए 7 बीपी
इंग्लैण्ड

एम०आर० ओबरेन
मैनेजिंग डाइरेक्टर
पार्क साइड 5081
आस्ट्रेलिया

पोलू ओबरयान
व्यापारी
एमएआरसी, रिच-कंपनी
सेन्ट्रल हांगकांग

पेटरिक ओ० नेल
निदेशक
एच क्लार्कसन एंड कंपनी
लंदन ईसी 3ए 7बीपी
इंग्लैण्ड

जोर्ज ओ० चोआ
योजना प्रबंधक
इको कोर्बन
बोगोटा, कोलंबिया

के०एल० पुरी
मोर्केटिंग डाइरेक्टर
जोहेन्सबर्ग 20001
द० अफ्रीका

आलोक पुंज
निदेशक
पीएसएल होल्डिंग प्राइवेट्स
प्रखादवी, बंबई 400 025

टी०एस० रामचन्द्रम
निदेशक
आई एण्ड टी
बंबई, इण्डिया

डी० पद्मनाभम
एम०एच०ई० मार्केटिंग
क्रुप इण्डस्ट्रीज इंडिया
पुणे, इंडिया

के०एल० पुरी
निदेशक
ई फोर, नई दिल्ली
110001, इंडिया

एस०बी० रानाडे
—
डायनेमिक सेल्स सर्विन्टल
नई दिल्ली, इंडिया

बी० जे० पण्डा
जे०टी० मैनेंजिंग डाइरेक्टर
बोमीखाल
भुवनेश्वर 751010 इंडिया

सांग किंगकांव
मैनेजर
सी०सी०आई०ई०सी०
बीजींग 100016, चीन

अजित कुमार पांजा
मंत्री
कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली, इंडिया

आई०बी० पाण्डेय
डाइरेक्टर इंचार्ज
नॉर्थ ईस्टर्न कोलफ़ील्ड्स
असम, इण्डिया

महेश पी० नायर
मैनेजिंग डाइरेक्टर
मिरिन्का मार्केटिंग
बंबई 400021, इंडिया

प्रदीप पाटकर
—
इंडियन केपिटल रिजर्व
नई दिल्ली, इंडिया

पेटरिक पाइला
चार हैरिनो डिपोर्ट्मेण्ट
यूनिट्रैमपिसा
75009, पैरिस, फ्रांस

बी०एस०एल० नारायण
असि०जेन० मैनेजर,
अमीरात ट्रेडिंग एजेन्सी
दुबई, यू०ए०ई०

के०के० पटनी
जनरल मैनेजर
वेस्टर्न कोलफील्ड्स
नागपुर, इंडिया

एस के प्रधान
—
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
नागपुर, इंडिया

पी० नरेन्द्रम
वाइस पेसीडेन्ट
फ्रंट लाइन नेवीगेशन कं०
बंबई 400021, इंडिया

कर्नाल्ड एच० सेलोस्की
प्रोसीडेन्ट
एईआर एन्टरप्राइजेज
ई ब्रन्सविक, एनजे, यू०एस०ए०

ए एस प्रसाद
चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर
नार्दर्न कोल्फील्ड्स
जिला-सीधी, इण्डिया

एस०आर० नायक
—
स्वराष्ट्र सीमेंट एंड केम०
बंबई, इण्डिया

यशवन्त डुंगिया
मैनेजिंग डाइरेक्टर
मै० लिंक ट्रांसवेज
नागपुर, इण्डिया

एल० प्रसाद
एक्सेक आफिसर
टाटा रोबिन फ्रेजर
जमशेदपर, इण्डिया

गणेश रामचन्दानी
सीनियर मैनेजर
एशिया पैशिफिक रिसोर्सेस
सिंगापुर

यशवन्त सांगला
प्रबन्ध निदेशक
लिंकुसन, जीआरपी
नागपुर-I, इंडिय।

विशंभर सरन
—
सरकोइते हंडाल इंटर
कलकत्ता-700017
इण्डिया

डी०जी० रायबेकर
डाइरेक्टर
नार्दर्न कोलफील्ड्स
जिला-सीधी, इंडिया

एम० राजगोपाल
—
सीएमपीडी
रांची 834001, इंडिया

टी०वी० राजन
एमजीआर बल्क ट्रेडिंग
वेस्ट ऐशिया एक्स० एण्ड
इम्प0, नई दिल्ली, इंडिया

एम०एस० जयराम
मैनेजिंग डाइरेक्टर
ईस्टर्न माइनिंग
नई दिल्ली, इंडिया

आर०पी० शर्मा
डिप्टी जनरल मैनेजर,
भारतीय इस्पात प्राधिकरण
रांची, इण्डिया

एस०एस० शर्मा, एडवाइजर
सीमेंट मैनुफे० एशो०, इंडिया
नई दिल्ली-110005
इंडिया

नरेश शर्मा
—
बालाजी कोक इन्ड० एरिया
कलकत्ता, इंडिया

राजु रंगाधार
—
सरकोइले, हंडाल इंटर
मद्रास, इण्डिया

ललिता रंगनाथन
कोरेस्पोडेन्ट
आईएनटीआई बल्क जॉर्नल
डार्थिंग, आरएच 4, एचई, इंग्लैंड

जे० मोहन राव
एजीएम (रॉ मैटेरियल्स)
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
विशाखापत्तनम, इंडिया

टी०जी० राव
—
ओरिएन्ट चार्टर्स
बंबई, इंडिया

बी०के० राव
ई०डी०
ईस्टर्न माइनिंग
नई दिल्ली, इण्डिया

मैनफ्रेड जी० रसिके
प्रेसीडेन्ट
आईएसआईएस
न्यू बरी पोर्ट,
एम ए 01950 यू०एस०ए०

ए० रसीदी
—
पीटीबीए
जकार्ता, इन्डोनेशिया

जी०एस० सोथा
निदेशक
पीएसएल होलिडीग प्राइवेट
प्रभावदेवी, बंबई-40025
इण्डिया

अशोक साहनी
मोनार्थ इन्टरनेशनल
नई दिल्ली, इण्डिया

डी०के० सक्सेना
एमजीआर प्रतिनिधि
टोयोटा त्सुसो माइनिंग
नई दिल्ली, भारत

फिलि सी स्कान्स्टर
प्रेसीडेन्ट
सी ट्रांस शिपिंग कार्पो०
स्टेमफोर्ड, सीटी, यू०एस०ए०

थॉमस शुल्ज
ऑनर्स आरईपी
मैर्स्क इन्डिया
नई दिल्ली, इंडिया

इयान स्क्रिम शॉ
निदेशक
हरनिश्च फेजर इन्टल०
सिंगापुर

एम०एम० सीम
चीफ जनरल मैनेजर
कोल इण्डिया
कलकत्ता-700016, इंडिया

आर०सी० शर्मा
एक्सक्यूटिव डाइरेक्टर
इन्स्ट कोल मैनेजमेण्ट
कलकत्ता 700016
इण्डिया

ए०आर० शर्मा
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बिलासपुर, म०प्र०
इण्डिया

शिव शर्मा
वेस्टर्न कोलफील्ड्स
नागपुर, इंडिया

नरेश शर्मा
बालाजी कोक इन्ड०
कलकत्ता, इंडिया

टिमोथी शॉर्ट,
जनरल मैनेजर
रूरकोइले ट्रेडिंग पैक०
एन सिडनी 2070,
आस्ट्रेलिया

बी०पी० सिंह
चीफ जनरल मैनेजर
कोल इण्डिया
कलकत्ता-700016
इण्डिया

सी०पी० सिंह
चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर
भारत कोकिंग कोल
बिहार, इंडिया

मारिया सिसिलिया रूसेको
कमर्शियल डाइरेक्टर
कार्बन्स डेल कारिबेसा
बागोटा, कोलंबिया

एस०के० साहा
जनरल मैनेजर
कोल इण्डिया
कलकत्ता-700016, इण्डिया

एन० साईनाथ
चीफ इंजीनियर
चन्द्रपुर तापीय विद्युत गृह
बम्बई, इंडिया

एस०एस० सोलोदकर
—
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बिलासपुर, म०प्र० इण्डियां

पी०आर० सिन्हा
इन्डो गल्फ फर्टि० एंड० कैमि
कारपोरेशन, लखनऊ
इंडिया

सहरयाल शहाबुद्दीन
चेयरमेन, सूर्यालया
बीपीपीटी
जकार्ता 11110 इन्डोनेशिया

बीनू सोनान्तो
डाय० जन० ए०आई०एफ०
पाबा
जकार्ता, इण्डोनेशिया

वी०के० सहगल
निदेशक (तकनीकी)
महानदी कोलफील्ड्स
उड़ीसा) इण्डिया

एस०के० सेन
निदेशक (तकनीकी)
भारत कोकिंग कोल
बिहार, इण्डिया

टेड्डी सेतियावान
प्रेसीडेंट डाइरेक्टर
पीटी त्रियानी
जकार्ता-11110, इंडोनेशिया

डी०के० सेट्ट
महाप्रबंधक, एम०एम०डी० बंबई
एसोसिएट सीमंट कंपनी
नई दिल्ली-110001
इंडिया

एम०एस० स्वीनी
—
सेल, कोल इंटर०
लंदन, एस०ई०आई०
7 एन ए, इंग०

डब्ल्यू० एच० स्वीटलैंड
वाइज प्रेसी०
बीएचपी पैट्रोलियम इन्क०
नई दिल्ली, इंडिया

वी०पी० तलवार
चीफ जन० मैने०
कोल इंडिया
कलकत्ता 700 016 इंडिया

एल०के० सिंह
ईस्टर्न कोलफील्ड्स
वर्द्धमान, इण्डिया

जे०पी० सिंह
—
नार्दर्न कोलफील्ड्स
जिला-सीधी, इण्डिया

राजिन्दर सिंह
अध्यक्ष
नेशनल थर्मल पावर
कलकत्ता, इंडिया

जगदीप सिंह
—
सैन्चुरी टैक्सटाइल्स एंड
नई दिल्ली, इंडिया

माइकेल वाल्डेलिबरे
डाइरेक्टर मार्केटिंग
टोटल एनर्जी सर्विसेज
हांगकांग

अर्मान्डो वर्गारा
कांम० वाइस प्रेसीडेन्ट
काबोकोल
बोगोटा, कोलंबिया

एस०के० वर्मा
चीफ ऑफ निरल मैनेजर
कोल इंडिया
कलकत्ता 700016 इंडिया

एस०बी० सोलॅंकी
—
सेंट्रल कोलफील्ड्स
रांची 834001 इंडिया

एस०एल० सूद
—
ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बर्द्धवान, इण्डिया

सुब्बिहा श्रीनिवासन
जन० मैन० इन्स्ट
मेट० कैम कनाडा
मोन्ट्रीयल-133 ए3 जी 5 कनाडा

आई०के० श्रीवास्तव
—
साउथ ईसटर्व कोलफील्ड्स
बिलासपुर, म०प्र० इंडिया

एस०पी० श्रीवास्तव
—
से० माइन प्लानिंग
रांची 834008 इंडिया

विक्रम श्रीवास्तव
मैनेजिंग डाइरेक्टर
श्रीवास्तव एंड एशो
नई दिल्ली 1100017 इंडिया

ई०एज०जे० स्टोयेल
टेक्नीकल डाइरेक्टर
ड्युकर एक्सप्लोरेशन
साउथ अफ्रीका

अलरिक स्ट्राबेल
मैनेजिंग डाइरेक्टर
रूहेरकोहले ट्रेडिंग पैसीफिक
एन० सिडनी 2070 आस्ट्रेलिया

विवेक सुन्दरा
सौराष्ट्र सीमेंण्ट
बॉम्बे, इण्डिया

युतका तान
आफिसर प्लान एंडको आं०
मित्सुबिशी डेवलप
टोक्यो 100-86 जापान

एस०एस० ठाकुर
डाइ० (फाइनेंस)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स
बर्द्धवान, इण्डिया

सी० रिचर्ड टिन्सले
प्रेसीडेंट
इट०एड० एंड फाइनेंस
पेडिंगटन 2021 आस्ट्रेलिया

ए०सी० टूहे
चीफ एक्सी०
वर्ल्ड कोल इन्स०
लंदन, डब्लू० क्यूएन, इंग्लैंड

ए०के० टूले
चीफ जन० मैने०
कोल इंडिया
नई दिल्ली, इंडिया

ओ०पी० त्रिखा
डाइरेक्टर
स्टील अथा० ऑफ इंडिया
नई दिल्ली, इंडिया

एस०डी० त्रिपाठी
—
महानदी कोलफील्ड्स
उड़ीसा, इण्डिया

एम०ए० उवैद
चीफ मैनेजिंग डाइ०
सेंट्रल कोलफील्ड्स
रांची 83400 इंडिया

एदगर विआना
मार्केट एनालिसिस
इकोकार्बन
बोगोटा, कोलंबिया

फ्रांसिस्को विलेजोन
सेल्स को-आर्डि०
कार्बोकील
बोगोटा, कोलंबिया

आर०जी० वाडले
—
ताविस्टोक कोलियरीज लि०
जोहेन्सवर्ग 2000 द अफ्रीका

मधु वाग़

एनर्जी ट्रेडिंग कार्पो०
न्यूयार्क, एनवाय, यू०एस०ए०

मार्क वाल्टर्स
—
लंदन एसडब्लू डब्लू, ओएसआर
इंग्लैंड

पान वान्जे
डीईपी मैनेजर
सीसीआईईसी
बीजिग 100016 चीन

क्रिस्टोरनक
यूएसजीएस
रेस्टन, वीए, यूएसए

डेविड वडरफ
सेल्स मैनेजर
ड्रेवो इन
सिक एन टीस टी एस 15 आरई
इंग्लैंड

मद्य निषेध

3456. **श्री शिवशरण वर्मा :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संविधान की धारा 47 के अनुरूप देश में मद्यपान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय नीतिगत दिशा-निदेशों को विभिन्न राज्यों के कार्यान्विपादन को देखते हुए संशोधित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय कानून या राज्य कानून का एक आदर्श प्रारूप बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) : मद्य निषेध राज्य का विषय होने के कारण इस मामले में राज्य सरकारों को कार्रवाई आरम्भ करना होता है। तथापि मद्य निषेध लागू करने की दिशा में प्रभावी तथा अर्थपूर्ण कदम उठाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 1975 में एक 12 सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम तथा 1978 के एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था। इन दिशानिर्देशों में संशोधन नहीं किया गया है।

(घ) तथा (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जन्मांधता

3457 **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जन्मांधता की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) जन्मांधता की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जन्मजात दृष्टिहीनता में वृद्धि होने का कोई प्रमाण नही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

3458 **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में रांची में कार्यरत आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख) : जी, हां, रांची स्थिति आकाशवाणी के मौजूदा 2 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 किलोवाट तक बढ़ाया जा रहा है तथा विविध भारती सेवा हेतु 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2x3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर में बदलकर उसकी शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। रांची स्थिति मौजूदा दूरदर्शन निर्माण सुविधा को पूर्ण विकसित स्टूडियो केन्द्र तक बढ़ाने की परिकल्पना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

चिकित्सकों की नियुक्ति

3459 **डा० परशुराम गंगवार :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सक नगरों में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन चिकित्सकों को गांवों में रहने और कार्य करने के लिए आकर्षित करने हेतु नए प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्येरा) : (क) से (घ) डाक्टरों की नियुक्तियों, तैनातियों और स्थानांतरणों का संबंध राज्य सरकारों से है। कुछ राज्यों में डाक्टरों की बीच-बीच में होने वाली कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित दिवसों में डाक्टरों के दौरों द्वारा कवर किया जा रहा है।

नेशनल अकादमी आफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन

3460. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नेशनल अकादमी आफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भोपाल में राष्ट्रीय सुधारात्मक प्रशासन अकादमी की स्थापना के लिए भूमि देने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय सुधारात्मक प्रशासन अकादमी की स्थापना न करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

उत्तरांचल राज्य

3461. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) : दिसम्बर, 1991 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12.8.91 को पारित एक प्रस्ताव की एक प्रति भेजी थी जिसमें केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन के आठ पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमौली, पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, अलमोड़ा और देहरादून को मिलाकर उत्तरांचल नामक एक अलग राज्य की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच के बाद राज्य सरकार से, संबंधित आठ पर्वतीय जिलों की वित्तीय रूपरेखा, प्रशासनिक विकासीय और रख-रखाव शीर्षों के अधीन ब्यौरों के संबंध में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। तथापि, उन्होंने यह सूचना भेजने में असमर्थता व्यक्त की है। वर्तमान राज्य सरकार, जिसने दिसम्बर, 1993 में अपना कार्यभार संभाला है, ने अभी तक मामले को औपचारिक रूप से नहीं उठाया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कैंसर रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3462. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैंसर रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इनमें से कुछ राज्य इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सके;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस धनराशि का उपयोग कारगर रूप से किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) आमतौर पर सहायता चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों, स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को दी जाती है। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई सहायता को दर्शाने वाला एक विचरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) समुपयोजन रिपोर्टें सीधे संस्थाओं द्वारा अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से यथा समय प्रस्तुत की जाती हैं।

विवरण

1992-93	(क) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान	राशि (रु० लाख में)
	1. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	299.00
	2. गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	50.00
	3. कैंसर संस्थान, मद्रास	50.00
	4. किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ आनकोलांजी, बैंगलूर	50.00
	5. इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली	465.00
	6. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार सोसाइटी केन्द्र, कटक	50.00
	7. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	50.00
	8. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	50.00
	* योजनेत्तर अनुदान के रूप में 149.00 रुपये शामिल हैं।	
	(ख) विकिरण चिकित्सा यूनिटों के लिए सहायता	
	1. नर्गिस दत्त मेमोरियल अस्पताल (अश्विनी सोसायटी) बारसी (सोलापुर)	20.00
	2. मीनाक्षी मिशन अस्पताल मदुरै	20.00
	3. कर्नाटक कैंसर अनुसंधान व उपचार संस्थान, हुबली	20.00
	4. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद	50.00
	5. एस० जी० कैंसर अस्पताल, इन्दौर	50.00
	6. लायन्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत	50.00
	7. चेरिटेवल सोसायटी आफ फोर्ट लायन्स, जोधपुर (ब्रेकिथेरेपी यूनिट के लिए)	5.00

1992-93 (ग) जिला परियोजनाओं के लिए सहायता राशि	(रु० लाख में)
1. जिला बंस कंठ, गुजरात	15.00
2. जिला पंचमहल, गुजरात	10.00
3. जिला भटिंडा, पंजाब	15.00
4. जिला जालंधर, पंजाब	15.00
5. जिला मदुरै, तमिलनाडु	15.00
6. जिला कोयम्बटूर तमिलनाडु	15.00
(घ) आन्कोलाजी विंगो का विकास	
1. जिपमेर, पांडिचेरी	100.00
2. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाल्ड़ा आन्ध्र प्रदेश	70.00
3. रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर	70.00
4. कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली	70.00
5. बी० एस० मेडिकल कालेज बंकपुरा (पश्चिम बंगाल)	70.00
6. गवर्नमेण्ट मेडिकल कालेज, गोआ	70.00
7. स्वामी रामानंद तीरथ ग्रामीण मेडिकल कालेज, अम्बे जोगाई, महाराष्ट्र	70.00
8. निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	30.00
9. सिलचर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सिलचर	30.00
10. जवाहर नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर	30.00
11. उत्तर बंगाल मेडिकल कालेज, सिलिगुडी (पश्चिम बंगाल)	30.00
(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं डिटेक्शन के स्वैच्छिक संगठन	
1. हनुमान प्रसाद पोददार स्मारक समिति, गोरखपुर	4.25
2. अमला कैंसर अस्पताल, त्रिचूर	5.00
3. क्रिश्चियन कैंसर केन्द्र अम्बी लिक्काई (तमिलनाडु)	5.00
4. जी० के० नायडु मेमोरियल अस्पताल, कोयम्बटूर	5.00
5. लायन्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत	5.00
6. राजकोट कैंसर सोसायटी राजकोट (गुजरात)	5.00
7. कैंसर सेन्टर एंड वेलफेयर होम, ठाकुरपुकुर	5.00
8. संजीवन मेडिकल फांउडेशन, मिराज	5.00
9. बदेला बालानंदा ब्रह्मचारी अस्पताल, कलकत्ता	5.00

1993-94	(क) राष्ट्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान	(रु० लाख में)
	1. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	610.00 *
	2. कैंसर संस्थान, मद्रास	55.00
	3. गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	50.00
	4. किदवई मैमोरियल आन्कोलाजी संस्थान, बैंगलूर	50.00
	5. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र एवं उपचार सोसायटी, कटक	25.00
	6. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	50.00
	7. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	50.00
	* 175.00 लाख रुपये के नॉन प्लान अनुदान सहित	
	(ख) विकिरण चिकित्सा यूनिटों के लिए सहायता	
	1. श्री सायाजी जनरल अस्पताल, बड़ौदा	50.00
	2. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोट्टायाम	50.00
	3. सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	50.00
	4. जे० के० कैंसर संस्थान, कानपुर	50.00
	5. तंजावर मेडिकल कॉलेज, तंजावर	50.00
	6. कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता	50.00
	7. एम० पी० कैंसर चिकित्सा, एवं सेवा समिति (जे० एल० नेहरु कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र) भोपाल	50.00
	8. पारावारा मेडिकल ट्रस्ट पारावारा रूरल अस्पताल अहमदनगर (महाराष्ट्र)	50.00
	9. परिधीय कैंसर केन्द्र, माड्या	50.00
	10. भारतीय कैंसर सौसायटी, दिल्ली	50.00
	(ग) जिला परियोजनाओं के लिए सहायता	
	1. जिला खेड़ा, गुजरात	13.00
	2. जिला भड़ोच, गुजरात	15.00
	3. जिला पंचमहल, गुजरात	10.00
	4. जिला ईस्ट खासी टिल्स, मेघालय	15.00

(घ) आन्कोलाजी स्कंधों का विकास	लाख रुपयों में
1. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर	70.00
2. एम० एल० मेडिकल कालेज, झांसी	70.00
3. असम मेडिकल कालेज, डिब्रुगढ़	70.00
4. बर्धमान मेडिकल कालेज, बर्धमान (पश्चिम बंगाल)	70.00
5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, दिल्ली	70.00
6. सिविल अस्पताल, आईजोल (मिजोरम)	70.00
7. सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू	30.00
8. लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ	50.00
9. रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर	30.00
(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं शीघ्र पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठन	
1. कैंसर डिटेक्शन सोसायटी, दिल्ली	5.00
2. भारतीय कैंसर सोसायटी, दिल्ली	5.00
3. धर्मशीला कैंसर फाउंडेशन एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	5.00

[अनुवाद]

उत्पादन घाटा

3464. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93 के दौरान कोयला क्षेत्र में अनुपस्थिति के कारण कितना उत्पादन घाटा हुआ है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की हानि हुई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को० इं० लि०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1992-93 के दौरान उनकी खानों में अनुपस्थिति के कारण 21.65 लाख टन की कोयले के उत्पादन की हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि लगभग 77 करोड़ रु० की राशि का होने का अनमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

कोण्डा गांव में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

3465. **श्री मानकूराम सोली :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बस्तर जिले के कोण्डागांव नगरपालिका में एक कम क्षमता वाला टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा और इसकी प्रसारण क्षमता कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के कोण्डागांव में स्थापना हेतु एक अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर को मंजूरी दी गई है।

(ख) इस ट्रांसमीटर को 1995 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है। भू-भागीय स्थितियों के अधीन कवरेज क्षेत्र 5 से 8 किलोमीटर अर्द्धव्यास का होगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता

3466. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान किए जाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रभावी होने की अवस्था में कार्यात्मक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार इस अधिनियम को लागू करने से पहले इस अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

एक्स-रे विकिरण

3467. **श्री हरिन पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1994 के "दपायनियर" में हाउ हार्मफुल इज एक्स-रे फार द वॉडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या एक्स-रे विकिरण मानव शरीर के लिए हानिकारक है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित सीमा में एक्स-रे विकिरण मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है।

(ग) और (घ) : एक्स-रे सहित विकिरण आयनीकरण के जीवविज्ञानी प्रभाव को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक प्राधिकरणों द्वारा अच्छी तरह से प्रमाणित किया गया है। नैदानिक प्रयोजनों के लिए एक्स-रे की मात्रा सुरक्षित सीमा के भीतर समस्त शरीर के लिए 2.0 रेक्स प्रतिवर्ष तक का प्रभाव सुरक्षित समझा जाता है।

(ङ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी किए गए विकिरण सुरक्षा नियमों में चिकित्सीय नैदानिक एक्स-रे उपकरण के लिए एक सुरक्षा संहिता का उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अतिथि-गृह

3468. **श्री छेदी पासवान :**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार को दिल्ली में अतिथि-गृह खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नियमों और विनियमों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अफसरों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक कितने अतिथि-गृहों को लाइसेंस प्रदान किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) अतिथि-गृहों को, पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए लाईसेंसों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है।

1991	1992	1993	1994 (10-8-94 तक)
67	33	18	11

सिंचाई परियोजनाएं

3469. **श्री तेजसिंहराव भोंसले** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) 30 जून, 1994 तक इसमें से कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1994-95 के लिए महाराष्ट्र में निर्माणाधीन बृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते 618.09 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को एकमुश्त ऋण एवं अनुदान निर्मुक्त करती है जो किसी क्षेत्र या परियोजना से संबद्ध नहीं होते हैं। परियोजनावार आवंटित और निर्मुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने निर्माणाधीन परियोजनाओं के वास्ते अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अखबारी कागज का उत्पादन

3470. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय अखबारी कागज का उत्पादन कितना है और इसकी मांग कितनी है;

(ख) क्या आयातित अखबारी कागज का उपयोग देशी अखबारी कागज से अधिक हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशी अखबारी कागज के अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 5.94 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित मांग के मुकाबले वर्ष 1993-94 के दौरान देश में 3.61 लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज का उत्पादन किया गया। आयातित और देशीय अखबारी कागज की खपत से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) देशीय अखबारी कागज की खपत को बढ़ाने की दृष्टि से अखबारी कागज आयात नीति में इस आशय का प्रावधान है कि वे समाचारपत्र, जिनकी अखबारी कागज की वार्षिक पात्रता 200 मीट्रिक टन है, 2 टन देशीय अखबारी कागज की खरीद के मुकाबले केवल 1 टन अखबारी कागज आयात कर सकते हैं।

जल प्रभाव

3471. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयाकटों और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में अत्यधिक जल भराव हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कृषि योग्य भूमि में जल भराव को रोकने हेतु नए डिजाइन शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) एवं (ख) भारत सरकार द्वारा गठित किए गए एक कार्यकारी दल ने पता लगाया है कि देश में सिंचाई परियोजनाओं के कमानों के अंतर्गत 2.46 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जल आप्लावित है। इस दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1992 में प्रस्तुत कर दी है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने देश में वर्ष 1974-75 में केन्द्रीय प्रयोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा वर्ष 1987 में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना शुरू की थीं। इन दोनों कार्यक्रमों के तहत की गई गतिविधियों से सिंचाई जल के प्रयोग की कारगरता में वृद्धि करने एवं कृषि योग्य भूमि में जल जमाव को रोकने में सहायता मिलती है। ये योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों को लूटना

3472. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में विदेशी पर्यटकों को लूटने की कुछ घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ग) इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और विदेशी पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली में विदेशी पर्यटकों को लूटने की 6 घटनाओं की सूचना मिली है। वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	सूचित किए गए मामले
1991	1
1992	2
1993	1
1994 (31-7-1994 तक)	2

(ग) इन 6 मामलों में 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 9 पर मुकदमा चल रहा है और दो व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

(घ) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं; गश्त में वृद्धि करना,

चुनिंदा स्थानों पर पिकेट तैनात करना, होटलों और गैस्ट हाउसों की अचानक तलाशी लेना, विभिन्न पिकेटों पर उन तिपहिया चालकों की पंजीकरण संख्या और उनके नाम नोट करना जो सवारियों को ले जाते हैं और पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन देना।

[अनुवाद]

असम समझौता

3473. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असम समझौते में विदेशियों का पता लगाने और उनके निष्कासन हेतु 1971 की आधार-तिथि (कट-आफ डेट) को अद्यतन बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया जायेगा; और

(घ) क्या असम-सरकार ने इस मामले में कोई मत व्यक्त किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के लोग

3474. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में राज्यवार प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त करने हेतु कोई समयबद्ध व्यापक सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में धनराशि का आवंटन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तथा (ख) जी, हां। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान के विस्तत सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव उनकी सूची में शामिल करने के लिए भेजा गया है, जो विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाने वाली अनुसूचित जाति के लिए धनराशि के आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। असम, बिहार, केरल, मणिपुर तथा पांडिचेरी को उनकी अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशतता के अनुसार 1994-95 के लिए विशेष

संघटक योजना हेतु धनराशि प्रदान की गई है। तथापि, वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान संघटक योजना के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई धनराशि के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण I से V संलग्न है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों से जहां विशेष संघटक योजना अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशता से कम है, अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशतता के अनुपात में विशेष संघटक योजना के तहत धनराशि आवंटित करने के लिए सलाह दी गई है।

विवरण–I

1991 की जनगणना के अनुसार कुल राज्य योजना परिव्यय की तुलना में विशेष संघटक योजना परिव्यय की प्रतिशतता तथा राज्य जनसंख्या की तुलना में अनु० जाति जनसंख्या की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	राज्य की जनसंख्या में अनु० जाति की प्रतिशतता
		कुल राज्य परि० को वी० सं० या० परिव्यय की प्रतिशतता *			
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.85	11.28	15.54	15.93
2.	असम	6.03	6.72	7.49	7.40
3.	बिहार	9.24	17.20	15.26	14.55
4.	गोवा	1.42	1.29	1.52	2.08
5.	गुजरात	3.80	3.76	3.62	7.41
6.	हरियाणा	13.04	13.62	14.06	19.75
7.	हिमाचल प्रदेश	12.43	12.50	11.92	25.34
8.	जम्मू और कश्मीर	5.64	8.14	5.77	—
9.	कर्नाटक	9.19	9.27	9.27	16.38
10.	केरल	13.52	13.70	9.95	9.92
11.	मध्य प्रदेश	10.67	11.57	11.65	14.55
12.	महाराष्ट्र	5.40	5.17	5.44	11.09
13.	मणिपुर	0.88	1.20	2.49	2.02
14.	उड़ीसा	15.11	14.80	7.59	16.20
15.	पंजाब	14.27	15.61	18.80	28.31
16.	राजस्थान	17.06	16.16	15.85	17.29
17.	सिक्किम	0.41	5.96	4.67	5.93

1	2	3	4	5	6
18.	तमिलनाडु	16.73	16.80	19.00	19.18
19.	त्रिपुरा	11.40	15.23	13.48	16.36
20.	उत्तर प्रदेश	10.00	10.27	11.56	21.05
21.	प० बंगाल	12.37	14.26	10.22	23.62
22.	चंडीगढ़	14.60	2.92	2.54	16.51
23.	दिल्ली	9.62	9.00	8.61	19.05
24.	पांडिचेरी	16.00	16.02	16.41	16.25

* विवरण के लिए कृपया अनुबंध देखें।

विवरण-II

1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा राज्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	राज्य जनसंख्या की तुलना में अनु० जाति जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,65,08,008	1,05,92,066	15,93
2.	अरुणाचल प्रदेश	8,64,558	4,052	0.47
3.	असम	2,24,14,322	16,59,412	7.40
4.	बिहार	8,63,74,465	1,25,71,700	14.55
5.	गोवा	11,69,793	24,364	2.08
6.	गुजरात	4,13,09,582	30,69,358	7.41
7.	हरियाणा	1,64,63,648	32,50,933	19.75
8.	हिमाचल प्रदेश	51,70,877	13,10,296	25.34

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	77,18,700	N.A.	—
10.	कर्नाटक	4,49,77,201	73,69,279	16.38
11.	केरल	2,90,98,518	28,86,522	9.92
12.	म० प्रदेश	6,61,81,170	96,26,679	14.55
13.	महाराष्ट्र	7,89,37,187	87,57,842	11.09
14.	मणिपुर	18,37,149	37,105	2.02
15.	मेघालय	17,74,778	9,072	0.51
16.	मिजोरम	6,89,756	691	0.10
17.	नागालैंड	12,09,546	—	—
18.	उड़ीसा	3,16,59,736	51,29,314	16.20
19.	पंजाब	2,02,18,969	57,42,528	28.31
20.	राजस्थान	4,40,05,990	76,07,820	17.29
21.	सिक्किम	4,06,457	24,034	5.93
22.	तमिलनाडु	5,58,58,946	1,07,12,266	19.18
23.	त्रिपुरा	27,57,205	4,51,116	16.36
24.	उत्तर प्रदेश	13,91,12,287	2,92,76,455	21.05
25.	प० बंगाल	6,80,77,965	1,60,80,611	23.62
26.	अ० नि० द्वीप समूह	2,80,661	—	—
27.	चंडीगढ़	6,42,015	1,05,977	16.51
28.	दा० न० हवेली	1,38,477	2,730	1.97
29.	द० और द्वीव	1,01,586	3,891	3.83
30.	दिल्ली	94,20,644	17,94,836	19.05
31.	लक्षद्वीप	51,707	—	—
32.	पांडिचेरी	8,07,785	1,31,278	16.25

विवरण-III

1992-93 के दौरान कुल राज्य योजना तथा विशेष संघटक योजना को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना	प्रतिशत परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1660.00	163.51	9.85
2.	असम	960.00	57.85	6.03
3.	बिहार	2215.00	204.60	9.24
4.	गोवा	152.50	2.16	1.42
5.	गुजरात	1875.00	71.34	3.80
6.	हरियाणा	830.00	108.20	13.04
7.	हिमाचल प्रदेश	486.00	60.43	12.43
8.	जम्मू और कश्मीर	820.00	46.21	5.64
9.	कर्नाटक	1915.00	176.02	9.19
10.	केरल	913.00	123.44	13.52
11.	मध्य प्रदेश	2450.33	261.56	10.67
12.	महाराष्ट्र	3160.00	170.68	5.40
13.	मणिपुर	210.84	1.85	0.88
14.	उड़ीसा	1405.00	212.26	15.11
15.	पंजाब	1150.00	164.06	14.27
16.	राजस्थान	1401.57	239.13	17.06
17.	सिक्किम	110.00	0.45	0.41
18.	तमिलनाडु	1751.35	293.00	16.73
19.	त्रिपुरा	282.00	32.16	11.40

1	2	3	4	5
20.	उत्तर प्रदेश	4039.92	404.05	10.00
21.	प० बंगाल	1501.00	185.73	12.37
22.	चंडीगढ़	68.00	9.93	14.60
23.	दिल्ली	920.00	88.51	9.62
24.	पांडिचेरी	90.00	14.40	16.00
	कुल	30366.51	3091.53	10.18

विवरण-IV

1992-93 के दौरान कुल राज्य योजना तथा विशेष संघटक योजना के तहत परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1851.00	208.77	11.28
2.	असम	956.16	64.25	6.72
3.	बिहार	1202.00	207.00	17.20
4.	गोवा	170.00	2.20	1.29
5.	गुजरात	2137.00	80.43	3.76
6.	हरियाणा	920.00	125.33	13.62
7.	हिमाचल प्रदेश	550.00	68.75	12.50
8.	जम्मू और कश्मीर	880.00	70.52	8.14
9.	कर्नाटक	3025.00	280.70	9.27
10.	केरल	1003.00	137.38	13.70

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	2400.00	271.49	11.57
12.	महाराष्ट्र	3804.00	196.60	5.17
13.	मणिपुर	235.13	2.82	1.20
14.	उड़ीसा	1450.00	214.53	14.80
15.	पंजाब	1250.00	195.17	15.61
16.	राजस्थान	1700.00	274.78	16.16
17.	सिक्किम	100.12	5.96	5.96
18.	तमिलनाडु	2101.00	353.61	16.80
19.	त्रिपुरा	208.58	31.78	15.23
20.	उत्तर प्रदेश	4290.40	440.70	10.27
21.	प० बंगाल	1550.00	221.10	14.26
22.	चंडीगढ़	80.00	2.34	2.92
23.	दिल्ली	1075.00	95.75	9.00
24.	पांडिचेरी	108.00	17.30	16.02
	कुल	33046.39	3569.26	10.80

विवरण-V

1994-95 के दौरान कुल राज्य योजना तथा विशेष संघटक योजना के तहत परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2130.00	331.07	15.54
2.	असम	978.83	73.33	7.49

1	2	3	4	5
3.	बिहार	2400.00	361.00	15.26
4.	गोवा	279.34	4.25	1.52
5.	गुजरात	2240.00	81.15	3.62
6.	हरियाणा	1025.00	144.14	14.06
7.	हिमाचल प्रदेश	650.00	77.48	11.92
8.	जम्मू और कश्मीर	950.00	54.83	5.77
9.	कर्नाटक	3275.00	303.53	9.27
10.	केरल	1260.00	125.36	9.95
11.	मध्य प्रदेश	2750.00	380.49	11.65
12.	महाराष्ट्र	4200.00	228.61	5.44
13.	मणिपुर	240.00	5.98	2.49
14.	उड़ीसा	1950.00	148.02	7.59
15.	पंजाब	1450.00	200.07	13.80
16.	राजस्थान	2450.00	388.28	15.85
17.	सिक्किम	180.54	8.40	4.67
18.	तमिलनाडु	2750.01	523.06	19.00
19.	त्रिपुरा	290.00	39.10	13.48
20.	उत्तर प्रदेश	4250.00	491.36	11.56
21.	प० बंगाल	1706.00	174.35	10.22
22.	चंडीगढ़	95.00	2.41	2.54
23.	दिल्ली	1560.00	143.30	8.61
24.	पांडिचेरी	135.00	22.16	16.40
	कुल	39194.17	4311.73	10.97

* प्रस्तावित

विदेश सेवा प्रभाग

3475. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के विदेश सेवा प्रभाग-डी डी इंटरनेशनल को सुदृढ़ करने और उसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन ने इस संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक एजेंसी के साथ सहयोग करने संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के पास विदेश सेवा प्रभाग नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज

3476. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेडिकल कालेज स्थापित किए जाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है;

(ख) उक्त योजना के दौरान अब तक ऐसे कितने कालेजों की स्थापना की जा चुकी है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान की गई है; और

(घ) शेष मेडिकल कालेजों को कब तक मान्यता दे दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित तीन मेडिकल कालेजों को मान्यता दी गई :

1. आदिचुचंगगिरि आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लूर, कर्नाटक।

2. श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, टुमकुर, कर्नाटक।

3. भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कालेज, पुणे।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमत्य

(घ) कालेज को मान्यता देना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति पर निर्भर करता है तथा इस उद्देश्य के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

परिचय पत्र

3477. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को परिचय पत्र जारी करने का मामला अधर में लटक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि जब तक कि योजना को संवैधानिक आवरण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय विधायन को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक पहचान-पत्र जारी न किए जाएं। "विनिर्दिष्ट क्षेत्र (निवासियों को पहचान-पत्र जारी करना) विधेयक, 1993" नामक विधेयक पर संसदीय स्थाई समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सूरत दूरदर्शन रिले केन्द्र

3478. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूरत दूरदर्शन रिले केन्द्र का विस्तार करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू किये जाने और पूरा होने की संभावना है; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर से बदलने की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) : स्कीम की मंजूरी के बाद इस प्रकृति की परियोजना के कार्यान्वयन में तीन से चार वर्ष का समय लग जाता है। इस प्रकार की परियोजना की वर्तमान में निर्धारित अनुमानित लागत लगभग सात करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठन

3479. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से विदेशी नागरिक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों में प्रोमीटर, पदाधिकारी और कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा भारत में शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में क्या प्रावधान/नियम हैं;

(घ) क्या स्वैच्छिक संगठनों में विदेशियों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) विद्यमान नीति के अनुसार, सरकार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन ऐसे किसी स्वयं-सेवी संगठन को दर्ज करने को प्रोत्साहन नहीं देती जिस संगठन का कोई सक्रिय पदाधिकारी विदेशी नागरिक हो। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन दर्ज स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारियों आदि के ब्यौरों के संबंध में कोई सूचना नहीं रखी जाती हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत पर्याप्त रक्षोपाय उपलब्ध कराये जाते हैं। कोई अन्य प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हजरतबल दरगाह

3480. **श्री रामचन्द्र मारोतराव धांगारे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हजरतबल दरगाह के बाहर बनाए गए सुरक्षा-बंकरों को हटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) गत वर्ष उग्रवादियों से हजरत बल दरगाह को शांतिपूर्वक खाली करा लेने के बाद दरगाह, पवित्र अवशेष, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पुलिस और सुरक्षा बलों के बंकर बनाए गए थे। तथापि, आग्रह करने के बावजूद, दरगाह का प्रबंध करने वाले मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ने इसकी प्रबंध संबंधी जिम्मेदारियों को ग्रहण नहीं किया

यद्यपि सुरक्षा प्रबंधों के कारण, दरगाह में जाने के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंच रही थी। ट्रस्ट को उपर्युक्त हिचकिचाहट के कारण दरगाह में पारंपरिक नमाज पुनः शुरू न हो सकी। विभिन्न क्षेत्रों से बकरों को स्थानातरित करने की अपीलें प्राप्त हुई थीं ताकि लगातार जारी गतिरोध समाप्त किया जा सके और पारंपरिक नमाज एवं रस्में पुनः शुरु हो सकें। नवम्बर, 1993 से घटनाक्रम, उसके बाद से बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईदे-मिलाद-उल-नबी के अवसर पर पारंपरिक नमाज एवं रस्में उन्मुक्त रूप से और बिना किसी प्रतिबंध की धारणा से करने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बकरों के स्थानांतरित करने और क्षेत्र में वैकल्पिक सुरक्षा प्रबंध करने का निर्णय लिया।

2. इसके अनुसरण में, मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ने दरगाह का प्रबंध संभाल लिया है और सभी पारंपरिक गतिविधियां पुनः शुरू हो गई है। जहां सरकार इस क्षेत्र में चौकसी बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी वहीं ऐसी आशा है कि सभी वर्गों के लोगों में सुबुद्धि बनी रहेगी जिससे कि दरगाह की पवित्रता और क्षेत्र में शांति बनाए रखी जा सके।

"इंडिया" में प्रवेश

3481. **श्री अन्ना जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "फिल्म एण्ड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया", (एफ० टी० आई० आई०) पुणे से विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वर्तमान प्रणाली क्या है;

(ख) क्या चुने हुए अभ्यर्थियों द्वारा समय पर पाठ्यक्रमों में शामिल न होने की स्थिति में बचे रिक्त स्थानों को भरने के लिए कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो क्या योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को इस संस्था में प्रवेश दे दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) संस्थान, प्रमुख अखबारों में विज्ञापनों के जरिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। समूचे देश में व्याप्त 12 केन्द्रों में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में अर्हप्रत्याशियों के लिए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा परवर्ती योग्यता परीक्षा/साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के वास्ते क्रमशः 15 तथा 7.5 प्रतिशत आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए, योग्यता (मैरिट) सूची तैयार की जाती हैं। अफ्रीकी एशियाई देशों के प्रत्याशियों के लिए भी प्रत्येक पाठ्यक्रम में दो सीटें आरक्षित रहती हैं। महत्वाकांक्षी विदेशी प्रत्याशियों के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना लाजिमी है।

(ख) से (ङ) समय पर प्रवेश न ले पाने वाले प्रत्याशियों के परिणामस्वरूप खाली बची सीटों को संधारित मैरिट सूची में उपलब्ध अगले प्रत्याशियों में से भर लिया जाता है। सीटों का आरक्षण प्रवेश/क्षेत्रों के आधार पर नहीं किया जाता।

समाचार पत्रों का पंजीकरण

3482. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल से समाचार पत्रों के पंजीकरण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने समाचार पत्रो का पंजीकरण किया गया; और

(ग) शेष समाचार पत्रों का पंजीकरण कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शेष समाचारपत्रों को पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने पंजीकरण हेतु प्रेस एवं पुस्तक अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। उनसे पूर्ण ब्यौरा प्राप्त होने पर उनके मामलों पर विचार किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल से समाचार पत्रों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या और भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या।

प्राप्त आवेदनों की संख्या

राज्य	1991	1992	1993
कर्नाटक	148	227	236
आंध्र प्रदेश	198	195	210
तमिलनाडु	285	164	180
केरल	166	109	184

पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या

राज्य	1991	1992	1993
कर्नाटक	73	50	80
आंध्र प्रदेश	45	49	54
तमिलनाडु	154	70	58
केरल	34	24	35

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं की चोरी

3483. **श्री सुरेन्द्र पाल चाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसूति वार्ड से कितने नवजात शिशुओं की चोरी के मामले दर्ज किए गए है;

(ख) इनमें से कितने मामलों को सुलझा लिया गया है और कितने मामले अब भी लंबित है;

(ग) अब तक ऐसे मामलों में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से शिशुओं की चोरी के तीन मामले थे।

(ख) एक मामले को सुलझाया जा चुका है। एक की छानवीन की जा रही तथा तीसरे मामले का पुलिस द्वारा पता नहीं लगाया जा सका है।

(ग) एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

(घ) सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है तथा स्वतंत्र निगरानी करने के लिए सफदरजंग, डा० राम मनोहर लोहिया तथा लोक नायक जय प्रकाश अस्पतालों द्वारा विशेष सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। अस्पताल में आने वाले रोगियों को अजनबी व्यक्तियों के साथ अपने बच्चों को छोड़ने के बारे में सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जा रही है। इसके अलावा, अस्पतालों में सादे कपड़ो में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है।

स्वास्थ्य रक्षा हेतु जर्मन सहायता

3484. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को जनजातिय क्षेत्रों में अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने हेतु "जर्मन एड एजेन्सी" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को "जर्मन एड एजेन्सी" को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ब्लड बैंक

3485. **श्री प्रवीन डेका:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में इस समय कार्यरत ब्लड बैंक कहां-कहां पर स्थित है;

(ख) इनमें से कितने बैंकों में "एड्स" परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के सभी ब्लड बैंकों में "एड्स" का पता लगाने के उपकरण उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) मेडिकल कालेज, गुवाहाटी, मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़, मेडिकल कालेज, सिल्चर।

(ख) सभी बैंकों में ऐसी सुविधाएं हैं।

(ग) और (घ) जब कभी राज्य की अपेक्षाओं में और सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक होगा, सरकार समुचित निर्णय लेगी।

कोयला धोवनशालाएं

3486. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ कोयला धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पहचान की गई ऐसी धोवनशालाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) उपयोगिता क्षमता तथा धुले कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के विचार से विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसर कोल इंडिया लि० की विद्यमान कार्यरत वाशरियों को आधुनिकीकृत किए जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा विनिर्दिष्ट वाशरियों को नीचे दिया गया है:

कम्पनी	वाशरी का नाम
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा० को० को० लि०)	दुग्दा-I
	दुग्दा-II
	भोजुडीह
	पाथेरडीह

	सुदामडीह
	मूनीडीह
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (से० को० लि०)	कारगली
	कठारा
	स्वांग
	गिडी

कोल इण्डिया लि० ने यह संकेत दिया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान को० इं० लि० की विद्यमान वाशरियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 179.10 करोड़ रु० की राशि की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

आई० एस० आई० की गतिविधियां

3487. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंस की गतिविधियों को विफल करने हेतु किसी विशेष कृतिक बल का गठन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापित सरकार को आई० आर० आई० की गतिविधियों की जानकारी हैं और वह आसूचना तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने सहित अन्य अनेक उपाय करके उनके इरादों को नाकाम बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

मैट्रो चैनल

3488. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री पी० सी० थामस :
श्री छीतूभाई गामीत :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैट्रो चैनल का और अधिक शहरों तक विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन से शहरों में मैट्रो चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां मैट्रो चैनल (डी० डी० 2) कार्यक्रमों को रिले करने हेतु आठवीं योजना स्कीमों के एक हिस्से के रूप में टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित है।

1. गुवाहाटी
2. पटना
3. शिमला
4. श्रीनगर
5. बंगलौर
6. त्रिवेन्द्रम
7. जयपुर
8. जम्मू
9. पांडिचेरी
10. अगरतला
11. इम्फाल
12. ऐजवाल
13. पणजी
14. पोर्ट ब्लेयर
15. नागपुर
16. शिलांग
17. ईटानगर
18. कोहिमा
19. गंगटोक

कोयला धोवेनशालाएं

3489. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री तारा सिंह :
श्री प्रमोथेस मुखर्जी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला धोवनशालाओं के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए निविदाएं जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोयला धोवनशालाओं की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ पहले भी निविदाएं आमंत्रित की गई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नई निविदाएं आमंत्रित करने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड (को० ई० लि०) ने "स्व-निर्मित-स्व-चालित" आधार पर कोयला वाशरियों की स्थापना करने के लिए विश्वव्यापी रूप में विदेशी तथा भारतीय पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

"स्व-निर्मित-स्व-चालित" योजना के अंतर्गत पार्टियों को संयंत्रों में निवेश, डिजाइन, स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण और संयंत्र का अपना ही स्वामित्व रखना पड़ेगा। को० इ० लि० को पटटेदारी के आधार पर संयंत्र के लिए भूमि, विद्युत का उत्पादन किए जाने और प्रभार आधार पर जल निर्मित करने की सुविधा मुहैया की जाएगी।

(ग) और (घ) को० इ० लि० ने कई स्थलों को विनिर्दिष्ट किया है, जो कि उन्होंने कोकर कोयला क्षेत्रों तथा अकोकर कोयला क्षेत्रों दोनों में वाशरियों की स्थापना करने के लिए विनिर्दिष्ट किया है, जिसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वाशरी का नाम	स्थल
कलिंग	उड़ीसा
अनंत- भरतपुर	उड़ीसा
दीपका	मध्य प्रदेश
सास्ती	महाराष्ट्र
पारेज	बिहार
टिकोक	असम
ढोरी	बिहार

(ङ) से (छ) को. इ० लि० ने पूर्व में अगस्त, 1993 में स्थानीय जांच संबंधी निविदायें आमंत्रित की थीं जिसके अंतर्गत "स्व—निर्मित-स्व-चालित" आधार पर वाशरियों की स्थापना की पेशकश की गई थी। इस संबंध में घरेलू निविदाकर्ताओं की ओर से अपर्याप्त रूप में प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

स्वयंसेवी संगठन

3490. **श्री घोटा सुब्बाराव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी अविदाय (विनियपन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी अविदाय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : वर्ष 1992-93 के लिए सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

वर्ष 1993-94 के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976) के अन्तर्गत आने वाले संगठनों के द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में सूचना मई, 1994 तक आनी थी, परन्तु सभी से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः वर्ष 1993-94 के लिए विदेशी अभिदाय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 के लिए एक लाख रुपये से अधिक राशि की प्राप्ति की सूचना देने वाले संगठनों की अनन्तिम सूची।

राज्य	संगठनों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	162
असम	53
बिहार	208
गुजरात	120
मध्य प्रदेश	165
तमिलनाडु	954
महाराष्ट्र	387
कर्नाटक	25
पंजाव	31
राजस्थान	67
उत्तर प्रदेश	217
पश्चिम बंगाल	33

जम्मू और कश्मीर	14
नागालैंड	12
हरियाणा	25
हिमाचल प्रदेश	24
मणिपुर	35
त्रिपुरा	4
मेघालय	53
दिल्ली	275
अंडमान और निकोबार	5
दादरा और नागर हवेली	4
गोवा, दमण और दीव	63
पांडिचेरी	37
चंडीगढ़	6
मिजोरम	4

हृदय धमनी संबंधी रोग

3491. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में हृदय धमनी संबंधी रोगों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी ऐसा कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में मृत्यु के हृदय धमनी संबंधी रोग से संबंधित कारणों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि करोनरी रोग के कारण हुई मौत अधिसूचनीय नहीं है।

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

3492. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री शरद दिघे :
श्री बोला बुल्ली रामय्या :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई 1994 में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में विचार किए गए मुद्दे, दिए गए सुझावों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) दिल्ली में 19 जुलाई, 1994 को मणिपुर के राज्यपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, वे हैं:—

(i) वर्तमान परमिट-व्यवस्था का उदारीकरण

(ii) विद्रोह पर नियंत्रण के उपाय

(iii) वित्तीय अनुशासन।

(iv) घुसपैठ-बहुत क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी किया जाना।

विस्तृत बातचीत के बात, अनेक मत व्यक्त किए गए/सिफारिशें की गई निर्णय लिए गए।

मौजूदा परमिट-व्यवस्था के उदारीकरण के बारे में, मुख्यमंत्रियों का मत था कि क्षेत्र में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश पर, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आर० ए० पी०)/संरक्षित क्षेत्र परमिट (पी ए पी) के अधीन मौजूदा प्रतिबंधों को वापस ले लिया जाए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ने "इनर लाइन परमिट प्रणाली" के अधीन अन्य राज्यों से आने वाले भारतीय नागरिकों के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए असहमति व्यक्त की। किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका।

विद्रोह की स्थिति पर काबू पाने की दृष्टि से किए गए कुछ बड़े निर्णयों/सिफारिशों में शामिल है– खुफिया सूचना तन्त्र में सुधार करना, राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाना, राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय में और सुधार लाना, धन ऐंठने आदि की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष दस्तों का गठन किया जाना।

जहां तक वित्तीय अनुशासन का सवाल है, यह सहमति हुई कि विकास के लिए दी गई धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया जाए। पहचान पत्र के मुद्दे पर यह सहमति हुई कि इस योजना के कार्यान्वयन का काम, इस योजना को कानूनी शक्ति देने के लिए लाए जाने वाले केन्द्रीय विधायन के अधिनियमन के बाद ही शुरु किया जाएगा यह सुझाव भी दिया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए जाएं और कि इस योजना को इन राज्यों के समूचे क्षेत्र में लागू किया जाए।

तमिलनाडु में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

3493. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में किन-किन स्थानों पर टेलीविजन प्रसारण उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के "मारटनडम" क्षेत्र में दुरदर्शन प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) हालांकि संपूर्ण तमिलनाडु राज्य उपग्रह सेवा द्वारा कवर किया जाता है तथापि राज्य के सभी जिलों को स्थलीय प्रसारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपलब्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) मारटनडम में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित है बशर्ते संसाधन और आधारभूत ढांचा उपलब्ध हों।

एड्स के बारे में जागरूकता

3494. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :
श्री विजय नवल पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्वेमर्ड इम्यूनो डिफिटिसी सिंड्रोम (एड्स) के बारे में चिकित्सकों को जानकारी के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकाले;

(ग) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के चिकित्सकों को एच० आई० वी० ह्यूमन इम्यूनो–डिफिशियन्सी वायरस) संक्रमण से पैदा होने वाले एड्स रोग, इसका निदान, प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के बारे में जानकारी देने और उनमें जागरुकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

(एन० ए० सी० ओ०) की वित्तीय सहायता से जुलाई, 1994 में देश के कुछ नगरों में कार्यशालाएं/प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इससे किस हद तक उद्देश्यों की पूर्ति हुई;

(ड़) क्या आई० एम० ए०/एन० ए० सी० ओ० द्वारा भविष्य में अन्य नगरों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने का विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान एसोसिएशन ने केरल, बिहार तथा उड़ीसा के कोर-प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में सरकार की वित्तीय सहायता से विषय परिचायक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। कोर प्रशिक्षक अपने-अपने राज्यों में लीड-प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि वे उक्त तीनों राज्यों में एच० आई० वी०/एड्स रोगियों के नैदानिक तथा चिकित्सीय प्रबंध में 7500 सामान्य चिकित्सा व्यावसायियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

(ड़) एवं (च) उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों जिन्हें वे इस समय चला रहे हैं से प्राप्त अनुभव के आधार पर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन भविष्य में अन्य राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

3495. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री नयल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक/अन्य विदेशी सहायता से चल रही सिंचाई परियोजनाओं का उनकी सिंचाई क्षमता के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक/अन्य विदेशी एजेन्सियों द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) अब तक परियोजनावार कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है;

(घ) क्या इस धनराशि का पूर्ण रूप उपयोग हो चुका है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) बाह्य सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा वचनबद्ध एवं उपयोग की गई सहायता राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जहां तक सहायता के उपयोग का संबंध है कुछ परियोजनाओं में बाह्य सहायता का कम उपयोग किए जाने के कुछ उदाहरण हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं;

(i) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रारंभिक विलम्ब।

(ii) पुनर्वास और पुर्नस्थापन पर संतोषजनक कार्ययोजना उपलब्ध न होने के कारण विश्व बैंक द्वारा ऋण/क्रेडिट प्रभावकारिता घोषित करने में विलम्ब।

(iii) विश्व बैंक द्वारा स्थानीय प्रतियोगी बोली और अन्तर्राज्यीय प्रतियोगी बोली पैकेजों के अनुमोदन में विलम्ब।

(iv) राज्य सरकार का वित्तीय संकट।

(v) परियोजनाओं को आबंटित निधियों को असमय निर्मुक्ति।

(vi) परियोजना के वार्षिक योजनागत बजट में उत्तरवर्ती कटौती।

(vii) बोली दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

(viii) परियोजना के क्रियान्वयन को अवधि के दौरान विश्व बैंक द्वारा अध्ययन आदि करने जैसी कुछ शर्तें थोप देना।

(ix) विश्व बैंक द्वारा अधिप्राप्ति पर प्रतिबन्ध लगा देना।

(x) प्राकृतिक आपदाएं।

(xi) रुपए के संदर्भ में दाता मुद्रओं का मूल्य बढ़ जाना।

(च) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। परियोजना की प्रति का प्रबोधन करने के लिए प्रत्येक परियोजना को तिमाही समीक्षा बैठकें केन्द्रीय जल आयोग में आयोजित की जाती है जिनमें संबंधित राज्य सरकारों केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सहायता प्रदान करने वाले अभिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

विवरण

(राशि : मिलियन दाता मुद्रा में)

क्रम	परियोजना का नाम	राज्य	दाता अभिकरण	31.5.1994 को उपलब्ध सहायता राशि	समझौते की तारीख	ऋण समाप्ति की तारीख	31.5.1994 को उपयोग (संचयी)	सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना (फेज–।।)	कर्नाटक	विश्व बैंक	207.500 अमेरिकी डालर	16-6-1989	31-12-1996	98.747 अमेरिकी डालर	150
2.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई परियोजना–।।।	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	182.620 अमेरिकी डालर	5-12-1985	31-12-1996	87.629 अमेरिकी डालर	144
3.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब	विश्व बैंक	155.670 अमेरिकी डालर	9-2-1990	31-3-1998	47.165 अमेरिकी डालर	26.7
4.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	135.330 अमेरिकी डालर	29-6-1984	30-9-1994	122.624 अमेरिकी डालर	43
5.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	बहु राज्यीय	विश्व बैंक	114.000 अमेरिकी डालर	15-5-1987	31-3-1995	101.805 अमेरिकी डालर	3284

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	बांध सुरक्षा आश्वासन पुर्नवास परियोजना	बहु राज्यीय	विश्व बैंक	153.00 अमेरिकी डालर	10-6-1991	30-9-1997	14.850 अमेरिकी डालर	
7.	जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	विश्व बैंक	262.979 अमेरिकी डालर	6-4-1994	31-12-2000	00.00 अमेरिकी डालर	155
8.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जापान	3769.00 येन	15-12-1988	20-7-1998	1681.203 येन	88.76
9.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जापान	3744.00 येन	15-12-1988	20-1-1999	1153.803 येन	218.60
10.	लघु सिंचाई परियोजना	राजस्थान	जर्मनी	15.00 डच मार्क	29.4.1988	31-12-1995	6.944 डच मार्क	6.6
11.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जर्मनी	55.00 डच मार्क	19-12-1993	30-12-2020	5.900 डच मार्क	28
12.	महाराष्ट्र में फसलों के विविधी-करण के लिए जल नियंत्रण प्रणाली	महाराष्ट्र	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	15.00 इ० सी० यू०	25-10-1988	31-12-1994	3.80 इ० सी० यू०	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	सरोवर सिंचाई प्रणाली परियोजना (चरण-।।)	तमिलनाडु	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	24.5 इ० सी० यू०	27-4-1989	31-10-1995	10.982 इ० सी० यू०	20
14.	लघु सिंचाई परियोजना	केरल	—वही—	11.8 इ० सी० यू०	21-5-1982	31-12-1998	00.000 इ० सी० यू०	20
15.	सिद्धमुख और नोहर परियोजना	राजस्थान	—वही—	43.00 इ० सी० यू०	7-6-1993	31-12-2000	00.00 इ० सी० यू०	84

इ० सी० यू० = यूरोपीय मुद्रा इकाई

दूरदर्शन के लिए सलाहकार समिति

3496. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कोई सलाहकार समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : कार्यक्रम सलाहकार समितियां अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, लखनऊ, मद्रास, श्रीनगर और तिरूअनन्तपुरम में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से संबद्ध हैं।

[अनुवाद]

डेंगू ज्वर

3497. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1994 में नई दिल्ली में डेंगू हैमरूम ज्वर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और डेंगू पर एक राष्ट्रीय ब्रेन स्टार्मिंग सत्र हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें क्या सिफारिशें की गई;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परियार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्येरा) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

3498. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपनी सीमा को मजबूत बनाने और तस्करी गतिविधियों, विशेषतः ब्रार्क की तस्करी को रोकने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) पुलिस बलों में बढ़ोतरी करने, पुलिस स्टेशनों को सुदृढ़ करने, एस० एस० एफ० क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का स्तर बढ़ाने और सामरिक महत्व के उपमरणों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने पीपुल्स वार ग्रुप, वामपंथी उग्रवादियों के खतरे से निपटने और नशीली दवाओं की गतिविधियों को रोकने के लिए सहायता मांगी है।

स्वास्थ्य रक्षा

3499. **श्री एस० एम० लालजान बाशा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य रक्षा में अस्पताल परामर्शदात्री सेवा निगम की क्या भूमिका है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्वास्थ्य देखभाल पर इस संगठन द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) हास्पिटल कन्सल्टेंसी सर्विसेज कारपोरेशन एक परामर्शी संगठन है जो अस्पताली डिजाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) शून्य

डोडा से विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा

3500. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डोडा के विस्थापितों को आतंकवादियों द्वारा लूटी गई उनकी सम्पत्ति के कारण हुए नुकसान के लिए कोई मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डोडा के प्रवासियों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई गई है, जो अब अपने गांवों में लोट आए हैं। इसमें, प्रभावित हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए क्षतिपूर्ति एवं भौतिक सहायता, ऐसे प्रभावित परिवारों को तीन महीने का राशन, तुरंत आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद के लिए प्रति परिवार

एक हजार रु० नकद शामिल हैं। इसके अलावा, गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, प्रभावित परिवारों को 400 क्विंटल से अधिक राशन भी उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को बीज, खाद और फलों की पौध निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। प्रभावित क्षेत्रों को तहसील मुख्यालय से जोड़ने के लिए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र में जरूरी सुरक्षा के सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

मुम्बई बम विस्फोट

3501. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई बम विस्फोटों में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तार करने के लिए किसी पुरस्कार की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य उलझे हुए मामलों में भी यही प्रक्रिया अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। फरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए कुल 4,27,800/-अमरीकी डालर के इनामों की घोषणा की गई है। इसमें दो प्रमुख अभियुक्तों, दाऊद इब्राहिम और टाईगर मेमन, प्रत्येक की गिरफ्तारी के लिए 50,000/- अमरीकी डालर के इनाम शामिल हैं।

(ग) और (घ) अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनामों की घोषणा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, तथा यह मामला-दर-मामला के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

बम विस्फोट

3502. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हुए प्रमुख बम विस्फोटों के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बम विस्फोटों के बीच कोई संबंध अभी तक उजागर नहीं हुआ है।

(ग) **सरकार द्वारा की गई कार्रवाई** :

(i) **बम्बई के विस्फोट** : बम्बई के विस्फोटों में अन्तर्ग्रस्त और पहचान किए गए कुल 193

व्यक्तियों में से अब तक 148 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, और 45 फरार हैं। जांच-पड़ताल से पता चला है कि-फरार हुए 45 व्यक्तियों में से 33 के विदेश में, मुख्यतया दुबई और पाकिस्तान में होने का संदेह है। फरार 24 व्यक्तियों, जिनमें दाउद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम तथा मैमन परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, के संबंध में इन्टरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर अलर्ट नोटिस जारी करवा लिए गए हैं और परिचालित किये गये हैं। देश के भीतर छिपे फरार व्यक्तियों के सही ठिकानों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख अभियुक्तों की ज्ञात सम्पत्ति को कुर्क करने के उपाय किए गए हैं ताकि उन्हें सामने आने पर मजबूर किया जा सके।

(ii) **कलकत्ता के विस्फोट** : उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के विशेष जांच दल द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

(iii) **मद्रास के विस्फोट** : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 18 अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है जो कि अपराध करने के षडयन्त्र में शामिल थे और उनमें से 12 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। पांच अभियुक्त व्यक्ति फरार हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। सभी 18 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध नामोदिष्ट न्यायालय में अभियोग पत्र दायर कर दिए गए हैं। मामला विचारण के लिए लम्बित है।

रेजीडेंट डाक्टरों की नियुक्ति

3503. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री केसरी लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "नो रिजल्ट्स आफ एग्जाम फार आ० डी० एस०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्तियों में सभी मानदंडों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए वरिष्ठ रेजीडेंट डाक्टरों की तदर्थ नियुक्तियों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक रिक्ति को छोड़ कर अन्य सारी रिक्तियों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। इस संस्थान ने सूचना दी है कि इन नियुक्तियों में मानदंडों तथा विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई विस्फोट

3504. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री बलराज पासी :
श्री श्रवणकुमार पटेल :
श्री ललित उरांव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
डा० गुणवन्त रामभाउ सरोदे :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री राम नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई विस्फोटों के सिलसिले में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है:

(ख) अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाना शेष है :

(ग) उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं:

(घ) दोषी व्यक्तियों में से कितनों की सम्पत्ति जब्त की गई है:

(ङ) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं:

(च) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है: और

(छ) इस मामले के शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 148

(ख) 45

(ग) फरार व्यक्तियों के संबंध में की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि फरार हुए 45 व्यक्तियों में से 33 के विदेश में, मुख्यतया दुबई और पाकिस्तान में होने का संदेह है। फरार 24 व्यक्तियों, जिनमें दाऊद इब्राहीम, उसका भाई अनीस इब्राहिम तथा मेमन परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, के संबंध में इंटरपोल के माध्यम से रेड कार्नर अलर्ट नोटिस जारी करवा लिए गए हैं और परिचालित किए गए हैं। इन भगौडों की औपचारिक वापसी के लिए, संयुक्त अरब अमीरात तथा पाकिस्तान की सरकारों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। देश के भीतर छिपे फरार व्यक्तियों के सही ठिकानों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख अभियुक्तों की ज्ञात सम्पत्ति को कुर्क करने के उपाय किए गए हैं ताकि उन्हें सामने आने पर मजबूर किया जा सके।

(घ) 17

(ङ) 192

(च) और (छ) बम्बई बम विस्फोटों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही बम्बई में नामोदिष्ट न्यायालय में विचारण प्रारम्भ हो चुका है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

3505. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समस्त गुजरात को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत लेने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) यद्यपि, संपूर्ण राज्य दूरदर्शन की उपग्रह सेवा द्वारा पहले ही कवर किया जाता है तथापि, स्थलीय कवरेज में सुधार करने के उद्देश्य से गुजरात में विभिन्न शक्तियों के 38 और टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय परियोजना

3506. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में भारत सरकार को कोई निदेश अथवा सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं संबंधी वर्तमान नीति में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने बजटीय संसाधनों से किया जाता है और उनको प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में होती है जो विकास के किसी भी क्षेत्र अथवा

किसी परियोजना से जुड़ी नहीं होती। केन्द्र सरकार का कार्य वाह्य अभिकरणों से ऋण अथवा अनुदान की व्यवस्था करना और सिंचाई परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करना है। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मामले में निवेश स्वीकृति की जांच योजना आयोग द्वारा अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से की जाती है। चूंकि विद्यमान प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है, अतः राज्यों ने इसके संसोधन हेतु कोई अनुरोध नहीं किया है जिससे केन्द्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता हो।

हृदय प्रत्यारोपण

3507. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 अगस्त, 1994 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली में "कार्डियो थोरेसिस सेंटर" के विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में समर्पित डाक्टरों के एक दल ने भारत में हृदय प्रत्यारोपण का प्रथम सफलता पूर्वक आपरेशन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन में शामिल दाता और ग्राही के लिए कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार "एक्स" के अधिकारियों को देश के प्रमुख अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं के प्रतिष्ठित सर्जनों के लाभार्थ अल्पकालीन पुनश्चर्या कोर्स के आयोजन हेतु निर्देश देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 3 अगस्त, 1994 को एक हृदय प्रतिरोपण ऑपरेशन किया गया है जिसमें दखिणपुरी, नई दिल्ली के एक रोगी में मस्तिष्कमृत 35 वर्षीय महिला से हृहय निकाल कर प्रतिरोपित किया गया था। यह रोगी कार्डियोमायोपैथी जो हृदय रोग की अन्तिम अवस्था है, का रोगी था। प्रतिरोपण प्रक्रिया में 102 मिनट का समय लगा जब कि समस्त प्रक्रिया लगभग 5 घन्टे में पूरी की गई।

(ग) और (घ) संसद ने चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने उनके भंडारण और प्रतिरोपण को नियंत्रित करने तथा मानव अंगों की वाणिज्यिक खरीद फरोक्त को रोकने के लिए मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993, पारित किया है।

(ड़) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्तियां

3508. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और निर्धन छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को अपेक्षित मान्यता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनअधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्ध घुमन्तू जनजातियों, अनुसूचित जाति अन्य धर्मो को अपनाए व्यक्तियों उनके वंशजों, भूमिहीन कृषि मजदूरों के बच्चों तथा परम्परागत कारीगरों के मेधावी उम्मीदवारों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन कतिपय क्षेत्रों में विदेश में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। पात्रता की शर्तें आयु सीमा 35 वर्ष (3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) 1 आय सीमा 5000 रु० प्रति माह, अंतिम डिग्री परीक्षा में प्रथम श्रेणी (अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों सहित द्वितीय श्रेणी), तथा 2 वर्ष का अनुसंधान का शिक्षण अथवा व्यावसायिक (पोस्ट डाक्टरल उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष) अनुभव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

12.02 म० प०

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बहुत परेशान है जिसका कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 40 गन्ना मिलों में से 35 मिलों को बेचना है। वहां की सरकार द्वारा इन मिलों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। उनकी मिलों के ऊपर किसानों का करोड़ों-अरबों रुपया बाकी हैं। यह ज्ञातव्य है कि अक्तूबर के अन्तिम और नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पिराई का काम शुरू हो जाता है। ऐसी हालत में किसान और मजदूरों में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

12.03 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह की सरकार जिन चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम पर बेच रही है, उसके संबंध में एक कमेटी तैनात की जाये जो इस बात का विश्लेषण करें। गन्ना किसानों का बकाया करोड़ों रुपया वापस दिलाया

जाये क्योंकि चीनी मिलों के बिकने के बाद यह रुपया उनको मिलने वाला नहीं है। सरकार इस बारे में आश्वस्त करे कि गन्ना किसानों को उनका बकाया रुपया दिलायेगी। इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो चीनी मिलें बिकने जा रही है, उनमें 3 मिलें भारत सरकार की भी हैं। यदि चीनी मिलें नहीं चलेंगी तो गन्ना किसान बर्बाद हो जायेगा और मजदूरों को भूखा मरना पड़ेगा। सरकार को मालूम है कि हमारे देश में चीनी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है और उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य है। यदि ऐसा होगा तो देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है और लोगों को चीनी नहीं मिल पायेगी। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार इस प्रकरण पर बयान दें। ... **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम नगीना मिश्र जी ने सदन में जो मामला उठाया है, वह उत्तर प्रदेश के लिये बहुत ही शर्मनाक है और उसने गन्ना किसानों को बहुत ही असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। वहां की सरकार चीनी मिलों की नीलामी ही नहीं कर रही है, बल्कि चीनी मिलों को बिल्कुल फ्री के दामों पर बेच रही है। किसानों की स्थिति यह है कि गन्ना किसानों के करोड़ो रुपये चीनी मिलों की तरफ बाकी हैं, गन्ने के करोड़ो रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की चीनी मिलों की तरफ बाकी है जिन्हें वहां की सरकार औने-पौने दामों में बेच रही है। जो लोग उन मिलों को खरीद रहे हैं, उन्होंने यह शर्त लगायी है कि वे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं करेंगे, उनके ऋण की अदायगी नहीं करेंगे। आज हालत यह है कि जहां मिलें खत्म हो रही हैं वहीं किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं आपको स्पेसिफिक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां बरेली स्थित एक चीनी मिल के सामने किसानों ने धरना दिया। मिल के लोगों ने लिखकर दिया कि हम किसानों के बकाये की अदायगी 3 दिनों में कर देंगे, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज एक महीने से ज्यादा हो गया है, किसानो के गन्ने के बकाया के भुगतान की शुरूआत अभी तक नहीं हुई है जिससे किसान आन्दोलित हैं। किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार के लोगों का विशेष रूप से इन चीनी मिलों के घोटाले में हिस्सा है और वे अपना हिस्सा ले रहे हैं जिसके कारण किसान भूखों मर रहा है, उसका भुगतान रुक गया है और अब चीनी मिलें भी नहीं चलेंगी जिससे किसानों को अपने खेत में खड़ा गन्ना जलाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करे और उत्तर प्रदेश की सरकार को ताकीद करे कि वह गन्ना किसानों के बकाये का तुरन्त भुगतान करे और वहां चीनी मिलों को जिस तरह औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है, उस षडयंत्र को रोकें और वहां फैले भष्टाचार को रोकने की कोशिश करे। धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा० विश्वानाथम कैनिथी का नाम पुकारा है, आप उनके बाद बोल सकते हैं।

डा० विश्वानाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम) : महोदय, देश के अनेक भागों में भारी वाढ़ आई हुई हैं जिससे जान-माल की हानि हो रही है। परन्तु, आंध्र प्रदेश राज्य, जहां काफी धान पैदा होता है भारी सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। इस मानसून मौसम में देश के इस भाग में 20 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। और उत्तरी तटीय आंध्र में, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम में, 15 प्रतिशत से कम बारिश हुई है।

इसके परिणामस्वरुप पौधे सूख रहे हैं। वहां रोपाई की कोई उम्मीद नहीं है तथा श्रमिक वर्ग रोजगार की भारी समस्या का सामना कर रहा है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां के मजदूरों को वैकल्पिक काम दिया जाय ताकि वे अपनी जीविका कमा सकें। धन्यवाद, महोदय। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर 1 बजे तक चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सर, आज तो हमें हाउस में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि पिछले 15 दिनों तक सदन इनकी कस्टड़ी में था। .....(व्यवधान)..

चीनी मिलों के बारे में हम लोग भी कुछ बात कहना चाहते थे क्योंकि आज वहां स्थिति बहुत खराब हो गई है। किसान परेशान हैं। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे अनुरोध कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही मानवीय सवाल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कल उड़ीसा में था। 1992 में उड़ीसा राज्य के सांस्कृतिक केन्द्र कटक शहर में 300 लोग जहरीली शराब पीने के कारण मर गए। इसी प्रकार से गंजम डिस्ट्रिक्ट के बहरामपुर में 20 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं मैं आज यहां कह रहा हूं कि उड़ीसा की सरकार इस बारे में सब जानती है। वहां जहरीली शराब पीने से सैकड़ों की संख्या में लोगों के मरने का कारण राजनीति भ्रष्टाचार है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां आज बीजू पटनायक की सरकार है कि उसके चलते जहरीली शराब राज्य में बनाई जाती है और बेची जाती है जिसके कारण वहां सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1992 में जो कटक में जिला मजिस्ट्रेट था वह गंजम जिले में आज एस० पी० है। वहां पर जहरीली शराब पीने से 20 लोग मर गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक इन्क्वायरी आर० डी० सी० के जरिये की थी। उसकी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आई। उसकी समरी दी गई। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी के कारण कटवा शहर में 300 लोग मर गए और अभी 20 लोग गंजम डिस्ट्रिक्ट में मर गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार से राजनीतिक भ्रष्टाचार चलता रहा, तो गंजम जिले में सैकड़ों मौतें हो जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कालाहांडी और कोरापुट जिलों में लोग भुखमरी और सरकार के भ्रष्टाचार के कारण मर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह इसकी

जांच कराए। उड़ीसा सरकार के, सरकारी दल के और मंत्रियों के चलते वहां पर 300 लोग पहले मर गए और यदि यह चलता रहा, तो और लोग मरेंगे। इसको बन्द करने के लिए मैं केन्द्र सरकार से कह रहा हूं कि वे इसके ऊपर दबाव डालें और सरकारी भ्रष्टाचार का भंडाभोड़ करें।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री लोकनाथ चौधरी को बोलने की अनुमति देता हूं। वह भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, भगवान जगन्नाथ की भूमि, उड़ीसा जहरीली शराब बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गयी है। .....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुबास चन्द्र नायक जो भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, उड़ीसा जहरीली शराब बनाने के लिए बदनाम हो गया है। उड़ीसा में न केवल 300 लोग मर गए हैं बल्कि जहरीली शराब पीने से वहां प्रतिदिन एक या दो व्यक्ति मरते हैं। कल एक समाचार आया है कि गंजम जिले में 10 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच अभी चल रही है। तथ्यों से प्रकट होता है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा जहरीली शराब बनाने के लिए सम्पूर्ण प्रशासन का उपयोग किया गया है ...**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? एक ही विषय को कितने लोग उठाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, हमने भी सूचना दी है। आप राज्य सरकार के कार्यनिष्पादन पर चर्चा की अनुमति कैसे दे रहे हैं ? .....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम सूची में है।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आंध्र प्रदेश में भी 500 लोग मारे गए थे ....**(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, इसे पक्षपात का मामला मत बनाइए। मेरी अपने मित्रों से अपील है कि ....**(व्यवधान)** यह अच्छा होगा यदि वे इस मुद्दे को खत्म करने के लिए इससे राजनीतिक रूप से पार्टी स्तर पर निपटें। जनता दल से पूरी सहानुभूति है। जनता दल के लोगों को अपने राजनीतिक दल के मुख्य मंत्री को, जो उड़ीसा में सत्ता में हैं, ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चहिए।....**(व्यवधान)** यदि यह एक नियमित सी बात हो जाएगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना नाम दिया है।

श्री लोकनाथ चौधरी : लोग कह रहे हैं कि वे सरकार द्वारा संरक्षित थे। यह उनका उत्तर नहीं होना चाहिए **(व्यवधान)** उन्हें और सतर्क रहना चाहिए। उड़ीसा से मौतों के बारे में रोज समाचार आ रहे हैं। उड़ीसा में जहरीली शराब बनाना जारी रखने की अनुमति देने के बजाए उन्हें स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए इसे अपने मित्र, उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक, के ध्यान में लाना चाहिए था। इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि जब तक उड़ीसा सरकार जहरीली शराब बनती रहेगी और केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनी रहेगी, लोग मरते रहेंगे। **(व्यवधान)** अपने मित्र श्री राम विलास पासवान से मेरा अनुरोध है कि वे वहां जाएं और इस बात की जांच करें कि उड़ीसा सरकार किस प्रकार उन अपराधियों को बचा रही है। उन्हें वहां जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, जरा सुनिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : वहां जाने के लिए उनकी अन्तरात्मा में चुभन होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लोकनाथ चौधरी, कृपया एक मिनट सुनिए। नियमानुसार, बोलते समय कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांक्षन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए आनिवार्यतः आवश्यक न हो।

अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष चन्द्र नायक आप सभा के नियम जानते हैं। आपका नाम नहीं पुकारा गया है। मैंने श्री हन्नान मोल्लाह का नाम पुकारा है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : हमारे नाम भी हैं. हमने इस मुद्दे पर सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे प्रिय मित्र, यदि आपका नाम सूची में है, तो बारी आने पर आपका नाम आवश्य पुकारा जाएगा। अभी नहीं। इसे अभी नहीं लिया जा सकता है। यह सामान्य वाद-विवाद नहीं है। मैंने श्री हन्नान मोल्लाह का नाम पुकारा है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं, जन-विरोधी आर्थिक नीतियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामने झुकने तथा देश के हितों को त्याग देने के विरुद्ध जनतांत्रिक तथा वामपंथी शक्तियों के देशव्यापी

आन्दोलन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हजारों लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कल 70,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को एक सामुदायिक हाल में बहुत बुरी दशा में रखा गया है। वहां पेयजल तथा पर्याप्त शौचालयों और स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आपने किस विषय पर बोलने की सूचना दी है ? यह सूचना विश्व कप के फाइनल के लिए भारत को जारी की गई टिकटों की कालाबाजारी के सम्बन्ध में है। परन्तु आप दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं दूसरे घोटाले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं.....* एक महीने पूर्व यह विश्व कप फुटबाल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत के लिए जारी किए गए लाखों रुपये के टिकट कालाबाजारी में बेचे गए **(व्यवधान)** ।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : .....शब्द कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिए जाएं। *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, यह दूसरे देशों से सम्बन्धित हैं। इसका सम्बन्ध हमारे देश से नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह : टिकट भारत को तथा आई० एफ० एफ० को दिए गए थे और ये टिकट एक ट्रेवेल एजेंसी के माध्यम से तथाकथित रूप से कालाबाजारी में बेच दिए गए थे। मैं मांग करता हूं कि कालाबाजारी में टिकट बेचने वाले लोगों का पता लगाने के लिए सी० बी० आई० द्वारा जांच कराए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार इस बारे में बक्तव्य दे तथा सी० बी० आई० द्वारा जांच के आदेश भी दे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात नियमों के विरुद्ध है, तो मैं इसकी जांच करने के पश्चात् इसे कार्यवाही वृतान्त से हटा दूंगा।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खनन के कारण भूमि बेडावल किए गए लोगों का पुनर्वास कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 1-9-10-1990 के पत्र सं० 49019/4/86/ सी० पी०/सी० एल० डब्ल्यू० के द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों द्वारा अभिशासित किया जाता है। इसका या तो आपराधिक रूप से उल्लंघन किया जा रहा है या पालन नहीं किया जा रहा है।इसके परिणामस्वरुप समस्त कोयला क्षेत्रों के लाखों प्रभावित लोग तथा कर्मकार कष्ट पा रहे हैं तथा सुरक्षा तथा पर्यावरण उपायों के उल्लंघन के कारण इन सभी क्षेत्रों को डी० जी० एम० एस० द्वारा पहले से ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया है अपने जीवन तथा अपनी सम्पत्तियों को खतरे में रखकर भी उस क्षेत्र के लोग वहां रहने को विवश हैं। परिणामस्वरूप, गैस से लगी आग जान और माल की हानि नियमित बातें हो गई हैं।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

इसलिए, महोदय, मैं आपके मध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पुनर्वास फैकेज को क्रियान्वित करे और कोयला क्षेत्रों में लोगों तथा कर्मकारों को तत्काल बचाए। अन्यथा, समस्त कोयला क्षेत्र बर्बाद हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने के लिए अन्य पिछले वर्ग के प्रतियोगियों के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने के सवाल को इस सदन में कम से कम 5-6 बार उठाया जा चुका है। बार-बार सरकार ने आश्वासन दिए, आसन की तरफ से भी हस्तक्षेप हुआ, प्रधानमंत्री से शिष्टमंडल ने मुलाकात की, संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा, कल्याण मंत्री ने कहा। यह कहा गया कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी लेकिन सरकार ने उसपर अब तक कोई फैसला नहीं किया।

मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद के सी० ए० टी० के फैसले के चलते कुछ लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परीक्षा में बैठने के बाद, चूंकि सरकार ने इस मामले में कोई फैसला नहीं किया, उनके परीक्षाफल को रोककर रखा गया। जब हमने प्रधानमंत्री को लिखा तो श्रीमती मारग्रेट अल्वा की तरफ से जवाब आया जिसमें कहा गया था कि यह स्कीम पहली बार लागू की गई है इसलिए अभी यह देखना होगा कि इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तब इस बारे में फैसला लिया जाएगा।

मैं उसको उद्धत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"चूंकि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना अभी शुरू की गई हैं, इस बात की जांच करना कि इस मामले में उनका कोई रियायत/छूट दिये जाने वार की आवश्यकता है या नहीं असामयिक होगा।"

[हिन्दी]

श्रीमती अल्वा ने 30 मार्च, 1994 को जवाब दिया। हम इस बात का भी उद्धरण देते रहे और यह बताते रहे, चूंकि 1990 में मंडल आयोग की अनुसंशाओं को वी० पी० सिंह की सरकार ने लागू किया था, यदि उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो ओ० बी० सी० के विद्यार्थियों को मौका मिल जाता और उनको आरक्षण का लाभ मिलता। इसलिए हमने कहा कि 3-4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए।

अब मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अभी यू० पी० एस० सी० का जो रिजल्ट 15 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है, यू० एन० आई० की रिपोर्ट है, उसमें प्रिलिमिनरी टैस्ट में किस वर्ग के कितने लोग क्वालीफाई कर चुके हैं।

[अनुवाद]

"यू० एन० आई० की रिपोर्ट के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1994 के परिणाम रविवार को घोषित कर दिए हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुल 1973 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य हुए हैं, जिसकी दिसम्बर में होने की सम्भावना है। उनमें से 1810 उम्मीदवार

अनुसूचित जाति के, 937 अनुसूचित जनजाति के, 1225 अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, जबकि 6001 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के हैं।"

[हिन्दी]

27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया है और प्रिलिमिनरी टैस्ट का जो रिजल्ट आया, उसमें मात्र 1225 ओ० बी० सी० के विद्यार्थी ही पास कर सके हैं जोकि 12.2 प्रतिशत हैं। इसलिए 27 प्रतिशत आरक्षण पूरा नहीं होगा। जब हमने एज रिलेक्सेशन की बात की तो सरकार ने कहा कि यह स्कीम लागू की गई है। इसका क्या अन्तर होगा, वह अभी देखा जाएगा, उसके बाद सरकार विचार करेगी।

असर आ गया। इस प्रकार सरकार द्वारा फैसला नहीं लेने के कारण आज कम से कम 500 छात्रों के नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है। सरकार ने ऐज रिलेक्सेशन के मामले में फैसला नहीं लिया। इस सवाल को लेकर देश भर के पिछड़े वर्ग के छात्रों में आक्रोश है। इसको लेकर आज हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में आसन की तरफ से हस्तक्षेप हुआ और सर्वदलीय शिष्ट मंडल ने भी सरकार से मुलाकात की। फिर भी फैसला नहीं हो रहा है। इसलिये हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त घोषणा करे तभी उनको न्याय मिल सकेगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सरकार बैठी हुई है। नीतीश जी ने इस बारे में विस्तार से बताया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। सरकार ने ऐज रिलेक्सेशन और चांस के बारे में बहुत बार यहां कहा। पीठासीन अधिकारी के सामने इसको पूरा करने का वचन भी दिया गया लेकिन उसको निभाने का काम नहीं हुआ। नौजवान लोग पहले भी 5 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। वे आज भी प्रदर्शन करने आए हैं। इस सवाल को सदस्यों ने कम से कम 10 बार सदन में उठाने का काम किया। सरकार इस पर कुछ कहने का काम करेगी या नहीं? चारों तरफ लोग बेचैनी में हैं। विवाद बढ़ाने का काम सरकार क्यों करना चाहती है। शुक्ला जी बैठे हुए हैं। वह इस सवाल को बार-बार कहने के बाद क्यों नहीं करते हैं? सरकार को इस पर वक्तव्य देने का काम करना चाहिए। सरकार इस पर मौन क्यों बैठी हुई है? पिछले वर्ग के लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है, वह उन्हें प्राप्त होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस मुद्दे पर बाद-विवाद नहीं हो सकता है। कृपया मुझे क्षमा करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट शांत रहें। यदि हम इस पर बाद-विवाद करेंगे, तो प्रत्येक सदस्य इसमें भाग लेना चाहेगा।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, कल अध्यक्ष ने सभा में ही हमें यह बताया था कि हमें आज बोलने का समय मिलेगा। कल मैंने चीनी घोटाले का मुद्दा उठाया था और अध्यक्ष ने मुझसे कहा था कि आज आपको बोलने का समय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज 1 बजे तक बैठेंगे। इसलिए हमारे पास समय है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: शुगर स्कैम से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं है।

[अनुवाद]

हम यह मुद्दा उठाना चाहते हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। यदि स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव का कोई महत्व ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव में कोई अन्तर ही नहीं है, यदि प्रक्रिया के अनुसार सूचना देने के पश्चात् भी कुछ नहीं होना है, तो हम सूचना क्यों देते हैं ?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपने कहा कि फिर डिबेट का मसला बन जायेगा। या तो सरकार इस पर डिबेट स्वीकार करे और वह इसलिये कि यहां टोटली कॉस्टीट्यूशन तथा वॉयलेशन हो रहा है और पिछड़े वर्गो के साथ 40-45 साल से अन्याय बढ़ता जा रहा है शुक्ला जी यहां बैठे हुए हैं। वह इस बात के गवाह हैं कि जब मैंने ऐज रिलेक्सेशन की बात उनसे व्यक्तिगत तौर पर कही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है और सरकार भी चाहती है। सारा विरोधी पक्ष चाहता है, सारे दल चाहते हैं और इस एक राय है तो उसे जानबूझ कर तबाह क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर फिर देश भर में आन्दोलन शुरू हो जायेगा। जो बात यहां से मान ली जाती है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। तमिलनाडु ने एक राय से वहां एक ऐक्ट पास कराया। यहां सारे दलों ने मिल कर राष्ट्रपति जी से और सरकार से अनुरोध किया। राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर ऐसैन्ट दे दी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसको लेकर पूरे देश में एक अनार्की पैदा हो रही है।

अभी नीतीश कुमार जी ने इसके पूरे आंकड़े दिये। सरकार द्वारा निर्णय लेने का यही समय है। अगर केवल 12 फीसदी पिछड़े वर्ग के लड़के पहले प्रीलिमिनरी टैस्ट में क्वालिफाई हुए हैं तो आप कैसे गारंटी देंगे कि 27 परसैंट कोटा पूरा होगा। क्यों नहीं प्रीलिमिनरी टैस्ट में 27 परसैंट कोटे को पूरा किया जाता है ? अगर सरकार ईमानदार है तो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल शुरू से हर टैस्ट में चाहे प्रीलिमिनरी टैस्ट हो या फाइनल टैस्ट हो, रहना चाहिये। दोनों में रिजर्वेशन को आधार मान कर उतने लड़कों को वहां से चुनना चाहिये।

अगर जरूरत हो तो आप उसमें उनके क्वालिफाइंग नम्बर को कम करिये और यह खाली नम्बर से नहीं होता। यह सवाल सत्ता में, प्रशासन में हिस्सेदारी का है और हिस्सेदारी उनको नहीं मिल रही है। चाहिए तो यह था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट करते और 50 साल तक जो अन्याय हुआ है, उसको दूर करके उनको पूरी हिस्सेदारी मिलती लेकिन उसको भी सरकार नहीं कर रही है।

जो राज्य सरकारें है, तमिलनाडु में सरकार ने कहा कि हमारा आरक्षण 69 फीसदी है, कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की सरकार है, वह कोई हमारी सरकार नहीं है और यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 80 फीसदी करना चाहते हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम 80 फीसदी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम इसकी कमियों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है लेकिन कोई नियम नहीं है, कोई डायरैक्शन नहीं है। मैं परसों बंगाल में था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बंगाल की सरकार ने केवल 5 फीसदी किया है। अब

तक वह कहते रहे कि यहां कोई पिछड़े वर्ग है ही नहीं। अब उन्होंने शुरू किया है और केवल 5 प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह कैसे चलेगा, कोई नियम होगा या नहीं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। वह इस पर बहुत जोरदार ढंग से कहते हैं, परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। वह इसको देख रहे हैं। वह 5 प्रतिशत की पहचान कर पाए हैं। यदि और अधिक संख्या आती है, यह किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं अपने प्रिय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी से नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं केवल वास्तविक स्थिति सामने लाना चाहता हूं। ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सवाल के ऊपर या तो सारे देश में आन्दोलन होगा, सारे देश में एनार्की फैलेगी, सामाजिक न्याय के मुद्दे की धज्जियां उड़ा दी जायेंगी और जो कुछ कहा जा रहा है, उसको लागू नहीं किया जायेगा। क्यों यह गुस्सा पैदा किया जा रहा है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी सारे विरोधी दलों की बैठक बुलायें और इसके ऊपर तत्काल निर्णय लें और उनकी उम्र की छूट की घोषणा करें, 27 फीसदी आरक्षण की गारण्टी करें कि 27 प्रतिशत आरक्षण पूरा होगा। अनुसूचित जाति का जो कोटा पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए लगातार 40 साल से लड़ाई हो रही है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने की बात करें। जो दूसरे लोग हैं, उनको भी सत्ता में कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप मेहरबानी करके जरा संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लीजिए कि सरकार जो मानती है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं। कुछ रैस्पोंस करेंगे या नहीं करेंगे? मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बतायें तो। उपाध्यक्ष जी, जरा इनसे कहिये कि सरकार इस सवाल को सम्भीरता से लेगी या नहीं? कोई रेस्पोंस तो आप करेंगे, कुछ बताऐंगे कि नहीं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह मुद्दा इस सभा के सामने अनेक बार आया है। ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : शुक्ला जी, आप कुछ सुनेंगे भी या नहीं ? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी तरफ से बतायें कि सरकार इस सवाल के ऊपर क्या करना चाहती है, सारे तथ्य आने के बाद सरकार क्या करना चाहती है? अगर सरकार इस तरह से करेगी, बिल्कुल कान में तेल डालकर बैठेगी तो सदन नहीं चलने पाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कान में तेल डालकर नहीं बैठ सकते, तबाही हो रही है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष जी, आप उनसे कहिये कि कुछ बतायें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह मुद्दा पहले भी आ चुका है। **(व्यवधान)** क्या माननीय मंत्री कृपया मेरी बात सुनेंगे?

महोदय, यह मुद्दा इस सभा के सामने कई अवसरों पर आया है। जो समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं उनके अलावा यह मुद्दा भावनात्मक भी है। सरकार ने इस समस्या के बारे में कभी इन्कार नहीं किया है। सरकार ने यह नहीं कहा कि कोई समस्या नहीं है। परन्तु मैं नही जानता कि सरकार इस समाचार को टाले क्यों रही है आपको एक न एक दिन निर्णय लेना ही पड़ेगा। जितने विलम्ब से निर्णय लिया जाएगा उतनी ही पेचीदगियां पैदा होंगी।

इसलिए, मैं सरकार से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध कर रहा हूं। यह सुझाव दिया गया है कि मंत्री जी विभिन्न राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओं की एक बैठक बुलाएं और इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। इस मुद्दे को इस प्रकार लटकने क्यों दिया जाए? यह ऐसा मुद्दा है जिसका शीघ्रातिशीघ्र हल निकाले जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इस संबंध में कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इस पर सरकार कुछ बोले कि सरकार क्या करना चाहती है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभा में अनुशासन तथा शिष्टाचार बनाए रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आयु में रियायत न देना उनके साथ भेद-भाव पूर्ण रवैया अपनाना है।

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयंकर है। ... **(व्यवधान)** यहां जान-माल की हानि हो रही है और गांव के गांव कट गए हैं। .....**(व्यवधान)** जान-माल की पूरी हानि हो रही है और बर्बादी हो रही है। इस बाढ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है और हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार उन क्षेत्रों को देखे। इन क्षेत्रों में पांच-छः गांव ऐसे हैं, जो तीन साल के अन्दर तीन बार उठकर बस चुके हैं और उनकी जमीन गंगा में बह गई है। लाखों बीघा जमीन का पता नहीं है, फसल का नुकसान हुआ है, जान-माल की हानि और जानवर तक बह गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, छः -सात गांव ऐसे हैं, जो तीन साल के समय में तीन दफा एक जगह से दूसरी जगह बस चुके हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार इसको विशेष रूप से दिखवाए और बाढ की स्थिति का सामना करने के लिए अपनी तरफ से धन की व्यवस्था करे, ताकि बाढ़ पर नियन्त्रण किया जा सके।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रक्रिया संबंधी प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ प्रोसीजर यह है कि नियम के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि मैंने नियम-56 के तहत एडजार्नमेंट मोशन दिया है, उस पर विचार किया जाए। मुझे सैक्रेटेरिएट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है कि मोशन रिजैक्ट किया है या एक्सैप्ट किया गया है। यदि रिजैक्ट नहीं किया गया है, तो चेयर का यह फर्ज बनता है कि उस पर डिबेट शुरू करे या हमारी बात को सुनने का काम करे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर अपना रूलिंग दें....(**व्यवधान**) यदि नहीं है, तो हम लोगों को रूल्स के तहत नोटिस देने का कोई मतलब नहीं है। आप हाउस ऐसे ही चलाइए, फिर ये रूल्स और प्रोसीजर किस लिए है। .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में चीनी निति भी शामिल है।

श्री राम विलास पासवान : मैं चीनी नीति के बारे में नहीं बल्कि चीनी घोटाले के बारे में बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप स्थगन के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 56 के अनुसार "इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।

"स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन 10.00 बजे दी जाएगी जिस दिन प्रस्ताव महासचिव को पेश किये जाने का विचार हो तथा उनकी एक प्रति ..... को प्रैषित की जाएगी"

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है। मुझे इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कृपया आप यह बताएं कि क्या यह विचाराधीन है या इसे अस्वीकार कर दिया गया है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, यह विचाराधीन है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, शून्य काल 1 बजे तक चलेगा। इसलिए यदि आप सहयोग दें तो मैं उन सभी सदस्यों को बुलाऊंगा जिन्होंने आज 10.00 बजे से पूर्व अपनी सूचनाएं दी हैं। सूची में उनके नाम दिए हुए हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। कल मेरा नाम सूची के अन्त में था और मैं शून्यकाल के समय 12.30 बजे तक बैठा रहा। परन्तु आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। आज भी मैंने अन्य सदस्यों से काफी पहले अपनी सूचना दी थी परन्तु आप मेरा नाम नहीं पुकार रहे हैं। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या जानबूझ कर ऐसा किया गया है ? यदि प्रत्येक सदस्य अपना सहयोग देते तथा अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में रखते तो सबका नाम पुकारा गया होता।

प्रो० पी० जे० कुरियन: महोदय, कल मैंने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की। परन्तु आज मैंने केवल सूचना देने के लिए ही भाग-दौड़कर 9.00 बजे पहुंचाई मैं जानता हूं कि मुझसे पूर्व केवल दो ही सूचनाए दी गई थी। मैं यही सोचकर प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप मेरा नाम पुकारेंगे। कृपया मुझे प्रक्रिया बताइये। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा लेकिन मुझे प्रक्रिया बता दीजिए। मैं केवल यही पूछ रहा हूं। कल तक प्रक्रिया अपनाई गई और आज दूसरी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया हमेशा एक ही अपनाई जाती है। मैंने केवल यही सोचा कि आप पिछले दस-बारह दिन से निरन्तर शून्यकाल की चर्चा में भाग ले रहे थे और इसलिए थक गए होंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन: महोदय, मुझे कोई अवसर नहीं मिला। कल भी 12.30 पर मैंने अनुरोध किया था कि मुझे एक मिनट के लिए बोलने दिया जाए परन्तु आपने मेरा नाम नहीं पुकारा और मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, कल मैंने आपसे अनुरोध किया था परन्तु आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। आज मेरा नाम सूची में शामिल है परन्तु फिर भी आप मेरा नाम नही पुकार रहे हैं। आप कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) महोदय, नौवीं लोक सभा में इन्होंने गृह मंत्री से कागज छीन कर फाड़ दिए थे।

प्रो० पी० जे० कुरियन: महोदय, ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन ठीक ही कह रहे हैं। कि उनका नाम सूची में शामिल है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, यह प्रक्रिया प्रश्न उठा रहे हैं। इन्होंने नौवीं लोक सभा के दौरान गृह मंत्री से पत्र छीन कर फाड़ दिए थे। इन्हें प्रक्रिया की बात नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विरोधी दल के नेताओं के नाम पुकारे थे। सूची में सत्ताधारी दल के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। चूंकि वे पिछले दस बारह दिनों से लगातार चर्चा में भाग ले रहे थे इसलिए मैंने विरोधी दलों को अवसर देना उचित समझा। निः सन्देह प्रो० कुरियन का नाम सूची में है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यदि वे उस अवधि में अनुपस्थित रहते हैं तो क्या यह हमारी गलती है ? मुझे पिछले एक सप्ताह के दौरान कोई अवसर नही मिला। क्या यह मेरी गलती है कि वे अनुपस्थित हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० चाक्को : (त्रिचूर) महोदय, माननीय सदस्य को इस बात का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है कि पिछली लोक सभा में क्या हुआ ?

श्री नीतीश कुमार : यह सब लोक सभा के इतिहास का हिस्सा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : पिछली लोक सभा में मैं विरोधी दल में था। यही फर्क है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें भूमिका विल्कुल भिन्न होती है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम कभी भी बाहर नहीं जाते थे तथा सत्ताधारी दल का मुकाबला करने के लिए यहीं बैठे रहते थे। आपका भी स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रो० कुरियन, अब आप बोल सकते हैं

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा नाम पुकारा। .....(व्यवधान)

श्री सोमनथ चटर्जी : हमें बाहर रखकर आप कितने दिन लगातार चर्चा में भाग लेते रहे हैं। अब क्या आप थक नहीं गए हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन: परन्तु मुझे अवसर नहीं मिला।

श्री उमराव सिंह : (जालंधर) हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

श्री० के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपट्नम) :महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में कोई व्यवस्था नहीं हो तो।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य रुचि लेंगें। केरल में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, साबरीमाला अय्यप्पा मंदिर, जो कि आंन्ध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर तथा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही प्रसिद्ध है। करोड़ों श्रद्धालु प्रति वर्ष इस मंदिर में जाते हैं। ये लोग देश के विभिन्न भागों से, विशेषतः आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक तथा उत्तरी भागों से भी आते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस तीर्थ स्थान के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बड़ी दयनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। ट्रावनकोर देवस्थानम् बोर्ड इस मंदिर का प्रबंध करता है। यद्यपि करोड़ों तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करते हैं, तथापि उन्हें बिल्कुल मामूली सुविधाएं उपलब्ध करवाई जातीं हैं। ये सुविधाएं तो कुछ हजार यात्रियों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि यद्यपि ट्रानवकोर देवस्थानम बोर्ड पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भरपूर कोशिस कर रहा है तथापि भूमि की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। दुर्भाग्यवश, मंदिर के आसपास की भूमि भी वन क्षेत्र में आती है। मैं यह मानता हूं कि हमें वन क्षेत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए तथा मैं इस प्रयत्न का समर्थन करता हूं। परन्तु यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि भगवान अय्यप्पा की स्तुति के लिए साबरीमाला मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

कुछ अतिरिक्त भूमि देने के प्रस्ताव पहले ही सरकार के विचाराधीन है कि तथा कई महीनों से लंबित है देश की जनता की ओर से यह अनुरोध किया जा रहा है मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि अय्यप्पा मंदिर जो कि तिरुपति मंदिर या किसी भी अन्य मंदिर के समान ही प्रसिद्ध है। के तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ट्रावनकोर देवस्थानम् बोर्ड को कुछ भूमि दी जानी चाहिए।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

मैं आपको भी श्री सावरीमाला मंदिर का दौरा करने का अनुरोध करता हूं तथा निमंत्रण देता हूं। आप भगवान का आशीर्वाद भी ले लेंगे तथा वहां के तीर्थयात्रियों द्वारा भोगी जाने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि यात्रियों को सुविधाए प्रदान करने के लिए ट्रानवकोर देवस्थानम् बोर्ड को प्रर्याप्त भूमि प्रदान करने हेतु उचित कदम उठाए।

मुझे खेद है, मैं बोलने की अनुमति लेने के लिए निरन्तर जोर डालने के लिए माफी मांगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वेच्छा से नहीं मैं सूची के अनुसार चलूंगा।

श्री ए० इन्नाकरन रेड्डी : (आदिलाबाद) महोदय, मैं लोक महत्व का निम्नलिखित मामला चर्चा के लिए रखता हूं।

आन्ध्र प्रदेश में स्थित आदिलाबाद जिला तेलंगाना क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा जिला है तथा यह महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगने वाले उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह जिला लगभग 16000 वर्ग कि० मी० के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 7,600 वर्ग कि० मी० बन क्षेत्र है तथा 6,000 वर्ग कि० मी० खेती योग्य भूमि है। दुर्भाग्यवश केवल 17 प्रतिशत खेती योग्य भूमि का मध्यम/छोटी सिंचाई योजनाओं, एनीकट, एल० आई० योजनाओं, बारे-बेलों आदि के द्वारा उपलब्ध पानी से कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है जब कि 87 प्रतिशत खाली क्षेत्र बिना इस्तेमाल के पड़ा है। यह क्षेत्र वन क्षेत्र के अतिरिक्त है। भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले सिंचाई क्षमता मात्र 6 प्रतिशत है जब कि पूरे राज्य की यह औसत 36 प्रतिशत है। पानी की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण स्वतंत्रता के 47 वर्ष बाद भी अधिकांश जनसंख्या जिनमें अधिकतर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 103 छोटी/ मध्यम तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनके द्वारा अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाकर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।इस योजना की अनुमानित लागत 62 करोड़ रु० है।

मेरा माननीय प्रधान मंत्री से आग्रह है कि वह ग्रामीण विकास मंत्रालय को 62 करोड़ रु० की राशि आवंटित करने की सलाह दें जिससे कि आन्ध्र-प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए इस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े लोगों को लाभान्वित करने के लिए 25,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर पहचान की गई इन योजनाओं को पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे नियम 377 के अन्तर्गत ला सकते थे। कोई भी सदस्य अपना भाषण तैयार करके नहीं पढ़ सकता। इस सभा में शून्यकाल में ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

[अनुवाद]

डा० वसंत पवार (नासिक) : मैं चीनी संबंधी नीति अथवा चीनी घोटाले के संबंध में नहीं बोलूंगा। अपितु मैं चीनी के आयात के विषय में बोलने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आज का एक घंटा विपक्ष के लिए निर्धारित हुआ था। कल स्पीकर साहब से उनके चेम्बर में मीटिंग हुई थी तो हमने अनुरोध किया था कि आधे घंटे के बजाय इसको एक घंटा कर दे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात निश्चित है कि शून्यकाल 1.00 बजे तक चलेगा।

डा० वसंत पवार : चीनी की कमी के कारण सरकार ने खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को एक करोड़ मीट्रिक टन चीनी का आयात करने के लिए कहा है। उन्होंने ब्राजील से चीनी आयात करने के लिए करार किया है। लेकिन सरकार ने जिन दरों पर करार किया है, उसमें कुछ कठिनाईयां हैं। प्रति मीट्रिक टन चीनी की कीमत लगभग 380 डालर है। और अब "रिफाइन्ड शूगर एसोसिएशन' (आर० एस० ए०) के सदस्य इसे खरीद रहे हैं, तो ब्राजील की सरकार ने समस्या खड़ी कर दी है और उन्होंने निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा को घटाकर केवल 10 मीट्रिक टन कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप, मुझे इस बात का डर है कि चीनी इस बार त्यौहारों से पहले भारत में नहीं पहुंचेगी। मुम्बई और दिल्ली में चीनी की कमी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों और खुले बाजार में भी चीनी उपलब्ध नहीं है। पिछले दो दिनों में चीनी के मूल्य में पचास पैसे की वृद्धि हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों और खुले बाजार में भी चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, आवश्यक कदम उठाये। और यदि 350 डालर की कीमत पर प्रति मीट्रिक टन चीनी की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है तो लोक लेखा समिति के सभी मानदंडों के अनुसार उसे खरीदा जाना चाहिए और हमारे भारतीय उपभोक्ताओं को वह उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : नेपाल और चीन की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के आठ जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण अपना एक विशिष्ट वर्ग है और आज वे पिछड़े वर्गों को रोजगार आरक्षण का अधिकार पाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। योजना आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी मेडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला देने में उन्हें सभी प्रकार के लाभ दिये हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी समस्या बढ़ती चली जा रही है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे लोगों द्वारा अनावश्यक आन्दोलन किया जा रहा है जो सामान्य तौर पर शांतिप्रिय होते हैं। हमें उन्हें यह संदेश नहीं देना चाहिए कि केवल आन्दोलनों के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैं आपके माध्यम से कल्याण मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वे उन्हें आवश्यक लाभ प्रदान करें और उन्हें 27 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रोजगार आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग का समझें।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के समक्ष दो बातें रखूंगा। ....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अहमद जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ी तेजी लायें और अपने भाषण को छोटा करें ताकि अन्य सदस्य भी बोल सकें।

श्री ई० अहमद : ठीक है, महोदय। केरल राज्य के सदस्य केरल को बाढ़ राहत के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी से इस सभा में उपस्थित

होने और अपना वक्तव्य देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री जी ने हमें उपकृत नहीं किया है। केरल वासियों और इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए वास्तव में यह बड़े शर्म की बात है। अब कम से कम माननीय उपाध्यक्ष महोदय को वित्त मंत्री जी को यह निदेश देना चाहिए कि वे इस सभा में उपस्थित हों और इस संबंध में अपना वक्तव्य दें कि क्या केरल सरकार को किसी प्रकार की सहायता दी जायेगी।

दूसरी बात यह है कि रूस के मेडिकल कालेजों में कुछ भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। तीन सौ छात्रों को निकाला जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार को इस मामले को रूस की सरकार के साथ उठाना चाहिए ताकि हमारे उन 300 छात्रों की सहायता की जा सके जो वहा चिकित्सा शिक्षा पा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुवास चन्द्र नायक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उड़ीसा में दूरसंचार विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की थी कि देश के गांवों में हर पंचायत को एस० टी० डी० से जोड़ दिया जायेगा लेकिन हमारे जिला कालाहाण्डी में यह नहीं हो रहा है। अभी तक हमारा जिला रायपुर के ऊपर निर्भर है या फिर भुवनेश्वर पर निर्भर करता है। यदि हम लोग यहां पर मंत्रालय में चिट्ठी भी डालें तो यह काम नहीं हो रहा है। इससे लोगों को और हमें बहुत ही तकलीफ हो रही है। यहां तक कि हमारे ब्लाक खरिया, तुगला, मदनपुर, रायपुर जूनागढ़ में एस० टी० डी० काम नहीं करता है।

हरेक पंचायत में आपने जो दूरभाष लगाये हैं, वे एक तरफ से तो जाते हैं मगर दूसरी तरफ से नहीं आते हैं। मैं आपके मध्यम से संचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस समस्या के हल के लिये कदम उठाये तथा रायपुर, कालाहण्डी, बोलनगीर, नवरंगपुर आदि डिस्ट्रिक्टस में संचार सुविधा मिलनी चाहिये। .....(**व्यवधान**)

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : सर, आप मेरा नाम नहीं पुकार रहे हैं। मुझे एक बहुत ....(**व्यवधान**) महत्वपूर्ण समस्या पर निवेदन करना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूची भेज दूंगा, आप इसकी जांच कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें है अथवा नहीं। यदि मुझसे कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मुझे खेद है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : भारत सरकार ने पुणे की हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० कंपनी में पेंसिलिन संयंत्र को पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाल ही में, 14 जुलाई को प्रधान मंत्री ने लाल किले पर अपने भाषण में यह घोषणा की है कि उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नहीं छेड़ा जायेगा, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं. उन्हें या तो बंद कर दिया जायेगा अथवा उनका पुनर्गठन किया जायेगा। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० जो 10 से 12 करोड़ रुपये तक का लाभ अर्जित कर रही थी, को 17 करोड़ रुपये सालाना की दर पर पट्टे पर दिया जा रहा है। स्ट्रेपटोमाइसिन, विटामिन-सी का निर्माण करने वाली लगभग 6-7 अन्य इकाईयां जो घाटे में चल रही हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

दूसरी बात यह है कि न तो मजदूर संघों को विश्वास में लिया गया है और न ही प्रतिस्पर्धात्मक चिन्ताओं को ध्यान में रखा गया। इसीलिए, मेरी सरकार से अपील है कि वह मामले की जांच करे और सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में श्री सैयद शहाबुद्दीन, श्री राम विलास पासवान, डा० एस० पी० यादव, श्री जार्ज फर्नान्डीज श्री चन्द्रजीत यादव के नाम हैं। यदि आप पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें तो प्रत्येक सदस्य इसमें भाग ले सकता है। समय का सही उपयोग करना अब आप पर निर्भर करता है.....(व्यवधान) ... आज, आधे घंटे की बजाय, इसे बढ़ाकर 1.00 बजे कर दिया गया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा अनुशासन बनायें रखें।

(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, इस समय 1.00 पहले ही बज चुका है। मैं कश्मीर का एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यदि आप मुझे दो-तीन मिनट का समय दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यह मुद्दा उन यात्रियों से संबंधित है जिनपर आक्रमण किया गया है। उन पर दो बार हमला किया गया है। वे लोग अमरनाथ की यात्रा पर जार रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन है। यह ठीक नहीं है। कृपया पीठासीन अधिकारी को उपकृत करें। मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं जानता हूं कि आपने चिट भेजी है और वह मेरे पास है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आज सभी संसद-सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में सामने आ रही है। इस सदन में सरकार की ओर से घोषणा की गयी थी, कहा गया था कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में एक करोड़ रुपये की विकास की योजनाएं रिकमेंड करने का अधिकार होगा और उसी के अनुसार काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके अपने चुनाव क्षेत्र में भी यह समस्या आयी होगी जो बहुत से सांसदों को आ रही है। हमने जब प्रदेश सरकार को लिखा कि अमुक विकास के काम किये जायें.....

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश सरकारों को लिखा कि ये-ये काम किए जाएं, वे काम नहीं हुए और मैंने विशेषकर अपने प्रदेश की सरकार को लिखा कि क्या आपके पास धन आ गया है, यदि आ गया है, तो फलां-फलां कार्य के लिए दिया जाए। मेरे पास वहां से लिखित उत्तर आया है कि हमें केन्द्र सरकार से कोई पैसा नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में समाचार छपते हैं कि प्रत्येक सांसद को एक करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने के लिए एक-एक करोड़ रुपए दिए गए हैं, लोग समझते हैं कि सांसद को एक करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने दिया है और वे करोड़पति हो गए हैं।

हमें चार-चार जिलों को प्रिजेंट करना होता है और चार-चार जिलों में विकास कार्य करने के लिए अनुशंसा करनी होती है। जिलाधीश करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार कह

रही है कि उसके पास केन्द्र से पैसा नहीं गया है। यहां केन्द्र के बजट को पास किए हुए इतने महीने बीत गए, लेकिन अभी तक राज्यों को पैसा नहीं भेजा गया है। प्रदेशों में बाढ़ आ रही है। भारी तबाही हो रही है। हमें पुल बनाने के लिए सड़के बनाने के लिए अपनी अनुसंशाएं करनी होती है, लेकिन धनाभाव के कारण वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहां से पैसा ही नही गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए है वे स्पष्ट करें कि क्या पैसा भेजा गया है या नहीं, यदि भेजा गया है, तो किस हैड के अन्तर्गत भेजा गया है और राज्य सरकारें उस धन को रिलीज क्यों नहीं कर रही है? इस बारे में सभी माननीय सांसदों को जानने की उत्सुकता है? ....(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रो॰ प्रेम कुमार धूमल की बात का समर्थन करते हैं और आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि इस योजना का धन राज्य सरकारों को गया है या नहीं, इस बात को यहां खड़े होकर स्पष्ट करें? ....(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यहां विराजमान हैं, कृपया वे बताने का कष्ट करें कि यह धन राज्यों की सरकारों को जा चुका है या नहीं? ....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुनील दत्त किस नियम के तहत बोल रहे हैं? आप उनको बोलने का मौका दे रहे हैं और हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हम आधा घंटे से बोल रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, ताकि हम अपनी बात कह सकें। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त : उपाध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वेदना और चिंता के साथ मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अमरनाथ जाते हुए यात्रियों पर आक्रमण किया गया। ....(व्यवधान) 16 अगस्त को उन पर आक्रमण किया गया तथा गोलियाँ चलाई गईं जिसमें दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ....(व्यवधान) 17 अगस्त को उन पर हथगोलों से पुनः आक्रमण किया गया जिसमें तीन यात्री घायल हो गये। ....(व्यवधान) मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि उन लोगों पर आक्रमण करने वाले कश्मीरी नहीं हैं। मैं यह कहूंगा कि ये सीमापार की अन्य शक्तियां हैं जो उन पर गोलियां बरसा रहे हैं कश्मीरवासी हमेशा यात्रियों की सहायता करते हैं। मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब भी यात्री अमरनाथ गये, कश्मीरी लोग ही उनकी सहायता करते हैं कि वे उन्हें टट्टुओं पर ले जाते हैं, उनका, सामान उठाते हैं और उन्हें वहां तक ले जाते हैं।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हरकत-उल-अंसार आतंकवादी दल के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, संभवतः कुछ विदेशी उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों और उनपर गोलियां चला रहे हों। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मध्यकाल में, केवल डाकू ही काफिलों पर आक्रमण किया करते थे। कोई भी आतंकवादी, जिसका जीवन में कोई उद्देश्य है, यात्रियों पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। जब मैं मुम्बई से अमृतसर गया तो मैंने यह सब स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने मेरी सहायता की। किसी भी आतंकवादी ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि मैं निहत्था तथा प्रेम और भक्ति की भावना से जा रहा था। अब भी, यात्री निहत्थे और भगवान में पूरी श्रद्धा के साथ जा रहे हैं। इसलिए, मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई भी कश्मीरवासीउनके साथ ऐसा करेगा। ....(व्यवधान) मैं इस सभा के माध्यम से यात्रियों को अपनी शुभ कामनायें देना चाहता हूं। पूरा देश उनके साथ है। मैं यह कहूंगा कि यदि दोबारा

आक्रमण होता है तो उन यात्रियों का साथ देने वालों में सबसे पहले व्यक्ति मैं रहूंगा। यद्यपि मेरा बेटा जेल में है और उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है तथापि मैं वहां जाऊंगा जहां देश की अखंडता का प्रश्न आता है, तो "बेटा और बेटी" का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं स्वेच्छा से वहां जाऊंगा और उन यात्रियों के साथ यात्रा करूंगा क्योंकि यह देश एक है और हमें एक रहना होगा। हमें एक साथ जीना और एक साथ मरना होगा। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि :

[हिन्दी]

"साथ जिएंगें साथ मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए"

[अनुवाद]

यदि कभी यात्रियों पर फिर से आक्रमण होता है तो मैं अपनी सेवायें अर्पित करता हूं। ....(व्यवधान)

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनंतपुर और आंध्र प्रदेश के आस-पास के क्षेत्र सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हैं। हर साल बारिश कम होती जा रही है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे पढ़े नहीं। इसमें समय लगता है।

(व्यवधान)

श्री गंगाधरा सानीपल्ली : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे संक्षेप में बताएं।

(व्यवधान)

श्री गंगाधरा सानीपल्ली: न्यूनतम वारिश के संदर्भ में देश के इस क्षेत्र का दूसरा स्थान है। वर्षा में कमी के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर उपज कम होती है चारे की कमी होती है तथा पेयजल की अत्यधिक कमी होती है। कर क्षेत्र मरूभूमि में बदल रहा हैं। सेटेनाइट रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि वह क्षेत्र मरुभूमि में बदल रहा है। उपरोक्त गिरावट के मद्देनजर अन्नतपुर जिले को मरुभूमि समझा जाना चाहिए और क्षेत्र में और गिरावट को रोकने के लिए सभी मरुभूमि विकास कार्यक्रम तत्काल शुरू किए जाने जहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं मानव त्रासदी शायद इस समय की सबसे बड़ी मानव त्रासदी खांडा में जाति संघ की ओर सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुल 75 लाख की जनसंख्या में सं० लगभग दस लाख लोग मार दिए गए और लगभग तीस लाख विस्थापित हो गए। देश की 50% प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित है।

अभी समय नहीं है कि हम पता लगाए कि रोषी कौन है और कौन नहीं। यह लड़ाई सत्तारूढ़ दो जातियों के दिनों में विरोध के कारण उत्पन्न हुई परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि हम मनुष्य जाति को एक परिवार मानते हैं और हमें इस बात पर गर्व भी है, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र, पूरे एक वर्ष या उससे अधिक

समय तक इस जाति संहार को रोकने में असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तंत्र-संयुक्त राष्ट्र प्रणाली इसे रोकने में असफल रहा। अब प्रभावित लोगों की राहत के लिए भोजन तथा दवाईयां देने, लोगों का उपचार करने के लिए मानवीय कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तत्काल राहत अभियान की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सभी देशों से अपील की है। हमने जो अंशदान दिया है वह समय की जरूरत के अनुसार दुर्भाग्यवश काफी कम है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत के लोगों की ओर से तथा उन लोगों की ओर से जो मानव जाति को एक परिवार मानते हैं खांडा के प्रभावित लोगों के लिए हमें कुछ और सहायता देनी चाहिए। खांडा के प्रभावित लोगों के लिए हमें विशेष भारतीय राहत मिशन भेजना चाहिए जो दवाईयां तथा अन्य संसाधन और राहत सामाग्री से लैस एक विशेष भारतीय चिकित्सा दल हो।

इन शब्दों के साथ मैं गर्मक्रोशी से व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूं। हमें न सिर्फ मानवीय एकता के संदर्भ में ही बात नहीं करती चाहिए व्यक्ति तृतीय विश्व की एकता के संदर्भ में भी बात करनी चाहिए। यह एक विकासशील राष्ट्र हैं विकासशील राष्ट्रों में सबसे निर्धन। यह स्वयं संसाधन नहीं जुटा एकता हमें उनकी मदद करनी होगी।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में डा० मसूद अहमद और शेख सुलेमान, जो राजनीतिक लोग है, वे अपनी सभायें करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है। जनपद बिजनौर के अंदर नहटोर में डा० मसूद की सभा होने जा रही थी तो बी० एस० पी० के कुछ लोगों द्वारा उन पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया और मीटिंग नहीं करने दी गयी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, यह राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : स्टेट का सवाल है लेकिन स्टेट ही इसमें इनवाल्व है। ----(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। वहां विधान सभा है। इस मामले को कहा उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा०एस० पी० यादव : महोदय, ऐसा है वहां पर एस० पी० और बी एस पी गवर्नमेंट है। जो पोलिटिकल लोग हैं, वे अपनी सभायें करना चाहते हैं या अपनी और पोलिटिकल एक्टीविटीज़ करना चाहते हैं लेकिन उनको मारा जा रहा है, उन पर पथराव किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। जब

वह अलीगढ़ में सभा करने जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ राजनीतिक लोगों के साथ अत्याचार कर रही है या राजनीतिक लोगों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। दूसरी पोलिटिकल पार्टियों के लोग उनको रैली नहीं करने दे रहे हैं। हम केन्द्र सरकार से उन लोगों की हिफाजत की मांग करते हैं और चाहते हैं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ डायरेक्शन्स दे कि जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनको स्वतंत्र किया जाये और उनको पूरा संरक्षण दिया जाये। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा की जाये जिससे पोलिटिकल पार्टियों के लोग अपनी रैलियां और प्रदर्शन कर सकें।....**(व्यवधान)**

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा के कारण दर्जनों जिले बहुत प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गये हैं और सैंकड़ों लोगों की मौतें हो गयी हैं। उसमें कानपुर देहात, फतेहपुर, जालौन और बांदा जिले जबरदस्त बाढ़ से प्रभावित हैं।

हजारों लोग आज भी बीमारी से बेघर मैदान में पड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार और भारत सरकार से जो राहत कार्य मिलना चाहिए था, वह अभी तक नहीं मिला है।

संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सैकड़ों लोग बाढ़ से मारे गए हैं, उनके परिवार को राहत देने की कपा करें। यहां कृषि मंत्री भी बैठे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो करोड़ो रुपयों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उसके लिए भी राहत दी जाए और प्रदेश सरकार को हिदायत करें कि वे तत्काल इसकी व्यवस्था करवाए।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के छोटा नागपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुत इलाके में प्रदूषण के कारण हजारों आदमी, जानवर मर रहे हैं, पेड़-पौधे सूख रहे हैं। उस इलाके में बहने वाली दामोदर नदी स्वर्ण रेखा नदी आदि नदियों में प्रदूषण फैलने के कारण करीब 30 हजार वर्ग मील में प्रदूषण से जमीन बंजर हो गई है और फोरैस्ट विभाग के पेड़ सूख गए हैं नदी के किनारे खनिज पर आधारित जो उद्योग है, उनसे प्रदूषण फैल रहा है।

अतः मेरी सरकर से मांग है कि प्रदूषण को रोका जाए ताकि लोग मरने न पाएं।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलनगीर) : मैं एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने का मौका दें। जहरीली शराब पीने से उड़ीसा के गंजम में अठारह लोग मर गये और कई लोग अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। इस जहरीली शराब को बनाने वालों को जनता दल के स्थानीय नेताओं से सुरक्षा मिली हुई है। दो वर्ष पूर्व जहरीनी शराब पीने से 300 से ज्यादा लोग मरे और यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं करती है तो मुझे भय है यह खतरा अन्य जिलों में भी फैल जाएगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गंगवार डा० कार्तिकेश्वर पात्र, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री चन्द्रजीत यादव श्री प्रेम डा० गिरिजा व्यास श्री संतोष कुमार गंगवार श्री राम सागर श्री विजयराघवन कतिपय महत्वपूर्ण मुददे उठाना चाहते हैं। परंतु चूंकि एक वज गया है मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम उन्हें आज मौका नहीं दे सकते। कृपया माफ करें। अब हम अगला नियम उठायेंगे।

1.13 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है।

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 117 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 1994 को पारित किसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1994 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैटक में लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1994 को पारित किसी "नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1994" से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1994 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था न वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

1.14 म० प०

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवा प्रतिवेदन

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पाचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.15 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

हिरासत में हुई मौतों के बारे में दिनांक 11 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में शुद्धि की गई

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : 11.8.1994 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 262 के भाग (क) से (ङ) तक के भागों के उत्तर में उल्लिखित विवरण के पैरा 4 में निम्न रूप से कहा गया था:—

4. "सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1994, को 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया था। विधेयक में हिरासत में होने वाले अपराधों को रोकने/कम करने, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में सूचना देना अनिवार्य बनाने के साथ-साथ उस स्थान का नाम, जहां उसे रखा गया हो, तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति को बताना, साक्ष्य कानून में इस तरह संशोधन करना ताकि हिरासत में होने वाले अपराधों के मामले में साक्ष्य का भार व्यक्ति को हिरासत में रखने वाले अधिकारी पर आए तथा पुलिस हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा गायब होने की दशा में न्यायिक जांच अनिवार्य बनाना, शामिल है।"

ऊपर दिए गए उत्तर को निम्न रूप से पढ़ा जाए :—

4. "सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1994, को 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया था। विधेयक में हिरासत में होने वाले अपराधों को रोकने/कम करने, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में सूचना देना अनिवार्य बनाने के साथ-साथ उस स्थान का नाम, जहां उसे रखा गया हो, तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति को बताना, तथा पुलिस हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा गायब होने की दशा में न्यायिक जांच अनिवार्य बनाना, शामिल है।"

1.17 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निगम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निगम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.18 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति
चवालीसवें प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा 17 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सभा 17 अगस्त 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो कार्य सूची मंत्री जी ने सदन के सामने रखी है, उसमें पूर्वांचल के प्रदेशों की जो स्थिति है, उसको अगले सप्ताह की कार्य सूची में बहस के लिए रखा जाये।

15 अगस्त को लाल किले में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो समूचे पूर्वांचल असम से मणिपुर तक 6 राज्यों में उस दिन पूरा बंद था। ध्वजारोहण जहां-जहां मिलिट्री के संरक्षण मे हो सकता था, वहां हो गया, लेकिन उन 6 प्रदेशों में किसी भी प्रकार का, उत्सव की बात छोड़े, हम भारत के नागरिक हैं, यह भी व्यक्त करने जैसी स्थिति नहीं बनी। यह स्थिति आज यहां तक आकर पहुंची कि पूर्वांचल के लोग, उनके राजनीतिक दल दिल्ली में आकर प्रधान मंत्री से, गृह मंत्री से और सरकार के अन्य लोगों से मिलना चाहते थे तो उनको मिलने का प्रधान मंत्री जी के पास समय नहीं था, गृह जी के पास समय नहीं था। छोटा अधिकारी तक उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मिजोरम जहां भारी बगावत रही, वहां लालडेंगा के साथ पता नहीं कितने साल तक बातचीत करके एक समझौता हो गया, लेकिन उस समझौते पर अमल नहीं हुआ। 30 जून को लालडेंगा की पत्नी जो उनकी दल की उपाध्यक्ष है और उनके दल के टौंगलुइया जो कि भूमिगत सेना के सिपहसालार थे, उन्होंने यहां आकर धरना दिया। उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की मांग की, उनकी एक ही प्रार्थना थी कि 7 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री और लालडेंगा के बीच हस्ताक्षर होकर जो समझौता हुआ था, उस पर अमल हो। उनकी मांग थी कि आपने भ्रष्टाचार मिटाने की बात लिखी थी, वह चल रही है और आपने कहा था कि वहां जम्हूरियत रहेगी, वहां जम्हूरियत नहीं है। उनकी अनेक शिकायतें हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को सुनने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वह सार्वजनिक तौर पर यहां तक कह गये कि अगर हम लोगों से बात नहीं करेंगे और आपका दरवाजा खटखटाने पर भी हम से नहीं मिलेंगे तो वे वापस जाकर बम से विभिन्न चीजों को उड़ाने का काम करेंगे। पिछली एक तारीख से लगातार वहां की गाड़ियां बम से उड़ायी जा रही हैं, पुल-पुलिया बम से उड़ाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आज फिर मिजोराम में पैदा हो रही है। एम० एन० एफ० के लोग खुल कर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बात नहीं करेंगे, तो फिर बन्दूक के जरिये ही आपसे बात करना शुरू करेंगे। उपाध्यत्र जी, वहां अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। आज यहां पर प्रश्न काल में एक प्रश्न आया नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं प्रश्नों के उत्तर देख रहा था, तो उसमें पूर्वांचल में जो आज इस प्रकार

की अनेक जगह पर इन्सरजेंसी हैं, उसके बारे में प्रश्न है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि वहां जो इन्सरजेंसी है, उसके पीछे जो कारण हैं, उनमें वहां के लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होना, वहां के लोगों के साथ हम लोगों के ठीक रिश्ते नहीं रहना है, मगर इसका लाभ कई विदेशी ताकतें उठाती हैं। जब ऐसी स्थिति आपने आज वहां पर बना रखी है और उसमें आप अगर रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं हैं और 15 अगस्त जैसी परिस्थिति ही हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और आपकी तरफ से इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा, इसलिए मैं इस सदन में इसके पहले बोल चुका हूं, आज फिर कहता हूं और इसलिए मैं बह चाहता हूं।

मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में पूर्वांचल की स्थिति के बारे में बात करने के लिए इस विषय को रखिये और अगले सप्ताह में इसके बारे में विचार कराइये। क्योंकि, 26 तारीख को सदन की कार्यवाही खत्म हो जायेगी और फिर 2 महीने यह सदन नहीं बैठेगा, इसलिए मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं, मैं सदन को आगाह कर रहा हूं कि आने वाले दो महीनों में पूर्वांचल की स्थिति भयंकर होने जा रही है। इसलिए आप बहस कराने के लिए अपनी इस रिपोर्ट को संशोधित कराकर सदन के सामने रखिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 17 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.22 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के कतिपय क्षेत्रों में, जहां सहकारी क्षेत्र की डेरियां चल रहीं हैं, निजी क्षेत्र की डेरियों को चलाने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को छोड़ देने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री एन० जे० राठवा (छोटा उदयपुर) : उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार द्वारा निजी डेयरियों को सहकारी क्षेत्रों में कारोवार की स्वीकृति दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का गुजरात के दुग्ध उत्पादकों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। यह विदित ही है कि जब क्षेत्र में सहकारी संघ वाली डेयरियां नहीं थी, तब निजी डेयरियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। इसलिए गुजरात के दुग्ध उत्पादकों द्वारा निजी डेयरियों के सरकारी क्षेत्रों में कारोबार के प्रस्ताव का विरोध किया जाना स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि उचित भी है।

मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, बड़ौदा, राजकोट, भरूच, अहमदाबाद, पंचमहल, सूरत, गांधीनगर, खेड़ा और वलसाड़ जिलों की जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडलियों ने सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध अनेक प्रस्ताव पारित कर अपना विरोध प्रकट किया है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में शीघ्र

कदम उठाकर उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति को वापस नहीं लिया तो गुजरात में दुग्ध उत्पादकों द्वारा आन्दोलन विकराल रूप धारण कर सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हैं कि वह इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाकर गुजरात के दुग्ध उत्पादकों की समस्या का निराकरण कराकर सहकारी क्षेत्र में निजी डेयरियों के कारोबार के प्रस्ताव की स्वीकृति पर तुरन्त रोक लगाने की व्यवस्था करे। ऐसा करना गुजरात के दुग्ध उत्पादकों के हित में परम आवश्यक हैं।

(दो) सहरसा, बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान को ध्यान में रखते हुए कोसी नदी पर बांध का निर्माण करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र सहरसा में स्थित कोसी नदी में हिमालय पहाड़, नेपाल और चीन बोर्डर एरिया से जो पानी का बहाव आता है, वह कोसी नहीं से होकर गंगा नदी में गिरता है और इसी से इस क्षेत्र में बाढ़ हर वर्ष आती रहती है। कोसी नदी में कटाव के कारण यह अपना स्थान बदलती रहती है, जिससे वहां जान-माल का भारी नुकसान होता है।

बिहार सरकार और भारत सरकार 100-100 करोड़ रुपये हर वर्ष रिलीफ के लिए खर्च करती हैं, परन्तु बाढ़ न आने का कोई स्थाई इन्तजाम नहीं करती है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में हर वर्ष की बाढ़ के बाद जब पानी उतरता है तो पानी की कमी होने पर सम्पूर्ण उत्तर बिहार सुखाड़ की चपेट में आ जाता है। एक ही मौसम में बाढ़ और सुखाड़ दोनों का ही यहां की स्थानीय जनता को सामना करना पड़ता है। कोसी में उच्च डैम का निर्माण हो जाने पर सीमा से आने वाले पबानी को डैम के बीचो बीच से गुजार कर गंगा नदी में गिराया जा सकता है, जिससे उत्तरी बिहार को बाढ़ की चपेट से बचाया जा सकता है, साथ ही यहां की भूमि की सिंचाई भी हो सकती है और बिजली का उत्पादन भी भारी मात्रा में किया जा सकता है। इसके साथ ही मछली का व्यापार भी हो सकता है।

इस सम्बन्ध में बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा नेपाल से कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निर्माण के करार को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर उच्च डैम का निर्माण कार्य कराया जाय।

(तीन) **उडीसा में सुवर्ण रेखा परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता**

[अनुवाद]

कुमारी सुशीला तिरिया : (मयूरभंज) उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में सुवर्ण रेखा परियोजना सात वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी। उक्त परियोजना से अनेक गांव अस्त-व्यस्त हो गए। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग बेघर हो गए तथा अपनी कृषि भूमि से वंचित हो गए।

पहले ही दस वर्ष बीत चुके हैं परन्तु सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। विस्थापित लोगों को पुनर्वास नहीं किया गया। क्षेत्र का आंशिक सर्वेक्षण किया गया है तथा कुछेक की प्रभावित लोगों को ही मुआवजा दिया गया है।

प्रभावित ग्रामीण अब पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। परियोजना के अन्तर्गत **सांगिरा** नदी क्षेत्र में पुनर्वास का काम आरम्भ नहीं किया गया है। परियोजना का कार्य गत चार पांच वर्षों से रुका हुआ है।

मैं केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूं जिससे कि परियोजना पूरी हो सके तथा लोगों के पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण का कार्य सुचारु रुप से किया जा सके।

(चार) **चीनी उद्योग में संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कारखानों द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान की पूर्व योजना को बहाल किये जाने की आवश्यकता।**

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से चीनी विकास कोष से अधिकतम वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कारखानों द्वारा पहले कुल खर्च का 10 प्रतिशत अंशदान दिया जाता था, जब कि शेष 90 प्रतिशत राशि उक्त कोष से दी जाती थीं। कारखानों के अंशदान को 35 प्रतिशत तक बढ़ाकर तथा कोष को अंशदान को 65 प्रतिशत तक घटाकर हाल ही में इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है। इसके परिणामस्वरुप बहुत से कारखाने को 35 प्रतिशत तक का अंशदान करने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं सरकार से पूर्व प्रक्रिया को बहाल करने का अनुरोध करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन योजना को अन्तिम रूप देने का अनुरोध करता हूं ताकि घाटा दिखा रही इकाइयों को योजना में शामिल करके उनके सुव्यवस्थित संचालन में सहायता की जा सके।

(पांच) **बर्तनों के निर्माण में अच्छी किस्म के स्टेनलैस स्टील का प्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल देश में बनी अच्छी-अच्छी एवं घर उपयोग में आने वाली बहुत सी चीजों में मिलावट हो रही है, जिसमें खासकर रसोई घर में उपयोग आने वाले स्टैनलेस स्टील के बर्तन प्रमुख हैं। बर्तन बनाने वाली कंपनियां एवं उद्योग वाले ऐसे सुन्दर डिजाइनों के बर्तन बनाते हैं कि खरीदने का मन लालाइत हो जाता है, लेकिन जब खरीदकर घर जाते हैं एवं थोड़े ही दिन के उपयोग में वे टूट जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं।

"सेल" जैसी सरकारी कंपनिया एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान कारखानेदारों तथा बर्तन वालों को अच्छी स्टील का कोटा/परमिट का अच्छा खासा कच्चा माल देते हैं, लेकिन वे कारखाने वाले उसमें हल्का स्टील डालकर मिलावट कर करोड़ों रुपया कमाते हैं और अच्छा स्टील ब्लैक में बेच देते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों तथा कारखानेदारों को पकड़कर सजा-दंड दिया जाए, ताकि देश में से भ्रष्टाचार दूर हो सके।

(छः) **उत्तर प्रदेश के हरदोई कस्बे और उसके निकटवर्ती जिलों के लोगों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सरकार विज्ञान और प्रौद्यौगिकी विभाग के माध्यम से औद्योगिक और सामाजिक विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित करती है। इनका एक उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का समन्वित विकास करना है। विज्ञान और प्रोद्योगिकी परिषदों का भी गठन इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया गया था। एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापित "विज्ञान प्रसार" देश में विज्ञान लोकप्रियकरण संबंधी गतिविधियों में संलग्न है।

उत्तर प्रदेश में हरदोई और उसके अन्य समीपवर्ती जिले, लखीमपुर, खीरी शाहजहांपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद और उन्नाव आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के प्रचार-प्रसार में पिछड़े रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र की जनता विकास की मुख्य धारा से एकदम अलग-थलग है। संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। औद्योगिक विकास के नाम पर कोई विशेष उपलब्धि इस क्षेत्र को हासिल नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से इस पिछड़े क्षेत्र के जनमानस को परिचित कराए जाने की अविलंब आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के इन पिछडे हुए क्षेत्रों के केन्द्र हरदोई नगर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित दिया जाए, जिसमें ग्रामीण विकास सहित औद्योगिक विकास संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए। "विज्ञान प्रसार" संस्था द्वारा आयोजित परियोजनाओं को भी इस क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता के साथ बड़े पैमाने पर लागू किया जाए ताकि यहां के लोग आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से परिचित हो सकें और देश की मुख्य विकास धारा से जुड़ सकें।

(सात) **राजस्थान सरकार को सूरतगढ़ तहसील के उन किसानों को जिनकी फसलें पानी के जमाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मुआवजा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान में सूरतगढ़ तहसील में लगभग 15 गांव जो भाखड़ा नगर से सिचित थे वहां की बहुत उपजाऊ जमीन वाटर लॉगिंग (सेमा) से लगभग 10 वर्ष से प्रभावित हो गई हैं। इन गांवों में खातेदार किसान भूमिहीन हो गए हैं। अभी तक इन किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिला है और इन गांवों के किसानों की हालत बहुत सोचनीय हो गई है।

मैंने केन्द्र सरकार तथा राजस्थान सरकार को कई बार निवेदन किया है कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर सेमे खत्म करने के उपाय किए जाए, परंतु अभी तक उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पंजाब में जहां सेमा था, वहां सेम नाले बनवाकर सेमा खत्म कर दिया गया, लेकिन यहां सेम नालों की स्कीम अभी नहीं बनाई गई है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि सेम नाले बनवाकर इस सेमें को खत्म करवाने के उपाय शीघ्र किए जाएं तथा किसानों को फसल का मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.35 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

1.32 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.39 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2.39 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के संबंध में संकल्प-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करने संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा चल रही है। मुझे इसके संबंध में दो-चार बातें कहनी है।

उपाध्यक्ष जी, सरकार पहली बार यह नीति संसद में मई 1988 में, उसके बाद मई 1990 में लाई जिसे आम जनता के सामने चर्चा के लिये रखा गया और फिर उसके बाद मई 1992 में संसद में फिर लाई परन्तु आज तक आवास की समस्या का हल नहीं निकाला गया। इसका कारण यह है की सरकार की यह निति हमेशा गलत ही रही है। यह समस्या दिन प्रतिदिन उलझती ही गयी। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब-जब सरकार ने गलत राष्ट्रीय आवास नीति बनायी यह समस्या और गंभीर होती गयी। शहरों में तो कुछ सुविधायें प्रदान की गयी लेकिन देहात के इलाकों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। गांवों में तो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं या फिर फूस की झोपड़ियों में रहते हैं या खुले आसमान के नीचे रहते हैं। जिस प्रकार आदमी के लिये रोटी और कपड़ा चाहिये, उसी प्रकार रहने के लिये मकान भी चाहिये। दुख तो इस बात का है कि कहीं पर भी मकान मुहैय्या नहीं हो रहे हैं। जब 1991 में जनगणना हुई तो उस समय 5 लाख परिवार ऐसे थे जो बेघर थे, 31 लाख परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक करोड़ 14 लाख परिवार कच्चे मकानों में रह रहे थे और 26 लाख परिवार ऐसे थे जो शहरों में कच्चे मकान मे रह रहे थे, 6 करोड़ 10 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास केवल एक कमरा है और एक करोड़ 40 लाख परिवार किराये के मकानों में रह रहे हैं। ग्रामीण अंचल में 40 लाख लोग किराये के मकान में रह रहे हैं। लाखों परिवार गांवों शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहते हुये नारकीय जीवन बिता रहे हैं। इसके अलावा हजारों आदमी अपनी भैंसों, घोड़ों और खच्चरों पर रह रहे हैं और अपने आप को लादे हुये खुले आसमान में घूम रहे हैं। लाखों आदमी फुटपाथ पर रह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने जो आंकड़ें दिये हैं उनके अनुसार शहरी क्षेत्र में 36.7 मिलियन, ग्रामीण क्षेत्र में 20.6 मिलियन मकान बताये गए हैं। 1990 में 48.8 मिलियन

व्यक्ति गंदी बस्तियों में रह रहे हैं और 1991 से 2001 तक यह संख्या 79 मिलियन हो जाने की संभावना बतायी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा कमी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 122.2 लाख और शहरी क्षेत्र में 95.5 लाख मकानों की आवश्यकता आंकी गयी है। इस प्रकार हम देख रहे है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मकानों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है सरकार की गलत नीति के कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों और कुछ नेताओं के पास 20-20 मकान है लेकिन गरीब आदमी के पास रहने के लिये एक झोंपड़ी तक नहीं है। यहीं तक कि बड़े लोगों और पूंजीपतियों के कुत्ते और बिल्लियां भी महलों में रह रहे हैं।

लेकिन गरीब लोगों के रहने के लिये, उन्हें अपना सिर ढकने के लिये छप्पर तक मुहैया नहीं हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में ब्लाकों के माध्यम से गरीब लोगों को जो मकान बनाकर दिये जाते हैं, जो इंदिरा आवास बनाकर लोगों को दिये जाते हैं, उसके लिये 12 हजार रुपये मात्र दिये जाते हैं। इतने पैसों में आवास कैसे बन सकता है क्योंकि आज ईंटें कितनी महंगी हो गयी है, लोहा कितना महंगा हो गया है, सीमेंट कितना महंगा हो गया है फिर 12 हजार रुपये में कैसे आवास बन सकता है ? यही कारण है कि ब्लाकों के माध्यम से जो इंदिरा आवास बनाकर लोगों को दिये जाते हैं, वे एक या दो साल बाद गिर जाते हैं। उनके बनाने में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ब्लाक के लोग परिवार नियोजन की कंडीशन लगाते है ताकि परिवार नियोजन के नाम पर ब्लाक के अधिकारियों और कर्मचारियों को पैसा मिल सके। उसके बाद जब किसी के नाम कोई आवास आवंटित हो जाता है तो 20-30 परसेंट मकान बनाये ही नहीं जाते हैं, खाली कागजों पर दिखा दिये जाते हैं और केवल 70 परसेंट आवास ही बनाये जाते हैं। गांवों में उन मकानों में रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 3-4 साल के अंदर तो वे वैसे ही गिर जाते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि जो 70 परसेंट आवास जवाहर रोजगार योजना या इंदिरा आवास के अंतर्गत जो आवास बनाये जाते हैं, उनमें सरिया, सीमेंट, लोहा काफी महंगा होने के कारण प्रयोग होता ही नहीं है, जिसके कारण वे बहुत जल्दी गिर जाते हैं और ऊपर से अधिकारी और कर्मचारी 30 परसेंट पैसा खा लेते हैं, उसे रोकने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये ताकि लोगों को ग्रामीण अंचल में रहने की सुविधा प्राप्त हो सके।

मैं यहां कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आवास बनाने के लिये जो ऋण या अनुदान राशि दी जाती है, उसे बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है, जैसे इंदिरा आवास के लिये आजकल 12 हजार रूपये मिलते हैं, मैं चाहता हूं इस राशि को कम से कम दुगना किया जाये ताकि रहने योग्य आवास बनाकर लोगों को दिये जा सकें और गरीब लोगों के बच्चे और परिवार उनमें सुविधापूर्वक रह सके, उनका ठीक तरह पालन-पोषण किया जा सके। दूसरा सुझाव है कि जो ऋण दिया जाता है, उसकी ब्याजदर कम की जाये। आवास के लिये भूमि आवंटित की जाये और लोगों को मकान बनाने की तकनीक उपलब्ध करायी जाये।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की है। चाहे मकान बनाने वाली शहर की कुछ एजेंसी हों या ग्रामीण अंचलों में ब्लाकों के माध्यम से आवास बनाये जाते हैं, आज उनमें सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है तो सारी व्यवस्था सही हो सकती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण या शहरी अंचलों में जितने मकान बनाये जाये, उनमें सफाई, बिजली, पानी, शौचालय तथा मार्ग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा जिस क्षेत्र में आवास बनाये जायें वहां शिक्षा और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था रहे। प्रत्येक परिवार को उसकी

आवश्यकता के अनुसार मकान मिलने चाहिये। किसी गरीब व्यक्ति का परिवार बड़ा है तो उसे बड़ा मकान या फ्लैट बनाकर देना चाहिये और जिसका परिवार छोटा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे छोटा मकान बनाकर दिया जाये लेकिन एक परिवार के पास एक से अधिक मकान न हों ताकि सभी के लिये समुचित व्यवस्था हो सके। आज बड़े लोगों के पास 10-10 और 20-20 मकान हैं जबकि गरीब लोगों के पास एक भी मकान नहीं है।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकान बाढ़ के कारण गिर जाते हैं, हमारे यहां अनेक गांवों में बाढ़ के कारण दो-दो, तीन-तीन या चार-चार बार मकान लोगों के मकान गिर चुके हैं, उन्हें रहने के लिये मकानों की सुविधा दी जाये। मेरे क्षेत्र में शारदा नदी की बाढ़ के कारण कम से कम 10-12 गांव बिल्कुल बह गये हैं और लोगों के पास रहने की कोई वयवस्था नहीं है। इससे पहले भी उनके मकान दो-तीन बार गिर चुके हैं। उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिये मजबूर होना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों के रहने के लिये मकान बनाये जा सकें।

अंत में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नेशनल हाउसिंग पौलिसी सरकार के द्वारा तीसरी बार इस सदन में लायी गयी है परन्तु उसके क्रियान्वयन पर समुचित ध्यान न देने के कारण न तो आवश्यक मकान ही बने, न आवास समस्या में कोई सुधार हुआ और सही ढंग से लोगों को आबादी में रहने के लिये मकान भी नहीं मिले। यदि सरकार वास्तव में लोगों को मकान की सुविधा देना चाहती है तो उसे सही ढंग से हाउसिंह पौलिसी बनाना चाहिये और जो भ्रष्टाचार आज इसकी जड़ में व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार, पक्षपात और स्वार्थपरता को हटाकर निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय आवास नीति को लागू करना चाहिये जिससे कि हमारी आवासीय समस्या वास्तव में हल हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे। प्रत्येक वक्ता को दस मिनट दिए जाएंगे क्यों कि चर्चा में भाग लेने वाले काफी सदस्य हैं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहरी विकास मंत्री के राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तरह से, यह एक दुःखद बात है कि हमें नीति तैयार करने में ही लगभग सात वर्ष लगे हैं।

नवम्बर 1988 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई विश्व व्यापी आवास रणनीति के अन्तर्गत विभिन्न सरकारों को उक्त नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय आवास नीतियां तैयार करने का आह्वान किया गया था तथा तदनुरूप हमारी सरकार द्वारा मई 1988 में उक्त नीति पहला प्रारूप के सभा पटल पर दोनों सभाओं रखा गया केवल राज्य सभा में ही उस पर चर्चा हुई तथा लोक सभा में इस पर चर्चा नहीं हो पाई।

उसके बाद इस प्रारूप पुनरीक्षा करने में लगभग चार वर्ष लगे। इसे बड़े पैमाने पर परिचालित किया गया तथा अनेक रायें मांगी गई। परन्तु फिर भी, मुझे यह कहना ही पड़ेगा, कि उक्त प्रारूप की पुनरीक्षा करने में इतना लम्बा समय लग गया कि इसे 1992 में सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

1992 के बाद दो हमें और दो वर्ष इस नीति पर चर्चा करने में लगे। मैं इन तिथियों का उल्लेख यह दर्शाने के लिये कर रहा हूं कि हमें अपने देश में आवास, समस्या के संबंध में अधिक गंभीर होना चाहिए।

यदि नीति तैयार करने में ही हमें छः वर्ष लगते हैं तो इस समस्या का समाधान करने के लिए न जाने हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। वर्ष 1991 में आवासों की कमी जिस के विषय में पूर्व वक्ताओं ने भी उल्लेख किया 3.10 करोड़ यूनिट आंकी गई। आठवीं योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी 122.2 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 95.5 लाख है। निःसन्देह यह सन्तोषजनक बात है कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना के उपरान्त हमने इसकी कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया है।

जहां तक परिव्यय का संबंध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल 2,424. 34 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था जिसे आठवीं योजना में बढ़ाकर 6,377 करोड़ रु० कर दिया गया। इस के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का सम्बन्ध है मात्र नीति तैयार करना तथा निश्चित कतिपय परिव्यय का उपबन्ध करना ही पर्याप्त नहीं है। यद्यपि इस संबंध में मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथापि इस नीति में और अधिक गतिशीलता की आवश्यकता है। स्वयं नीति संबंधी वक्तव्य निम्नलिखित वाक्य से आरंभ होता है:

"आश्रय तथा विकास तो मात्र सहायक हैं आवास गरीबी उन्मूलन तथा रोज़गार पैदा करने के लिए सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसे मानवीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकास के सामूहिक सुधार के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए।"

इसलिए आवास का मन्तव्य केवल बेघर लोगों को आश्रय देना ही नहीं बल्कि रोज़गार पैदा करके गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम के द्वारा ही रोज़गार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, और यदि ऐसा हो तो अभी तक इस विषय की उपेक्षा क्यों होती रही—यह मुझे समझ नहीं आता।

अब इस नीति संबंधी वक्तव्य में पहले वाले वक्तव्य से काफी भिन्नता है। जैसा कि शहरी विकास मंत्री ने पहले दिन जब यहां चर्चा आरंभ हुई, कहा था कि नीति में भारी बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार की भवन निर्माण की भूमिका को बदल दिया गया है तथा उसे कठिनाइयां दूर करने वाला वातावरण तैयार करने तथा विभिन्न आवासीय निवेशों की सुपुर्दगी के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार करके आवासीय के प्रवर्तक का उत्तरदायित्व दे दिया गया है। यह सत्य है कि जहां तक नागरिकों का संबंध है भवन निर्माता की भूमिका से बदलकर यह भूमिका भवन निर्माण गतिविधियों में सहायक की भूमिका हो गई है। परन्तु इसके लिए प्रमुख तथा गतिशील कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसा कि मंत्री महोदया ने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि राष्ट्रीय आवास नीति के अनुरुप आवास विभाग द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। ये कदम केवल कुछ अधिनियमों या संविधान में संशोधन के विषय में ही उठाए गए हैं। जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है केवल विधान बनाना ही पर्याप्त नहीं है और विधान किराया नियंत्रण अधिनियमों को आवासीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने करने के लिए दिशा देता है तथा अन्य अधिनियमों जैसे सरकारी स्थान अधिनियम के द्वारा अवैध कब्जे हटाने में सहायता करता है।

अब, मेरा निवेदन यह है कि यह सही दिशा नहीं है। किराया नियंत्रण अधिनियमों को निजी आवासीय गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना, मैं समझता हूं कि यह कोई यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। इस समय कम से कम मुम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरों में आवासीय कार्य निजी भू-स्वामियों से भवन निर्माताओं द्वारा हथिया लिए गए हैं। अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि निजी व्यक्ति किराए पर देने के लिए मकान बनाए। मैं नहीं समझता कि निवेशक किराए पर देने के उद्देश्य से मकान बनाने की सोच रहे हैं। वे अपने उपयोग के लिए मकान बनाते हैं। अब भवन निर्माताओं का एक वर्ग पूंजी निवेश बल्कि काले धन का निवेश करने के उद्देश्य से आगे आ गया है तथा उसने मुनाफे तथा बेघर लोगों को शोषण के लिए आवास संबंधी कार्य अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए हमें कुख्यात भवन निर्माताओं से यह आवास संबंधी

कार्य अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए हमें कुख्यात भवन निर्माताओं से यह आवास संबंधी कार्य वापिस लेकर सरकार को सौंपने के तरीके तथा साधन खोजने चाहिए। और यदि ऐसा संभव न हो तो तथा सरकार भवन निर्माता की भूमिका निभाने को तैयार न हो तो अपना घर स्वयं निर्मित करने के उद्देश्य से आगे आने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

3.00 म० प०

इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में मेरा निवेदन यह है कि आदर्श किराया नियंत्रण कानूनों से संबंधित स्कीम का अनुवर्तन अधिक फायदेमंद नहीं है। इससे आवास संबंधी गतिविधियों ने कोई विस्तार नहीं होगा। तथापि किराए पर देने के लिए निजी व्यक्तियों को भवन निर्माण के लिए कितना भी प्रोत्साहन दिया जाए सरकार को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी क्यों कि यह कार्य पहले ही बेईमान भवन निर्माताओं द्वारा हथिया लिया गया है। इसलिए लोगों को या तो अपने लिए घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और या फिर सहकारी आवासों के लिए।

मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व मुम्बई में स्थिति ऐसी थी कि कुछ नागरिक सहकारी आवास समितियां गठित करने के लिए आगे आ रहे थे। वे अपने ही लिए घरों का निर्माण कर रहे थे। जहां तक सहकारी आवास का सम्बन्ध है वे स्वयं ही किराएदार-सदस्य बन रहे थे तथा अपने मामलों का संचालन कर रहे थे। परन्तु उसके बाद धीरे-धीरे ठप्प पड़ गयी। यह ठप्प क्यों पड़ गयी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाद हमने इस देश में विशेषकर बड़े शहरों में वास्तविक, असली तथा पारंपरिक सहकारी आवास को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। हमने उनके वित्त-पोषण को प्रोत्साहन नहीं दिया। हमने सहकारी आवास को सोसाइटियों को भूमि नहीं दी सहकारी आवास को प्रोत्साहन देने के लिए इस आवास नीति दस्तावेज में कुछ भी नहीं कहा गया है।

अब, जहां तक आवास का सम्बन्ध है उसके चार मुख्य क्षेत्र है जो कि इस प्रकार है :

(एक) भूमि की व्यवस्था तथा उसका प्रबंधन;

(दो) ग्रामीण आवास,

(तीन) वैधानिक तथा विनियमनकारी ढांचा; और

(चार) आवास वित्त

मद संख्या (एक) और (तीन) अर्थात भूमि की व्यवस्था तथा उकसा प्रबंधन और वैधानिक तथा विनियमनकारी ढांचा परस्पर सम्बन्ध है। जहां तक भूमि की व्यवस्था का सम्बन्ध है, इसी उद्देश्य के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियय, 1976 अधिनियमित कराया इसका प्रयोजन फालतू भूमि सहकारी आवास समितियों या नागरिकों, गरीब लोगों को देना था, जो आवास के उद्देश्य से आगे आएंगे। अब वह अधिनियम पूर्णतया निरर्थक हो गया है तथा अपना हित साधने वाले लोगों ने आज ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि वे यह मांग कर रहे हैं कि यह अधिनियम रद्द किया जाए। यही वे चाहते हैं। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस आवास नीति दस्तावेज में इस अधिनियम को रद्द करने की बात नहीं है बल्कि इसमें संशोधन करने की बात कही गई है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह कहते हैं कि इस अधिनियम को रद्द किया जाना चाहिए। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय था तथा जहां तक इसका सम्बन्ध है इसके उपबंध बहुत महत्वपूर्ण थे।

इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार :

"जहां कोई रिक्त भूमि किसी राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई समझी गई है.....व्यक्ति या व्यक्तियों को.....

(क) उस मामले में जिसमें ऐसी रिक्त भूमि से कोई आय होती है, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व के पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के दौरान ऐसी भूमि से वास्तव में व्युत्पन्न शुद्ध औसत वार्षिक आय के आठ सही एक बटा तीन गुने के बराबर रकम का संदाय करेगी; या

(ख) उस मामले में जिसमें ऐसी रिक्त भूमि से कोई आय व्युत्पन्न नहीं होती है, जिसमें निम्नलिखित दर से अनधिक दर से परिकलित रकम का संदाय करेगी, अर्थात् :—

(एक) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख के अन्तर्गत आने वाली किसी नगर बस्ती में स्थिति रिक्त भूमि की दशा में दस रुपए प्रति वर्ग मीटर ; और

(दो) उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ग या प्रवर्ग घ के अन्तर्गत आने वाली किसी नगर बस्ती में स्थित-रिक्त भूमि की दशा में पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर।"

क्या हमने वैसा किया है ? हमने इस अधिनियम को क्रियान्वित ही नहीं किया है। किसी भी राज्य सरकार ने इस अधिनियम को गम्भीरतापूर्वक लागू नहीं किया है। यदि उन्होंने 10 रुपये या 5 रुपये की दर से या इस खाली पड़ी भूमि की आय के आधार पर फालतू भूमि अधिगृहीत कर ली होती तो आज भूमि की कीमतें आसमान न छू रही होती तथा आवास गतिविधियां एकदम ठप्प न हो गई होती।

अगर ऐसा होता तो आवास गतिविधियां शोषकों, जो कि भवन-निर्माता हैं, के हाथों में भी न गई होती। हमने इस अधिनियम को लागू ही नहीं किया है और अब हम कह रहे हैं कि यह असफल हो गया है। हम यह भी कहते हैं कि इस अधिनियम का कोई उपयोग नहीं है तथा हमें इसे रद्द कर देना चाहिए हमने इसे लागू नहीं किया है, हमने इसका अनुसरण नहीं किया है। किसी भी राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया है तथा केन्द्र सरकार ने इस सराहनीय अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने हेतु या उन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कदम नहीं उठाए हैं।

धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत इस छूट का कि उन लोगों से इस भूमि का अधिग्रणन किया जाए, जिनके पास फालतू खाली भूमि है, राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह दुरुपयोग किया गया है। प्रत्येक राज्य सरकार ने इन धारा 21 तथा 22 का दुरुपयोग किया है तथा छूट देने के उद्देश्य और कदाचार के प्रयोजनार्थ दिशानिर्देश बनाए गये थे। धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत काम करने वाले मंत्री, नौकर शाह, सचिव तथा सम्पूर्ण तन्त्र पूरी तरह भ्रष्ट हो गया था तथा मंत्रियों से लेकर नौकरशाहों तक सबके लिए यह भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया था। इसलिए, सब बातों को नकार दिया गया है। राज्य सरकारों, भ्रष्ट नौकरशाहों तथा भ्रष्ट मंत्रियों द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को नकार दिया गया है इसलिए हम आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें यह अधिनियम रद्द कर देना चाहिए। हमने इसे लागू नहीं किया और जिन्होंने इसे लागू किया है, उन्होंने लोगों का शोषण किया तथा इस अधिनियम के उपबन्धों का शोषण किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई योजनाएं तथा दिशानिर्देश सभी राज्यों में एक समान नहीं है। प्रत्येक राज्य ने अपने अलग नियम तथा दिशा निर्देश बनाए हैं और ये दिशानिर्देश इस ढंग से बनाए गए हैं जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत छूट देने में अधिकाधिक भ्रष्टाचार किया जा सके।

इसलिए, खाली फालतू भूमि अधिगृहीत ही नहीं की गई है और जब भी अधिगृहीत की गई है, वहां भ्रष्टाचार हुआ है योजनाएं इस ढंग से बनाई गई हैं कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम सम्पूर्ण उद्देश्य को पूर्णतया नकार दिया गया है तथा आज समाज में एक बड़ी लाबी काम कर रही है जो सरकार को तथा यहां तक कि चुने हुए प्रतिनिधियों को यह कहने के लिए फुसला रही है कि इस अधिनिमय को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कोई प्रयोजन हल नहीं हुआ है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हमें इस अधिनियम में समुचित संशोधन करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें कतिपय दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि और फालतू भूमि अधिग्रहीत की जा सके। आज भी तमाम फालतू भूमि उपबन्ध हैं। यदि फालतू भूमि राज्य सरकारों द्वारा बहुत कम दर पर खरीद कर पारंपरिक, असली सहकारी आवास समितियों को उनके सदस्यों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए उपलब्ध करा दी जाए तथा बीच में कोई शीर्षक न हो तो, मेरी समझ में आवास के सम्बन्ध में यह एक क्रान्तिकारी नीति होगी। इसलिए हमें केवल किराया नियंत्रण अधिनियम में उदार बनाने पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि आप एक मकान 'क' से खाली करवाकर 'ख' को दे देते हैं तो इससे आवास समस्या हल नहीं होगी। आप 'क' की समस्या हल कर सकते हैं लेकिन 'ख' पुनः आवासहीन हो जाएगा। इसलिए बेदखली कार्यवाही संबंधी अधिनियम को उदार बनाने का क्या फायदा ? मामलों में तेजी लाने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने या मकान खाली करवाने को उदार बनाने का क्या फायदा होगा ? आवास बनाने के सम्बन्ध में यह वास्तविक हल नहीं है ?

हम अधिक आवास बनाना चाहते हैं और हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि हम अधिक आवास किस प्रकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें मकान बनाने के प्रयोजनार्थ निर्धन नागरिकों को जमीन उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और इस को ध्यान में रखते हुए वैधानिक तथा विनियनन कारी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में नए सिरे से काम शुरु करना चाहिए। इसलिए इस दृष्टिकोण से देखते हुए यह नीति प्राप्त संतोषजनक नहीं है और इसमें इस प्रकार संशोधन करना होगा ताकि इन सभी चीजों को शामिल किया जा सके।

जैसा कि मैं कह रहा था, आगे कार्यवाही शुरू करते हुए माननीय मंत्री ने कुछ अधिनियमों की सूची दी है जिनमें संशोधन किया गया है। नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं किया गया ? इसकी मांग भी की गई है कि नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। परन्तु, नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन के प्रयोजनार्थ कदम उठाने में हम बहुत धीमें हैं, अनिच्छुक हैं तथा इसके बजाय जहां तक इस अधिनियम को रद्द करने का सम्बन्ध है हम इस लाबी को बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : आपके विचार जानने के बाद हम ऐसा करेंगे।

श्री शरद दिघे : लेकिन इसमें इतने वर्ष लग रहे हैं। यह अधिनियम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1976 में बहुत ही सराहनीय उद्देश्य के साथ बनाया गया था। और हमें इससे कोई लाभ नहीं मिला है। हमें इसे प्रभावकारी बनाने के लिए त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। आज इसका कोई उपयोग नहीं रहा है। जहां तक आवास समस्या का सम्बन्ध है, इस अधिनियम को उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए जिसके लिए इसे उस समय बनाया गया था।

अब मैं अन्तिम बिन्दु, अर्थात आवास वित्त का उल्लेख करूंगा। जहां तक आवास वित्त का सम्बन्ध

है, हमें इस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और निर्धन नागरिकों तथा पारंपरिक सहकारी उपवास सोसाइटियों को धन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे आगे आ सकें तथा अधिक मकान उपलब्ध कर सकें। इस दृष्टिकोण से मैं केवल दो सुझाव दूंगा।

रिजर्व बैंक आवास तथा निर्माण वित्त को कृषि तथा निर्यात की तरह प्राथमिकता क्षेत्र घोषित कर सकता है ताकि सांविधिक नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति अनुपात (स्टेट्यूटरी लिम्बिडिटी रेशियो) के जारी दिया गया धन एक निश्चित अवधि के लिए अर्थव्यवस्था की आवास वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किया जा सके। जब तक आप उन व्यक्तियों को आवास वित्त शीघ्र और आसान शर्तों पर नहीं देते हैं जो अपने निजी मकान या सामूहिक मकान बनाने के लिए आगे आते हैं। तब तक यह सफल नहीं होगा। इसलिए, इस दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक भी यह नीति निधारित कर सकता है और नागरिकों को ऋण उपलब्ध करा सकता है।

निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नूतन आवास ऋण कार्यक्रम शुरु किया जा सकता है और दूसरे हम बन्धक वित्त भी दे सकते हैं। यदि आप कानून में ठीक ढंग से संशोधन करना चाहते हैं तो इस कानून में संशोधन कीजिए ताकि दूसरा बन्धक उत्पन्न किया जा सके, मकान निर्माण के लिए लोग और बैंक ऋण ले सकते हैं तथा अन्य स्रोतों से भी ले सकते हैं।

वित्त उपलब्ध कराने के लिए हमने कुछ वर्ष पूर्व थोड़ी सी मूल पूंजी के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की थी। मुझे ठीक-ठीक ताश याद नही है परन्तु मेरी समझ में यह 500 करोड़ रुपये थी। अब, राष्ट्रीय आवास बैंक ने कितनी प्रगति की है? इसका उद्देश्य ऋण को पुनः प्रदान करना था। वे वित्तीय संस्थाएं, जो आवास के लिए ऋण देती हैं, उनका उद्देश्य भी ऋण देना था। अब, इसके द्वारा कितनी प्रगति की गई है उसने कोई खास उन्नति नहीं की है हमने और धन प्रदान किया, परन्तु प्रतिभूति घोटाले में हमने पाया कि उन निधियों का दुरुपयोग किया गया था तथा संयुक्त संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की निन्दा भी की गई है। इससे क्या प्रकट होता है इस धन का आवास क्रियाकलापों के लिए ठीक प्रकार से उपयोग ही नहीं हो रहा है। उस दृष्टिकोण से भी, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को देखें और रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों को उदार बनाकर तथा इसे प्राथमिकता क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र बनाकर राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों से भी धन उपलब्ध कराए ताकि लोगों को आसानी से धन प्राप्त हो सके।

अतः उन लोगों को जो आगे आते हैं भूमि उपलब्ध कराना, वित्त उपलब्ध कराना तथा यहां तक कि विशेषज्ञ की सलाह उपलब्ध कराना अत्यधिक सहायक होगा। लोगों को पता नहीं है कि मकान कैसे बनाएं। उनका इन विशेषज्ञों द्वारा पुनः शोषण होता है। इसलिए, सक तंत्र इस ढंग से बनाया जाना चाहिए कि सहकारी सोसाइटियों को, जो लोग स्वयं मकान निर्माण करना चाहते हैं उन्हें विशेषज्ञ की सलाह भी उपलब्ध हो तथा उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे भी आगे बढ़ सके और वे शोषक निर्माताओं के पंजे से निकल सकें जो आवास की वर्तमान कमी का बहुत फायदा उठा रहे हैं।

इन सुझावों के साथ में संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा पालन किये जाने वाले नियम यह हैं कि कोई सदस्य अध्यक्ष पीठ तथा बोलने वाले सदस्य के बीच में से होकर नहीं जाएगा। कोई सदस्य लिखित भाषण नहीं पढ़ेगा जब तक कि अध्यक्ष पीठ की पहले से अनुमति न ले ली गई हो।

3.16 म० प०

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे देश से गरीबी उन्मूलन की समस्या से कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। घनी आबादी वाले विकासशील देशों का ऐसा अनुभव है कि यहां तक कि जब वहां गरीबी हटा दिये जाने का अर्थ है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में काफी कमी की गई है, आवास की समस्या अभी तक बनी हुई है। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है और अब हमें इस बात की भी जानकारी है कि कुछ देशों में जहां सरकार ने सभी को आश्रय देने की जिम्मेदारी उठायी थी, ने अब अपनी स्थिति उदार बनाई है और निजी क्षेत्र को मकान बनाने का कार्य सौंपने की अनुमति देनी आरंभ कर दी है। मेरे ध्यान में सबसे पहले ऐसे ही एक देश चीन का नाम आया है । यह कहना नहीं है कि सरकार को लोगों को आवास अथवा आश्रय सीधे प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। तर्क यह था कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसलिए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों में बाह्य स्रोतों से प्राप्त संसाधन जोड़े जाने चाहिए।

अपनी नीति के बारे में बात करते हुए, इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि इस नीति के बारे में 1988 में विचार किया गया था। तत्पश्चात इस नीति में मई, 1992 की तारीख दी गई है जिस पर हम दो वर्षों से थोड़ा अधिक समय बीत जाने के पश्चात् अगस्त, 1994 में चर्चा कर रहे हैं। सभा में जो कुछ बताया गया है, मैं उससे हटकर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं।

मैं अब इस बात पर आता हूं कि सभा में क्या बताया गया है और उसमें क्या अंतर है। यह जानकारी बहुत रोचक है कि कार्ययोजना के पृष्ट 21 पर यह नोट किया गया है कि आवास राज्य का विषय है। हम ऐसे विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारियों के संवैधानिक वितरण के संदर्भ में राज्य से संबंधित है और इसलिए, हमारा दृष्टिकोण केवल राज्य के लिए एक अच्छे मार्गदर्शन के रुप में ढांचा प्रदान करना है। पहली बात यह है।

दूसरी बात यह है कि आश्रय प्रदान करने से संबंधित सुविधाएं कौन-2 सी हैं जो केंद्र के हाथों में है और आवास नीति संबंधी अपने विवरण में हमने जो प्रावधान किये है, उस संबंध में हमारा क्या दृष्टिकोण है ? मैंने एक और कारण से तारीख का उल्लेख किया था। कार्ययोजना के उसी खंड में ये रोचक बातें बतायी गयी हैं। यह बताया गया है कि राज्य और स्थानीय एजेंसियों द्वारा समय बद्ध कार्यन्वयन के लिए एक वर्ष के निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कार्ययोजनाएं तैयार की जायेंगी। यह मई, 1992 में बताया गया था और हम इस विषय पर दो वर्षों के बाद चर्चा कर रहे हैं।

मेरा विचार था कि माननीय मंत्री द्वारा स्थिति बतायी जायेगी यह भी बताया गया है कि निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा निर्मित अथवा उन्नत किये जाने वाले निवासों की संख्या का पूरा-2 अनुमान टाइप अर्थात् आर्थिक श्रेणी और मकानों का स्तर तथा संपूर्ण बाजार में दी जाने वाली ईकाइयां इन सभी को आठवीं योजना की संदर्शी कार्ययोजना और लघु अवधि योजना में पूरा किया जायेगा। वे कहां हैं ? नीति में उद्देश्यों की घोषणा और नीति के कार्यान्वयन, चाहे वह राज्य क्षेत्र का कार्य हो, में काफी अंतर है जिसके लिए केंद्र से कुछ स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था, केंद्र से कुछ सूचना मिलनी चाहिए थी।

इस नीति संबंधी विवरण में इस बात ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि इसमें ऐसी कई

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

अच्छी बातें शामिल हैं जो अनिवार्य हैं। नीति के किसी भी विवरण में अच्छी बातों के संबंध में इतना अधिक बल नहीं दिया जायेगा ताकि नीति संबंधी विवरण कहीं अपना महत्व ही खो न दे। नीति संबंधी विवरण में यह नहीं बताया जा सकता कि इतने सारे उददेश्यों, जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते, किस प्रकार की वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन आवास नीति संबंधी इस विवरण में उसका पूर्णतः अभाव है। समस्या यह है कि हम सभी एक घर, एक बड़ा घर चाहते हैं। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं वे किसी प्रकार का आश्रय चाहते हैं और जो पूर्णतः निराश्रित हैं और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। प्राथमिकता के हिसाब से हमारा पैसा कहां जाना चाहिए? समाज में विभिन्न प्रकार की इन इच्छाओं के लिए हम किस अनुपात में पैसा लगायें? आवास नीति के इस विवरण में उस प्राथमिकता का पूर्णतः अभाव है यद्यपि आवास नीति में कई प्रशंसनीय उद्देश्य और विवरण दिए गए हैं। और जैसाकि मैंने कहा है कि यह विवरण इतना बहुप्रयोजन है कि इसमें प्राथमिकता का भाव ही गुम हो गया है। मैं आपका ध्यान कतिपय खामियों की ओर खींचना चाहता हूं। पृष्ठ 18 पर नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान करने का उल्लेख है। लेकिन पूरी रिपोर्ट में सबसे बड़े नियोजक अर्थात् भारत सरकार का उल्लेख करना भूल गये हैं। भारत सरकार का अपने कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्रदान करने के संबंध में क्या रवैया है? मैं मात्र एक उदाहरण दूंगा। अभी हाल ही में मैं एक पर्वतीय भ्रमणस्थल पर गया था, वहां आई० टी० डी० सी० का एक होटल था और उस होटल में एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां कहने को केवल चार कमरे हीं हैं जिन्हें क्वार्टरों के रुप में दिया जाता है। ये कमरे वहा सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं लेकिन चूंकि अधिकारियों को वहां कोई क्वार्टर प्रदान नहीं किये गये हैं, इसलिए उन्होंने उन क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा है जो काम्पलैक्स के अंदर ही हैं और निर्धन कर्मचारी वर्गों को काफी अधिक किराये पर कहीं बाहर रहने के लिए विवश कर होटल से निकाल दिया गया है। वहां यह सब कुछ हो रहा है। इस उदाहरण विशेष के अलावा, यह सामान्य आवश्यकता और मांग है कि सरकार के कर्मचारियों की आवास संबंधी संतुष्टि को वर्तमान 20-25 प्रतिशत जितने कम अनुपात को बढ़ाकर कम से कम 80-90 प्रतिशत किया जाना चाहिए। वह अपने आप में ही एक काफी बड़ा समाधान होगा और निजी क्षेत्र ऐसा नहीं कर सकता। नियोजक के रुप में सरकार को किराये लेकर अथवा यदि संभव हो तो स्वामित्व का अधिकार देकर अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार पद पर तीस वर्ष तक कार्य करने, क्वार्टरों के किराये का भुगतान करने के पश्चात् क्या कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उस फ्लैट का हकदार है। जब उसे फ्लैट से निकाल दिया जाता है तो वह भवन के लिए प्रवतकों और भवननिर्माताओं के पास पहुंच जायेगा जिसका श्री दिघे ने कभी-2 उल्लेख किया था। इस विवरण में यह खामी है जिसे पूरा किया जाना चाहिए और सरकार को आवास नीति में ही यह आश्वासन देना चाहिए कि यह भी राज्य क्षेत्र बिल्कुल नहीं है अपितु केन्द्रीय सरकार का क्षेत्र है। मेरा सुझाव है कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि नौकरी करते समय कर्मचारी को किराये के मकान के रूप में एक फ्लैट दिया जायेगा, जब वह सेवानिवृत्त हो जाये तो उसके समक्ष यह फ्लैट खरीदने और इसका स्वामी बनने की पेश-कश रखी जानी चाहिए।

मैं एक अन्य पहलू का भी उल्लेख करूंगा और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह जटिल मुद्दा भी पर्यावरण से संबंधित है। बंगाल में, अभी हाल ही में हमने 'फ्लाई एश' से ईटों का

निर्माण करने की फैक्टरी शुरु की है। मोटे-मोटे अनुमान से पता चलेगा कि यदि देश में 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है तो देश में लगभग 40 मिलियन टन 'फ्लाई एश' होगा। इससे पर्यावरण के लिए समस्या पैदा होती हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 'फ्लाई एश ब्रिक्स' की शुरुआत की जानी चाहिए और ऐसी फैक्ट्रीयों को खोला जाना चाहिए। आप नीति में यह क्यों नहीं कहते कि सभी विद्युत केन्द्रों, ताप विद्युत केद्रों, जिनमें कोयले की खपत हो रही है, उनको 'फ्लाई एश ब्रिक' फैक्ट्रियां अनिवार्य रुप से खोलनी चाहिए? रेलवे को उन ईटों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार ने इस बात का उल्लेख किया था कि भूरी मिट्टी से ईंटें बनाने के प्रयास में ऊपरी मृदा को हटाया जा रहा है और यह हमारी कृषि और देश दोनों के लिए एक काफी गंभीर समस्या है, यदि प्रत्येक वर्ष देश में उत्पादित 40 मिलियन टन 'फ्लाई एश' उपयोग किया जाता है तो हमारी काफी अधिक कृषि भूमि बचायी जा सकती है। लेकिन मुद्धा यह है कि आपको हमारे विद्युत उत्पादकों ए॰ सी॰ वी॰, एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ और कोयला क्षेत्रों में मुहानों के लिए इसे अनिवार्य बनाना चाहिए। यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह विचार करें कि क्या इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अनिवार्यता लागू की जा सकती है उसका नहीं।

मेरा एक और भी सुझाव है। उन संपूर्ण आधारभूत सुविधाओं, जो शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जानी चाहिए, में एक बात का उल्लेख नही किया गया है। वह यह है कि सभी शहरी क्षेत्रों में कूड़े को हटाने की समस्या विद्यमान है। ये कूड़े के ढेर नए शहरी केन्द्रों के विकास को प्रदूषित तथा प्रभावित कर रहे हैं। जहां कहीं भी नये शहरी केंद्रों का विकास हो रहा है, कूड़े के ढेर वहां के निवासियों के जीवन को नरक बना रहे हैं। अभी हाल ही में इस संबंध में प्रयोग किये जा रहे हैं कि कूड़े को विद्युत स्रोतों में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। इस नीति संबंधी विवरण में आवास की समस्या वाले क्षेत्रों में कूड़े को हटाने के बारे विल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कूढ़े से विद्युत बनाने और कूड़ा हटाने के उद्देश्य से केद्र सरकार द्वारा राज्यों और नगरपालिकाओं को और अधिक वित्त प्रदान किया जायेगा अथवा नहीं। अन्यथा, जितनी भूमि की आवश्यकता मकान बनाने के लिए होती है, उतनी ही भूमि की आवश्यकता कूड़े का ढेर लगाने के लिए होगी। यदि इसका उपयोग नहीं गया तो उससे प्रदूषण ही फैलेगा। यदि उसका उपयोग किया गया तो उससे हमारी कृषि को काफी अच्छे उर्वरक और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत भी प्रदान की जा सकेगी। यह एक अन्य पहलू है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

इसके-बाद में एक दूसरी समस्या पर आता हूं। यह क्षेत्र इंदिरा विकास पत्र, स्वर्ण और आभूषण, शेयरों और भूमि आदि जैसे अन्य क्षेत्रों से जुड़ा है जहां काला धन खपाया जाता है। प्रायः हम यह देखेंगे कि निजी क्षेत्र के भवनों को जल्दी से बेचा जाता है क्योंकि खरीदार द्वारा कमाये गये काले धन को निजी क्षेत्र के भवननिर्माताओं को काले धन के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। इसलिए सरकारी क्षेत्र की प्रायः उपेक्षा की जाती है क्योंकि काले धन के मालिक सरकारी भवन निर्माताओं के पास नहीं जायंगे। यह एक अन्य क्षेत्र है जिसे हमारे माननीय मंत्री को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए।

मेरे पास एक और सुझाव है। गरीवी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों लेकिन जो बहुत अमीर नहीं हैं और जिनके पास काला धन नहीं है, की यह भी एक आवश्यकता है। ठेकेदारों द्वारा उनको अच्छी तरह

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

चूस लिया जाता है। वे बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन तब उन लोगों के पास समय नहीं है, वे न तो उन लोगों में से हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और न ही उन लोगों में से हैं जो कर देते हैं अर्थात् ऐसे लोग हमारी जनसंख्या का एक प्रतिशत भाग है। इसके बीच जनसंख्या का वह भाग आता है जो काफी बड़ा है अर्थात् 30 से 40 प्रतिशत जनसंख्या 1 वे सरकार से चाहते हैं कि 'ठेकेदार के राज' की बजाय क्या सरकार भवन निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेकर उनकी सहायता कर सकती है ? अर्थात् केवल सरकारी क्षेत्र की भवननिर्माण करने वाली एजेंसियां होंगी और कुछ नहीं। निजी ठेकेदारों, निजी भवन निर्मताओं और निजी प्रवर्त्तकों की बजाय केवल एक ही हाथ होगा जहां इस वर्ग की जनसंख्या के लिए सरकारी क्षेत्र काफी सहायता कर सकता है।

इसी प्रकार, हम सहकारी आवास की बात कर रहे हैं। लेकिन हम वास्तविक भवन निर्माण करने वाले श्रमिकों अथवा कुशल श्रमिकों, जिन्हें हम बंगला भाषा में 'राज मिस्त्री' कहते हैं, कि समितियों की बात नहीं करते हैं। यदि इसमें ऐसी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया होता-इसका दस्तावेज में उल्लेख नहीं है-तथापि, चूंकि वहां ठेकेदारों का लाभ और ऐंठा हुआ धन नहीं है, इसलिए घरों के निर्माण की लागत कम हो जायेगी और जनसंख्या के इस वर्ग को लाभ पहुंचेगा .....**(व्यवधान)** मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं ....**(व्यवधान)** मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं.....**(व्यवधान)** सभापति महोदय, आप जानते हैं, मैं आपसे सहयोग करता हूं।....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप काफी सहयोग करते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : चूंकि मैं आपसे सहयोग करता हूं, इसलिए मुझे आपसे सहानुभूति मिलेगी।

महोदय, यह कहकर मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यहां तक कि जहां हम 'हाउसिंग काम्पलैक्स' बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं कलकत्ता में एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जहां पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। वहां एक समस्या है। सरकार को सभी राज्य सरकारों को यह बताना चाहिए कि कतिपय क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र अथवा अधिसूचित क्षेत्र के रुप में घोषित किए जाने की प्रतीज्ञा करने की बजाय, जैसे ही जनगणना संबंधी आंकड़े शहरी समूह के रूप में कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करें, भवन निर्माण संबंधी नए नियम लागू किये जाने चाहिए। अन्यथा जो हुआ वह यही है। राज्यों के पास पर्याप्त निधियां नहीं है, वे उन क्षेत्रों को नगरपालिकायें घोषित करने में हिचकते हैं, और इसी बीच पूरे क्षेत्र का गलत ढंग से विकास होता है जो रहने लायक नहीं रह जाता।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय आवास नीति में ही राज्यों को यह बताया जाना चाहिए कि जैसे ही कोई जनगणना रिपोर्ट से यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में शहरी समूह है, जो न तो नगरपालिका है और न ही अधिसूचित क्षेत्र है तो 35 क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी नियम लागू न करके वहां पर भवन निर्माण संबंधी नए नियम लागू किये जाने चाहिए।

मेरे विचार से, नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में मंत्रियों के बारे में यह उल्लेख किया था कि उनकी अकबर रोड़ जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार आवास-व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं सांसदों का उल्लेख

कर रहा हूं। कई बार मैंने लोगों को यह सुझाव दिया था कि पूरी तालकटोरा रोड के बंगलों और बाबा खड़क सिंह मार्ग के फ्लैटों को फ्लैटों में क्यों नहीं बदल दिया जाए। वहा सभी 750 संसद सदस्यों को आवास दिया जा सकता है। मैं इसमें एक संशोधन करने का सुझाव दूंगा। यदि आठ या दस मंजिले भवन बनाए जाए और उसके आगे चौड़ी जगह न हो, बागान न हो या फिर कम से कम सब्जी उगाने के लिए कुछ जगह न हो तो यह काफी अव्यवस्थित दिखेगा। जैसा कि हमारे साथी श्री ममन दत्त ने उल्लेख किया है कि दिल्ली में भी इसकी अनुमति दी जा सकती है। यह एक दूसरा सुझाव है जो मैं सभा के समक्ष उसके विचारार्थ रखता हूं।

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : अध्यक्ष महोदय मैं राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के लिए आवास तथा शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। आवास के बारे में काफी कुछ कहा गया है। और मैं आवास के महत्व के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हालांकि आवास मनुष्य की उतनी ही मौलिक आवश्यकता है जितनी कि भोजन और कपड़ा। इनमें से किसी भी चीज की कभी मनुष्यों को एक सम्मानित जिंदगी जीने से वंचित करती है। इस नीति के आवास के महत्व पर विचार करते हुए, हमारी मंत्री महोदया ने जो उद्देश्य तथा लक्ष्य और प्रयोजन बताये हैं वे निश्चय ही प्रशंसनीय है।

राष्ट्रीय आवास नीति में जिस औद्योगिक लक्ष्य का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार है : आवास की कमी को दूर करना ; छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों की रहने की स्थिति में सुधार तथा सभी व्यक्तियों को न्यूनतम मौलिक सेवा और सुख सुविधा प्रदान करना। साथ ही इस नीति में ग्रामीण आवास, गन्दी वस्तियों और शहरी निर्धनों के लिए आवास , सरकारी आवास, आवासीय वित्त नियम और मध्यम आय वर्ग के लिए प्रदान करने पर बल दिया गया है।

इस नीति में अलाभान्वित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आवास नीति में बेघरों तंग घरों में रहने वाले व्यक्तियों क्या अलाभान्वित समूहो यथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों तथा काश्तकारों, विकास परियोजनाओं तथा नातूर मराठवाडा के ओसमानावाद में आए भूकम्प जैसी आपदाओं तथा अब पूरे भारत में आई वाढ़ से ग्रस्त लोगों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, घर की मुखिया महिलाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्माण कर्मकारों और शारिरिक रुप से विकलांग लोगों को घर देने की प्राथमिकता दी जा सकती है।

निश्चित रूप से इस नीति में इन पर विचार किया गया है। यदि हम विकसित राष्ट्रों को देखें तो हम अभी भी विकास में काफी पीछे हैं। परंतु जहां तक आवास का संबंध है तो कोई भी राष्ट्र यह नहीं कह सकता है कि उसने इसे हर मामले में पूरा कर लिया है। आश्रय के लिए संयुक्त राष्ट्र की विश्वव्यापी नीति में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि:

> " कोई भी राष्ट्र सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है और इसीलिए कोई भी राष्ट्र इस उद्देश्य का विश्वव्यापी रूप में प्राप्त करने की तरकीब रखने का दावा नहीं कर सकता है।

वर्ष 1990-91 के आकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 4.26 करोड़ मकान और ग्रामीण क्षेत्रों में 10.62 करोड़ मकान हैं। 1990-91 में 3.1 करोड़ मकानों की कमी थी 1 वर्ष 2000 तक घरों की हमारी

[श्री अंकुशराव टोपे]

आवश्यकता बढ़कर 6.44 करोड़ हो जाएगी। इस मांग की तुलना में अभी निर्माण दर क्या है। अभी हम प्रत्येक हजार जनसंख्या पर प्रतिवर्ष सिर्फ चार मकान ही बना रहे है। संयुक्त राष्ट्र अध्ययन में कहा गया है कि भारत की आवश्यकता प्रत्येक हजार जनसंख्या पर प्रति वर्ष 8 से 10 मकानों ही है। इसका अर्थ है हमें अपनी निर्माण गतिविधि में दुगनी वृद्धि करनी होगी अतः मंत्री महोदया और उनके मंत्रालय को इस कार्य के लिए अपने को संकुचित रूप से तैयार करना होगा।

इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कुल योजना में आवास क्षेत्र के परिव्यय की प्रतिशतता दिनों दिन कम होती जा रही है। पहले पंचवर्षीय योजना में यह 34 प्रतिशत था। समय की कमी के कारण मैं बाद की योजनाओं के आकड़े नहीं दूंगा। परंतु सातवीं योजना में यह गिर कर 9.6 प्रतिशत हो गया। मुझे यह नोट कर प्रसन्नता है कि आठवीं योजना में इसे वढ़ा कर 12.6 प्रतिशत कर दिया गया है अर्थात तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वास्तव में एक प्रसंशनीय कदम है और मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि इससे इसी प्रकार हर वर्ष बढ़ाया जाए और जैसी कि पहली पंचवर्षीय योजना के मामले में स्थिति थी इसे पुनः वढ़ा कर कुल योजना का 34 प्रतिशत कर दिया जाए।

हमें एक मुददे पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आवास अभी प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं है मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसा उपाय किया जाए कि आवास को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जाए। आवास क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनेक क्रियाकल्प सम्मिलित हैं। इससे काश्तकारों निर्माताओं, अकुशल मजदूरों आदि को रोजगार मिलता है। राजकोष में इसका उल्लेखनीय योगदान होता है। यह जीवन को सहारा देने वाला क्षेत्र है क्योंकि इससे अनेक अनुषंगी क्षेत्रों यथा पंचविंग फ्लोरिंग ईट, भट्ठा, सीमेंट, लोहा विजली के सामान आदि को सहारा मिलता है। सीमेंट और इस्पात जो मुख्यतया आवास क्षेत्र पर निर्भर है, को उद्योग घोषित किया गया है, बिजली के सामानों को भी उद्योग घोषित किया गया है। ये सभी उद्योग आवास क्षेत्र पर निर्भर है परंतु आवास क्षेत्र को ही उद्योग घोषित नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि कुछ आवास क्षेत्र के उद्योग के रुप में घोषित करें ताकि इस मुख्य क्षेत्र में नियोजित लोग उन सभी लाभ और प्रोत्साहन पाने के लिए जाग हो जाएं जो उद्योग क्षेत्र को मिल रहे हैं।

अब मैं आवासीय वित्त के आगमन के पहलु पर आता हूं जो कि 15 और 20 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में यह काफी अधिक है, मैं महाराष्ट्र आवास वित्त निगम का चेयरमैंन हूं। राष्ट्रीय सहकारी आवास अभियान का वाइसचेयरमैंन हूं। हमारे राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ने मार्च 1993 में 25 राज्यों को लगभग 3000 करोड़ रु० का ऋण दिया। हम 12 लाख मकान बनवा सकते थे हमारी 80000 सहकारी आवास सविमिय हैं जिसमें 50 लाख सदस्य हैं। यह सहकारी अभियान आवासी या क्षेत्र में काफी कार्य कर रहा है। अतः अन्य आवासीय क्षेत्रों के साथ इस क्षेत्र पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य महाराष्ट्र पर आता हूं मैं महाराष्ट्र सहकारी आवास वित्त निगम का चेयरमैंन हूं।

मेरे राज्य में ही 12000 सहकारी सोसाइटियां हैं। सहकारी अभियान के माध्यम से हम महाराष्ट्र के अभी तक 2 लाख मकान बना पाए हैं और अपनी आवास निगम के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रु० ऋण वितरित किया है।

महोदय, आई० सी० एन० एच० बी० यू० टी० सी० हुडको को और सहकारी बैंक हमारे संसाधन हैं। पिछले 25 वर्षों से हमें एल० आई० सी० से रियायती ब्याज पर सिर्फ 16 करोड़ रु० का ऋण मिलता रहा है। हम यह मांग करते रहे हैं कि इस को बढ़ा कर कम-से-कम 35-40 करोड़ कर दिया जाए क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष लगभग 50 करोड़ रु० का वितरित करते हैं। अतः मंत्री महोदया से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि सरकार एल० आई० सी० को निर्देश दे कि वह सहकारी समितियों के ऋण को 16 करोड़ रु० से वढ़ा कर 30-35 करोड़ करे।

मेरा अगला प्रश्न जीवन बीमा निगम के बारे में है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप कितना ब्याज देते हैं?

श्री अंकुश राव टोपे : 13 प्रतिशत।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : निर्यात वित्त केवल 7-8 प्रतिशत लेते है। आप इसे क्यों नहीं बढ़ाते।

सभापति महोदय : कृपया तर्क वितर्क न करें।

श्री अंकुश राव टोपे : महोदय आप जानते हैं कि भूकम्प से 25000 लोग प्रभावित हुए थे। अपनी सोसायटी की ओर से हमने जी० वी० निगम से 25 करोड़ रु० की मांग की थी परंतु हमारे आवेदन पर विचार किए बगैर उन्होंने बिना कोई कारण दिए इसे अस्वीकार कर दिया।अतः मंत्री महोदया से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आतूर और ओसमानावाद में भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए जी० वी० नि० से 25 करोड़ रु० के हमारे अनुरोध पर उचित ध्यान दें।

महोदय मेरा अगला मुद्दा राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में है। राष्ट्रीय आवास बैंक व्यक्तिगत तौर पर पैसा देने के लिए एच० डी० एफ० सी० दो ऋण देता है जो एक गैर सरकारी संस्था है। लेकिन जब हमने भी सीधे व्यक्तिगत आधार पर पैसा देने लिए हमारी मांग उनसे ऋण की मांग की तो उन्होंने अस्वीकार कर दी। जब व्यक्तिगत ऋण के लिए एच० डी० एफ० सी० राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण ले सकता है जो सहकारी संस्थाएं ऋण क्यों नहीं ले सकते अतः मैं मंत्री महोदया से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूगा कि सहकारी सोसाइटियों को इस भाव में प्राथमिकता मिले और उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। महोदय मेरा अंतिम मुद्दा विश्व बैंक के बारे में है। अभी-अभी यह बताया गया है कि एच० डी० एफ० सी० को विश्व बैंक से 6.5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल रहा है। जब एच० डी० एफ० सी० एक गैर सरकारी संस्था होने के नाते ऋण मिल सकता है तो सहकारी सोसाइटियों को क्यों नहीं? हमने कुल 548.00 करोड़ रु० के लागत पर 53514 मकान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है। यह मंत्री महोदया के पास आएगा और तब यह विश्व बैंक के पास जाएगा। यदि यह विश्व बैंक परियोजना स्वीकृत की जाती है तो निःसंदेह न्यूनतम ब्याज पर आवास ऋण देने के लिए एक और संस्था खुल जाएगी। निश्चय ही इससे निर्धनों को मदद मिलेगी क्योंकि 96 प्रतिशत ऋण राशि आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो निम्न आय वर्गों तथा मध्यम आय वर्गों के लिए उपयोग की जाएगी अतः इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझसे पहले के कुछ वक्ताओं ने, जिनमें श्री शरद दिघे भी शामिल हैं, विलम्ब के मामले को उठाया है। अब मैं उसी प्रश्न पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूंगा।

इस विलम्ब से सम्पूर्ण नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? यदि इस नीति पर चर्चा उस समय की गई होती जब पहले इसका प्रस्ताव किया गया था क्योंकि वह ऐसा समय था जब हमारी सरकार की आर्थिक नीति काफी भिन्न थी क्योंकि सत्तर के शुरु के दशक ने कोयले, इस्पात आदि के कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था।

इसलिए उस समय सरकार इस भार को वहन करने के लिए तैयार थी। मैं नहीं समझता कि भारत जैसे देश में जहां निर्धन से निर्धन तथा बेघर लोगों की बहुत बड़ी संख्या है इसे किसी निजी उद्यमी या राज्य सरकार पर छोड़ा जा सकता है इसलिए मेरा कहना यह है कि इस संकल्प को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब से पूरा दृश्य ही बदल गया है।

इस दस्तावेज़ को शीघ्रता से पढ़ने के बाद कुछ बातें मेरे दिमाग में आई हैं। मैं अभी उन पर चर्चा करूंगा परन्तु उससे पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि में जिसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों का धड़ाधड़ निजीकरण किया जा रहा है, बेरोज़गारी तेजी से बढ़ रही है, अत्यधिक मूल्य-वृद्धि के कारण निर्धन तथा मध्य वर्ग के लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं— इस प्रारूप में बहुत सी अच्छी बातें हैं और बहुत कुछ करने की बातें की गई है परन्तु सब से होगा क्या? इसमें कहा तो बहुत कुछ गया है किन्तु उसका कोई अर्थ-नहीं हैं। इसे साबित करने के लिए हम दस्तावेज में से ही कुछ उदाहरण देते हैं। चूकि समय अधिक नहीं है मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा जिन्हें माननीय सदस्य पहले ही उठा चुके हैं।

उदाहरण के लिए भूमि की आपूर्ति तथा प्रबन्धन उपशीर्षक को ही लें। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 11 उपाय करने को कहा गया है। पांचवें उपाय में यह कहा गया है कि:

"उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा निम्न आय वर्ग के लिए विकसित भूमि की आपूर्ति बढ़ाने हेतु पर्याप्त रक्षोउपाय करने सहित भूमि का विकास करने, भवन निर्माण करने तथा संसाधन जुटाने के लिए गैर-सरकारी भवन निर्माताओं का अधिकाधिक सम्मिलित करना। मुझे शक है कि इस संबंध में कोई भवन निर्माता आगे आएगा। मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में काला धन किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आगे आएंगे? क्या ऐसा संभव है? यह तो केवल कहने की बात है।

इस विषय में हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। आवासीय वित्त शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है कि आवास के संबंध में कुल आवश्यकता का 20 प्रतिशत विशिष्ट वित्त संस्थाओं, बीमा, बैंकिंग क्षेत्र, भविष्य निधि, म्यूचुयल निधि आदि तथा अधिक घरेलु बचत के संसाधन जुटा कर पूरा किया जाएगा।

इस हिसाब से, हम देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र बेरोज़गार युवकों को समय पर ऋण देने में समर्थ नहीं है। इस संबंध में मेरा एक बहुत ही कटु अनुभव है। मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। इस स्थिति में कोई भी बीमा कम्पनी इसके लिए आगे नहीं आएगी क्यों कि वे भी दबाव में हैं। मैं समझता हूं कि बैंक भी इस विषय में आगे नहीं आना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त, ये सभी प्रयत्न करके भी अत्यधिक निर्धन लोगों की केवल 20 प्रतिशत आवश्यकताओं को ही पूरा किया जा सकेगा। अत्यधिक निर्धन लोग प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उनको प्राथमिकता देना अच्छी बात है परन्तु क्या यह आवासीय वित्त प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा?

वित्तीय पोषण के लिए बनाई गई योजनाओं में एक योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि भविष्य निधि में अंशदान करने वाले कर्मचारियों तथा सार्वजनिक और निजी उद्यमों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास से जुड़ी भविष्य निधि बचत योजना बनाई जानी चाहिए।

ऐसे में निजी उद्यमी सामान्य भविष्य निधि का अपना उचित हिस्सा जमा करवाने से भी इन्कार कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ राज्यों के उद्यम भी इस विषय में पिछड़े हुए हैं। इस स्थिति में क्या वे एक और आवास से जुड़ी भविष्य निधि योजना के लिए आगे आऐंगे ? क्या इस स्थिति में ऐसी अपेक्षा की जा सकती है ?

इसके अतिरिक्त इस ग्रामीण आवासीय योजना में अनेक रोचक बातें । जब एक परियोजना लागू की जाती है तो उस समय जो लोग बेघर होते हैं उन्हें दोबारा बसाया जाना चाहिए। परन्तु वास्तव में क्या हो रहा है ? नर्मदा सरोवर परियोजना का ही उदाहरण लें वे लोग बार-बार यहां आकर सत्याग्रह बैठ जाते हैं। क्या कोयल गारो जाति के लोगों को दोबारा बसा दिया गया है ? बड़ी परियोजनाओ को अन्तर्गत बेघर हुए लोगों में से किन लोगों को दोबारा बसाया गया है ? इस नीति का प्रारूप तैयार करते समय किसी ने भी आज की व्यावहारिक वास्तविकताओं के विषय में नहीं सोचा और अब उस में संशोधन से किया जा सकता है ? मैं यह नहीं कह रहा कि यह नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि नई नीतियों के अन्तर्गत जो स्थिति अब पैदा हो गई है, उसमें उन्हें लागू करना बहुत कठिन है। यदि यह कार्य उचित समय पर कर दिया गया होता, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में कुछ अधिक किया जा सकता था।

एक और मद है निर्माण सामग्री दस्तावेज से ऐसा लगता है कि सरकार यह दिशा निदेश देती है कि सीमेंट-ईंटें आदि निर्माण सामग्री सस्ते मूल्यों पर दी तथा इसके लिए लघु उद्योगों को विशिष्ट सहायता दी जाएगी। महोदय ऐसा कौन सा निर्माण सामग्री विक्रेता होगा जो निर्धन लोगों को अपनी सामग्री सस्ते दामों पर बेचना चाहेगा ? इस सम्बन्ध में कोई भी आगे नहीं आएगा हम चाहे कुछ भी कह लें। इतना ही नहीं नई आर्थिक नीवि के कारण लघु उद्योग नष्ट हो रहे हैं। सरकार अब कहता है कि वह इस कृत्य को लघु पैमाने के उद्योगों में देगी। क्या वर्तमान स्थिति में यह काम करना उनके लिए संभव है ? कदापि नहीं।

जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं दो और मुद्दों पर बोलकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सबसे रोचक बात तो यह है कि आवास राज्यों का विषय है। इसलिए इसके दिशा निदेशों को तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर छोड़ दिया जाता है। यह सचमुच एक अच्छी बात है। परन्तु राज्यों के पास वित्त संबंधी सुविधाएं कहां उपलब्ध हैं ? मैं नहीं जानता कि राज्यों के साथ कोई विचार-विमर्श हुआ है। यदि कोई विचार-विमर्श हुआ होता तो बहुत से राज्य स्पष्ट कह देते कि वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के अन्तर्गत आवास संबंधी अधिकार मूल अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि केवल घोषणा करने से इसका तत्काल लागू किया जाना अनिवार्य नहीं बन पायेगा। परन्तु यह प्रश्न मौलिक अधिकारों का है। जब कोई अधिकार संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित कर दिया जाता है तो स्वभावतः उसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। उसके बाद प्राथमिकता का प्रश्न आता है। इसके साथ ही यह प्रश्न आता है कि उस लिए कितना

धन दिया जाए और उसमें हमारी राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी तथा केन्द्री सरकार कितना धन देगी। इस पृष्ठभूमि में ये सभी प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

अन्तिम रूप से, जब तक नई आर्थिक नीति को पूरी तरह से बदला नहीं जाता, तब तक ऐसे दस्तावेज किसी के लिए कुछ महत्व नहीं रखते उन निर्धन तथा बेघर लोगों की तो बात ही क्या जिनके लिए हम यहां आंसू बहा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

[हिन्दी]

4.00 म० प०

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, आवासीय समस्या ऐसा मुद्दा है जिस की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले ध्यान खींचा था। नवम्बर 1988 में यह पालिसी आई। भारत सरकार ने जनवरी 1990 में और इसके बाद 9 जुलाई 1992 को इस पालिसी में परिवर्तन करके सदन के सम्मुख लाने का प्रयास इतने वर्षों के बात किया। उसमें कहा गया है कि हम इस पालिसी को इसलिये ठीक करना चाहते हैं कि वह गरीब लोगों के हित में हो जाये। उनको मकान मिल जाये, भूमि मिल जाये और तकनीकी सहायता मिल जाये। इतने वर्ष बीत जाने के बात भी सरकार को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसमें दो बड़े कानून सबसे बड़े बाधक हैं—पहला रैंट कंट्रोल ऐक्ट है। इसका शासकीय लोगों ने मिसयूज करके मकानों पर कब्जा कर लिया। आप तो भली प्रकार जानते हैं कि आज लोग मकान बनाना नहीं चाहते हैं। उनको मालूम है कि अगर उन्होंने मकान बना लिया और किरायेदार को दे दिया तो किरायेदार मकान मालिक बन जायेगा। अगर रैंट कंट्रेल ऐक्ट के बारे में सरकार विचार नहीं करेगी तो आपकी आवासीय नीति सक्सैसफुल नहीं हो पायेगी।

दूसरा, अरबन लैंड सीलिंग ऐक्ट ने देश की आवास समस्या का सत्यानाश कर दिया है। एक इंच भूमि भी इसके अन्तर्गत नहीं मिली है। सरकार को इस ऐक्ट को समाप्त कर देना चाहिये और राज्य सरकारों को अधिकार देना चाहिए कि जो जमीन चाहे, वह ले-ले। पिछले कई दशकों से लोगों का व्यक्तिगत खजाना भर रहा है। आवास की समस्या गरीबों की समस्या है, मध्यम वर्ग की समस्या है। इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में जहां आवास समस्या से निपटने के लिये अर्थव्यवस्था का 34 परसैंट प्रावधान किया, वहां दूसरी पंचवर्षीय योजना में 10 परसैंट कर दिया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 15 परसैंट कर दिया, चौथी पंचवर्षीय योजना में 12 परसैंट कर दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में 10 परसैंट कर दिया, छठी पंचवर्षीय योजना में वह 7.5 परसैंट हो गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 9 परसैंट हो गया। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि धीरे-धीरे परसैंटेज घटता गया और कांग्रेस सरकार आवासीय समस्या को नजर अन्दाज करती चली गई। इससे मकानों की कमी निरन्तर होती गई। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार कैसे कह सकती है कि हम गरीबों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उनको भूमि देना चाहते हैं, तकनीकी सहायता देना चाहते हैं। ये आंकड़े बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सरकार ने इस मामले में आंखें मूंद कर रखीं।

1951 में जहां 90 लाख मकानों की कमी थी वहां 1981 में 210 लाख मकानों की कमी

हो गई और 1991 में यह संख्या बढ़ कर 290 लाख हो गई। कांग्रेस सरकार के लोग और भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और उन ठेकेदारों को इनका संरक्षण प्राप्त है। इससे वे मालदार हो गये हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6 करोड़ 10 लाख ऐसे परिवार है जिन के पास एक कमरे के मकान हैं और जिन के पास मकान हैं, उनमें से आधे मकानों में विद्युत नहीं है, बिजली के कनैक्शन नहीं है। शहरों में 25 परसैंट परिवार इन सुविधाओं से वंचित हैं। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 88 परसैंट लोग जो गावों में रहते हैं, उनको शौचालय की सुविधा नहीं है। और कुल 24 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को शुद्ध जल प्राप्त होता है। यह आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित हो रहा है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और राष्ट्रीय आवास बोर्ड बना दिया। राष्ट्रीय आवास बोर्ड के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन राष्ट्रीय आवास बोर्ड अपने उस सारे पैसे को दुसरे धन्धे में लगा रहा हैं, उसको देना तो चाहिए गरीबों की मदद करने में लेकिन दूसरे सारे काम में लगा रहा है। हुडको बहुत बड़ी संस्था है, जिसकी कि गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा देने की जिम्मेदारी हैं, वह अपनी टोटल राशि का कुल 15 परसेण्ट ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े लोगों को मकान बनाने के लिए दे रही है। इन दोनों संस्थाओं का यह हाल है। मेरा निवेदन करना है कि इस सारे मामले के मूल में भ्रष्टाचार लगा हुआ है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको सब प्रकार से मालूम है कि जमीन की कीमत का 20 प्रतिशत हिस्सा आपको रजिस्ट्री करने वाली सरकारी मशीनरी को देना पड़ता है, वहां लेन-देन करना पड़ाता है। यदि जमीन शहरी भूमि है और मकान का नक्शा भी आपको पास कराना हो तो उसमें भी भ्रष्टाचार है। जो मकान आज 25,000 रुपये में बन सकता है, वह मकान 35,000 में बनता है, जो मकान आज 50,000 में बन सकता है, वह मकन 75,000 में जाकर बनता है। इस प्रकार से एक भूमि माफिया गिरोह और ठेकेदारों के गिरोह न तो शहर की समस्या का समाधान होने देते हैं, न गांवों की समस्या का समाधान होने देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं पड़कर उनको कुछ सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि इस जटिल समस्या की प्रक्रिया को तुरन्त आसान किया जाय। दूसरे, शहरों में जो मकान बनाने लायक जमीन है, जहां पर मकान बन सकते हैं, उस जमीन को तुरन्त मध्यवर्गीय लोगों की सहकारी समितियां बनाकर उन लोगों को दे दी जाए। तीसरा मेरा सुझाव है कि जो जमीन शहरों के पास है और उपजाऊ नहीं है, उस भूमि को भी तुरन्त शहरों की आवासीय समस्या निपटाने के लिए मध्यवर्गीय समितियों को दे दिया जाए।

इसी प्रकार से मेरा आपसे एक निवेदन और है कि झुग्गी-झोंपड़ी वाले आखिरकार दूर तो जायेंगे नहीं, दूर जायेंगे तो फिर उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं है और उनको काम के लिए शहर में आना पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी वहा बनती है, जहां पर बड़े-बड़े स्कूल बनते हैं, जहां हास्पिटल बनते हैं या बड़ी-बड़ी मल्टी स्टोरीट बिल्डिंग्स बनती है। वहां पर काम करने के लिए जो कारीगर आते हैं, वह वहां पर आकर बैठ जाते हैं। मेरा निवेदन है कि झुग्गी-झोपड़ी वालों को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जायें और बिल्डिंग बनाने के लिए यदि कर्ज भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। आज तो दादागिरी के आधार पर कच्ची बस्ती के लोग पड़े हुए हैं, वह किसी प्रकार से वहां के दादा लोगों को पैसा देते हैं और वहां रहते हैं। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा नोमीनल उनसे ले भी लिया जायेगा तो हुडको इसके लिए लोन देते हैं, हुडको से इसके लिए अधिक पैसा लिया जाए। जब यू० आई० टी जयपुर का चेयरमैंन था तो हुडको से मैंने लोन लिया जो 19 साल के लिए 19 रुपये के आंकड़े पर आता है। तो मेरा निवेदन करना है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को वहीं पर मकान दिये जायें और उनसे

यदि थोड़ा सा किराया लेना हो तो वह भी ले लिया जाए। इसी प्रकार से यदि दूर कालोनी बने तो उनके लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था हो।

इसी प्रकार से मेरा यहां पर एक और निवेदन करना यह है कि मकान खरीदने की राशि आयकर से मुक्त होनी चाहिए। नक्शे पास करने की जो प्रक्रिया है, इसको भी सरल किया जाना चाहिए वरना यह जटिल समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन करना यह है कि भ्रष्टाचार से बचा जायेगा तो ठीक है, वरना यह होगा कि आज भ्रष्टाचार तो तों में, मों में सब में व्याप्त हो गया है और इसकी चर्चा यहां पर भी होती रही है। आज इस कांग्रेसी राज में भ्रष्टाचार मुक्ति की कामना करना चील के घोंसले में मांस की तलाश करना है, वैसी ही आज यहां हालत है। इस सम्बन्ध में तो मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों रह जायेगी और लोगों को मकान नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय आवास बोर्ड के पास पैसा पड़ा हुआ है, हुडको के पास पड़ा हुआ है लेकिन फिर हम यहां पर अगले वर्ष आवासीय योजना को लेकर आयेंगे और हम कहेंगे कि गरीबी बढ़ रही है, लोगों को मकान नहीं मिल रहे है, मकानों की कीमत बढ़ रही है, इसलिए सरकार कम से कम इतना काम तो करे कि लोगों को सस्ते, मजबूत और आरामदायक मकान बनाने की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये और मकान बनाने वाले तकनीशियन और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण की ठीक प्रकार से व्यवस्था करे। अन्त में जहां से मैंने प्रारम्भ किया था, वहीं निवेदन करना है कि रैण्ट कण्ट्रोल एक्ट के बारे में विचार करें और लोगों को सबसे सस्ती और अच्छी जमीन मिले। यह जो आपका अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट हैं, जिसमें एक परसेण्ट भूमि भी केन्द्रीय सरकार इस कानून को बनाने के बाद अपने कब्जे में नहीं कर सकी है, ऐसे बेबुनियादी, बेअसर वाले कानून को तुरन्त समाप्त करके राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया जाए तो निश्चित रूप से आवासीय समस्या का समाधान होगा। कुम्भकरण की नींद सोने के बाद सरकार यह पालिसी लेकर सदन में आई है, इसलिए विवशता में मैं आवासीय समस्या का समर्थन करने में अपने आपको मजबूर पाता हूं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (शरणाकुलम) : सभापति महोदय, यह संकल्प सभा में पेश करने के लिए मैं श्रीमती शीला कौल को बधाई देता हूं। यह सरकार तथा श्रीमती शीला कौल द्वारा किया गया एक सच्चा प्रयास है जिन्हें इस देश के करोड़ों बेघर तथा भूमिहीन लोगों को आंसू पोंछने के लिए इस सभा में माता स्वरूप माना जा सकता है।

मेरा पहला अनुरोध यह है कि आवास संबंधी अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित किया जाए। इस संबंध में मैं श्रीमती गीता मुखर्जी की मांग का समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरा प्रदेश केरल जो कि शत प्रतिशत शिक्षा तथा पीने योग्य पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में यथा प्रदर्शक रहा है, वही उसने वड़े पैमाने पर आवासीय योजनाएं लागू करने में भी पथ प्रदर्शन किया है। वर्ष 1976 में जव श्री अच्युत मेनन केरल के मुख्यमंत्री तथा श्री के० करुणाकरण गृह मंत्री थे, तो भारत के इतिहास में पहली बार हमने 'एक लाख आवास योजना' नामक अत्यन्त प्रसिद्ध योजना लागू की थी। श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा पहले घर का उद्घाटन मेरे जिले एरणाकुलम के पुथरिका नामक गांव में ही किया गया था। इस सभा में उन्हीं के पुत्र श्री राजीव गांधी ने सातवीं लोकसभा में संसद सदस्य

के रुप में, आठवीं लोक सभा में प्रधान मंत्री के रुप में तथा दोबारा नौवीं लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में राष्ट्रीय आवास योजना लागू करने के महत्व पर जोर दिया था।

महोदय, मूल रूप से आवास योजना केवल राज्यों द्वारा ही लागू की जा सकती है। केन्द्र वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दे सकता है। किन्तु मूल रूप से यह कार्य राज्य सरकारों का ही है।

महोदय, 1976 में जब केरल में हमने एक लाख आवास योजना शुरू की, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यह योजना केवल कागजों में ही रहेगी। .....(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : थामस योजना का क्या हुआ ? आपने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया .....(व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस : मैं केवल योजना के विषय में बता रहा हूं। श्री एम० एन० गोविन्दन नायर उस समय आवास मंत्री थे....(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : आपको पूरा इतिहास तथा तथ्य बताने चाहिए .....(व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस : जब हमने वह योजना आरम्भ की तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वह केवल कागजों पत्र तक ही सीमित रहेगी। परन्तु हमें उसमें लोगों का सहयोग मिला। हम भूमि प्राप्त कर सकते थे। भूमि सरकार के पास है। अतिरिक्त भूमि का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास है।

फिर लोगों के सहयोग से भूमि का आबंटन किया गया।

इसी तरह, जब निर्माण कार्य आरम्भ किया गया, हमने स्थानीय बाजार से ही निर्माण सामग्री ली तथा स्थानीय तौरपर उपलब्धन निर्माण कार्य से संबंधित लोगों को इस काम पर लगाया तथा लोगों ने इसे अपना काम समझा जिससे हमने इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया।

4.15 म० म०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

इस बार फिर हमने राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत 10 लाख आवासों की योजना आरम्भ की है। इस योजना का उद्घाटन पिछले वर्ष मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किया गया था और इतनी छोटी सी अवधि में ही हमने लगभग दस लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया है। जिस व्यक्ति के पास भी तीन सेन्ट भूमि होगी वह इस योजना से लाभान्वित होगा। स्वयं सेवी संगठन तथा समाजसेवी संगठन इसमें भाग ले सकते हैं। सरकार इसमें 20 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी। अन्य कार्य समाज सेवी संगठनों द्वारा संमाहित किए जा रहे हैं।

इसलिए, मैं समझता हूं कि जब हम ऐसी नीति तैयार करते हैं तो हमें एक बात जोर देना चाहिए है कि में हम लोगों का सहयोग तथा भागीदारी कैसे प्राप्त कर सके है यहां पर समाज सेवा संगठनों का महत्व होता है। यदि सिर्फ सरकारी तंत्र को ही काम पर लगाया जाए तो हम योजना लागू नहीं कर सकते। इसलिए मेरा पहला अनुरोध यह है कि सरकार यह देखे कि इसके लिए लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए। समाज सेवी संगठनों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए तथा हमें योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए।

महोदय, एक क्षेत्र जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है हमारे शहरों और नगरों में गन्दी बस्तियां। मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे शहरों में, जहां एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्तियां हैं, हमें इन गन्दी बस्तियो। की दशा सुधारने के लिए अधिक ठोस कदम उठाने होंगे। उदाहरणर्थ, मुम्बई में प्रमुख समस्या क्या है? लोग मुम्बई हवाई अड्डे के समीप ही भूमिका एक के बाद एक अतिक्रमण कर रहे हैं। यह भूमि भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है। न तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस भूमि को वापस ले सका और हवाई अड्डे का निर्माण कर सका और न ही लोगों ने इसे खाली किया। इसलिए एक समय-बद्ध निर्णय लेना होगा। या तो लोगों को हटाया जाना चाहिए। उन्हें वैकल्पिक भूमि या वैकल्पिक आवास दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि वापस लेनी चाहिए। या, यदि यह सम्भव न हो तो हवाई अड्डे के पास की गन्दी बस्तियों में सही तरीके से सुधार किया जाना चाहिए। इस भूमि पर किसी का अधिकार रहना चाहिए। उचित समय पर निर्णय लेने होंगे। शहरों के समीप गन्दी बस्तियां काले धब्बे के समान हैं। वहां समाज-विरोधी तत्व पनप रहे हैं। वहां सभी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। इसलिए, जब तक गन्दी-बस्ती-सुधार की इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक इन बड़े शहरों में प्रमुख सामाजिक कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सकता है और कानून और व्यवस्था की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, जब हम इस आवास नीति को देखते हैं, इसका अर्थ केवल मकानों की व्यवस्था करना ही नहीं है। यह एक सामाजिक समस्या है जिसका हमें हल ढूंढ़ना है। इसी कारण मैं श्रीमती गीता मुखर्जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं कि रोजगार के अधिकार की तरह आवास का अधिकार भी मूल अधिकार माना जाना चाहिए। सरकार को इसके पूरे तंत्र पर निगरानी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम निर्माण की बात करते हैं तो हमें निर्माण के रास्ते में नहीं आना चाहिए जो कि हम इस समय कर रहे हैं। उन्होंने ताप विद्युत संयंत्रों के निकट 'फ्लाई एश' का उल्लेख भी किया है। वह पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा बन गई है। इसी प्रकार कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। हम नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की बात क्यों नहीं सोचते हैं ताकि ताप विद्युत संयंत्रों के समीप 'फ्लाई एश' तथा हमारे कारखानों से अपशिष्ट पदार्थों को ईंट बनाने में उपयोग किया जा सके।

केरल में वही लैरी बेकर नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जब महाराष्ट्र में भूकम्प आया था तो वह वहां गए थे। वह कम-लागत वाले मकानों का निर्माण करने के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो 10,000 रुपये या 12,000 रुपये में 1000 वर्ग फुट के मकान का निर्माण कर सकते हैं। वह बेरोजगार युवकों की सेवाओं का उपयोग करते हैं और उन्हें समुचित प्रशिक्षण देते हैं।

केरल में बड़ी संख्या में भिखारियों के मकान हैं जो कम-लागत वाले मकान हैं। उसकी सराहना प्रत्येक व्यक्ति करेगा।

कल मेरे साथी श्री रमेश चेन्नित्तला ने केरल में विकास गतिविधियों का उल्लेख किया था। हम प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं। हम बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि कल को गांवों में जब मकान बनना शुरू हों तो हमें समीप के स्थानों से स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान मिल सके, कम्पनियों से सीमेन्ट तथा कारखानों से लोहा नहीं बल्कि वह सामान जो उपलब्ध हैं। हमें कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। हमें प्रशिक्षित बेरोजगार लोग मिलते हैं। मैं समझता हूं कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से हम योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे।

यहां मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा जिसका उल्लेख माननीय सभापति ने भी किया था और जो सहकारी आवास योजनाओं के बारे में हैं। हमें सहकारी आवास योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए न कि गैर-सरकारी क्षेत्र को 1 यहां गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में सुझाव दिया गया है। परन्तु वे ऐसे स्थान हैं जहां से काला धन आता है तथा वहां से जाता है। परन्तु सरकारी क्षेत्र में लोग स्थिति से अवगत हैं और लोग जानते हैं कि उनका अधिकार क्या है तथा वे यह जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र को कैसे चलाया जाता है। हमें यह जानना चाहिए कि इन सहकारी आवास योजनाओं को किस प्रकार हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए। अपने बैंकों को उनके वित्त पोषण के लिए कहा जाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, हमारे देश में बैंकों तक केवल समृद्ध लोगों की पहुंच है, निर्धन व्यक्तियों तथा सहकारी सोसाइटियों की नहीं। यदि सहकारी सोसाइटियां बैंकों के पास जाती हैं तो बैंक अनेक नियम तथा विनियम रखते हैं। जब कोई गैर सरकारी व्यक्ति या समृद्ध व्यक्ति बैंक जाता है तो उसे सभी सुविधाएं मिलती है। हमने देखा है कि देश में क्या हो रहा है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को पैसा किस प्रकार जाता है। इसलिए, भारत सरकार को सख्त अनुदेश देने होंगे इसे प्राथमिकता क्षेत्र माना जाना चाहिए अतः बैंकों पर इन सहकारी आवास योजनायों के लिए वित्तीय सहायता देने के दबाव डाला जाना चाहिए।

अन्य मद्धा जो मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं वह देश के विद्यमान किराया अधिनिमों के बारे में है और जिसके बारे में माननीय सभापति ने भी यहां उल्लेख किया है। हम सभी जानते हैं कि मुकद्में बरसों चलते रहते हैं। या तो आप उन्हें रोकिए या इसका पता लगाए कि हम नए विधान किस प्रकार बना सकते हैं ताकि किराए सम्बन्धी इन मुकदमों को यथासम्भव शीघ्र समाप्त किया जा सके। इसलिए, हमें एक रास्ता निकालना होगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार अधिनियम, विशेषकर शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में सुधार करना होगा। अनेक राज्यों के अपने भूमि सुधार अधिनियम हैं। हमें मिलकर बैठना होगा ताकि सम्पूर्ण देश में एक समान भूमि सुधार अधिनियम हो। जब तक एक समान भूमि सुधार अधिनियम नहीं होगा और जब तक शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी, तब तक हम इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे।

अब, मैं सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर आता हूं। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित वे लोग हैं जो दिल्ली स्थानान्तरित होकर आता हैं या दिल्ली में कोई नौकरी करने आता हैं। दिल्ली में उनकी क्या समस्याएं हैं ? महोदय, उनको सरकारी आवास के आवंटन के लिए की गई सिफारिशों के साथ हम आपके पास आए हैं आप एक या दो मामले में स्वीकृति दे सकते हैं परन्तु मुझे ऐसे सैकड़ों अनुरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं। हमारे साथी को भी ऐसे सैंकड़ों अनुरोध प्राप्त हो रहे होंगे। जब सरकारी कर्मचारी दिल्ली आते हैं तो उनके पास रहने का कोई आश्रय नहीं होता है और वे किराए के मकानों में रहते हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ रहना पड़ता है। इसलिए कोई संगठित प्रयास किया जाना चाहिए। ताकि सरकारी कर्मचारियों को यथोचित आवास मिल सके। मैं उनके लिए आलीशान आवास का अनुरोध नहीं कर रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अल्प वेतन से वे मकान किराए पर नहीं ले सकते हैं। इसलिए उन्हें उचित आवास सुविधा दी जानी चाहिए। मैं केरल के मामले के बारे में बता सकता हूं। मुझे यह बताने में गर्व हो रहा है कि केरल में सभी पुलिस कर्मियों को आवास प्रदान कर दिए गए हैं। यह हमारी एक उपलब्धि है। वहां हमारे सरकारी कर्मचारियों ने सहकारी सोसाइटियां बनायी हैं और उनके अपने मकान हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समुचित आवास सुविधाए प्रदान की जानी चाहिए।

अब मैं संसद सदस्यों की समस्याओं तथा उनको मिलने वाली सुविधाओं पर आता हूं। हम पुराने फ्लैटों में रह रहे है। मेरा फ्लैट में छत से पानी टपकता है। वर्षा के आरम्भ होते ही छत से पानी टपकने लगता है। हम आलीशान बंगलों की मांग नहीं कर रहे हैं। हम छोटे फ्लैटों में रहते हैं। हमारे कुछ मित्रों ने 15 वर्ष पूर्व ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के लिए धन जमा कराया हुआ है। यदि यह समुचित तथा सीमा के अन्दर है तो आप उनकी सहायता करने का प्रयास कीजिए। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री इतनी दयालु तथा दूसरों का ध्यान रखने वाली हैं कि हम उनके पास सहायता के लिए जाते हैं और वह यथासम्भव सहायता करती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वह सहायता करती हैं। उन्होंने मेरी सहायता की। परन्तु मैं उनकी सीमाएं भी जानता हूं। यहां बहुत सारे संसद सदस्य हैं। यदि एक संसद सदस्य को मकान दिया जाता है तो उन्हें अनेक मकान देने पड़ेगे। यह बहुत कठिन होगा। परन्तु, फिर भी, अपनी सीमाओं के अन्दर उन्होंने कइयों की सहायता की है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी समस्याओं को देखें तथा उपयुक्त कार्यवाही करें। मैं आप द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का पूरे दिल से समर्थन करता हूं तथा इसे लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : सभापति महोदय, अपने दल, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक, की ओर से, मैं राष्ट्रीय आवास नीति सम्बन्धी संकल्प पर चन्द शब्द कहना चाहूंगा। सरकार ने इसे विश्वव्यापी आवास नीति (ग्लोबल शेल्टर स्ट्रटजी) 2001 सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1992 में संसद में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय आवास नीति की दीर्घावधि भूमिका मकानों की कमी को खत्म करना तथा तंग मकानों की आवास स्थिति में सुधार करना तथा सभी को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करना है। पढ़ने में तो यह लक्ष्य बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है। परन्तु मैं नहीं समझता हूं कि क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं।

"सभी के लिए आवास" मुद्दे की व्यापकता को विभिन्न स्तरों पर सरकार सहित अनेक एजेंसियों को सहकारी सामुदायें तथा गैर-सरकारी क्षेत्र शामिल किए जाने की जरूरत है। अब सरकार की नीति तथा इसकी भूमिका निर्माणकर्ता के बजाएं मदद करने वाले कार्य की अधिक है। सरकार के सीधे हस्तक्षेप से समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की जरूरत है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत के अधिकांश लोग-चाहे गांवों में हो या शहरों में, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति के, या अति पिछड़े वर्गों के हों— दुखी हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है।

आवास समस्या की व्यापकता सम्बन्धी उप-दल द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, सन् 20001 ईस्वी तक 64.4 मिलियन नए मकानों की आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लगाया जाएगा जब मैं यह कहता हूं कि ये आंकड़े वास्तव में ठीक नहीं हो सकते हैं। मुझे इन आंकड़ों पर संदेह है क्योंकि ये आंकड़े प्रत्येक वर्ष बदलते रहे हैं। जब आप 2 या 4 वर्ष पूर्व के आंकड़ों के आधार पर यह कर रहे हैं और जब आप अगले 6-7 वर्ष के लिए इस पर विचार कर रहे हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना किस प्रकार सम्भव होगा। राष्ट्रीय आवास नीति को प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मकानों की कमी को कम करना, विकसित भूमि तथा वित्त प्रदान करना, उचित तथा सुलभ सामाग्री, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मरम्मत न किये जा सकते मकानों

को सुधारना न्युनतम स्तर की मूलभूत सेवाऐं तथा सुविधाएं प्रदान करना है। यह बहुत प्रभावशाली है। परन्तु जब तक सरकार तेजी से काम नहीं करेगी और इस उद्देश्य के लिए एक बड़ी धनराशि निर्धारित नहीं की जाएगी, तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है।

महोदय, जब मैंने आंकड़ों का अध्ययन किया तो पाया कि यह कतई संतोषजनक नहीं है। बल्कि यह निराशजनक हैं। सकल घरेलू उत्पाद में आवास में निदेश का हिस्सा 1960 में 5 प्रतिशत से गिरकर 1990 में 3 प्रतिशत रह गया है। इसलिए वास्तव में यह बढ़ने के बजाए 20 वर्षों में पांच प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत हो गया है। आवास का कुल योजना परिव्यय प्रथम योजना में 34 प्रतिशत से गिरकर सातवीं योजना में 9.6 प्रतिशत रह गया है। अब, 12.2 प्रतिशत परिव्यय का प्रस्ताव है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे बहुत गंभीरता से ले तथा आवास के लिए और अधिक धन का आवंटन करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम यह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, जमीन-जायदाद के कारोबार में काले धन का बहुत अधिक उपयोग होता है और जमीन-जायदाद कारोबार में लगे व्यक्ति फलफूल रहे हैं। इस वाद-विवाद में बोलने वाले लगभग सभी संसद सदस्यों ने यह मांग की है कि इस क्षेत्र में गैर-सरकरी क्षेत्र के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। अन्यथा, वे अपने काले धन से सारी भूमि को खरीदने का प्रयास करेंगे।

अब मैं झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के बारे में चंद शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की दशा, चाहें जहां भी वे हों, चाहे शहरों में हों या गावों में, उनकी दशा बहुत दयनीय है। वे केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के वोट बैंक हैं। परन्तु कुछ स्थानों पर वे सुअरों के साथ जानवरों की तरह रह रहे हैं। जब वे गांवों से शहरों को आते हैं तो हम देखते हैं कि वे वहां किस प्रकार रहते हैं। सरकार को या तो उनके शहर आने पर रोक लगानी चाहिए या उनके रहने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि अगले सात वर्षों में हम कोई आश्चर्य कर दिखाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम अगले 10 से 15 वर्षों में इन लोगों के लिए आवास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर, भवन-निर्माण सामाग्री या तो सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से दी जानी चाहिए या निर्धारित कीमत पर दी जानी चाहिए। हमें इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे बिल्डिंग कान्ट्रक्टर्स अथवा ट्रेडर्स, जिनके अपने कल्पित मूल्य हैं, इन सभी चीजों को ऊंचे दामों पर बेच देगें।

तमिलनाडु में हमारे मुख्य मंत्री, डा० पुरात्ची थलाइवी के कुशल नेतृत्व में हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं और तमिलनाडु आवास बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों के कारण उन्हें हुडको से ऋण मिल गया है। वे ऋण का पूरा उपयोग कर रहे हैं और वे ऋण को तत्काल लौटा भी रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। सहकारी आंदोलन में हमारा राज्य सबसे ऊपर है। हमारी मुख्य मंत्री जी ने भी यह बताया है कि उनका विचार गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए कई लाख घरों का निर्माण करने का है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे हमारे मुख्य मंत्री के उस कार्य को पूरा करने में सहायता करें जो गरीब लोगों के हित में है। वे लोग अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़े वर्गों के हैं। जब मैं इस विधेयक का पूर्ण हार्दिक स्वागत कर रहा हूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार को केवल यह विधेयक लाने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और अपनी पूर्ण कथनी करनी में बदलनी चाहिए। मेरा यह विनम्र अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय आवास नीति का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। जब मैंने इसका प्रारूप पढ़ा तो वह इतना सम्मोहक लगा और ऐसा लगने लगा जैसे एक क्षण में पूरे देश का नक्शा ही बदलने वाला है, सभी गृहविहीनों का गृह बन जाने वाला है लेकिन हालत यह है कि यदि हम देश का भ्रमण करने निकले और चारों ओर नजर दौड़यें तो हमें पता चलेगा कि गृहवानों की तुलना में गृहविहीनों की संख्या आज अधिक है और दिन-प्रति-दिन यह फासला बढ़ता ही जा रहा है। जैसा यहां हमारे एक मित्र ने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने पूर्ण लागत का 34 प्रतिशत भाग इस पर अनुमानित व्यय करने का संकल्प लिया था लेकिन अब वह घटते -घटते 9 प्रतिशत तक चला आया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी मानसिकता इस समस्या के प्रति उपेक्षा की है। दूसरी ओर जब ऐसे समय हम राष्ट्रीय आवास नीति सदन में ला रहे हैं, चाहे उसके पीछे मंशा कुछ भी हो, अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करती हूं।

मेरा विचार है कि राष्ट्रीय आवास नीति सदन में बहुत पहले आ जानी चाहिये थी क्योंकि 1986 से इसका जिक्र चल रहा है। एक बार इस बीच 1988 में राज्य सभा के पटल पर आ भी गयी थी लेकिन यहां पस्तुत करने के मामले में उपेक्षा ही रही। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि भले ही सबका घर न बने लेकिन उनके मन में घर बनाने का बल आप इस आवास नीति के माध्यम से जरूर दे रही है।

आवास समस्या की स्थिति यह है कि आज लाखों नहीं करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे पैदा होते हैं और आसमान के नीचे ही एक छत का स्वप्न देखते-देखते वहीं अपनी जिन्दगी की अंतिम सांस ले लेते हैं और यह हमारे देश की हकीकत है। आधे से अधिक हमारी आबादी एक कमरे में नहीं बल्कि एक झोंपड़ी में अपना गुजर-बसर करती हैं। बढ़ते हुये शहरीकरण और देहातों की तंगहाल फटेहाल स्थिति ने हमारी हालत और खराब कर दी है। पहले भले ही हमारी आबादी कम थी या देहातों में ऐसी चीजों की खेतीबाड़ी होती थी जिसमें गरीब लोग मांग कर अपना घर बना लेते थे लेकिन ऐसे वृक्षों के रोपण में कमी के कारण, सबको दे सकने की सामर्थ्य में कमी के कारण, अब गरीब का स्वप्न साकार ही नहीं हो पाता। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम-मध्य वर्ग के गृहहीनों की हालत यह है कि जिन्हें 5-6 हजार रुपये की आमदनी है वे अपनी जिन्दगी में गृह-प्रवेश का सपना साकार नहीं कर पाते। किसी तरह से तीन-चार हजार की आमदनी वाले लोग, यदि महानगरों में जाकर देखें तो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और रोज आनन्द लेने के लिए टी० वी० या ट्रांजिस्टर तो वे खरीद पाते हैं लेकिन मकान नहीं बना पाते। मकानों की लागत आज इतनी बढ़ गई है कि कमाने वालों के पास उतनी क्रय शक्ति नहीं रह गई है और भी जो हमारी नीति है, वह शहरीकरण की नीति है जिसके चलते देहात के लोग फटेहाल हो रहे हैं। आज तक जो व्यक्ति खेतों का मालिक था, कुछ पैसों के लालच में कर, वह अपनी जमीन बिचौलियों को बेच देता है। आज तक जो अन्न उत्पादक था, मालिक बनकर बैठता था, कभी न कभी अन्न के घर में आने पर, एक बार जिसके घर में खुशी की लहर दौड़ती थी. . वह वहां पर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं का चौकीदार बनकर रह गया है।

इस नीति में भी भू-अर्जन आप कैसे करेंगे इसका इशारा किया है, लेकिन जब तक इस सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप दिल्ली से बहुत दूर मत जाइए। दिल्ली

के नजदीक के देहातों को भी देखा जाए, तो न वे शहर हैं और न वे देहात हैं। न वे अपनी जमीन बेच सकते हैं और न उस पर मकान बना सकते हैं।

देहातों की बात के अतिरिक्त महोदय इस नीति में झुग्गी-झोपड़ियों और मलीन बस्तियों में बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है। हमारे इस महानगर में जहां सारे विदेशी आते हैं वहां इस प्रकार की झुग्गियों की बुहतायत देखकर उनके मन में यहीं से एक ऐसा चित्र बनता है जिससे वे समझ जाते हैं कि हमारे हालात क्या हैं। यदि इन झुग्गियों को देख लिया जाए, तो अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। यहां पर बेसुमार कालोनियां हैं, आपकी इस नीति से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप इनको किस प्रकार से नियमित करेंगी। कहीं ऐसा न हो कि आपके इस आशय के बावजूद, जो आपकी सदाशयता है कि काश इन गरीब लोगों के सर पर भी अपनी एक छत हो, उसका फायदा भी कहीं बिचौलिये नहीं उठा लें और कहीं वे बीच में आ जाएं और रातों रात झुग्गियां डालकर यह कहें कि ये भी पुरानी कालोनियां हैं और इनको भी नियमित कीजिए। इनसे बचने के ठोस उपाय इसमें नहीं दिए गए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि इन चाल बस्तियों और मलीन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जो दुर्दशा है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके मल निस्सरण की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नीति को यदि आप फैलाना चाहती है तो सबसे पहले मलीन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके मल निस्सरण की व्यवस्था कीजिए और उनको पेयजल उपलब्ध कराएं। उन बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था हो। यदि आप इन चीजों को कर देंगी, तो एक वर्ष में आपकी यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

सभापति महोदय, आवास बनाने के लिए जो कामगार है उन्हें कहीं न कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज दो-तीन जगह से ही मिलता है। इंश्योरेंस से मिलता है। हुडको से मिलता है और हाउसिंह बैंक से मिलता है लेकिन इन संस्थाओं से कर्ज लेने के बाद सूद की रकम इतनी बढ़ जाती है कि एक तो उसके ऊपर मकान बनाने का बोझ जिसमें काफी खर्च होता है दूसरे उसकी किस्तों और ब्याज का बोझ भारी पड़ता है। इस रोज-रोज की महंगाई में वह कर्ज भी नहीं ले पाता है क्योंकि उनको बहुत सूद देना पड़ता है। इसलिए मेरी या राय होगी कि उनको जो भी कर्ज दिया जाए वह ऋणमुक्त भले ही न हो, लेकिन उसका सूद बहुत कम हो। अभी जो आपने 13 से 19 प्रतिशत ब्याज रखा है यह नामुमकिन है। इसलिए हाउसिंह बैंक और हाउसिंह लोन आदि संस्थाओं की स्थापना की जाए जिसमें कम सूद पर मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध हो सके और सभी जरूरतमंद लोगों को ऋण मिलने की सुविधा उपलब्ध की जाए।

सभापति महोदय, सरकारी आंकड़ो के अनुसार देहातों में जितने मकानों की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए बिना हाउसिंह कोआपरेटिव सोसायटियों के आगे आए आप इन मकानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों की भी यही दसा है। इसलिए मेरा सुझव है कि हाउसिंह कोआपरेटिव को प्रमोट करें, तो हो सकता है कि जल्दी आप इस संकट से देश को उबार सके।

महोदय, स्वनियोजन करने वालों को इन्कमटैक्स में जो छूट दी जाती है वह 10 हजार रुपये पर मिलती है, लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि 10 हजार पर नहीं बल्कि उस पूरी रकम पर, जितना भी वह कर्ज लेता है उस पर इन्कमटैक्स की छूट अवश्य मिलनी चाहिए जिससे जब तक वह दूसरों का कर्ज लौटाता रहे तब तक उसको इन्कमटैक्स की मार न सताती रहे।

मान्यवर, यह जो राष्ट्रीय आवास नीति का मसौदा मंत्री महोदया ने सदन में प्रस्तुत किया है इसमें कहा गया है कि अपने देश के संसाधन और अपने देश की कला को भी ये सुरक्षित रखेंगी, लेकिन इस दिल्ली में ही प्रति-दिन ऐसे भवन ढह रहे हैं जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की विरासत हैं। हमारी स्थपत्यकला पहले देशी थी, लेकिन अब आप जब विदेशियों को बुलावा दे रहे हैं वैसे समय में मानव मूल्यों के क्षेत्रों में स्वदेशी कला को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र की उन्नत विरासत को सुरक्षित रखना ये बातें मानस में नहीं आ रही है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी। दोनों बातें कैसे होंगी। एक ओर तो आप विदेशी भवन निर्माताओं को बुला रही है और दुसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं की बात कर रही है। आपने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त किये गये बंधुवा मजदूरों के लिए विशेष योजनायें देंगी। इंदिरा आवास योजना पहले से आपके यहां है लेकिन उसमें इतनी कम रकम दी जाती है कि जितनी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, उसमें दो प्रतिशत से भी कम मकान नहीं होते हैं। बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया है वह मलिन बस्तियों में गरीबों को ही कर्ज देती है और उन्हीं को मजदूर के रूप में भवन बनाने के लिए कहती हैं।

आज जिस तरह से 10 हजार या 14 हजार में शहरी इलाके की मलिन वस्तियों के अंदर मकान बनाए जा रहे हैं, आप उन्हें जाकर देखें। इससे मलिन बस्तियां स्वच्छ होती जा रही है। इस प्रकार का प्रयोग आप दिल्ली नगर निगम में भी करेंगी तो जो आपकी मलिन बस्तियां हैं, वे भी अवश्य ही अच्छी हो जायेंगी। आपने दस्तकरों सहित भूमिहीनों के लिए भी जो प्रावधान किया है, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जो असंगठित कलाकार हैं, चाहे वे कला साधना करें अथवा उनकी आजीविका कपोत वृत्ति पर चलती हो, यदि आप उनको काम देंगे तभी उनकी आमदनी होगी, कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में भवन निर्माण की बाद तो उनके लिए एक सपना है। मेरी आपसे मांग है कि जो असंगठित कलाकार हैं, उनको भी भवन निर्माण का प्रावधान या भवन निर्माण के लिए कर्ज देने की विशेष सुविधा दें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति जी, जो राष्ट्रीय आवास नीति पर आज चर्चा हो रही है, उसमें मैं भाग लेते हुए चंद बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस सदन में अर्बन और रूरल, दोनों विषयों पर चर्चा चल रही है। मैडम के पास तो काम बंटा हुआ है । अर्बन डेवलपमेंट को छोड़कर रुरल डेवलपमेंट का कौन सा हिस्सा है जो इस तरह से इसमें लाया जाये। यह एक अच्छी बात है क्योंकि पहले इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, अब हुई है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं इसकी दो हिस्सों में चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि शहरों में केवल 20 प्रतिशत लोग रहते हैं और गांवों में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं।

सभापति जी, मैं सबसे पहले 1971 से सीधा जंगल से यहां आया था। मैं जंगलों में ही रहता था। यहां आकर जब मैं दिल्ली घूमने गया तो मैंने देखा कि वहां पर बड़े-बड़े ह्यूम पाइप पड़े हुए हैं। मैंने उनमें जाकर देखा तो उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और उसकी मां भी उसके अंदर बैठी थी। जब शहर में ह्यूम पाइपों के अंदर लोग रहते हैं तो देहातों की हालत कैसी होगी ? यहां पर जितने भी एम० पीज हैं, उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सभी देहातों से ही आये हुए हैं। हमको सब पता है कि आज आवास किसके पास है और किसके पास नहीं है। यह सिर्फ हमारे पास ही नहीं है और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके पास नहीं है। यह सिर्फ हमारे पास ही नहीं है और जो हमारे आदिवासी भाई

हैं, उनके पास नहीं है। मानकड़िया बंदर खाते हैं और अपना घर नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने हमारा घर तोड़ दिया। उन्होंने रामचंद्र जी से बोला कि हमारा घर बना दें परन्तु रामचंद्र जी घर नहीं बना पाये। रामचन्द्र जी घर नहीं बना पाए। तब से वे लोग अपना घर नहीं बनाते हैं और बन्दर को खाते हैं। बन्दर उनका मुख्य भोजन है। हमारे महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की एक जाति है।

हमारे देहात में हर साल आग लगने से बहुत से मकान जल जाते हैं जिससे करोड़ो रुपयों की देश की सम्पत्ति का नुकसान हो जाता है।

मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि एक हाउसिंह मिनिस्ट्री होनी चाहिए और उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहा पर सब लोग शहरों की बात बता रहे हैं, देहात की बात किसी ने नहीं बताई। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि हाउसिंह पॉलिसी बनानी है तो सबसे पहले वन कैमिली वन हाउस की व्यवस्था करनी होगी। जिनके पास घर नहीं है, सरकार खुद घर बनाए और उनको किराए पर दे।

एक रूरल हाउसिंह पॉलिसी अलग बननी चाहिए। यदि वह अलग से नहीं बनाएंगे तो इधर का पैसा उधर खर्च हो जाएगा।

जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे पहले उनके लिए घर बनाने चाहिए। यदि किसी शैडयूल कास्ट या आदिवासी को यहां पर नौकरी मिलती है तो वह इस डर से यहां नहीं आता क्योंकि उसे रहने के लिए दिक्कत होगी। आप एक ही टाइप के घर बना दीजिए।

सफाई मजदूरों के लिये जो आवास योजना बनायी जाती है, उसका ठीक से इम्पलीमैंटेशन नहीं होता है। उनके लिए पक्के घर बना कर समाज में उन्हें अच्छा दर्जा प्रदान करायें। आपने इन्दिरा आवास योजना बनायी। मैं जब से बच्चा हूं तब यह देख रहा हूं कि गरीब लोगों के लिये जो मकान बनाये जाते है, वे 5-7 साल तक ही टिक पाते हैं। आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के तहत अच्छा काम हुआ है। उड़ीसा सरकार ने भी अच्छा तरीका निकला है। वह इस काम के लिये 20,000 रुपये देते हैं। इससे अच्छा घर बन जाता है। वहां की सरकार स्टाक एक्सचेंज से भी इस काम के लिए पैसा लेने जा रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में काफी प्रयत्न किये हैं। आप भी प्रयत्न करिये।

आज एल० आई० सी० वाले गांवों में नहीं जाते हैं। अगर गांवों का विकास नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। गांवों में आलू, गेहूं और चावल होता है। वहां अधिकतर हमारे किसान भाई रहते हैं और वे गरीब हैं जबकि शहरों में लोग मजे से रहते हैं। वे दूसरे ढंग से कमाते हैं। आप एल० आई० सी० वालों से कहिये कि वे गांवों में भी जाये। जो लोग जहां रहते हैं, वहीं आप उनको मकान बना कर दें। इससे वे लोग शहरों की तरफ नहीं आयेंगे और मनी सरकुलेशन वही होगा।

गांवों से जो लोग शहरों में आते हैं, वे झुग्गी-झोपड़ी बना कर यहां रहते हैं। वे भी देश के नागरिक हैं। जैसे ठीक तरीके से उन्हें रहना चाहिये, वैसे वे रहते नहीं हैं।

मैंने आपको जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप अवश्य गौर करेंगे। एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। मैं 25 साल से यहां हूं। ट्राइबल एरिया में जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो बहुत से लोग वहां से

बेदखल कर दिये जाते हैं। उनके आगे-पीछे कोई घर नहीं रहता है। उनके सम्मुख यह समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर घर में बहू आयेगी तो वह कहां रहेगी,

5.00 म० प०

वह अपनी मुर्गी कहां रखेंगे, अपनी गाय कहां रखेंगे, उसका भी बन्दोबस्त नहीं है। उनको दूसरे ढंग का आदमी बना देते हैं जिससे वह शराब पीकर नशे में चूर रहता है और लोग उनका शोषण करते है, बाहर से जो लोग वहां इण्डस्ट्री या कोई दूसरा काम करने जाते हैं। इसके लिए आपको विशेष, स्पेसिफिकेशन बनाकर देना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको मकान बनाने की मंजूरी नहीं मिलेगी।

जब मैं एस० सी०, एस० टी० वैलफेयर कमेटी का चेयरमैन था तो हमने उनकी हालत को खूब देखा है। मैं सोचता हूं कि उनकी अभी जो हालत है, नैकस्ट जैनरेशन में उनकी क्या हालत होगी। उनके बाल-बच्चे होंगे तो वह कहां रहेंगे, क्योंकि उनके मकान के आगे पीछे, दांये-बांये कहीं जगह नहीं है और उनके लिए छोटे घर बना दिए गये हैं। उनकी लड़के की बहू आयेगी तो वह उस मकान में नहीं रह पायेगी इसलिए घर की पॉलिसी ठीक नहीं है। जैसे चाहते हैं, वैसे घर बना देते हैं इसलिए उनके लिए आप एक पॉलिसी बना दीजिए कि ऐसा घर बनाकर देना चाहिए जिसमें आगे पीछे कुछ जगह हो।

एक हुडको नाम की संस्था है, इसकी क्या आवश्यकता है, वह क्या कर रही है, हमें समझ में नहीं आता है। हुडको से जो पैसा मिलता है, उसका कुछ हिस्सा देती है और वह व्हाइट एलीफेंट के माफिक है। इस संस्था को तोड़कर आप बैंक को कहिये कि वह अपनी शाखाऐं गांवों में खोलें, जैसे स्टेट बैंक कर रहा है और वह खुद वहां जाकर काम करे। अभी जो बैंक हैं, वह गांव में मकान बनाने के लिए लोन नहीं देते हैं, वह सोचते हैं कि यह लोग पैसा कैसे वापस करेंगे। जब छोटा-मोटा व्यापार करने के लिए लोग पैसा लेते हैं और वापस करते हैं तो क्या मकान बनाने के लिए लिया गया पैसा वह नहीं देंगे ?

आप इस पॉलिसी को लाये, यह तो अच्छा किया, लेकिन यदि पॉलिसी लाने से पहले चर्चा होती तो यहां जो सजेशंस दिये गये हैं, उनको समझते हुए एक काम्प्रीहेंसिव पॉलिसी आप लाते तो अच्छा होता। मेरा सुझाव है कि आप इस पॉलिसी को काम्प्रीहेंसिव बनाकर इस सदन में दोबारा लाइये। जितना काम इस पॉलिसी में हुआ है, वह अच्छा हुआ कि आपने शुरूआत की लेकिन इसको आप काम्प्रीहेंसिव बना दीजिए। अब आपने जो शुरूआत की है, वह अच्छी की है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस देश में 3 करोड़ से ऊपर परिवार बिना घर के हों और जिसे स्वतंत्र हुए 47 वर्ष हो गये हों, उस देश में पहली बार जो राष्ट्रीय आवास नीति है, उसको सदन के समक्ष लाया जाए, देर से ही सही लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यह प्रयास किया।

नीति मैंने पूरी पढ़ी है और इसमें आपने लगभग सभी बिन्दुओं पर विचार किया है, उनको इसमें इनकारपोरेट करने का प्रयास किया है, लेकिन समस्या बहुत गम्भीर है, जटिल है। चूंकि आवास एक राज्य का विषय है और आपकी नीति को इम्पलीमेंट करने या कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को बीच में आना पड़ेगा और उनके माध्यम से जो नीतियां चलेंगी, यह किस सीमा तक सफल हो पाएंगी, इसमें मुझे संदेह है। इसी के साथ मेरी चिन्ता भी है। इस देश में 3 करोड़ से ऊपर परिवार बिना घर के हैं और

ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त तक यह संख्या 4 करोड़ तक पहुंचने वाली है। आपने जिन-जिन बिन्दुओं का इसमें उल्लेख किया है, उनमें से दो बातें निकलकर सामने आती हैं, जो आपने अपने पालिसी स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से घोषित की है। पहली तो यह कि आपका उद्देश्य है कि इससे निर्धन और गरीब परिवारों को सिर छिपाने के लिए एक छोटा-मोटा मकान मिल सके और वहीं आपका दूसरा उद्देश्य है कि अब सरकार निर्माण के कार्य में सीधी न लगकर अब इस आवासीय गति को गति प्रदान करने का कार्य करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं, यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई है ? अभी जैसा कि गिरधारी लाल भार्गव जी कह रहे थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोटल हाउसिंह इन्वैस्टमेंट 34 परसेंट होता था और अब आठवीं पंचवर्षीय योजना का वर्तमान चल रहा है, इसमें इन्वैस्टमेंट आकर 12.6 परसेंट रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीति इस गम्भीर समस्या के समाधान में नहीं है, अन्यथा इस देश में इतने गरीब लोग क्यों रहते। इस कटौती को करने का कुपरिणाम यह हुआ कि स्लम्स बढ़ने लगे, अनअथॉराइज़ कालोनीज बनने लगी और लोग गांवों से शहरों की तरफ़ भागने लगे। इस स्थिति में शहरों की दुर्दशा हुई है और शहरों में रहने वालों की दुर्दशा हुई है। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है और इस पर पहले सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए था।

सब की कल्पना होती है कि उसके पास एक मकान हो। यह मकान कैसे बनेगा, इसके लिए सरकार के कुछ दायित्व हैं। इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। आपकी डाक्युमेंट पॉलिसी में कुछ सुझाव आए हैं और आपने कुछ संकल्प लिए हैं। मुख्य रूप से किसी भी घर को बनाने के लिए भूमि, एक प्लाट की आवश्यकता होती है। इसका मूल्य उतना हो, जो उस व्यक्ति की क्रय सीमा के अन्तर्गत आता हो और इसके साथ ही भवन निर्माण की सामाग्री भी उसके सीमित साधनों के भीतर हो। हमारे यहां सामान्य रूप से जो गरीब वर्ग हैं, उसकी आय सीमित है। वह कीमती प्लाट, भवन सामाग्री की बढ़ती हुई कीमतें और उसमें जो तकनीकी ज्ञान है, यह सब उसकी शक्ति के बाहर पड़ता है। इसके लिए मुख्य रूप से आपको विचार करना पड़ेगा कि प्लाट उपलब्ध हो और इसमें आपने तय कर लिया है कि भवन निर्माण में आप सीधे संबंधित नहीं रहेंगे, तो इसके लिए आपको सार्वजनिक क्षेत्र से प्राइवेट सैक्टर में ले जाने पर विचार करना होगा। इसमें मुख्य रूप से आप ग्रुप हाउसिंह सोसायटीज को ले सकती है। राज्य सरकारों के पास स्टेट हाउसिंग बोडर्स हैं, डवेलपमेंट अथारिटीज हैं और इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट्रस हैं। इसके अलावा जितने बड़े-बड़े महानगर हैं, जैसे मैं कानपुर महानगर से आता हूं, कानपुर की बढ़ती हुई जनसंख्या को हम अपनी योजना के अन्तर्गत आवास नहीं दे सकते हैं। उनको मकान देने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन मैं जब अपने क्षेत्र से निकलता हूं, तो देखता हूं कि आवासीय कालोनीज पार्क की साइट पर, रक्षा विभाग की जमीन पर और रेलवे लाइन के आसपास और जो भी स्थान खाली पड़ा हुआ है, वहां पर अवैध निर्माण हो गए हैं। कालोनीज इतनी बड़ी संख्या में बस गई है कि अब उनको वहां से हटाया जाना संभव नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति आपकी मुझे ठीक लगती है, अगर आपकी नीयत ठीक है और इसको राज्य सरकारों से सख्ती के साथ पालन करायेंगे, तो इस देश की नियति भी बदलेगी-ऐसा मेरा विश्वास है। आपके पास जो एजेंसीज है और वर्तमान में जनता की निगाह में जो उनकी विश्वसनीयता है, वह काफी गिर चुकी है। उदाहरण के लिए, कानपुर महानगर में कानपुर विकास प्राधिकरण है। इस बात को आपने सुना है या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं। यहां सामान्य रूप से जनता के साथ धोखा हुआ है। इस प्राधिकरण द्वारा मकान निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो विलम्ब से उन्होंने मकान बना कर दिए हैं, उनकी कीमत 65 हजार रुपए की हो गई है, जबकि पूर्व में जनता से 15 हजार रुपए

लिए गए थे। इस राशि में वे मकान नहीं दे पाए। इतना सब कुछ होने के बाद जब मकान मिला, तो न उसमें खिड़कियां थी और न छतों और दीवारों पर पलास्टर था तथा न अन्य सुविधायें थीं। हम जो भवन का निर्माण करते हैं, उनमें मनुष्य को जाकर रहना होता है, लेकिन नागरिक सुविधाओं की ओर ध्यान नीं दिया जाता हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बरारा एक स्थान है, जिसको एशिया की सबसे बड़ी कालोनी कहा जा सकता है। इस जगह पर यदि आप बरसात के दिनों में जायें, तो पायेंगे कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, न सीवर की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है और न ही सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था है तथा कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण तक नहीं हुआ है। कुछ घरों में तो यह स्थिति हैं, पानी बरसने के बाद पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि सीवर का पानी लौटकर फिर घरों में वापिस आ जाता है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके सात ही जो व्यक्ति मकान बनवाना चाहता है, उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति मकान बनवाने से पहले नक्सा पास कराएगा और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल हो गई है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। समस्या यह भी है कि विभाग में जो उच्च स्तर का अधिकारी है, वही सब चीजें केन्द्रित करता है।

5.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे सदन में कहने में कोई संकोच नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा धांधलेबाजी होती है ये एक से अधिक व्यक्तियों को मकान एवं प्लाट बेच देते हैं और उनके कुछ रुपया ले लेते हैं। उसके बाद यह झंझट होता है कि वे अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ निश्चित रूप से सख्त कदम उठाना पड़ेगा।

महोदय, दूसरा मेरा कहना यह है कि जो बड़े-बड़े उद्योग लगा रहे हैं वहां श्रमिक काम कर रहे हैं, उद्योगपति उनके रहने के लिए आवासीय कालोनी बनाएं और उन्हें वहां रखें। ऐसे ही सार्वजनिक उद्यमों में होना चाहिए, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे आय के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद जो बहुत गरीब है और इकोनोमीकली वीकर सैक्शन में आते हैं उनको विशेष ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था करें तो उसकी मकान में रहने की कल्पना साकार हो पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

महोदय, मेरी कुछ अनुशशाएं है जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जैसे हुडको का 1970 में गठन हुआ, इसका 55 प्रतिशत धन इकोनोमीकली वीकर सैक्शन और एल० आई० जी० को जाता है। यह कार्य हुडको नहीं करती, राज्य सरकार के किसी विभाग को देती है और उनका जो उपयोग है वह दुरूपयोग की स्थिति में आ जाता है। वह कालोनी आधी-अधूरी छोड़ दी जाती है। अभी मुझे चेतन चौहान्न जी ने एक सुझाव दिया था उसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उनका सुझाव था कि कुछ विदेशों में फर्स्ट होम बायर ग्रांट दी जाती है। इसके लिए आय सीमा निश्चित कर दीजिये, मूल्य निश्चित कर दें कि उसमें विवाह के बाद अपने घर में जाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट दी जाएगी तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। अपना मकान बना करके वे आगे बढ़ें, इसका उल्लेख भी आपकी पॉलिसी में है लेकिन मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त नहीं है। आखिर यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इससे पहले कभी भी यह ससस्या उत्पन्न नहीं होती थी।

महोदय, एक मेरा कहना यह है कि आपने रेंट कंट्रोल एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं। मैं समझता हूं कि मकान-मालिक का इसमें कोई हित नहीं होता इसलिए वह मकान नहीं बनाता है। मैंने देखा है कि 40-50 वर्षों से किराएदार उसी किराए पर रह रहे हैं, वही किराया है उन्होंने बढ़ाया नहीं है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, आजकल अनेक लोग कहते हैं,

[अनुवाद]

"केवल मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और अक्लमंद लोग उसमें रहते हैं।"

[हिन्दी]

आपको इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने मकान बनाया था उसको बुढ़ापे में आमदनी होती रहे, उसने देखा कि मकान का किराएदार मकान का मालिक बन गया और मकान-मालिक चारों तरफ उसके चक्कर लगता है। मकान-मालिक के अधिकारों का संरक्षण हो सके और उसे प्रोत्साहन मिले। मकान-मालिक अपना धन लगा कर किराए के लिए मकान बनाए, जिससे आवास समस्या का समाधान हो। हमारे यहां स्टेम्प ड्यूटी का प्रचलन है उससे राजस्व की आय होती है उसका 25 प्रतिशत धन स्टेम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन में चला जाता है, इसका सरलीकरण बहुत आवश्यक है। इससे भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे मकान खरीद सके और बेच सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सबसे गंभीर बात की और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी शरीद दिघे जी अरबन लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में कह रहे थे जो 1976 में आया था और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जिस उद्देश्य से उसको लाई थी उस पर मेरा कोई मतभेद नहीं है।

इसका उद्देश्य अच्छा था, इसके बारे में मेरा दिघे जी से कोई मतभेद नहीं हैं, लेकिन 18 साल में जो इस एक्ट की उपलब्धियां हैं, उनको वे सदन को बता दें। मैं बताना चाहता हूं कि इस एक्ट की उपयोगिता नगण्य है, शून्य है, इसके कुपरिणाम निकले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सीलिंग आफिसर्स आज भ्रष्टाचार का केन्द्र बने हुए हैं। वे चाहे जिसको नोटिस देकर कार्यालय बुलवाते हैं, उससे कई चक्कर लगवाते हैं और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं किया जाता है। इसका कुपरिणाम यह है कि आज अगर किसी के पास लैंड पड़ी हुई है तो वह उस पर निर्माण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सीलिंग आफिसर से इसकी अनुमति नहीं मिल पाती। मेरी मान्यता है कि उद्देश्य प्राप्ति में इस एक्ट से एक प्रतिशत सफलता भी प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे में जैसा कि अनेक राज्यों का प्रस्ताव है और मेरा भी मंत्री महोदय से अनुरोध है, मैं जोरदार ढंग से यह मांग करता हूं कि इस एक्ट को शीघ्र समाप्त करे। महानगरों में मकानों की जो कमी आई है, अरबन सीलिंग एक्ट उसका एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से ही आज जमीनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मकान के लिए जमीन खरीदना आज आम आदमी की पहुंच के बाहर है और मकान बनाने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाए और अरबन सीलिंग एक्ट को समाप्त किया जाए।

आज स्लम, अनएथराइज कालोनीज है जो मीलों तक बन जीती हैं। इन कालोनीज में वह वर्ग रहता है जो ठेला चलाता है, मिल में नौकरी करता हैं, खोमचा लगाता है, जिनकी आमदनी के साधन सीमित हैं। जब ये लोग शहर में आते हैं तो इनके पास रहने के लिए स्थान नहीं होता, तो ये लोग इस तरह के स्थानों पर रहने लगते हैं और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इनके पास राशन कार्ड होते हैं, वोटर

लिस्ट में इनका नाम होता हैं, बिजली के कनेक्शंस होते हैं, ऐसी हालत में उनको उस स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर भेजना उचित नहीं है। मेरा अनुरोध हैं कि ऐसी समस्त अनधिकृत कालोनीज को, जिनको झुग्गी-झोपड़ी कालोनीज भी कहा जाता है, उन सब को अथोराइज घोषित किया जाए, मान्यता प्रदान की जाए, रेगुलराइज किया जाए, उसी स्थिति में नहीं, बल्कि उस रेलवे, राज्य सरकार या रक्षा विभाग की जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, वहां पर बहुमंजिले, सुविधायुक्त मकान बनाकर, उनका स्वामित्व इन लोगों को प्रदान करें, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। यह जमीन निश्चित रूप से फालतू पड़ी है, विभागों के पास आवश्यकता से अधिक है, कानपुर के विषय में मुझे जानकारी है कि रक्षा विभाग की अनेक ऐसी जगहें हैं, जिन पर ऐसी कालोनीज बनी हुई हैं। मेरे सुझाव पर अमल करने से गरीबों की मकान की समस्या का भी समाधान होगा और शहरों की खूबसूरती भी बढ़ेगी।

आपकी रिपोर्ट में भी एक बात हैं, आंकड़े भी दिए गए हैं कि ड्वेलिंग यूनिट्स 4 से कम प्रति 1000 जनसंख्या पर बनते हैं, वही यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 8 से 10 तक ड्वेलिंग यूनिट्स को प्रति वर्ष बनाएंगे तो वर्तमान स्थिति बनी रहेगी, यदि नहीं बनाएंगे तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। इस पालिसी में जो प्रयास आपने किए हैं, उनसे सन् 2001 तक यह समस्या बढ़ जाएगी, यदि प्रति 1000, 8-10 ड्वेलिंग यूनिट्स प्रति वर्ष नहीं बनाए गए यह और भी बदतर हो जायेगी इस बारे में गंभीरता से विचार कर के इस समस्या का समाधान करना होगा और ड्वेलिंग यूनिट्स बना कर उनमें सेनीटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स आदि की सुविाएं उपलब्ध करानी होगीं। यदि इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वहां पर रहने वालो का जीवन दूभर हो जाएगा और जैसे मकानों में प्रवेश का सपना इन लोगों ने देखा था, वह सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मैंने डवलपमेंट अथोरिटी के बारे में, अर्बन सीलिंग एक्ट के बारे में कहा है उस पर आप अवश्य ध्यान देगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर को कैसे सहभागी बनाया जाए, यह भी देखा जाना चाहिए। जिससे लोग इसमें रुपया लगायें तो उनको लगे कि कैसे उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आपकों निर्माण को उद्योग का क्षेत्र बनाना चाहिए। इससे यह होगा कि ब्याज की दर कम होगी और लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने में सुगमता होगी।

हम बार-बार कालाधन निकालने की बात करते हैं और इस बाबत वित्त मंत्रालय की तरफ से समय-समय पर घोषणायें भी होती हैं। हालांकि इसके लिए नेशनल हाउसिंह बैंक बनाकर प्रावधान किया गया है कि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको आयकर कम लगेगा, लेकिन हमने देखा है कि वह पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ, बल्कि जो अभी ' स्केम ' हुआ उसमें इस पैसे का बहुत दुरूपयोग हुआ। भविष्य में ऐसा न हो इस पर आपको विचार करना चाहिए। कालेधन से यदि कोई निर्धन वर्ग के लिए आवासीय कालोनी या भवनों का निर्माण करता है तो उसके कुछ न कुछ छूट देनी चाहिए, जिससे वह उस पैसे से समाज के निर्धन वर्ग का कल्याण कर सके।

राज्य सरकारों के जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, हाउसिंग बोर्ड हैं उनके ऊपर जब तक आप अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकारों को इस दस्तावेज को सख्ती से अमल करने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आवास योजना पर सदन में महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। आप जब योजना बनायें तो इस बात का भी ख्याल रखें कि राजस्थान में जिस तरह से मकान हाउसिंह बोर्ड बना रहा है, उनकी हालत कैसी हैं। सरकार की तरफ से कमजोर मकान बनाये जाते हैं, उनमें मेटीरियल घटिया होता है और तमाम अनियमिततायें होती हैं। मेरे क्षेत्र उदयपुर में जो मकान बनाये जाते हैं, वे जिस तरह के होने चाहिए, उस तरह के नहीं होते हैं। हमारा आदिवासी क्षेत्र है, मकान बनाते समय आदिवासी क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा है उसको तो मकान मिल जाता है, बिना पैसे वाले को नहीं मिलता है। जबकि यह एक राष्ट्रीय योजना है इसलिए इसमें ग्रामीण इलाके के लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। आपने इस नीति में दर्शाया है कि आवासीय योजना उन्हीं क्षेत्रों में होगी जहां आबादी ज्यादा होगी, जहां तीस-चालीस हजार की आबादी होगी। लेकिन जहां छोटे किसान रहते हैं, जो छोटे कस्बे हैं वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आबादी की सीमा को कम किया जाये। इससे छोटे कस्बों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। तभी जाकर हमारी राष्ट्रीय आवास नीति सकल होगी। ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं। हम राष्ट्रीय आवास योजना बनाने जा रहे हैं तो उसका लाभ केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही मिलेगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप ग्रामीण इलाकों को भी ध्यान में रखें।

जैसाकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा विकास योजना चल रही है लेकिन इसके लिये जो पैसा दिया जा रहा है, वह बहुत ही कम हैं। उससे मकान पूरा नहीं बन पाता है। यदि बनाने की कोशिश भी की जाती है तो बहुत सी चीजें उसमें रह जाती हैं। उसका परिणाम यह होता है कि कुछ साल बाद वे मकान गिर जाते हैं और फिर से वह आदमी विना मकान के रह जाता है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि बढ़ायी जाये ताकि मकान बनाते समय सारी सुविधायें मिल सकें। आपको मालूम है कि आज लकड़ी कितनी महंगी है। उन लोगों के लिये घास या खपैरल बनाने का मैटीरियल भी नहीं पूरा हो पाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस योजना में अधिक धन का प्रावधान किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रीय आवास नीति संबंधी इस विवरण को भलीभांति पढ़ लिया है और मुझे हर-एक वर्ष के आवास की कमियों संबंधी आंकड़े भी याद है जैसाकि विभिन्न संसदीय प्रश्नों में उल्लिखित हैं। मुझे उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। उनमें प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है हम केवल यही कह सकते हैं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए प्रति वर्ष लगभग चालीस लाख मकानों की आवश्यकता है। निःसंदेह, सरकार ऐसी कोई नीति तैयार करने की स्थिति में नहीं है जो बार-2 होने वाली इस बकाया कमी को दूर कर सके। इसलिए, मुझे एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं है कि इस शताब्दी के अंत तक हमारे देश में एक भी बेघर व्यक्ति नहीं होगा।

मैं आश्रय के बारे में बात करना चाहूंगा न कि आवास के बारे में। यदि हम प्रत्येक नागरिक को केवल आश्रय, उसके सिर पर छत्त भी प्रदान कर सकें, संभवतः हमें इससे ही संतुष्टि हो जायेगी। माननीय मंत्री के साथ मुझे सहानुभूति थी। वे केवल बढ़ती हुई जनसंख्या का ही विरोध नहीं कर रहीं हैं, अपितु

वे नगरपालिका के अपकर्ष का पुराने घरों के स्वाभाविक नुकसान का गांवों को छोड़कर जाने का भी विरोध कर रहीं हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, गांवों से प्रस्थान और शहरी पतन इन तीनों कारणों ने वास्तव में देश के लिए मकानों की कमियों को दूर करना असंभव बना दिया है। देश में अत्यधिक संसाधन निवेश करना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में मकान सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला बन गया है। हम आवास के स्तर पर अत्यधिक अंतर देखते हैं। हमें इस विषमता को कम करने एक प्रकार की 'हाऊसिंग यूनिट' बनाने जो प्रत्येक परिवार को उपलब्ध होनी चाहिए और बड़े-2 भव्य मकानों को छोटा करने के लिए तैयार रहना होगा। आप देखते हैं कि यहां आवास इकाइयां, जो कई हजार वर्ग मीटर क्षेत्र तक फैली हुई हैं, दिल्ली के ठीक बीचों-बीच हैं। क्या यह न्यायसंगत है ? क्या यह उचित है ? क्या यह राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि वे इन सबके विपरीत हैं। हमारी चाहे जो भी नीति हो, लेकिन हमारा आवास संबंधी पूरा कार्यक्रम विशिष्ट वर्गोन्मुखी रहा है, विशेष वर्गों के पक्ष में रहा है।

महोदय, मैं समझता हूं कि यहां तक कि आम भारतीयों की तुलना में यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी विशेषाधिकृत वर्ग है। इसी कारण हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है और इससे हमें भी इन कमियों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है।

महोदय, जहां तक शहरी आवास योजना का संबंध है, मैंने 'हुडको' के आंकड़े भलीभाति पढ़ लिये हैं। मैंने देखा है कि दो राज्यों के बीच हुडको आबंटन के स्तर में व्यापक विषमता है। वस्तुतः जनसंख्या का वह प्रतिशत, जिसे आवास प्रदान नहीं किया गया है, के संदर्भ में आवास की अत्यधिक कमी वाले राज्यों को कम आबंटन प्राप्त हो रहा है। इसलिए हुडको आबंटन स्वयं ही ज्यादा से ज्यादा विषमताएं पैदा कर रहा है।

महोदय, आप उच्च आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग की इन योजनाओं को देखें। वस्तुतः जब उन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो उच्च आय वाले वर्गों के लाभ के लिए निम्न आय वर्ग के आवासों का ही उपयोग किया जाता है। वस्तुतः निम्न आय वर्ग को मुश्किल से ही कोई आवास मिलता है। कई बार राज्य काफी कम मूल्यों पर भूमि प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात् वे अत्यधिक लागत पर इसका विकास करते हैं और बाद में इसे कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंह को दे देते हैं।

सहकारी आवास के संबंध में यहा काफी कुछ कहा गया है। लेकिन सहकारी आवास से किन लोगों को लाभ मिला है ? क्या यह लाभ बेघर लोगों के लिए है ? ये वे विशिष्ट लोग, विशेष वर्ग, नौकरी पेशा लोग, अमीर लोग हैं जो जनता के पैसों से कम दामों पर विकसित भूमि खरीद लेते हैं। यह ठीक नहीं है। इसमें कुछ गलत है; हमारे समग्र आवास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ विकृति है।

ग्रामीण आवास क्षेत्र में आज इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का दर्जा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इनका दर्जा बढ़ाने से देश में मकानों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इस दर्जा बढ़ाने से 'पूल' में पहले से कोई परिवर्तन नहीं आया है। इससे पहले अतिरिक्त आवास पर बल दिया जाता था, चाहे वह एक छोटा और कम कीमत वाला मकान ही क्यों न हो जो स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री से बनाया जाता था और जिसकी कीमत 7000 अथवा 8000 पड़ती थी। आप उन लोगों को भूमि का एक टुकड़ा आबंटित करें जो बिलकुल बेघर हैं, और जिन्हें सर्वप्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्हें मकान बनाने

के लिए थोड़ा-बहुत ऋण दिया जा सकता है। आज, आप अगले स्तर पर जा रहे हैं, आप बेघरों को भूल रहे हैं, आप ऐसे स्तर पर जा रहे हैं जहां मकान पहले से ही है, आप उनकी अपने घरों का दर्जा बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। मेरे विचार से, आवास का दर्जा बढ़ाना मकानों की कमी को कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के विपरीत है।

प्रत्येक गांव में हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, हमारे गावों में ऐसे भी लोग हैं जिनका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाया गया है। मेरे विचार से, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वे परिवार जो बिल्कुल बेघर हैं और जिन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दर्ज कराया गया है, उन्हें संसाधनों के आबंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए यह आवटन जाति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे सामाजिक विकृति आ जाती है, इससे उस गांव में सामाजिक तनाव और अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आप पूर्णतः आर्थिक मानदंड अपनायें, यदि आप बेघर रहने के मानदंड को अपनायें और बेघरों की आश्रय ढूढ़ने में सहायता करे, इस बात को महत्व दिये बिना कि वे किस जाति से संबंधित हैं, तो मुझे विश्वास है कि वह और अधिक सहायक होगा।

हमारे यहां शहरों और कस्बों में गंदी बस्तियां हैं। मैं युद्धोत्तर फ्रांस की समस्या का स्मरण करता हूं। जिस व्यक्ति ने इसका उपाय खोजा था, वह उस समय मर्सेली का मेयर था। बाद में वह फ्रांस गणराज्य का राष्ट्रपति बना। उनके मस्तिष्क में सामाजिक आवास व्यवस्था संबंधी अवधारणा विद्यमान थी। यह सब मैंने अल्जीरिया, में जहां असंख्य लोग बेघर हैं, कार्य करते हुये अपनी आंखों से देखा था और उन्हें गगनचुम्बी इमारतों में न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करके बसाया जाता है। अन्य सामाजवादी देशों में भी वही नीति अपनाई गई थी। उन्हें "समाजवादी मेयर" नाम से बुलाया जाता था। मेरे विचार से, शहरों और कस्बों में गंदी बस्तियों की समस्या के संबंध में थोड़ा-बहुत कुछ काम करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं गंदी बस्तियों को ज्यादा रहने लायक बनाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि फिर केवल आप हमारे यदि शहरी जीवन का एक स्थायी रूप बन जाएगा हम उन्हें स्वीकार क्यों करें ? हम गंदी बस्तियों के बिना यह कार्य करना चाहते हैं, हम एक साफ, स्वच्छ और सीधा-सादा जीवन चाहते हैं। ऐसा केवल ऊंची-2 इमारतें बनाकर ही किया जा सकता है क्योंकि शहरी भूमि सीमित हैं। मेरे विचार से, शहरी भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और यह भूमि उन सभी लोगों में बराबर बांटी जानी चाहिए जो बेघर हैं। यदि आप ऊंची-2 इमारतें बनाने की तकनीक अपना लेते हैं तो निःसंदेह आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

मैं कुछ वित्तीय उपायों का सुझाव दूंगा। किराया नियंत्रण कानून, जिसका यहां उल्लेख किया गया है, में संशोधन के अलाबा, मेरा यह सुझाव है कि बैंक ऋण के लिए आवास को प्राथमिक क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। मैं सरकार को इस बात पर विचार करने का भी सुझाव दूंगा कि सामाजिक आवास के लिए कालेधन का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब तक कि किराये को उचित तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाता, इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाये।

महोदय, मेरे ध्यान में एक बात आई हैं। बाढ़ और आग के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में एक कार्यक्रम है। मुझे यह फिर से बताया गया है कि कुछ राज्यों में यह केवल कुछ वर्ग के लोगों के लिए ही लागू किया गया है। यह फिर एक गलत बात है। बाढ़ और आग दोनों किसी जाति, किसी धर्म को नहीं जानते। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, जो बाढ़ और आग

की दुर्घटनाओं से प्रभावित हुआ है और उनके घरों को जो भी नुकसान पहुंचा हो, उनकी फिर से घर बनाने में सहायता की जानी चाहिए।

महोदय, अंततोगत्वा, मैं सामाजिक नियोजन के पहलू पर आता हूं। हम हर जगह, प्रत्येक शहर में हरिजन बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं। यहां तक कि गांवों में भी हम हरिजन बस्तियों का निर्माण करते हैं। इससे मुझे रंगभेद की नीति की याद आती है। इस बुराई का अस्पृश्यता जैसी इस बुराई का सामना करने का यह कोई तरीका नहीं है। आपको मिले जुले आवास की बात करनी चाहिए। सभी गरीब लोगों को साथ रहने दीजिए। वे एक साथ क्यों नहीं रह सकते ? उस आयु में, जब बच्चे एक ही स्कूल में जा सकते हैं, तो विभिन्न जातियों और विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोग एक ही बस्ती में एक साथ क्यों नहीं रह सकते ? हम विशेष रूप से हरिजन बस्तियां ही क्यों बनाये जैसेकि वे शहर के अछूत भाग हों ? यह आरक्षण है। मैं आरक्षण की इस नीति को स्वीकार नहीं करता। मैं रंगभेद की इस नीति को स्वीकार नही कर सकता।

अंततः मैं कहूंगा कि इस कार्य योजना में हमने राज्य योजना और जिला योजना के बारे में चर्चा की है। मेरे विचार से आवास और आक्षय संबंधी समस्यायें यर्थाथ के इतनी करीब हैं कि जब तक कि आपके पास ग्राम योजना, मोहल्ला योजना नहीं होगी, तब तक आप आवास संबंधी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वास्तव में यह समस्या कितनी बड़ी है। आपको शहर स्तर से पंचायत स्तर से नीचे काम करना होगा और आपको प्रत्येक गांव में यह देखना होगा कि वहां मकानों की कितनी कमी है, उसमें से किन-किन लोगों के पास मकान नहीं है, उनकी व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर, किस प्रकार अधिक से अधिक सहायता की जा सकती है ताकि उन्हें कम से कम रहने के लिए एक छोटा सा मकान मिल सके।

इसलिए महोदय, मैं महसूस करता हूं कि वास्तव में पंचायती राज लाए बिना, इसे प्रारम्भ किए बिना और हमारी नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार दिए बिना, मैं नहीं समझता कि आवास की कमी को आसानी से हल किया जा सकता है।

महोदय, मैं पुनः अपने विचार व्यक्त करुंगा कि सम्पूर्ण आवास नीति को जनता के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है। बड़े लोगों को उनका ध्यान स्वयं रखना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था के जरिए पर्याप्त काला धन पैदा हो रहा है जो धनी लोगों की सहायता कर सकता है, समृद्ध लोगों की सहायता कर सकता है। व्यापारियों की असैनिक कर्मचारियो की मदद कर सकता है, जिससे वे अपने आवास की स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं। वास्तव में, मैं भी कभी सरकारी कर्मचारी था। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बहुत से विकासशील देशों, यहां तक कि विकसित देशों में, सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को उन्हें मिलने वाले वेतन में ही उनके लिए आवास की कदाला स्वयं करने के लिए उन्हें भूमि दी जाती है। और हम निश्चित ही ऐसी भर्ती नीति अपना सकते हैं जिससे कम लोग स्थानांतरित हों, अधिकतर लोग, कम से कम निचले स्तर पर, वहीं कार्य करें जहां पर वे रहते हैं और उन्हें उन्हीं स्थानों पर भर्ती करे जाए जहां वे रहते हैं। इसलिए यदि आप नई रोजगार नीति अपनाते हैं, आप इन क्षेत्र में इस बहुत ही विशेषता वाले क्षेत्र में बहुत ही एक छोटे और राष्ट्रीय जनसंख्या एक छोटे क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय संसाधनों के इस व्यय को रोक सकते हैं।

इसलिए महोदय, आपकी अनुमति से, इन वाद-विवाद में भाग लेते समय, मैं माननीय मंत्री महोदय

को तथा मापदंड अपनाने के लिए अनुरोध करूंगा और समस्या पर शहरी धनी लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि ग्रामीण जनता को, गन्दी बस्तियों में रह रहे लोगों को ध्यान में रखकर सुलझाया जाना चाहिए। हम उन्हें कुछ आशा बधाएं कि उन्हें अपने जीवन काल में रहने को घर मिल जाएगा। हमें 1980 या 1990 के आंकड़े को ध्यान में रखकर योजना नहीं बनानी चाहिए बल्कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमें प्रतिवर्ष पांच मिलियन आश्रय उपलब्ध कराने चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते समस्या बनी रहेगी। मंत्री आएंगें, चले जाएंगें, सरकार आएगी और सरकार चली जाएंगी लेकिन समस्या उसी प्रकार बनी रहेगी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब जब हम स्वतंत्रता के 48वें वर्ष में प्रवेश कर रहे है श्रीमती शीला कौल, माननीय शहरी विकास मंत्री ने राष्ट्रीय आवास नीति पर एक विवरण रखा है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। परंतु जैसे ही मैने इस नीति को पढ़ा तो यह पाया कि इसमें शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों की समस्याओं को उजागर नहीं किया गया है। मैं, यह कहूंगा कि पूरी नीति सर्वदा के लिए आने वाले वर्षों के लिए यह नीति संबंधी विवरण ही रह जाएगी। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि समस्या क्या है और आज यह कितनी प्रकट है।

मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूं, मैंने ऐसा गांव देखे हैं. यहां परिवार के ग्यारह व्यक्ति 11 फीट 10 फीट के मकान में रहते हैं। आप इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। यदि हम और भी दूर दराज के गांवों में जाए तो पाएंगें कि अनेक लोग बेघर हैं, और आज हमारी आर्थिक नीति, केन्द्रीकृत आर्थिक नीति या औद्योगिकीकरण के कारण लोग गांवों से शहर की ओर आ रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ियां बन रही हैं। आज भारत के शहरों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हैं जो बेघर हैं। अतः अब समय आ गया है जब हमें यह सोचना होना कि एक मकान अथवा आश्रम का होना मौलिक अधिकार होना चाहिए या नहीं। इस पर तो इस प्रकार विचार करना होगा क्योंकि आज जो स्थिति हैं राष्ट्रीय नीति में एक विशेष स्थिति पर देना होगा और उन कारणों का विश्लेषण करना होगा और ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां देश के प्रत्येक नागरिक के पास एक मकान होने का अधिकार हो।

अतः इस नीति में उस हद तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता हैं जो अब आ रही हैं और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जो इस नीति को एक दिशा विशेष में प्रभावित कर सकते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य, सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्याओं का समाधान, होना या इसमें निर्धनों में सबसे निर्धन से लेकर सबसे अमीर व्यक्ति की आवश्यकताएं परिभाषित होनी चाहिए। क्या यह नीति यह परिलक्षित करती हैं ? मैं समझता हूं कि इस सभा में आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि इसमें यह प्रदर्शित नहीं होती है, अतः हम ऐसा करने में असफल रहे हैं।

तब शहरी करण का प्रश्न उठता हैं। इस देश में बाढ़ और चक्रवात की भी समस्या है। बाढ़ आती है तो नुकसान होता है श्री सुखराम मेरी बात से सहमत होंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के बाढ़ के कारण अनेक मकानों को नुकसान हुआ। उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धन में 140000 मकान ढह गये और लोग बांध के किनारे रह रहे हें, यह एक नियमित प्रक्रिया है। जब चक्रवात आता हैं तो सभी छत उड़ जाते हैं।

अतः इन सभी प्राकृतिक कारणों कर विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर विचार किया जाना

चाहिए। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए ? कि बार-बार आने वाले चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के महान जो चक्रवात का मुकाबला कर सके यह पहली आवश्यकता है। हमारी आवासीय योजनाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों यहां बाढ़ से आमतौर पर मकानों को नुकसान होता है कि विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यदि आप मुम्बई या कलकत्ता यात्रा देखेंगें कि लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं। मुझे पता नहीं हम उन लोगों पर विचार करते हैं या नहीं। अतः प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो क्या आप इस समस्या का अपने संसाधनों से आपके पास जो पैसा हैं उससे समाधान कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी योजना मकान हम आज बनाते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं यह गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होता है। वास्तव में लाभ उन तक नहीं पहुंचता हैं। आप इंदिरा आवास योजना का उदाहरण लें। मैं समाज कल्याण मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि आपने पैसा दे दिया परंतु क्या आप उन हरिजनों को उन निर्धनों को अपना मकान बनाने दे रहे हैं। आपका खंड प्रशासन यह यदि ठेकेदारों को दे देता हैं और दो साल में मकान गिर जाते हैं। अतः क्या सरकार की इस पर नजर नहीं जाती है ? यह हमारी आर्थिक समस्याओं से संबंधित हैं।

मुझे याद हैं। 1936 में जब मैं दस वर्ष का था स्कूल द्वारा लगाए प्रतिबंधों के बाबजूद मैं स्कूल गया और प्रधानाध्यापक ने मुझे दस बेत मारे। 1931 में जब एक कांग्रेस नेता एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी जनसंख्या 34 करोड़ है और जब उन्होंने यह कहा था तो इसमें पाकिस्तान तथा बर्मा जैसे देश भी इसमें सम्मिलित थे। इस समय भारत की जनसंख्या 93 करोड़ या इसके लगभग है। इस शताब्दी के अन्त तक यह जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी। इसलिए, हमारे जैसी जनसंख्या वाले देश में हमें उस दष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जब तक हम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलते, तब तक हम सबको आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। हमें इस बात का थोड़ा संतोष हो सकता है कि कुछ समृद्ध लोगों के लिए जिन्हें आवास निर्माण योजनाओं के लाभ मिलते हैं हम कुछ आवास बना रहे हैं। यह गांवों के लिए भूमि नीति से भी संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि की समस्या है। मैं जानता हूं कि ग्यारह सदस्यों का परिवार भी 12"x10' परिमाण के घर में रहता है। वे लोग वहां पर उपलब्ध सामग्री से मकान बना सकते हैं परन्तु उनके पास मकान बनाने के लिए भूमि नहीं होती।

मुझे केरल में हुई एक घटना याद है। जब वहां पर कांग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार थी- श्री अत्युत मेनन मुख्य मंत्री थे-तो एक आवास योजना तैयार की गई थी। वह आवास योजना क्या थी ? वे लोगों के सहयोग तथा भागीदारी से एक लाख आवास बना सकते थे। आवास निर्माण की योजनाओं में जब तक लोगों का सहयोग प्राप्त न हो, तब तक उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन संभव नहीं है। सरकार ऐसी विचारधारा से देश की आवास समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इससे तो वह समस्या और गंभीर होगी।

इसलिए मैंने बोलने का यह अवसर प्राप्त किया है तथा मैं कहूंगा कि जब हम किसी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं, हमें सम्पूर्ण राष्ट्रीय वास्तविकता के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

इस नीति में सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। जिन्होंने इस नीति को तैयार किया है उन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों पर ध्यान नहीं दिया। इस नीति को राष्ट्रीय नीति नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो आप इसे श्रीमती शीला कौल की नीति कह सकते हैं न कि राष्ट्रीय हित की नीति। हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना होना चाहिए। मैं सरकार से यह उद्देश्य ध्यान में रखने का आग्रह करूंगा

कि आवास एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सरकार को जनसंख्या चक्रवात आदि सभी कारण पर विचार करना चाहिए तथा प्राथमिकता इस तरह से निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि उसी प्रकार का व्यय बार-बार न करना पड़े। इसमें कुछ बचत तो होनी ही चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विशेषतः शहरी क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखते है कि वहां सड़कों के किनारे पर भी आवास हैं तथा लोगों ने वहां आश्रय लिया हुआ है। रेलवे गाड़ियों की गति को दबाए नहीं रख सकता क्यों कि रेल लाईन के निकट लोगों ने घर बनाए हुए हैं। आप स्यालदाह जाइये। वहां आप देखेंगे कि गाड़ियों की गति बनाए नहीं रखी जा सकती क्योंकि लोगों ने रेल लाईन के आस पास घर बनाए हुए हैं। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं आपको हर जगह बुरी स्थिति मिलेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ करना चाहिए और वह भी गांधीवादी दृष्टिकोण से।

मुझे एक और बात की भी संभावना है। निर्माण कार्य, बड़ी निर्माण कम्पनियों आदि को देकर हमने कुछ समस्याएं पैदा कर ली हैं। एक बार हमने भारत में जमींदार वर्ग बना दिया। अंग्रेजों ने भारत में जमीदार वर्ग को जन्म दिया। मेरे विचार में इस नई नीति के द्वारा सरकार की जमीदारों के एक नए वर्ग को नहीं जन्म देना चाहिए। इस स्थिति से आप इन्कार नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में, जबकि बहुत से लोग गरीबी की रेखा से नीचे हो, निर्माण कार्य विभिन्न बड़ी कम्पनियों को सौंपकर सरकार पूर्व जमींदार वर्ग के समान जमींदारों का एक और वर्ग बना रही है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि यदि यहां पर उपस्थित राजनीतिक दल यह अनुभव करते हैं कि यह एक ऐसी समस्या है जिसने अत्यन्त गंभीर रूप धारण कर लिया है, तो उन्हें कुछ करना चाहिए। यह कार्य बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। इस संबंध में, वित्त सरकार द्वारा वित्तीय सहायता पर निर्भर करने की अपेक्षा लोगों के सहयोग और भागीदारी से एक नई योजना इस समस्या के समाधान के लिए तैयार की जानी चाहिए। केवल तभी आप इस बात का न्यायोचित ठहरा सकते है कि आवास प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।

मैं समझता हूं कि सरकार इन सभी कारणों पर विचार करेगी। केवल सीमित विचारों को सामने रखकर और देश की सम्पूर्ण समस्या को सामने न रखकर उन्हें इसे राष्ट्रीय आवास नीति नहीं कहना चाहिए बल्कि यह कहना चाहिए कि यह महोदया शीला कौल की नीति है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय आवास नीति का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो मीनिमम नीड़ प्रोग्राम की योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी, उन्होंने उसको समाप्त नहीं किया और उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी। इस आवास नीति में 51 परसैंट ग्रामीण अंचलों में आवास बनाने हेतु रखा गया है। इसके लिये आप बधाई की पात्र है। इसके बाद भी बहुत सारी समस्यायें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज 20.36 मिलियन मकानों की आवश्यकता है। यह आवश्यकता निरन्तर

बढ़ती जाती है, क्योंकि आबादी बढ़ती जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम आवास हेतु नई योजनाएं बनायें, पूर्व में भी कई योजनाऐं बनाई गई जैसे जवाहर रोजगार योजना आज भी चल रही है और इन्दिरा आवास योजना है, इससे काफी हद तक समस्या हल हुई है। लेकिन पहले 4-5 हजार रुपये में एक कमरा बन जाता था, वही कमरा आज 12-15 हजार में बनता है, क्योंकि मैटीरियल के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन्दिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो मकान बनते हैं, उनमें केवल लोकल मैटीरियल का इस्तेमाल किया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि जो माइनिंग के नियम हैं, उनमें परिवर्तन किया जाय। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने हैं तो उसके लिए ईंट उत्तर प्रदेश से आती है, क्योंकि वहां के खनन के नियम ऐसे हैं कि उनमें लोकल मैटीरियल, जैसे मिट्टी वगैरह का भी खनन नहीं किया जा सकता इसलिए इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। यह आवश्यक है कि खनन के नियम हम आसान बनायें।

ग्रामीण क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत गरीब को अपनी जमीन से और मकन से हाथ धोकर चुकानी पड़ती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में विजयपुर में जहां पर गैस बेस्ड फर्टिलाईजर प्लाण्ट लगा है, गैस एथारिटी आफ इंडिया का बहुत बड़ा उपक्रम आया है, यह दोनों शासकीय उपक्रम हैं और 3-4 हजार करोड़ रुपया केन्द्र शासन ने उसपर खर्च किया है लेकिन जिन लोगों की जमीनें और मकान उसमें गये हैं, आज तक उनको उन कम्पनियों ने मकान बनाकर नहीं दिये हैं। सरकारी उपक्रमों की भी यह हालत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि निजी कम्पनियां जब कारखाने लगाती है, उन कारखानों की वजह से जो लोग बेघर होते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जिस आदमी की जमीन और घर विकास के नाम पर बड़े कारखानों द्वारा लिये जाये, उनको बसाने की योजना शासन को बनानी चाहिए। इसे भी आप इस योजना में समन्वित करेंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

हमारे देश में बाढ़ आती हैं, भूकम्प आते हैं, आग लग जाती है, नैचुरल कैलेमिटीज होती रहती है। लाटूर, महाराष्ट्र में पिछले दिनों बहुत भीषण भूकम्प आया, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोगों के मकान टूट गये। वहां पर पुनर्वास का सबसे अच्छा कार्य अगर किसी ने किया है तो वह फौज ने किया है और उन स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया है, जो वहां कार्य कर रही थी। शासन ने भी काम किया लेकिन उतना नहीं किया, जितना बाकी संस्थाओं ने किया। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग बाढ़ से या भूकम्प से प्रभावित होते है तो उनके पुर्ववास के लिए उनको बसाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं ने अच्छा काम किया है, हम ऐसे कामों में उन्हीं लोगों को शामिल करें, जिन लोगों ने उन्हें राहत पहुंचाई है और उनको यह जवाबदारी दें कि वहां वही जायें, वही मकान बनाये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो राशि राज्य शासन या भारत सरकार देती है, वह बजाए इसके कि शासकीय अधिकारियों को भजें, वह इन स्वयंसेवी संस्थाओं को दें और उन लोगों को दें, जिन्होंने इस मुसीबत में उन लोगों का साथ दिया है ताकि वह राशि सही आदमी तक पहुंच सके।

इस वर्ष केरल और मध्य प्रदेश में बहुत भीषण बाढ़ आई है। इसके लिए आज आवश्यकता है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित है, उस आबादी को बसाने की शासन योजना बनाये।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई आर्किटैक्ट है, जो बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके पास खान हैं,

जो बहुत ही सस्ती कीमत पर गांवों में जाकर मकान बनवा सकते हैं, उन आर्किटैक्टस का सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए,

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लक्ष्मण सिंह जी, आपको और कितना समय चाहिए?

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, दो मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम दस या पंद्रह मिनट और बैठ सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम यह चर्चा कल जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :ठीक है, वह अंतिम वक्ता होंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस आवास नीति में यह व्यवस्था की गई है कि सहकारी संस्थाओं के मकान बनाने के लिए लोन दिया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं की आड़ में पूंजीपति लोग इस नीति का फायदा उठा रहे हैं। शासन को चाहिए कि वह इसकी छान-बीन करे और ऐसे लोगों को सख्त-से सख्त सजा दे। मैं तो यहां तक कहूंगा, उनकी सम्पत्ति जब्त करके आवासहीन लोगों में बांटे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बन्धुवा मजदूर हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कई जातियां हैं, जैसे बनजारा हैं, जो एक जगह से दूसरी जगहों पर जाकर बस जाती है, इन लोगों के लिए भी आज तक घर बनाने की योजना नहीं बनाई गई और न ही आज तक उनको बसाने का प्रयास किया गया। इसलिए आवश्यकता है कि बनजारा जैसी जातियों को भी, जिनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, बसाने की योजना बनानी चाहिए।

जहां तक हुडको का सवाल है, यह संस्था भी शहरों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुडको का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हुडको को शहरों से निकाल कर गांवों तक ले जाया जाए। हुडको के माध्यम से हम नगर पालिकाओं को सुविधायें देते हैं, लेकिन ऐसी कितनी नगर-पालिकायें हैं, जिनको हुडको ने लोन दिया है। मेरे ख्याल में इनकी संख्या बहुत ही कम है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां पर पंचायती राज को लागू किया गया हैं। मेरा सुझाव है कि हुडको के द्वारा इन पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जाए। इसके साथ ही नगर-निगम, सरपंचों और जिला परिषदों के लोगों को गांव में आवास मुहैया कराने का अवसर मिलना चाहिए।

आज एक समस्या यह भी है कि लोग गांवों से शहरों में आकर बस जाते है। ऐसे लोगों के लिए भी शहरों में आवास की समस्या है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। शहरों में जो कोलोनाइजर होते हैं, मैं यह नहीं कहता कि सभी कोलोनाइजर बेईमान होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कोलोनाइजर हैं, जिनके द्वारा गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। एक कोलोनाइजर एक प्लाट पांच-पांच लोगों को बेच देता है मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से विकसित देश हैं, जहां जो राशि कोलोनाइजर को जाती है, वह बैंक में रखी जाती है और कोलोनाइजर को अधिकार नहीं होता है कि वह उस राशि को इस्तेमाल कर सके। मेरे विचार से हमें इस तरह का भी कानून बनाना चाहिए।

शासन को चाहिए कि आर० बी० आई० से मीटिंग करके वह आदेश जारी करे कि कोलोनाइजर लोगों से जो इस प्रकार पैसा लेते हैं, वे बैंक में रखें और गारन्टी के रूप में उस पैसे को वह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका उपयोग अपने काम में नहीं ले सकता है। यह स्थिति तब तक कायम रहनी चाहिए, जब तक कि वह मकान देने की स्थिति में न हो जाए।

गरीबों को मकान बनाने के लिए जो हम लोन देते हैं, उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा है। आम आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि शहरों में काफी जमीनें विवादास्पद पड़ी हुई हैं, जिन पर कोर्ट कचहरी के मुकदमें चल रहे हैं।

अभी हमारे भाई ने कहा कि अरबन सीलिंग समाप्त कर देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि अरबन सीलिंग समाप्त कर देना चाहिए लेकिन इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, अगर हम इसमें परिवर्तन लाएं और पार्टी को मजबूर करें कि वह लिटिगेशन वापस ले ले। उसमें हम यह नियम बना सकते हैं कि जितनी जमीन उस पार्टी को मिल रही है उसमें से 30 प्रतिशत जमीन वह उन लोगों के लिए रखे, जो आवासहीन है। उसमें मकानों का निर्माण करवाएं।

महोदय, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूढ़की में है। ऐसे संस्थान और खोलने चाहिए, क्योंकि हम करोड़ों रूपए आवास के लिए खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका नोहाऊ हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि उसकी जो टैक्नोलॅजी है वह गांवों तक पहुंच सके, गांव के लोग भी उसे समझ सकें इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह के संस्थानों पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक मेरा कहना यह है कि जो लोग जम्मू-कश्मीर से विस्थापित किए गए हैं, जिनको वहां से हटा दिया गया है उनको जब भी आगे अवसर वहां बसाने का आएगा तो इसलिए हमारी आवास नीति में इसका प्रावधान होना चाहिए कि जो आतंकवादियों द्वारा विस्थापित किए गए हैं उनको हम कैसे वहां स्थापित कर सके।

महोदय, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि हम नेशनल हाउसिंह बैंक चला रहे है। हमने 132 करोड़ रूपया प्राइवेट और कोआपरेटिव संस्थाओं को मकान बनाने के लिए लोन दिया है उसका 1.5 प्रतिशत हाउसिंह सैक्टर को दिया गया है, उस 1.5 प्रतिशत का केवल 30 प्रतिशत, इतना छोटा सा अंश हमने इनडिविजुअल्स को लोन के रूप में दिया है इस राशि को, परसैंटेज को बढ़ाना आवश्यक है ताकि जो इनडिविजुअल्स है उनको भी अधिकार रहे कि वे नेशनल हाउसिंह बैंक तक जाएं और लोन लेकर अपना मकान बना सकें।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 19 अगस्त, 1994 को 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.07 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 19 अगस्त, 1994/28 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/34/18/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।